खण्ड-117, अंक-6
शनिवार, 20 पौष, शक संवत् 1874
(10 जनवरी, 1953 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 117 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

---

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

शनिवार, १० जनवरी, १९५३

---

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३४६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पान्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इर्तजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टन्डन, श्री
काशी प्रसाद पान्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पान्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पान्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरञ्जी लाल जाटव, श्री
चिरञ्जी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारका प्रसाद पान्डेय, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीत्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन रामगुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मन्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती

रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री

रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पान्डय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
बीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्र, श्री
शंकर लाल, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पान्डेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री

हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

---

## खाद्यान्न के बढ़ते हुये भावों के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--मुझे एक सदन को कार्यवाही स्थगित करने के प्रस्ताव की सूचना मिली है, जिसके स्वीकार करने में मेरी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आज शनिवार के दिन के लिये सदन ने किसी विशेष कार्य करने को संकल्प किया था। यदि आज काम रोक दिया जाता है तो वह संकल्प भी विकल्प हो जाता है। ऐसी हालत में यह तो कठिनाई मेरे मार्ग में है ही। दूसरे जो सूचना मुझको दी गयी है उसमें खाद्यान्न की भावों की दरें महंगी होती जा रही हैं। इस आधार पर एक लम्बी सी बहस दी गयी है, जिससे यह नतीजा निकालने का प्रयत्न किया गया है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी लम्बी बहस पर आधारित किसी बात के लिये सामान्यतः किसी कामरोको प्रस्ताव के लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त थोड़े दिनों में बजट भी आने वाला है। उन दिनों इस विषय पर पूरे तौर पर विचार किया जा सकता है। अतः मैं इसके लिये अनुमति देना मुनासिब नहीं समझता।

## *उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

†खण्ड ५ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार जारी होगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजा वीरेन्द्र शाह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं....

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रस्तावक महोदय उपस्थित नहीं हैं तो जवाब देने, वापिस लेने या उसी पर अड़ा रहने की क्या स्थिति होगी ?

श्री उपाध्यक्ष--यह बाद को देखा जायगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमान्, अभी तक मूल अधिनियम में यह था कि जो जमीन्दार २५० रुपये से अधिक मालगुजारी देते रहे हैं, उनके काश्तकार मौरूसी माने जाते थे, लेकिन इस विधेयक के द्वारा यह अधिकार उन काश्तकारों को भी दिया जा रहा है, जो सब-प्रोप्राइटस, अन्डर प्रोप्राइटर्स और परमानेन्ट टेन्योर होल्डर्स के काश्तकार हैं। जिस समय प्रिंसिपल ऐक्ट सदन के सामने आया था तो माननीय मन्त्री जी, जोकि इस वक्त भी विद्यमान हैं, वे पूर्णत हर प्रकार के नियमों से विज्ञ थे, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको कमिट नहीं किया कि सबप्रोप्राइटर, अन्डर प्रोप्राइटर और परमानेन्ट टेन्योर होल्डर्स, जो २५० रुपये से अधिक देते थे उनके काश्तकार भी यही सुविधा पायेंगे।

---

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

†८ जनवरी, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

लेकिन अब देखा जाता है कि इस परिस्थिति में उनके काश्तकार भी मौरूसी माने जायेंगे। श्रीमान्, बहुत से ऐसे काश्तकारान हैं जो पहले २५० रुपये से अधिक लगान देते थे वे अपनी शिकमी को उठाये हुए हैं। लेकिन जहां तक उन किसानों का ताल्लुक है, उनकी शिकमी के लिये कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यह तो मैं नहीं कह सकता हूं कि विंडिविटवनेस की वजह से ऐसा किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो किया जा रहा है वह मातहतदारों और अदना मालिकों के लिये अत्यन्त हानिकर और दुख उत्पादक वस्तु होगी। श्रीमन्, बहुत से जमीन्दारों की यह हालत थी कि ये मातहतदार लोग थे जो २५० रुपये से अधिक लगान मालिकाना दिया करते थे और बहुत से अपने खेत काश्तकारों को उठाये हुए थे, बहुतों के लिये मजबूरी थी जिससे उनके लिये लाजिमी हो गया कि वे खेतों को उठा दें। अब रहा यह कि उनको मौरूसी हक दिया जाय। अभी इस बहस के दौरान में माननीय मन्त्री जी यह फरमा चुके हैं कि महज आप चाहे किसी तरह के काश्तकार हों उसके हकूक के अधिरक्षण के लिये सरकार सब कुछ करना चाहती है और बेदखली का कोई प्रश्न नहीं उठता। महज स्टेट्स का फर्क है। अगर उनको मौरूसी न बनाया जाय तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि सब प्रोप्राइटर और अन्डर प्रोप्राइटर, जो आज तक २५० रु० से अधिक लगान मालिकाना दिया करते थे, परन्तु जो उनके काश्तकार हैं किसी सूरत से अन्डर-प्रोप्राइटर और सब-प्रोप्राइटर के जरिये बेदखल नहीं किये जा सकते। इस भय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। महज स्टेटस का फर्क है। अगर आप यह समझते हैं कि वे जमीन्दार उनको बेदखल कर सकते हैं या किसी तरह से उनको पीड़ा पहुंचा सकते हैं तब तो यह कुछ माने रखता कि आप उनको मौरूसी हक दें लेकिन बेदखली का कोई सवाल नहीं है। आपके अधिनियम को देखने से पता चलता है कि शब्द "बेदखली" का नाम लेना भी भय उत्पादक हो गया, ऐसी परिस्थिति में सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी कि वह अन्डर प्रोप्राइटर और सब प्रोप्राइटर सीर के काश्तकारों को भी मौरूसी हक देने को उतारू है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस मसले पर उनको कुछ आशंका हो गयी है। इसमें महज इस्टेट्स का फर्क होता है। जो काश्तकारों के सीर हैं और जिनके मालिक आजतक २५० रु० से अधिक लगान देने वाले थे इसको उठा दिये लेकिन जहां तक इसके खेत का प्रश्न है उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता है असामी है, अधिवासी है, अगर कोई सीरदार ही निकले तो एक शौक है वरना सरकार ऐसी बात नहीं कर सकती है। अगर लगान देता है तो बेदखली का कहीं प्रश्न ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वास्तविकता यह है कि इससे बहुत से मातहतदार और अदना मालिक ही पीड़ित होंगे और उनके लिये कोई जरिया बाकी नहीं रहेगा। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर विशेष ध्यान दें और विचारें कि जिसको वे जमीन्दार कहते हैं वे २५० रु० देने वाले जमीन्दार नहीं बल्कि वास्तव में किसान ही हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह मुझे स्वीकार नहीं है। उसका स्पष्ट कारण यह है कि हमने तो २५० रु० से ऊपर के जितने भी जमीन्दार हैं उनकी सीर की जमीन के जो भी काश्तकार हैं उन्हें मौरूसी हक दिया है। धारा १० के मातहत। धारा १०(२) के मातहत इनवैलिड लोगों के लिए कुछ दूसरी बात कही गयी है और वे जमीन्दार जो स्त्री हैं, अवयस्क हैं, उनकी जमीन पर वह अधिकार नहीं होगा। लेकिन अदना मालिक हैं उनके बारे में या मातहतदार, या दवामी काश्तकार हैं उनके बारे में वही बात लागू होती है जो अन्य जमीन्दारों के लिये है। उनकी भी जो सीर होगी उनमें काश्तकारों को वही हक होना चाहिए जो अन्य जमीन्दारों के काश्तकारों को है। श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जो ढाई सौ से अधिक मालगुजारी देते हैं तो उनकी जमीन में काश्तकारों को क्यों नहीं वही हक दिये गये। तो जो ढाई सौ से अधिक लगान देने वाले काश्तकार हैं उनका जिक्र दूसरी धाराओं में है और उनकी जमीन में भी जो शिकमी काश्तकार हैं अधिवासी के हक दिये गये हैं। तो जो उसूल वहां बरता गया है वही यहां जो अमेंडिंग बिल है उसमें रखा गया है और मैं आशा करता हूं कि भवन उसी को स्वीकार करेगा।

श्री राजनरायण (जिला बनारस)---जो खंड ५ के उपखंड (१) को निकालने का संशोधन यहां उपस्थित किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं और अपने मित्र सभा सचिव श्री द्वारका प्रसाद जी मौर्य्य ने जो तर्क यहां उपस्थित किये है, उनका समर्थन करता हूं। एक बात मैं इसके सम्बन्ध में और बताना चाहता हूं कि इस संशोधन को उपस्थित करने का जो मौका दिया गया ह वह भी इस सरकार की असीम प्रतिक्रियावादी अनुकम्पा से ही दिया गया है। आगे भी ऐसे बहुत से संशोधन आयेंगे, जिनमें हम समझते हैं कि इस सदन का समय व्यर्थ ही में नष्ट हो जायेगा। उस पर वादविवाद गुनाह बेलज्जत होगा। इसमें जो ढाई सौ रुपये से अधिक वार्षिक मालगुजारी देने वाले मातहतदार, दवामी काश्तकार या अदना मालिक इन शब्दों को रखा गया है वह ठीक है, और उचित बात है, इसको रखना ही चाहिए। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं ताकि उनको अपने संशोधन को वापिस लेने मे कष्ट न हो। अगर कुछ अच्छी बात आ जाय और जो भिन्न क्लासेज बन हुये हैं, जो भिन्न-भिन्न विभाग बने हुए हैं अगर वह कहीं टूटते हैं किसी भी संशोधन से तो उसको माननीय वीरेन्द्र शाह जी को मानना ही चाहिए या उनके जो मत के समर्थक हैं उनको मानना ही चाहिए। इसी तरह से आगे कितने ही संशोधन आयेंगे जिनमें भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी ये जो चतुर्वर्ण इस भूमि व्यवस्था में भी कायम किये गये हैं वह एक अजीब बेतुकी सी बात है, जिनका न रहना ही उचित था और अगर यह निकाल दी गयी होती तो सदन का इतना समय नष्ट न होता और माननीय वीरेन्द्र शाह जी को इस तरह के संशोधन उपस्थित करने का कष्ट न उठाना पड़ता और मुझे भी इस तरह के विरोध करने की आवश्यकता न होती। मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री वीरेन्द्र शाह जी को श्रेय इसी में है कि वे अपन संशोधन को वापिस ले लें क्योंकि यह जरूरी नहीं है और आज के जमाने के उपयुक्त भी नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर जो भाषण अभी माननीय विरोधी दल के नेता जी ने दिया, मैं उनसे बहुत अदब से कहता हूं कि हमने एक सिद्धान्त समझकर और यह मानकर और न्याय और अन्याय को देखकर कार्य होना चाहिये। जब हम यह देखते हैं कि जो अन्डर प्रोप्राइटर्स हैं या मातहतदार बतलाये जाते हैं उनकी हालत काश्तकारों से किसी तरीक़े से अच्छी नहीं है। वे भी इस बात को मानेंगे कि सिर्फ नाम इनका मातहतदार है, लेकिन यह श्रीमन् काश्तकार ही हैं। और भी जब इस ऐक्ट में असामी काश्तकारों के रखे गये हैं, तो मैं नहीं समझता कि जब सरकार ने उनको यह हक़ दिया और लीगली, क़ानून के हिसाब से उन जमीनों को उठाने का हक़ दिया उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो न्याय विरुद्ध हो। तब मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने अभी तक उन्हें छोड़ रखा था। अब कौन सी आपत्ति आ गयी? राजस्व मंत्री जी ने उत्तर में कोई ऐसी बात नहीं बतलायी जिसके कारण ऐसा किया गया। कौन सी दरख्वास्तें आ गयी हैं या कितने शिकमी के असामी इनकी जमीनों को जोते हुए हैं। यह उन ग़रीबों का मामला है जो केवल काश्तकार हैं। इस बात को नहीं मानते जो अभी विरोधी दल के नेता जी ने कही कि चूंकि काश्तकारों का मामला है इस सिद्धांत से हम वापस ले लें। मैं कहता हूं कि वे भी काश्तकार ही हैं और न्यायपूर्वक हमको इस बात को देखना चाहिए कि जिस क़ानून के जरिये से उन्होंने जमीन को उठाया और अगर आज उनकी जमीन उनके पास रह जाती है तो जिस तरह आपने इसी क़ानून में रखा है, जो अपाहिज हैं, विधवायें हैं, बच्चे हैं, उसी तरह से मातहतदार भी काश्तकार हैं। उनको अगर आप छोड़ देंगे तो कौन सी ऐसी आपत्ति की चीज आ जायेगी जिससे सरकार को ज्यादा परेशानी है, या कोई उन लोगों की दरख्वास्त है और उनमें बहुत असंतोष है? मैं समझता हूं कि संशोधन बहुत सीधा-सादा है और मुझे नम्रतापूर्वक यह कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह एक न्यायपूर्ण चीज है।

मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो मातहतदार और अदना मालिक इन लोगों को भी ऊंचा उठा कर उसी दर्जे पर पहुंचा दिया जो ढाई सौ से ऊपर के

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

ज़मींदार हैं। आप कहते हैं कि यह ग़रीब हैं। हमने तो उन्हें ऊंचे दरजे पर पहुंचा दिया है और ढाई सौ से ऊपर के ज़मींदारों के बराबर कर दिया है। जो क़ानूनी बातें ढाई सौ से ऊपर के ज़मींदारों के लिए हैं वही इन लोगों के लिए भी की हैं। तो इसमें आपत्ति होनी ही न चाहिए। मैं समझता हूं कि यह संशोधन वापस होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ५ का उपखण्ड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

श्री गेंदा सिंह (ज़िला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं --

खंड ५ के उपखंड (२) में प्रस्तावित नयी उपधारा (१-क) की पंक्ति ३ के शब्द "हों" और "तो" के बीच में शब्द "और दूसरे मध्यवर्त्ती ऐसे हों जिनके पास १० एकड़ भूमि क़ब्ज़े में हो" जोड़ दिये जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को मैं इस प्रकार रखना चाहता हूं। जो आखिर का इसका हिस्सा है "काश्तकार समझा जायगा" इसके बाद "जो उक्त भूमि पर उपधारा (१) में उल्लिखित मध्यवर्त्तियों के अंश के अनुपात में हो, और" इसे निकाल दिया जाय।

इस संशोधन के रखने का उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के पास ज़मीन आवश्यकता से अधिक हो उनके पास वह न रहकर जो उसको जोते हुए हैं, अन्न पैदा करते हैं, और अपना गुज़ारा करते हैं उन्हीं के पास वह ज़मीन रहे।

यदि इस समय मूल अधिनियम का जो संशोधन किया जा रहा है उसमें जो हिस्सा बढ़ाया जा रहा है उसे स्वीकार कर लिया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि जो लोग पहले मध्यवर्ती सम्मिलित परिवार में रहने के नाते अपने मातहत लोगों को बेदखल करने में असमर्थ रहते थे वह लोग अब बेदखल कर सकेंगे और ऐसी हालत में भी कि जब उनके पास अपने जोतने से अधिक ज़मीन है। केवल इतना इसमें कहना है कि अगर उन्होंने अपनी ज़मीन को दूसरों को दे रखा है तो फिर उनको यह अधिकार न हो कि उस ज़मीन को उनसे वापस ले सकें। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि यह तो निश्चित ही है कि जिन लोगों ने ज़मीन दूसरों को दे रखी है वह जोतने की क्षमता नहीं रखते हैं। जबकि इसमें कोई अक्षम्य लोगों के लिये गुंजायश इस तरह की नहीं की जा रही है बल्कि क्षमता रखते हुए अपनी ज़मीन को दूसरों को जोतने के लिये देते हैं तो उसका सीधा मतलब यह होता है कि वह मध्यवर्ती का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिये मेरा संशोधन यह कहता है कि यदि उनके पास १० एकड़ ज़मीन अपनी जोत में रखने के लिये है तो वैसी हालत में वह ढाई सौ रुपये से नीचे के भी मध्यवर्ती क्यों न हों, चाहे मातहतदार हों, किसी प्रकार के भूमि के मालिक हों उनको अपनी ज़मीन को दूसरे ज़मीन जोतने वालों से बेदखल करने का अधिकार नहीं देना चाहिये। मैं समझता हूं कि बहुत सीधा-साधा संशोधन है और इसे स्वीकार करना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और विचार करके मुझे उम्मीद है कि इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि मूल अधिनियम में कोई इस तरह की बात नहीं थी। उस समय भी बहुत सोच-विचार करके मूल अधिनियम बनाया गया था। इस समय अभी उस पर पूरी तरह से अमल होना भी शुरू नहीं हुआ है। लोग पूरी तरह से धाराओं को जानते भी नहीं। तो मैं समझता हूं कि इसे इस वक़्त बदलना मुनासिब नहीं।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने परसों भी अर्ज़ किया था सीर की भी काश्त बेदखल नहीं हो रही है और माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का केवल आशय यह है कि १० एकड़ तक अगर मध्यवर्ती के क़ब्ज़े में हो तो बाकी रक़बे का जो काश्तकार है वह मौरूसीदार काश्तकार माना जाय। काश्तकार तो हम भी उसको मानते हैं। आप कहते हैं कि केवल मौरूसीदार काश्तकार माना जाय। अधिनियम यह कहता है

कि ढाई सौ रुपये के सीर होल्डर की सीर का काश्तकार अधिवासी माना जायगा। तो मतलब कहने का यह है कि सीर का काश्तकार कोई बेदखल नहीं हो रहा है। ऐक्ट के मातहत बड़े का काश्तकार मौरूसी हो रहा है और छोटे का अधिवासी हो रहा है। तो उसमें मालगुजारी का एक डिमाकशन है, एक इम्तियाज है, बेदखली कोई नहीं हो रही है। आपके अमेंडमेंट को मानने से यह होगा कि जिनके पास १० एकड़ है उनको केवल मौरूसी कर दिया जाय और नीचे वाले को आप अधिवासी चाहते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि छोटे माल-गुजार, छोटे जमींदार और बड़े मालगुजार बड़े जमींदार माने जाते थे और सीर के सिलसिले में उनको कुछ अधिकार हासिल थे छोटे मालगुजारों को। बड़े मालगुजारों को हासिल नहीं थे। ढाई सौ रुपये की सीमा हमने रखी है मालगुजारों की। तो यह आप देखेंगे कि काश्तकार वैसे कोई बेदखल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब तो यही होगा कि १० एकड़ से ज्यादा क़ब्ज़ा जिनका हो, आप यह कहते हैं कि दूसरे सब मध्यवर्त्ती जिनके पास १० एकड़ भूमि क़ब्ज़े में हो तो जिनके पास इतनी क़ब्ज़े में है, वह सब मौरूसीदार हो जायंगे। हमारे में कुछ मौरूसीदार हो जायंगे, कुछ अधिवासी हो जायंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। हम क़ानून भी वैसा कर सकेंगे या नहीं यह भी सोचने की बात है। क्योंकि जो पहली जुलाई को मध्यवर्त्ती हो चुके उनकी जमीन में किसी को सीरदार करना एक तरह से उनके अधिकार को ले लेना है बिना मुआवजा दिये हुए। जो पहली जुलाई को भूमिधर हो गये उनकी जमीन में किसी को आसामी और अधिवासी तो क़रार दे सकते हैं। उसका सब्सिडिनेट टेन्योर है। लेकिन भूमिधरी और सीरदारी दोनों साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जिस भूमिधर की जमीन में हम किसी को सीरदार क़रार देते हैं तो उसकी भूमिधरी खत्म हो जाती है। दो इंडिपेंडेंट राइट साथ-साथ नहीं रख सकते। तो जिन आदमियों को भूमिधरी का अधिकार पहली जुलाई को हो चुका तो क़ानूनन हम उनकी जमीन में किसी आदमी को सीरदार नहीं डिक्लेयर कर सकते बिना मुआवजा दिये हुए। अधिवासी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिवासी तो पहली जुलाई को ही डिक्लेयर कर चुके थ। इसलिए मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, श्री गेंदा सिंह ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका बहुत ही सरल और सीधा सा अर्थ है कि खंड ५ के उपखंड (२) में प्रस्तावित नई उपधारा १(क) की पंक्ति ३ के शब्द "हों" और "तो" के बीच में शब्द "और दूसरे मध्यवर्ती ऐसे हों जिनके पास १० एकड़ भूमि क़ब्ज़ न हो" जोड़ दिय जाय। इसमें श्रीमन् एक कठिनाई पड़ती है। माननीय राजस्व मन्त्री जी को भी समझने में और सदन के दूसरे सम्मानित सदस्यों को भी। उसके लिए गेंदा सिंह जी ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जो यह जमींदारी विनाशक क़ानून लागू हुआ है अभी इतना प्रचलित भी नहीं है और इसके अनुसार बहुत ज्यादा कार्य भी सम्पादित नहीं हुआ है तो इसकी धाराओं में जहां बराबरी, समानता और न्याय पर अंकुश लगता है उसको बदल दिया जाय। तो इस बात को सामने रखते हुए और माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने संशोधन पर जो अभी थोड़ा भाषण किया उसकी भावना को सामने रखते हुए मैं पुनः राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि राजस्व मन्त्री जी जरा इस भावना को देखें और मैं तो यहां तक भी उनसे निवेदन करने के लिए इस समय तैयार हूं कि मध्यवर्त्ती की परिभाषा में भी अगर कुछ परिवर्त्तन करने की आवश्यकता हो, जैसा मैं समझता हूं कि है, तो उसको भी राजस्व मन्त्री जी परिवर्तित कर दें ताकि श्रीमान् अभी इसके पहले जो एक संशोधन राजा वीरेन्द्र शाह जी का आया था और जिस पर हमारे अवधेश प्रताप सिंह जी ने अपना भाषण किया था उनको सबसे पहली शिकायत यह थी कि किसी को किसान कहकर के उसके पास भी हजारों एकड़ जमीन छोड़ी जा रही है और वह भी बहुत ज्यादा लगान देने वाला है और बहुत से ऐसे जमींदार, अदना जमींदार हैं जिनके पास उन किसानों की बनिस्बत बहुत कम जमीन रहती है तो इस शिकायत को दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि मध्यवर्त्ती की परिभाषा में भी आवश्यकतानुसार तब्दीली की जाय और उसको करके जो माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन है उसको स्वीकार किया जाय।

[ श्री राजनारायण ]

इस संशोधन की आत्मा यह स्पष्ट तरीक़े से व्यक्त करती है कि दस एकड़ तक भूमि अपने इस ग़रीब प्रान्त में जोतने के लिये किसी भी खेती करने वाले परिवार के पास हो, चाहे उसका जो भी नाम हो। हमने तो श्रीमन् पहले ही निवेदन कर दिया था आप के ज़रिये कि हम चतुर्वर्ण नहीं क़ायम करना चाहते और भिन्न-भिन्न विभागों में नहीं बांटना चाहते हैं। हम तो भूमि का रिश्ता बहुत ही सीधा और सरल बनाना चाहते हैं जो कि हर एक साधारण व्यक्ति भी चाहे खेती करने वाला हो या समाज के और पहलुओं को समझने वाला हो वह समझ ले कि हमारे सूबे में भूमि की क्या व्यवस्था है। श्रीमन्, जब इन भावनाओं को लेकर हम उठते हैं ऐसे संशोधन के समर्थन में तो हम क्यों संशोधन का समर्थन करते हैं उसको भी मैं आप की आज्ञा से इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। हमने श्रीमन्, सारे उत्तर प्रदेश की जितनी जमीन है, जितनी जमीन पर खेती होती है, जितनी जमीन पर खेती नहीं होती है, जितने लोग आज अपनी भूमि पर खेती करते हैं, जितने लोग आज दूसरों की जमीन को लेकर खेती करते हैं, जितने लोग आज दूसरे उद्योगधन्धे में लगे हुए हैं और जितने लोग अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं चाहें वे नाई हों, धोबी हों, कुम्हार हों, लोहार हों, उन सबके आंकड़े जुटाये हैं और सब को देखा है, समझा है और देखने और समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर दस एकड़ तक ही भूमि हम किसी खेतिहर परिवार के पास छोड़ते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुल ९५ लाख १३ हजार ४८४ एकड़ जमीन ऊपर की बच जाती है जिसको हम सब में बांट सकते हैं। श्रीमन्, आसानी के लिये इस सदन में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अपनी जमीन पर आज जो खेती करने वाले लोग हैं उनकी जन संख्या कुल ३ करोड़ ९३ लाख ६१ हजार ३५ है। अगर उनको हम परिवार में परिणत करते हैं तो परिवार होते हैं ७८ लाख ७२ हजार २०७। पराई जमीन पर जो खेती करने वाले हैं उनकी ३१ लाख ५५ हजार ८२५ है जन संख्या। उनके अगर हम परिवार परिणत करते हैं तो वे ६ लाख ३१ हजार १६५ होते हैं। श्रीमन्, कुल खेत मजदूर हमारे यहां ७ लाख २२ हजार ४४५ परिवार के हैं। उनकी जनसंख्या जब हम देखते हैं तो ३६ लाख १२ हजार २०९ जन संख्या होती है।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के ज़रिये अपने मित्र को यह मश्विरा देना चाहता हूं कि लैंड डिस्ट्रिब्यूशन पर जो उन का प्रस्ताव आने वाला है उसपर क्या कहेंगे अगर सारी स्पीच आज ही दे देंगे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो मश्विरा दिया है वह सही बात है, मगर जो बात मैं कह रहा हूं उससे संबंधित जितनी बड़ी-बड़ी खामियां और कमियां इस सरकार ने रखी हैं वे इतनी ज्यादा हैं कि हम कहते-कहते थक जायंगे और वे सुनते सुनते थक जायंगे, लेकिन कमियां समाप्त नहीं होंगी।

श्रीमन्, मैं थोड़े ही में आप की इजाजत से माननीय मंत्री जी को धीरज रखने के लिये निवेदन करते हुये कहना चाहता हूं कि कुल देहाती आबादी श्रीमन् ५ करोड़ ४५ लाख ९० हजार ४३ है और इसमें जो खेती न करने वाले भूस्वामी हैं वे ६ लाख ७६ हजार ६१२ हैं। इसमें शहरी और देहाती दोनों शामिल हैं। इस अंतर को माननीय मंत्री जी समझने की कृपा करेंगे। खेती के अलावा जो अन्य उत्पादन करने वाले लोग हैं चाहे वे शहर में रहते हों या वे देहात में रहते हों वे सब मिला कर ५३ लाख १ हजार ३१३ हैं। व्यापार करने वाले ३२, ७९, ५९५ हैं। ट्रांसपोर्ट के व्यापार में जो लगे हुये हैं वे ८, ६०, ००० हैं और अन्य सेवाओं में जो लगे हुये हैं वे २९, ८३, ८०६ हैं। इस तरह से जब हम कुल आंकड़े लेते हैं तो आज वह जन संख्या १,०७,६३,४८० होती है जिसके पास खेती करने के लिये जमीन नहीं है। तो श्रीमन्, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कितना उपयुक्त संशोधन इस समय माननीय गेंदा सिंह जी ने यहां प्रस्तुत किया है और अगर हम उसको मान लें तो सारी समस्या हल हो जाती है और यह रोज का हाहाकार कभी कोई संशोधन पेश कर रहा है कभी भतपूर्व जमींदार कोई संशोधन

पेश कर रहे हैं यह सब खत्म हो जायगा । कानून की बारीकियां जो हैं श्रीमन्, वह माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब यहां बैठे हुये हैं तब हमारी हिम्मत हुई कि कुछ हम कहें वरना कभी-कभी तो परेशान हो जाते हैं कि इस सदन में कुछ कहें या न कहें कानून तो ऐसा सरल और सीधा होना चाहिये कि "एवरी कुक मस्ट लर्न हाऊ टु रूल दि स्टेट ।" कानून तो ऐसा होना चाहिये कि एक गृहणी भी जो रसोई पकाती है वह भी समझ ले कि उसके ऊपर कैसा नियंत्रण हो रहा है । मगर इस कानून को समझने में हम बहुत परेशान हैं, माननीय राजस्व मंत्री भी परेशान हैं उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इलाहाबाद के ऐडवोकेट जनरल वे सब परेशान हैं । तथा कचहरी में वकीली पेशा करने वाले जो हैं वे भी परेशान हैं । ऐसा कानून बनाया गया है कि अगर कोई चाहे कि समझ ले कि कैसी भूमि व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में तो बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है । इसलिये श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा और जैसा मैं उनका मस्तिष्क समझता हूं कि उर्वर है और प्रगतिशील है तो उस प्रगतिशील मस्तिष्क के रखते हुये अगर माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस संशोधन को नहीं माना तो फिर उनकी मानसिक प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिये हमको माननीय संपूर्णानन्दजी के पास ही जाना पड़ेगा । अब श्रीमन्, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि जब हमने यह अर्ज किया कि १० एकड़ तक जमीन अगर छोड़ देते हैं तो १० एकड़ की जोतों की कुल संख्या ७,४३,४८६ होती है और जिसके परिवार ४, ६५, ६५८ होते हैं । उनके ऊपर जो जमीन बचती है वह मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि ६५ लाख एकड़ के ऊपर बचती है । अब १ करोड़ ७ लाख के करीब हमको ऐसे इन्सान मिलते हैं जो अपनी जमीन नहीं रखते दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं । और ६५ लाख एकड़ के ऊपर जमीन १० एकड़ वालों के ऊपर मिलती है बाटन के लिये । अब उनके अगर हम परिवार बनायें (तो वे १ करोड़ ७ लाख के अगर ५ आदमियों का एक परिवार मानें ) तो २१ लाख के करीब होंगे । तो अब अगर ५ एकड़ जमीन उनको देना चाहें तो ऐसे लोगों को दी जा सकती है जिनके पास आज अपनी कही जाने वाली जमीन नहीं रह गयी है । श्रीमान्, मैं पुनः माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतना सुन्दर और इतना सीधा-साधा समझ में आने वाला यह संशोधन है और इस संशोधन के लिये अगर हमारे माननीय राजस्व मंत्री और हमारे माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य कानूनी दिक्कतों और कानूनी बारीकियों को रखने की कोशिश करेंगे तो हम समझते हैं कि सदन का समय उसमें नष्ट ही होगा और कोई लाभ नहीं होगा ।

इसलिये अगर समय बचाना है और समय को सदन को ऊलजलूल बातों में नहीं खराब करना है और क्लासेज (वर्गों) को बरकरार रखने में इस कानून को नहीं फंसाना है तब तो हम चाहेंगे हमारे इस संशोधन को आज सहर्ष स्वीकार किया जाय। इस समय इतना ही कह कर हम बैठना चाहते हैं और उर में अरमान लिये बैठ रहे हैं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको अवश्य स्वीकार करेंगे ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री के व्याख्यान के उपरान्त मैं यह समझता था कि विरोधी दल के नेता यह समझ लेंग कि जो क्राइटेरियन प्रिंसपल ऐक्ट में है वह जमीन के एकरेज से मतलब नहीं रखता है बल्कि रेवेन्यू से उसका ताल्लुक था और अब लैंड से ताल्लुक रखने लगा है । जहां पर यह कहा जाता है कि यह कानून इतना मुश्किल है, इतना खराब है कि लोग समझ नहीं सकते हैं तो बहैसियत एक जमींदार के मैं भी कहता हूं कि कानून बहुत ही खराब है और इसको रद्द कर दिया जाय इसके लिये सुप्रीम कोर्ट तक गये भी थे। अगर हम में इतनी काबलियत नहीं है कि कानून समझ सकें तो फिर भवन में आने की जरूरत ही क्या है ? अगर हम में लेजिस्लेशन के समझने की क्षमता नहीं है तो फिर आने की ही क्या जरूरत है ?

[ श्री अवधेश प्रताप सिंह ]

माननीय विरोधी दल के नेता ने फरमाया कि "Every cook must know how to rule", (प्रत्येक पाचक को अवश्य जानना चाहिए कि शासन किस प्रकार किया जाता है ) ठीक है कानून खत्म कर दिया जाय । फिर कहते हैं कि समय बरबाद होता है वरना माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार कर लें। मैं नहीं समझता कि आपका संशोधन है और अगर उसको न माना जाय तो समय का नष्ट करना है और जब हमारे राजा वीरेन्द्र शाह ने संशोधन पेश किया तो जमींदारों को प्रोत्साहन दिया गया । यह छींटे बाजी कसना आसान है । इसके लिये आज हम आदी हो चुके हैं और कुछ दिन के बाद वह पक्ष भी आदी हो जायगा । मैं नहीं समझता था कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी के बैठने से आपको इतना प्रोत्साहन मिलता है वरना मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह सदैव हाउस में बैठे रहा करें ताकि माननीय विरोधी दल के नेता को बोलने में सुविधा हुआ करे ।

श्रीमन्, यह एक ऐसी चीज है कि १० एकड़ और ३० एकड़ से, जो बाद को दूसरा संशोधन है, से कोई संबंध नहीं रखती है । सन् १९३९ ई० के ऐक्ट, में या १९४१ में हर जगह एक मियार था वह लैंड रेवेन्यू था । ऐसी चीज के लिये डिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड के लिये परेशानी है। ऐसी ही चीज उस पक्ष ने समझी थी कि जमींदारी को तोड़कर हम कुछ कर लेंगे लेकिन मैं समझता हूं कि आयन्दा चलकर उनको मालूम होगा कि वह भ्रम में थे। उसी तरह से मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जमीन का बंटवारा करा कर भी कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकेंगे । लेकिन यह एक फिलासफी है आइडिओलोजी है,इस के लिये मैं कुछ नहीं कहता हूं । आप अपनी अपनी आइडिओलोजी और फिलासफी को सही सलामत रखिये, लेकिन ऐसी बात जो कही जाती है कि जमींदारों के लिये अब वह वक्त आ चुका है कि जब भूतपूर्व जमींदार या भूमिधरी को भूल जाइये। रहा यह श्रीमान् बेदखली का कोई सवाल पैदा नहीं होता है । अगर हमारे दोस्त यह समझ लें कि इसमें महज स्टेट्स में फर्क है तो शायद यह सवाल पैदा न हो । दिक्कत यह है कि वह समझते हैं कि अब भी सब प्रोपराइटर उन काश्तकारों को जो सीर में जोते हुये हैं उनको बेदखल कर सकते हैं ।

श्रीमान्, इस कानून में बेदखली नई चीज हो गई है । इजेक्टमेंट अब मुश्किल है अब इजेक्टमेंट का कोई प्रश्न नहीं उठता। अगर आप लगान नहीं देते तो वह चाहे जमींदार हो चाहे सरकार हो या कोई भी हो या आप हों अगर आपको एलेक्टोरेट यहां चुन कर भेजे, उस काश्तकार को चाहे वह भूमिधर हो चाहे सीरदार हो, उसको बदखल होना ही पड़ेगा । वैसे उनसे खेत निकलने का तो प्रश्न उठता नहीं । लगान कोई नहीं देता है तो उसके पास खेत नहीं रह सकता है । दोनों इश्यूज को एक साथ मिला देने से परेशानी होती है । श्रीमान् यह बात नहीं है खेत उनके पास रहेंगे । वह समझते हैं कि बड़ा भारी घोर अन्याय हो रहा है । लेकिन ऐसा नहीं है । वह बेदखल नहीं हो सकते । अगर इतने पर भी उनकी समझ में न आये तो माननीय राजस्व मंत्री जी जो मुझ से अधिक बुद्धिमान हैं वे समझाने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के व्याख्यान को सुना और उनकी जो यह शिकायत है कि जो लोग कानून को नहीं समझ सकें तो उनको यहां आने की आवश्यकता नहीं है, इस सम्बन्ध में मैं उनसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि पुस्तक को समझने की जिम्मेदारी जिन लोगों ने ली है या जिन लोगों ने पुस्तक में पहले काश्तकारी कानून की रचना की थी, उन्होंने स्वयं भी समझने में भूल की थी उसे उन्होंने मान लिया है। भूल तो हमसे ही हो सकती है । माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी से तो हो ही नहीं सकती और न वह गलत समझ सकते हैं ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैंने यह कभी नहीं कहा। पहले समझ लीजिये मैंने क्या कहा।

श्री गेंदा सिंह--नहीं कहा तो ठीक है। अब सदन का समय बचाने के लिये मैं केवल वह बात कहना चाहता हूं कि ढ़ाई सौ से कम के जो लोग सीरदार या भूमिधर होंगे और उनकी जमीन में अधिवासी को हक नहीं मिलेगा कि वह सीरदार सीधे बन सके उस पर मैं माननीय राजस्व मंत्री और सदन से दरख्वास्त करूंगा कि और विचार किया जाय। कानून में इस बात की गुंजाइश जरूर है कि अधिवासी को आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकेगा, लेकिन एक बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा। मूल अधिनियम की धारा २३७ में आप देखेंगे कि इस बात की गुंजाइश की गई है कि सरकार जिस समय चाहे उस समय विज्ञप्ति जारी करे और किसी क्षेत्र में बेदखली के काम को शुरू कर सकती है। उस समय अधिवासी अपने खेतों से बेदखल हो सकता है और अधिवासी उस वक्त अपनी बेदखली से बचने के लिये कोई दलील नहीं दे सकता। तो मैं यह समझता हूं कि कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि सरकार जिसने इस कानून को बनाया है उसके मस्तिष्क में यह बात आजाय कि अब बेदखली होनी चाहिये किसी न किसी समय इन अधिवासियों को बेदखल करने की आज्ञा दे सकती हैं। तो हमारे संशोधन का सीधा मतलब यह है कि यदि १० एकड़ तक उन मध्यवर्तियों के पास चाहे वह सीरदार हों, चाहे भूमिधर हों, चाहे कोई हों उनके पास जमीन मौजूद है तो उससे वह अपना गुजारा कर सकते हैं उससे अधिक अगर उन्होंने अपने खेत दूसरे लोगों को दे रक्खे हैं तो उन पर उन्हें मौरूसी अधिकार दे दिया जाय।

मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों यह बात कही थी कि इस कानून के बनाने के पीछे कोई भीतरी उद्देश्य तो नहीं है? इस पर राजस्व मंत्री जी को कुछ तकलीफ हुई थी और जिस तरह से उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया था उससे मुझे भी तक्लीफ हुई थी। कुछ व्यक्तिगत मामला सा निकाला गया था। मैं यह कहना चाहता था कि अगर इस संशोधन के सिलसिले में राजस्व मंत्री जी का इरादा है कि जैसा उन्होंने कहा कि हम किसी भी अधिवासी को बेदखल कराने के लिये इरादा नहीं रखते हैं तो वह अगर ऐसा इरादा नहीं रखते हैं तो उसको मौरूसी हक देने में क्या आपत्ति है? जिस अंश के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है बेदखल कराने की उस कानून में गुंजायश नहीं है बल्कि वह हिस्सा तो यह अधिकार देने वाला हिस्सा है तो यहां पर उसको आप मौरूसी अधिकार दे दें। उसका किसी वक्त बेदखल होना ही नहीं है तो फिर ऐसा हक दे देने में हर्ज ही क्या है? उनको इससे इतमिनान होगा। वह यह समझेंगे कि हम जमीन के मालिक हैं तो फिर वह इस तरह से अन्न भी उत्पादन कर सकते हैं और उसमें तरक्की भी कर सकते हैं। यह बात साधारण हो सकती है, लेकिन एक बात मुझे इसमें जरूर लगती है कि जिस खतरे को मैं बराबर देखा करता हूं उसको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इसमें एक फर्क है। अधिवासी के लिये इस कानून में यह लिखा हुआ है कि जब वह भूमिधर बनना चाहे तो १५ गुना देकर भूमिधर बन सकता है और अगर सीरदार बनेगा तो उसको १० गुना लगान देना होगा। सिवाय इस लाभ के दूसरा लाभ हमको नजर नहीं आता है। अगर और कोई बात हो तो वह राजस्व मंत्री जी को मालूम होगी। लेकिन जहां तक मैंने समझने की कोशिश की वह यही है कि अधिवासी १५ गुना लगान देकर भूमिधर बन सकता है और सीरदार को १० गुना जमा करना पड़ेगा। अधिवासी को ५ गुना ज्यादा देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई अधिवासी के लिये फर्क नहीं दीखता है बशर्ते कि राजस्व मंत्री जैसा कह रहे थे कि अधिवासी को बेदखल कराने का उनका कोई इरादा नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन बहुत साफ है और बहुत सीधा है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर विचार करके इसको स्वीकार करेगा।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ पहले कह चुका हूं उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। कानून बहुत सीधासाधा है अगर वह किसी की समझ में न आवे तो उसमें कानून का दोष नहीं है। किसका दोष है यह मैं कहना मुनासिब नहीं समझता। रही यह बात कि जो नक्शा उन्होंने दिया उसकी मैं बारीकियों में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि १०,१० एकड़ जमीन अगर लोगों को दी जाय तो ९५ लाख एकड़ जमीन बचेगी यह बात जंची नहीं। अगर ऐसा होता तो बड़ी खुशकिस्मती की बात थी। हमारे सूबे का कुल रकबा करीब ७२½ लाख एकड़ का है। हमारे सूबे की कुल आबादी ६ करोड़ साढे-बत्तीस लाख है। अगर एक खान्दान में ५ आदमी हों तो उसका मतलब यह हुआ करीब १ करोड़ २६ लाख खान्दान हुये। इन खान्दानों को अगर १०, १० एकड़ जमीन दी जावे तो उसके लिये १२ करोड़ ६० लाख एकड़ जमीन चाहिये। अगर हम हिमालय को भी बांट दें और गंगा नदी में भी जरीब डाल दें तब भी ५ करोड़ एकड़ जमीन होती है फिर भी ७ करोड़ २५ लाख एकड़ चाहिये .....

श्री राजनारायण--भीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं... .

श्री चरण सिंह--लिहाजा उन का यह हिसाब ऐसा है जैसी कि हम ने अपनी दादी-नानियों से कहानियां सुनी हैं। मुझे उसकी तफसील में जाना नहीं है, लेकिन इस हिसाब का संशोधन से वास्ता क्या है। संशोधन यह कहता है कि जिस जमीदार के पास दस एकड़ या इससे ज्यादा जमीन कब्जे में है उस के काश्तकार मौरूसीदार माने जायंगे। हम यह कह रहे हैं कि वह तो खुद ही ज्यादातर मौरूसीदार बनेंगे और बहुत थोड़े से अधिवासी होंगे। कोई काश्तकार जो अधिनियम है उस के मुताबिक बेदखल न होंगे, लेकिन जब काश्तकार बेदखल ही नहीं हो रहे है तो संशोधन के अनुसार वह जमीन आखिर कहां से आयेगी ? सिर्फ इतना है कि बजाय अधिवासी के कुछ सीरदार हो जाते हैं लेकिन जमीन तो कहीं से नहीं आ जाती है। लिहाजा इस संशोधन से कोई वास्ता भूमि वितरण का लेशमात्र भी नहीं है। यह दलील ले कर अगर चला जाता है और फिर कुछ समझ में न आये तो इस में अधिनियम का क्या कसूर है ? श्री गेंदा सिंह जी और श्री राज नारायण दोनों ने यह बात कही कि चतुर्वर्ग उचित नहीं हैं दो वर्ग ही हों। मैं कहता हूं कि २ वर्ग ही क्यों हों। असामी तो फिर भी हर हालत में रहेगा। भूमिधर और असामी रहे क्योंकि डिसएबिल्ड काश्तकार को हम ने असामी बनाया है जो असमर्थ हैं उन को ही जमीन लगान पर देने का अधिकार दिया है, जो भी उन की तरफ से काश्तकारी करेगा। लिहाजा यह २ वर्ण या ४ वर्ग की तो कोई दलील नहीं है। यू० पी० में कुल २२ किस्म के टिन्योर थीं जिन को हम ने ४ में रिड्यूस कर दिया है जो अधिवासी है वह भी ५ साल के बाद नहीं रहेगा या तो वह भूमिधर हो जायगा या बेदखल हो जायगा। असामी और भूमिधर जरूर रहेंगे। सीरदार का सवाल है कि वह रहना चाहिये या न रहना चाहिये। सीरदार को भी हम मजबूर नहीं करते कि वह दस गुना देकर आधी मालगुजारी करा ले। यह भी हम ने इसलिये किया था ताकि पुराने मध्यवर्ती अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वह बनना चाहें तो भूमिधर बन सकते हैं। इस तरह का कानून है जब वह उसमें कोई चीज नहीं पाते तो कभी यह हिस्सा उठा लिया, कभी भूमि के वितरण का हिस्सा ले कर चल पड़े। आप इतनी जल्दी आज ही अधिवासी को सीरदार बनाना चाहते हैं वह १५ गुना आज ही दे दे। यह संशोधन यहां लाने का नहीं है वह आप को अधिवासी वाले अध्याय में लाना चाहिय। यहां सवाल यह है कि जो भूमि धर होगा उसकी जमीन में आप किसी आदमी को एक के बाद अनसरेनी सीरदार का हक दे सकते हैं या नहीं ?

मैंने यह कहा था कि भूमिधर और सीरदार ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कोई आदमी एक जमीन का भूमिधर हो और दूसरा उसका सीरदार हो यह नहीं हो सकता। अधिवासी या असामी हो सकता है। अधिवासी और सीरदार साथ-साथ रह सकता है क्योंकि असामी और सीर का टैन्योर सबार्डिनेट है। लेकिन भूमिधर और सीरदार का टैन्योर सिवाय १ या २ बातों को छोड़कर बराबर है। लेकिन कानून के जरिये आप किसी अधिवासी का अगर प्रमोशन करते हैं, उसको सीरदार बनाते हो तो उसके मुआविजे का सवाल आता है। यह बात मैंने कही थी। उपाध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से मैं अपनी नाकाब्लियत मानता हूं कि इतना समझाने के बावजूद मैं अपनी बात को नहीं समझा सका।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (२) में प्रस्तावित नयी उपधारा (१-क) की पंक्ति ३ के शब्द "हों" और "तो" के बीच में शब्द "और दूसरे मध्यवर्ती एसे हों जिनके पास १० एकड़ भूमि कब्जे में हो" जोड़ दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि नं० १४ का प्रस्ताव पहले ले लिया जाय क्योंकि १० (२) के अन्दर पहले १४ आता है। १२ नं० बाद में है।

श्री उपाध्यक्ष--ठीक है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। क्या १२ और १३ श्री कमला सिंह जी ने वापस ले लिये हैं क्योंकि उन्हें छोड़ कर १४ पर नहीं जा सकते!

श्री उपाध्यक्ष--मैंने अनुमति दे दी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। १२ और १३ बाद में आ जावेगें।

श्री कमला सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के खंड (१) में शब्द "स्त्री" के पहले शब्द "अविवाहिता, परित्यक्ता या विधवा" जोड़ दिये जायं।

जहां तक जमींदारी उन्मूलन का सवाल है यह देखा गया है कि जब से जमींदारी उन्मूलन का काम सरकार ने अपने हाथ में लिये तब से बड़े-बड़े जमीदारों ने बराबर यह कोशिश की कि अपनी सीर और खुदकास्त अपनी औरतों के नाम से या माइनर पुत्र और पुत्रियों के नाम से लिखाने शुरू कर दिये। नतीजा यह हुआ कि बहुत अधिक सीर और खुदकास्त उन लोगों के हाथ में आ गई। इतना ही नहीं बल्कि जो प्रोटैक्शन धारा १० में हमने दिया है वह सब स्त्रियों को ही मिलता है और देना उसको चाहिये जिसके पास कोई काम करने वाला न हो या जिसका कोई सहरा न हो और ऐसों के साथ ही हमारी हमदर्दी हो सकती है। लेकिन वह स्त्री जिसके साथ उसका पति भी रहता है उसको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन देना ठीक नहीं है क्योंकि सारी स्त्री समाज को ही पूरे तौर से प्रोटेक्शन देने के मानी यह होंगे कि हमारी कठिनाईयां बहुत ज्यादा बढ़ जायेंगी और जो २५० रु० से ज्यादा के जमींदार हैं वे सीर और खुदकास्त में सेंन्ट्रेलाइज हो जायेंगे। अब माननीय राजस्व मंत्री जी यह प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं कि सीर या खुदकाश्त जो एक बार स्त्रियों के पक्ष में रखी जा चुकी है वह डाइवेस्ट नहीं की जा सकती। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आपने धारा ५ में मातहतदार, अदना मालिक और दवामी काश्तकार के काश्तकारों को भी हक दिये हैं तो आपको इसके मान लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। जब एक स्थान पर आप २५० की सीर और खुदकाश्त को डायवेस्ट कर सकते हैं तो क्या वजह है कि दूसरे स्थान पर ऐसा नहीं कर सकते?

[ श्री कमला सिंह ]

स्त्रियों में जो विधवा, परित्यक्ता या अविवाहिता हैं उनको छोड़ कर दूसरी स्त्रियों की सीर और खुदकाश्त डायवेस्ट हो जानी चाहिये। मेरे ख्याल से इस सिलसिले में कोई भी ऐसी चीज नहीं उठाई जा सकती या लीगल कोई आबजेक्शन नहीं होना चाहिये जिससे यह चीज न हो सकती हो। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इस पर पुनःध्यान देंगे और इसको मान लेंगे। आपने मूल ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि भूमिधर का रुपया लौटाया जा सकता है तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि १० गुना देकर जो भूमिधर बन गये हैं उनके हक वापिस लेना मुनासिब नहीं मालूम होता। अतः मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से २५० रुपये से ज्यादा देने वालों के बारे में यह बात सोच रहे हैं उसी प्रकार से इनके बारे में भी सोचें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को अवश्य मान लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि धारा १० की उपधारा (२) के अनुसार २५० रुपये से ऊपर की औरतों को सीर की जमीन में भूमिधरी के हक मिल गये हैं, लेकिन अगर उसमें परित्यक्ता आदि कोई विशेषण जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ यह होगा कि उनमें जो औरतें निकल जायंगी उनमें से कुछ औरतें अवश्य ऐसी होंगी जिनको भूमिधरी के अधिकार प्राप्त हो गये होंगे तो उन अधिकारों को इसके द्वारा हम खत्म कर देंगे। जब उनको एक बार भूमिधर बना दिया गया है तो उनका यह हक छीनना विधान के अन्तर्गत नहीं आता। यह कांस्टीट्यूशन के खिलाफ पड़ता है जो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात होगी। हां, जब मूल अधिनियम बना था उस वक्त यह संशोधन रखा जाता तब तो दूसरी बात थी, लेकिन आज इसको जोड़ देने से कठिनाई होगी। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता?

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कमला सिंह के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् अविवाहिता, परित्यक्ता या विधवा के बाद चौथे प्रकार की वही स्त्री बच जाती है जो सौभाग्यवती थी या है। श्रीमन्, इसमें बड़ी परेशानी यह है कि उन औरतों के नाम जिनके खेवट थे और जो आज भूमिधर हैं या उनके शौहर जिन्दा थे तब उनको यह प्रविलेज न दिया जाय। उनके जो काश्तकार हैं वे मौरूसी न माने जांयं श्रीमन्, यह तो ऐसी बात प्रतीत होती है जो निराधार है और अर्थहीन है। इस तरह की दलील देना कि हमारी प्राचीन संस्कृति में विधवाओं के लिये कोई स्थान नहीं रखा गया है मैं नहीं जानता कि इस तरह की बातें करके सदन के समय को नष्ट करने का क्या माने है। क्या यह महज एक शौक है जिसकी वजह से ऐसे संशोधन आते रहें?

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अवधेश प्रताप सिंह ने क्या कहा यह तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं उनका ध्यान और माननीय राजस्व मंत्री जी का भी ध्यान उन्हीं के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १५७ की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो इस प्रकार से शुरू होता है--

"ऐसा भूमिधर, सीरदार या धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (५) में उल्लिखित भरण पोषण के बदले भूमि रखने वाला असामी जो।

(क) अविवाहित, परित्यक्ता या विधवा स्त्री हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा द्वारा कुछ अक्षम व्यक्तियों को भूमि पट्टे पर देने का अधिकार दिया गया है। उस धारा और धारा १०(२) के मातहत जैसा कि राजस्व मंत्री के सभा सचिव ने कहा कि यह गलती हो गयी है। अच्छा यह होता कि पहली जुलाई से पहले इस तरह का कोई संशोधन पेश हुआ होता। सरकार ने एक धारा में अक्षम

व्यक्तियों के लिये कुछ सहूलियतें दी हैं। १५७ में जो भूमिधर हैं, सीरदार भी हैं तो सीरदार की स्त्री के लिये अविवाहिता परित्यक्ता या विधवा होना आवश्यक है लेकिन जो पहले जमींदार थे और जिनका जिक्र धारा १० में है उनकी स्त्री के लिये यह आवश्यक नहीं है। धारा १५७ का मतलब तो समझा जाता है कि जिन स्त्रियों के पति जिन्दा नहीं हैं या जो कुमारी हैं या अगर उनको छोड़ दिया गया है या विधवा हैं तो उनके भरण-पोषण का इन्तजाम होना चाहिये लेकिन धारा १०(२) के मातहत सारी स्त्रियों को सहूलियत मिलेगी चाहे उनका पति जिन्दा हो। तो उपाध्यक्ष महोदय इसमें दिक्कत यह पड़ती है कि इस धारा से फायदा उठा कर बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी स्त्रियों के नाम पट्टे कर दिये। मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिनमें भूतपूर्व जमींदारों ने अपनी स्त्री, बहू और बहू की भी बहू के नाम भी पट्टा कर दिया है। तो ऐसी सूरत में उनको एक बड़ा भारी ऐडवान्टेज हो जाता है। सरकार को यह गल्ती स्वीकार करना चाहिये कि धारा १०(२) और १५७ में कोई सामंजस्य नहीं किया गया है। और हमारे दोस्त श्री कमला सिंह जी का जो संशोधन है वह सरकार की उस पुरानी गल्ती को दुरुस्त करने का अवसर देता है। मैं कहता हूं कि सीरदार और भूमिधर की स्त्रियों में कोई फर्क नहीं होना चाहिये। एक ही तरह की सहूलियत सब को देनी चाहिये। अगर्चे हमारी राय उसमें कुछ एकरेज तक है, कुछ रकबे तक है कि इतना रकबा छोड़ कर बाकी उससे भी ले लेना चाहिये। लेकिन उसके बावजूद भी यह न माना जाय तो धारा १०(२) में राज्य सरकार द्वारा जो बड़ी भारी भूल की गयी है उसे सुधारा जाय। जैसा कि राजस्व मंत्री के सभा सचिव ने भी कहा कि उनका इरादा होता है कि ऐसी बात हो जाय तो अच्छा है। और एक दिक्कत उनके सामने आती है कि पहली जुलाई को अधिकार उनके वेस्ट हो गये और फिर उनको डाइवेस्ट करने के लिये मुआविजा देना पड़ेगा। हमें इसमें भी एतराज नहीं है कि अगर अपनी गल्ती को दुरुस्त करने के लिये १५ गुने का रेट लगा कर और उनको मुआविजा देकर भी यह कार्य पूरा कर लिया जाय। हम जमींदारों को मुआविजा देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन पहली जुलाई को जमींदारी खत्म होने के बाद जमींदार कोई रहा नहीं और इसलिये अब तो सब किसान ही किसान रह गये और किसानों और किसानों के बीच अधिकारों को ठीक करने के लिये इस बिल के मातहत मुआविजा देकर भी ऐसा करना पड़े तो कोई ऐसी अनुचित बात नहीं है तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि धारा १० की उपधारा (२) और धारा १५७ में जो महान अन्तर सा हो गया है और सरकार का और माननीय राजस्व मंत्री जी का कतई इरादा ऐसा नहीं है तो फिर उसको यहां अवश्य दूर कर लिया जाय।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह जी द्वारा उपस्थित किया हुआ संशोधन इस प्रकार है कि धारा १० की उपधारा (२) में जो डिएबिल्ड परसन्स हैं उनमें जो केवल स्त्रियां दी हुई हैं वह ठीक नहीं है उसके बजाय परित्यक्ता अविवाहिता या विधवा जोड़ दिया जाय और उनको डर यह है कि और शायद अनुभव भी है कि कुछ जमींदारों ने अपनी सीर का पट्टा अपनी स्त्रियों के नाम कर दी है। श्रीमन् मुझे नहीं मालूम है कि यह कहां तक जायज है। अगर किसी ने नाजायज हरकत की है तो उसके खिलाफ तो कानून है, मूल अधिनियम है। धारा २३(ख) में साफ कहा गया है कि जो ७ जुलाई, १९४९ के बाद हुये हों यानी कोई ट्रांसफर या सेल या गिफ्ट किसी भी प्रयोजन के लिये मान्य नहीं होंगे और उस आस्थान के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उसका स्वत्व हस्तान्तरणकर्ता के अधिकार में ही स्थित है। तो श्रीमन्, इस चीज को बचाने के लिये हमारी सीर अगर रुकी हुई है और उसका पट्टा अगर हम अपनी स्त्री के नाम कर दें तो वह सीर हमारी बच जायगी यह तो बिलकुल जायज नहीं है और कानून इसके खिलाफ है। इसकी इजाजत नहीं देता और श्रीमन् यह है कि अगर यह कानून हटा दिया जाय और हमें अगर अपनी सीर को ट्रांसफर करने की इजाजत हो जाय तो मैं श्री कमला सिंह जी से कहूंगा कि जो कानून के खिलाफ

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]
जाना ही चाहता है और जो अपनी सीर को कानून के खिलाफ बचाना चाहता ही है तो इस संशोधन के द्वारा बच सकेगा जो माननीय कमला सिंह जी ने रखा है। श्रीमन्, मैं अदब से आपके द्वारा उनसे पूछूंगा कि यह कैसे साबित होगा कि यह स्त्री परित्यक्ता है या नहीं है। वह अपने मायके चली गई और सीर ट्रांसफर हो गई और यह कहा गया कि वह परित्यक्ता है। मान लीजिये मैं लखनऊ में हूं और मेरी स्त्री बाराबंकी में कुछ समय के लिये है और मैने अपनी सीर उसको ट्रांसफर कर दी तो कानून कैसे यह साबित करेगा कि वह परित्यक्ता नहीं है या अपनी सीर बचाने के लिये ऐसा किया गया है। श्रीमन् अगर ट्रांसफर करना ही है तो हम अपनी माइनर डाटर के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। इन चीजों को पहले कानून ने रोक रखा है। इसके लाने से कोई फायदा नहीं होता है और नुकसान इतना होता है जितना माननीय राजस्व मंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि लोग भूमिधर हो चुके और जो भूमिधर हो चुके उनकी जमीन में वह हक कैसे छीना जायगा बिना कम्पेंसेशन के यह समझ में बात नहीं आती। तो जहां तक जमींदारों ने पट्टे किये वह नाजायज हुये और वे अदालत में जाकर कैंसिल हो सकते हैं और जहां भी कहीं हुये हों वहां माननीय कमला सिंह और उनके साथी सब लोग रहते हैं उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके संशोधन मानने से जो दिक्कत पैदा होती है और जो माननीय राजस्व मंत्री की तरफ से कहा गया है वह बिलकुल ठीक है इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन इस काबिल नहीं है कि इसको मंजूर किया जाय।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सुरेश प्रकाश जी की बात सुनने के बाद तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री चरण सिंह--पहले आप का इरादा नहीं था सपोर्ट करने का ?

श्री गेन्दा सिंह--पहले भी इरादा था। लेकिन सरकार को कठिनाई है इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सुरेश प्रकाश जी ने यह कहा कि मूल अधिनियम में ही इसकी सुरक्षा की गयी है कि यदि इस तरह के पट्टे हुए हैं तो ऐसे पट्टे नाजायज करार दे दिये जायं। तो अगर ऐसी बात है तो हम भी यह कह रहे हैं कि इस तरह के पट्टे हुए हैं और उनको ही नाजायज करार दे देना चाहिए। मैं केवल इतना ही कह कर यह समझता हूं कि सरकार को इसके स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री कमला सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के सामने एक माननीय सदस्य के लिये कहा कि इस बारे में पता लगाना कि परित्यक्ता है या नहीं है यह भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर अंग्रेजी का अनुवाद देखा जाय तो उसमें दिया हुआ है 'एडाप्टवोर्ल्ड वोमन लिविंग सेपेरेटली फ्राम हर हस्बैंड।' हम नहीं समझते कि इस अनुवाद के बाद भी हमारे माननीय सदस्य को यह जानने की जरूरत पड़ेगी या इसमें कोई परेशानी उठानी पड़ेगी कि कोई स्त्री परित्यक्ता है या नहीं। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

मैं तो माननीय मंत्री जी से संशोधन के बारे में यह सुनना चाहता था कि जो डाइवेस्ट या वैस्ट का क्वेश्चन है खंड ५ में दिया हुआ है मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) में शब्द 'उस भूमि का मौरूसी काश्तकार' के बीच में शब्द "या मातहतदार अदना मालिक या दवामी काश्तकार"।

पहले तो इनमें भी सीर और खुदकाश्त जैसा मैंने कहा, इस प्रान्त में जैसे डाइवेस्ट हो चुकी हैं अब वह डाइवेस्ट नहीं की जा सकतीं, इसी तरह से स्त्रियों का सवाल होता

है । अगर आप मातहतदार की जो सीर वेस्ट कर चुकी हैं उनमें आप सीरदार के राइट काश्तकारों को दे रहे हैं तो स्त्रियों के जो सब इनैंट्स हैं उनको भी राइट दे सकते हैं और मैं समझता हूं कि अगर कांस्टीट्यूशनल डिफिकल्टी नहीं है, मालिक अदना और दवामी काश्तकारान और माहतहतदार के इंट्रोड्यूस करने में नहीं है तो इसमें भी कमी नहीं हो सकती ।

इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस पर अवश्य फिर ख्याल करेंगे ।

श्री चरण सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ दो बातें कहनी हैं एक तो यह है कि गलती कोई नहीं हुई, जैसा माननीय रामनारायण जी ने कहा कि यह गलती हो गयी है केवल इसलिए नहीं रखा परित्यक्ता और अविवाहिता और जैसा कि दफा १७५ में रखा है वैसा दफा १० में नहीं रखा और नहीं रखा तो गलती हो गयी, गलती नहीं हुई, जानबूझ कर रखा है ।

१५७ में जो असमर्थ है या अक्षम सीरदार या भूमिधर हो जो कि गिनाये गये हैं, जिसमें अविवाहिता स्त्री या ऐसी स्त्री जिसको पति ने छोड़ रखा है, भी है, उसको अपनी सीर पट्टे या लगान पर उठाने का अधिकार आगे के लिए हो सकता है । धारा १० पिछली बातों को रेफर करती है जब जमीन पट्टे या लगान पर दी थी उस वक्त असमर्थ हो, जिस वक्त वह लीज पर दी गयी थी उस वक्त अविवाहिता हो वेस्टिंग डेट पर । तो वेस्टिंग डेट तो मंजूर की डेट है । बहुत सी जमीनें दस-दस बीस-बीस साल पहले दी गयी । अब दस-दस बीस-बीस साल का क्या सबूत है कि जिस वक्त पर दी गयीं थीं, उस वक्त अविवाहिता या परित्यक्ता थी । इसलिये हमने सिर्फ स्त्री रख दिया है ।

अब जो कहा जाता है कि जमींदारों ने स्त्रियों के नाम पट्टे वगैरह कर दिये हैं, किसानों को महरूम करने के लिए । मैं मानता हूं कि कुछ हद तक यह बात सही है । लेकिन उनके काश्तकारों को हम बेदखल कहां करने जा रहे हैं । उनके जो काश्तकार थे तो वह तो सब हमने अधिवासी करार दे दिये थे अधिवासी वाले अध्याय में । ढाई सौ रुपये से बड़े मालगुजार की सीर के काश्तकार भी अगर वह मालगुजार और जमींदार डिसएबिल्ड था, असमर्थ था, अक्षम्य था, उसके काश्तकार को भी तो अधिवासी करार दे देते हैं तो बेदखली का तो सवाल है नहीं । अब जितने भी संशोधन आ रहे हैं जिनको हमने अधिवासी करार दिया है, उनको सीरदार करार दिया जाय इसको लेकर आ रहे हैं और कोई अन्तर नहीं है । कई बार कहा जा चुका है कि सीरदार एक भी बेदखल नहीं हो रहा है । तो बेदखली से बचाने का सवाल नहीं है । सवाल यह है कि आया अधिवासियों को आज सीरदार करार दिया जाय या नहीं । अधिनियम में यह है कि ऐज बाई राइट वह सीरदार हो सकेंगे । आप आज ही करार देना चाहते हैं तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वह नहीं हो सकता और उसमें जो कांस्टीट्यूशनल दिक्कत हमको दिखती है जैसी कि आज वह आन प्रेजेंट ऐडवाइस वह ऐक्चुअली है तो जो अधिवासी है उसको एक कलम से हम सीरदार नहीं कर सकते । अगर हम कर देते हैं तो भूमिधर का उस जमीन में कोई हक नहीं रह जाता । आज वह भूमिधर को लगान ५ साल तक देगा । तो एक तरह से हम प्रापर्टी का राइट, जो कुछ भूमिधर को हमने दिया है वह एक स्ट्रोक आफ पेन से छीन लेंगे । वह मुनासिब नहीं है । हम जो अधिकार इस कानून में दे चुके हैं उसको पांच-पांच छः-छः महीने बाद छीन लेना, वैसे तो हम पांच-पांच छः-छः साल बाद भी हम नहीं छीनना चाहते और महज अधिवासी, भूमिधर और सीरदार के ही नहीं बल्कि हम तो जमींदार के अधिकार भी सुरक्षित रखना चाहते हैं । गेंदा सिंह जी, यदि इस हाउस से निकलें और कोई उनका कोट उतारने लगे तो हम नहीं उतारने देंगे बिना उनकी रजामन्दी के या पैसा दिये हुए ।

[श्री चरण सिंह]

तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब काश्तकार कोई बेदखल नहीं हो रहा है तो आप अपने संशोधन को वापस ले लें और ऐसी आशा कमला सिंह से करना दुराशामात्र तो सिद्ध नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के खंड (१) में "स्त्री" के पहले शब्द "अविवाहिता, परित्यक्ता या विधवा" जोड़ दिये जायं ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री कमला सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के खंड (२) में शब्द "अवयस्क" के पहले शब्द "पितृहीन" रख दिया जाय ।

इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । क्योंकि बहुत सी बातें जो 'स्त्री' शब्द के मुताल्लिक आई हैं वह उसमें भी अल्लाई करती हैं । मैं तो माननीय मन्त्री जी की तरफ से खास तौर से जो कांस्टीट्यूशनल इसमें डिफिकल्टी बतलाई गई, उसको मैं सुनना चाहता हूं कि वह यह बतलाएं कि इसमें कौन सी ऐसी डिफिकल्टी उनको दिखाई देती है और उसमें जो माइनर्स वगैरह हैं या स्त्रियां हैं उनको भी कम्पेन्सेशन देने का सवाल नहीं उठता । जैसे अदना मालिक बतलाया था उसमें कम्पेन्सेशन देने का सवाल नहीं उठता और जो ढाई सौ के ऊपर के लोग हैं उनके सब-टेनेन्ट सीरदार हो जाते हैं। उसी तरह से उनके भी सब-टेनेन्ट सीरदार करार देने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो पितृहीन हैं वह सिद्धांत माननीय राजस्व मन्त्री जी ने माना है कि बड़े-बड़े जमींदार अपनी स्त्रियों, माइनर संस और डाटर्स के नाम से लिख देते हैं, इससे परेशानी हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है । लेकिन जहां तक सिद्धांत और लीगल डिफिकल्टीज का सवाल है, मैं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री उसको साफ कर दें । इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं ।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो अर्ज कर चुका हूं उसका दोहराना पिष्टप्रेषण करना होगा, पिसे हुए को पीसना होगा, जहां तक वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कान्स्टीट्यूशनल दिक्कत होगी, वह मैं दोनों बात समझा चुका हूं कि भूमिधर का एक आदमी अधिवासी है, उस अधिवासी को आप सीरदार करना चाहते हैं । उसके सीरदार होते ही भूमिधर का कोई हक उस जमीन पर नहीं रहता । यह मोटी सी बात है । यह कान्स्टीट्यूशनल बात हुई या नहीं कि एक आदमी का अधिकार आप लेते हैं बिना कुछ दिये हुए ।

श्री कमठा सिंह--राजस्व मन्त्री जी ने जो बात अभी बतलाई है, उसके मुताल्लिक मैं धारा १६(३) को पढ़ देना चाहता हूं । उसमें दिया हुआ है "(३) संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० में किसी बात के रहते हुए भी उक्त अधि-नियम की धारा ६ के अधीन ऐसे काश्तकारों के पक्ष में दिये गये प्रख्यापन, जिन्हें धारा १० की उपधारा (२) लागू होती हो इस अधिनियम द्वारा निरस्त किये जाते हैं और उक्त अधिनियम की धारा ३ या ६ के अधीन जमा की गई धनराशि उस धनराशि को काटकर जो उक्त अधिनियम की धारा ७ और ८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्रपति को दी गई हो य देय हो जमा करने वाले को ऐसी रीति से लौटा दी जायेगी जो नियत की जाय ।" तो भूमिधर को जो अधिकार दे रहे हैं उसको वापस भी कर दिया है । तो फिर मैं यह नहीं समझता कि इसमें जो भूमिधर हैं उनकी सीरदारी का कोई प्रश्न उठता है । वह तो जब आप उनको सीरदार बना देंगे तो खामखाह उनकी भूमिधरी के राइट खत्म हो जाते हैं । वह भूमिधर नहीं रह सकते । तो जैसे कि आपने २३५ में जो अधिवासी हैं उनके बारे में १५ गुना देने का तरीका बतलाया है तो इस तरीके से जैसे आप वहां ५ गुना देते हैं, काश्तकार को उसी तरीके पर यहां भी संशोधन कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि कोई भी वैधानिक अड़चन नहीं पड़ सकती ।

श्री चरण सिंह--यह मैं समझता हूं कि मेरे मित्र ने दफा १८(३) का हवाला दिया है ।

श्री कमला सिंह--जी नहीं, १६(३) और २३५ का।

श्री चरण सिंह--१६(३) में तो कोई जिक्र नहीं है इस बात का। जो लोग भूमिधर बन गय हैं उनकी रकम वापसी का जो जिक्र है वह १८ (३) में है।

श्री कमला सिंह--जी हां, १८(३) ही है, पृष्ठ २८।

श्री चरण सिंह--तो आपकी दलील यह है कि जो लोग भूमिधर बन गये हैं उनके अधिकार अगर खत्म हो जाते हैं, उनको रुपया वापस देने की बात कानून में कही गयी है तो जब उस तरीके से भूमिधरी खत्म हो सकती है तो इस तरीके से क्यों नहीं हो सकती। तो इसके मुताल्लिक मुझे यह अर्ज करना है कि वह टेनेन्ट्स एक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट के मातहत जो लोगों ने १० गुना दाखिल किया था, एक तो वह भूमिधर नहीं कहलाते थे, भूमिधर हुए ही नहीं थे, भूमिधरी तो इस ऐक्ट में क्रियेट की गई और इसी कानून के जरिये यह लिख दिया गया है कि अगर वह गलती से या धोखे से जबकि वह इन्टायटिल नहीं थे १० गुना दाखिल करने के लिये, किसी प्रकार दाखिल कर दिया तो वह भूमिधर नहीं होंगे, उनका रुपया वापस कर दिया जाय। यह दूसरी बात हुई। यह दफा १८ भी तो पहली जुलाई को लागू हो गयी जब भूमिधर क्रियेट हुए हैं। तो अब इस वक्त जो भूमिधर बन गये हैं उनको जमीन में अधिवासी किसी को आप कर दीजिए, असामी कर दीजिए, जमींदारों की जमीन पर काश्तकारों को अधिकार देते गये। १८८१ में १९०२ में, १९२६ में, १९४० में, आप काश्तकारों को अधिकार तो देत चल गय लेकिन जमींदारों को प्रोप्राइटरी टाइटिल रहा। इसलिये जमींदारों को मुआविजा देने का सवाल नहीं उठा। लेकिन अब जब आप सीरदार बनाते हैं भूमिधर की जमीन म, तो भूमिधर का कोई अधिकार नहीं रह जाता इसलिये मुआविजा देने का सवाल उठ सकता है। मैं कहता हूं कि उठ सकता है। ऐज प्रिजन्ट एडवाइस हमारे कानूनी सलाहकारों का मशविरा यह है कि अब क्योंकि आप भूमिधर की जमीन में किसी को सीरदार करार देते हैं तो भूमिधर का १/१०० वां हिस्सा भी अधिकार नहीं रहता है। इसलिये मुआविजे का सवाल उठता है। अधिवासी आप करार दे सकत हैं, तो वह हमने कहीं एक आध जगह जरूरत थी वहां करा दिया है। इसीलिये लैन्ड रिफार्म्स सप्लीमेंट्री ऐक्ट में उनको अधिवासी बनाया था सीरदार नहीं बनाया था। यह इसमें इग्तियाजी बात है ।

श्री कमला सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । धारा १८(३) के अनुसार उन्होंने कहा कि उसका रुपया वापस हो जायगा। जो किसी फ्राड के जरिये या किसी गलती के जरिये भूमिधर हो गया है। दफा १२ के अन्दर, कैन्सिलेशन उस डीड का होता है लेकिन उसके अन्दर कोई कैन्सिलेशन का जिक्र नहीं किया गया है। अगर दफा १२ के अन्दर कोई डीड कैन्सिल हो जाता है तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है लेकिन इस विधेयक के अन्दर आप उसको भूमिधर भी करार दे रहे हैं, और उस डीड को कैन्सिल भी नहीं किया जाता है, फिर उसकी परिस्थिति क्या होगी।

श्री चरण सिंह--१८(३) में लिखा है, मैं अंग्रेजी को पढ़कर सुनाता हूं --

"(3) Notwithstanding anything contained in the United Provinces Agricultural Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949, any declaration granted under section 6 of the said Act in favour of a tenant to whom sub-section (2) of section 10 applies, shall be and is hereby cancelled and the amount deposited by him under section 3 or 6 of the said Act shall, after deducting the amount which might have been paid or be payable by the State Government to his landholder under sections 7 and 8 of the said Act, be refunded to the person entitled in such manner as may be prescribed."

[श्री चरण सिंह]

[ संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० में किसी बात के रहते हुए भी उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन ऐसे काश्तकारों के पक्ष मे दिय गये प्रख्यापन, जिन्हें धारा १० की उपधारा (२) लागू होती हो, इस अधिनियम द्वारा निरस्त किये जाते हैं और उक्त अधिनियम की धारा ३ या ६ के अधीन जमा की गई धनराशि उस धनराशि को काटकर जो उक्त अधिनियम की धारा ७ और ८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा इसके क्षेत्रपति को दी गई हो या देय हो, जमा करने वाले को ऐसी रीति से लौटा दी जायगी, जो नियत की जाय ।]

इसमें तो कैन्सिलेशन ( निरसन ) का साफ जिक्र है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के खंड (२) में शब्द 'अवस्यक' के पहले शब्द (पितृहीन) रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत आ ।)

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं --

खंड ५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १० के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिये जायं--

"(१) किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोई भी अक्षम अथवा सक्षम व्यक्ति इस अधिनियम अथवा दूसरे अधिनियम में इसके विरुद्ध बात होते हुए भी अपने असामी अथवा अधिवासी को बेदखल न कर सकेगा यदि वह स्वयं अथवा उसके साथ सम्मिलित परिवार में रहने वाला कोई सदस्य ८ एकड़ भूमि अपने कब्जे में रखते हैं ।

(२) परन्तु प्रतिबन्ध यह भी होगा कि व्यक्ति अक्षम नहीं समझा जायगा जिसने भूमि ८ अगस्त, १९४६ के बाद सक्षम व्यक्तियों से प्राप्त की हो ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जो ऊपर वाले प्रतिबन्ध में १० एकड़ है उसके बजाय ८ एकड़ रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इसलिये है कि अक्षम होने के नाम पर लोग बेजा फायदा न उठाने पावें । इधर कुछ वर्षों से जिन लोगों के नाम से जमीन थी, उन लोगों ने अपने नाम से निकाल कर अपने परिवार के अक्षम लोगों के नाम पर दर्ज करा दी । उन्हें यह मालूम था कि कानून में इस तरह की गुंजाइश है कि इसका बेजा फायदा उठाया जा सकता है । इसलिये उन्होंने हर तरह की साजिशें की । यह हो सकता है कि कहीं किसी जगह पर इस तरह की समस्यायें बहुत अधिक न हों लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मैंने यह देखा है कि बड़े-बड़े जो जमींदार पुराने थे और जिनके पास हजार एकड़ पांच सौ एकड़ के फार्म थे उन्होंने उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखकर के बाकी सब अपने स्त्रियों के नाम पर और अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर । उन्हें या तो भूमिधर बना दिया या सीरदार बना दिया । काश्तकार उन्हें करार जरूर दे दिया । यह भी किया कि जिस वक्त विशेषाधिकार उपार्जन अधिकार बन गया उसके बाद ऐसे लोगों को भूमिधर भी बना दिया ।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं अपने दोस्त से एक बात कहना चाहता हूं । यह धारा १० जो मूल अधिनियम की है वह ढाई सौ रुपये से बड़े मालगुजारों की सीर से वास्ता रखती है । उसमें संशोधन है । तो उस ऐक्ट के अधीन कोई आदमी बेदखल होता ही नहीं, देने वाला चाहे सक्षम हो या अक्षम हो । तो फिर इस संशोधन की जरूरत क्या है । आप उसमें यह लिखते हैं कि सीरदार या अधिवासी हो, वह बेदखल नहीं हो सकेगा । हम यह कहते हैं कि १० एकड़ या ५ एकड़ वाला कोई भी आदमी हो वह बेदखल हो ही नहीं सकता । तो फिर उसकी कहां आवश्यकता पड़ती है ?

श्री गेंदा सिंह--मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी की सेवा में पहले ही कह चुका हूं और फिर उनसे यह कह देना चाहता हूं कि मूल अधिनियम की जो धारा २३७ है उसको देखने का कष्ट करें और धारा २३७ में यह लिखा हुआ है --

"२३७--(१) गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार यह प्रख्यापित कर सकती है कि विज्ञप्ति के दिनांक से निर्दिष्ट क्षेत्रों में इस धारा के निदेश लागू हो जायेंगे।

(२) जहां तक किसी मंडल में भूमिधर या सीरदार का कोई खाता या उसका भाग किसी अधिवासी के दखल में हो वहां यदि उत्तर प्रदेश में भूमिधर या सीरदार की निजी जोत में कोई भूमि नहीं है या ८ एकड़ से कम है, तो वह परगना के अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर को इस आधार पर अधिवासी की बेदखली के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है कि वह अधिवासी के दखल वाली भूमि को अपनी निजी जोत में लाना चाहता है"।

तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में कि यह अधिकार जो माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अपने हाथ में रखा है कि जिस किसी क्षेत्र में वह चाहें वहां पर बेदखली का आदेश जारी कर सकते हैं, बेदखली के मुकदमे दायर होने के लिये घोषणा कर सकते हैं, अगर यह संशोधन हम स्वीकार कर लेंगे तो इस तरह की घोषणा की कोई बात नहीं रह जायगी और फिर दूसरी बात यह कि ढाई सौ रुपयों से ऊपर वालों के लिये जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि यह धारा लागू है, तो ढाई सौ रुपये के बारे में मैंने पहिले ही निवेदन किया है कि ढाई सौ रुपये वाली बात अब कुछ जंचती हुई नहीं मालूम देती, पहले तो कुछ जंचती थी। आज ढाई सौ रुपये मालगुजारी देने वाले लोग बड़ी जमीन वाले हो सकते हैं। ढाई सौ रुपये मालगुजारी देने वाला व्यक्ति जब मैं साधारण तौर पर अन्दाजा करता हूं तो वह ६० एकड़ भूमि का मालिक समझ में आता है। हमारे संशोधन का सीधा मतलब यह है कि ८ एकड़ तक जमीन अगर उसके पास मौजूद है तो किसी भी हालत में वह दूसरी जमीन को लेने का हकदार न हो सके चाहे वह सक्षम हो अथवा अक्षम हो। यह सही है कि हमने सक्षम भी इसमें लिख दिया है और इसलिये लिख दिया है कि ८ एकड़ अगर उसके पास जोतने के लिये रह जाय तो एक परिवार का गुजर हो जायेगा जिस तरह से सरकार का विचार है कि हमारे प्रान्त में १० एकड़ आर्थिक खाता माना जायगा लेकिन धारा २३७ में उन्होंने आठ ही एकड़ पर बन्धन लगाया इसलिये मैंने इसमें आठ ही एकड़ मान लिया उनके विचार का और उनके निर्णयों का आदर करते हुए, नहीं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि १० एकड़ का खाता एक परिवार के पास रहे और बाकी खाते उसने दूसरों को दे दिये हों तो ऐसी हालत में उन खेतों को फिर उसे वापस लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब यह बात दूसरी है कि हम १० एकड़ की हद तक मुकर्रर करना चाहते हैं और १० एकड़ से ऊपर जितनी जमीन लोगों के पास है उस जमीन को हम ले लेना चाहते हैं। यह विवादास्पद विषय हो सकता है। परन्तु यहां तो प्रश्न केवल यह है कि जिन लोगों ने जमीन जोती है, उन्हें मौरूसी हक दिया जाय और इस पर सदन को विचार करना होगा। हम कोई जमीन बंटवारे की बात इस आड़ में कहना नहीं चाहते हैं। वह बात तो हम स्पष्ट कहते आये हैं और कहेंगे। इसके लिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक प्रस्ताव रखा था इत्तफ़ाक़ से उस पर विचार नहीं हो सका लेकिन आगे जरूर विचार हो सकेगा तो इस सिलसिले में मुझे भूमि के बंटवारे की सारी थ्योरी बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो केवल याद दिलाता हूं और यह मेरी ही बात नहीं है। मैं केवल एक बात कहने की इजाजत चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव के पहले जो कुछ भी बातें इस सदन में आने के लिये जनता से कही गई हैं, उसमें एक वाक्य को याद दिलाना चाहता हूं। इस बात को ध्यान में नहीं लाना चाहिये कि जनता हमेशा भूल करती है और वायदा करने वालों को भूल जाया करती है, वह याद भी रखती है।

मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर ले। इसलिये कि इसमें किसानों को यदि कुछ नुक़सान होने वाला है तो उनका भला भी होने वाला है और जो उनका भला होने वाला है उसमें हमें बड़ी खुशी है। जो दशा भूमिहीन लोगों की है उसको देखते हुय उनको

[श्री गेंदा सिंह]

अधिकार दिया गया है कि वह गांव की खाली जमीन को हांसिल कर सकते हैं। मैं याद दिलाने के ख्याल से कांग्रेस का जो चुनाव, घोषणा पत्र है उसका एक सेंटेंस, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं कि "खासकर बहुत कम मजदूरी पानेवाले खेतिहर मजदूरों की हालत में सुधार होना जरूरी है। उन्हें छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धंधों व छोटे पैमाने पर चलाये जाने वाले उद्योगों में काम और रोजगार देने के मौक़े दिये जाने चाहिये। खेती के लिये जो नई जमीनें तोड़ी जा रही हैं, उनके वितरण में ऐसे लोगों को पहला अवसर दिया जाना चाहिये। इन्हें घर बनाने के लिये जमीन देने की सुविधायें भी देनी चाहिये।"

मैं यह कांग्रेस के चुनाव, घोषणापत्र १९५१ में से दे रहा हूं। यह पुस्तक कांग्रेस की मार्ग-दर्शक है, इसका पृष्ठ १३३ है। मैं चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्य इसको देख लें और इसको स्मरण भी रखें। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं कि किस प्रकार यह सरकार पूंजीवाद का उदय करने जा रही है। जहां तक खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन लोगों को जमीन देने की बात है उससे हमारी सरकार मुंह मोड़ रही है। आगे मैं यह कहता हूं कि हमारा जो यह संशोधन है यह भूमिहीन लोगों को जमीन दिलाने की व्यवस्था कर सकेगा और कांग्रेस दल के वायदों को भी पूरा करने में मददगार होगा।

मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जिस वक्त पिछले जमाने में हमने यह क़ानून पास किया कि २१ मई के बाद वाले सब पट्टे नाजायज होंगे तो उसके बाद जितनी भूमि रह गई थी सार्वजनिक या जिनको खाली भूमि कह सकते थे, जो इस विधेयक के जरिये भूमिहीन मजदूरों को जमीन देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह जमीन पा सकते थे, उन्हें वहां के बड़े बड़े जमींदारों ने और दूसरे लोगों ने भी उन लोगों के नाम जिनको अक्षम कहते ह, दर्ज कराई १०० एकड़, २०० एकड़ और ५०० एकड़, उनका नाम सिर्फ दर्ज है। यह सही है।

यह भी सही है कि जिस धारा पर आज हम संशोधन ला रहे हैं उसमें वह शामिल है। अब वह भूमिधर कहें या सीरदार कहें १० गुना जमा कर के बन गये होंगे। ऐसी हालत में जो हम यह स्वप्न देखते हैं कि १ करोड़ या ५० लाख एकड़ जमीन खाली मिलेगी भूमिहीन लोगों में बांटने के लिये वह जमीन नहीं मिल सकेगी। अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो जो अक्षम हो उस पर यह लागू न हो। हम भी अक्षम लोगों से कोई बैर-भाव नहीं रखते। हम भी उनसे हमदर्दी है। लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि अक्षम होने के नाम पर लोग बेजा फायदा न उठायें। हम तो अक्षम उन्हीं को समझते हैं जो समाज में मेहनत तो करते हैं लेकिन समाज ने जिनको उन्हें उत्पत्ति के साधनों का मालिक होने से अलग कर रक्खा था। हम उन्हें अक्षम क्यों समझें, जिन्होंने आज तक सारे संसार के सुखों को उपभोग किया। जब जमींदारी जाने लगी और कुछ अख्तियार समाज के उन पिछड़े हुए लोगों को जो समाज में सबसे अधिक मेहनत करते हैं उनको दिये जाने लगे तो इस तरह की बेजा हरकतें करके, अपने बीबी-बच्चों के नाम काग़जात में इन्द्राज करके उसका बेजा फायदा उन्होंने उठाया, ऐसे लोगों को हम अक्षम कैसे समझ सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का केवल इतना मतलब है कि जो अक्षम लोग हैं, चाहे वे इस कानून से बेजा फायदा उठाने के लिये बने हों या सचमुच अक्षम हों उनको १० एकड़ जमीन छोड़ी जाय, बाकी जमीन गांव समाज को मिले। मेरे संशोधन का मतलब यह भी नहीं है कि गांव समाज को मिले और वह उन्हें बेदखल करे बल्कि सिर्फ इतना मतलब है कि बेदखली न हो पाये और मैं यह निवेदन करूंगा कि आगे चल कर ऐसे लोगों को बेदखल करने का अख्तियार दिया जा रहा है, उनको बेदखल करने का अख्तियार न होना चाहिये।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह के संशोधन की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान् माननीय गेंदा सिंह को कुछ भ्रम हो रहा है। हर तीन मिनट के बाद यह कहना कि बड़े जमींदार यह कर रहे हैं, वह कर

रहे हैं, यह उन्होंने किया और वह उन्होंने किया, मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि ऐसा समझने में उनको कुछ भ्रम हो रहा है। जहां तक हमारी सीर और खुदकाश्त का मसला है, वह आज भी महफूज़ है और जो पट्टों की बात वह करते हैं कि इनके नाम कर दिये और उनके नाम कर दिये तो वह देख सकते हैं कि दफ़ा २१२ के मातहत वह उनको मंसूख करा सकते हैं। सिविल कोर्ट खुला हुआ है, माल की अदालत आपके लिये खुली हुई है। इन अदालतों से आप भागते क्यों हैं। इस गैर ज़िम्मेदारी के साथ बातों को कहने से क्या फायदा। ज़मींदार एक हौवा है। वह दुनिया के जितने अत्याचार और अभिशाप हैं, कर चुका है तो आप उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० और ज़मींदारी एबोलीशन ऐक्ट सब मौजूद हैं। उनको पढ़ने और देखने की कोशिश करें। किसी ज़मींदार ने यह करा दिया तो उसे मंसूख करा दीजिये। रास्ता खुला हुआ है। क़ानून बगैर समझे हुए ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता। ज़मींदारों पर इस तरह से आक्षेप करना बड़प्पन नहीं है। वह भी कांग्रेसी भाइयों की तरह से ज़मींदारों को शिकार बना कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब तो वक्त आ गया है जबकि ज़मींदारों को वह छोड़ दें। अब तो वे मर चुके, अब लोग क्यों नेतागिरी के चक्कर में पड़े हुए हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो बात हमारे मित्र श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कही, मैं भी उसकी तईद करता हूं। बहुत से संशोधन हमारे सोशलिस्ट पार्टी के भाई बिला समझे ही यहां पर ले आते हैं। हम जितना आगे जाना चाहते हैं और गये हैं। जो उनका संशोधन है, उससे हम कहीं आगे गये हैं। वह इस बात को समझते नहीं कि हम आगे गये हैं। अपने संशोधन के द्वारा वह पीछे रहना चाहते हैं। अगर वह इन सब बातों को समझने की चेष्टा करें तो मुझे आशा है कि वह बहुत से संशोधन व्यर्थ में यहां पर पेश नहीं करेंगे।

श्री शिवनारायण (ज़िला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न सदन के सामने रखा गया है उसका मतलब यह है कि भूमिहीन लोगों को ज़मीन दी जाय। मैं भी उसको उचित समझता हूं कि गांव में जो लोग हल जोतने वाले हैं जो काश्तकार हैं और खेती करते हैं उनको ज़मीन दी जाय। इस ५ साल के अरसे में सन् १९४६ से लेकर आज तक क़ानून के दुरुस्त होने के समय तक जो वक्त बीता है, उस अरसे में बहुत से ज़मींदारों ने अपने भतीजे, बेटे और स्त्री के नाम ज़मीन बांट दी है और उनके नाम वह ज़मीन कर दी गयी है। आज वह २५० के नीचे आ गये हैं। उनके पास कोई ज़मीन बच नहीं गयी है। १० एकड़ के ऊपर जिनके पास ज़मीन है, अगर कोई काश्तकार जोत सकता है या कोई खेती करने वाला ग़रीब है तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह ज़मीन उससे छीनी न जाय, बल्कि वह उसको दी जाय। आज गांवों के अन्दर कुहराम मचा हुआ है। वक़ील लोग कहते हैं कि साहब आप लोग क्या कर रहे हैं। म सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि वाक़ई ग़रीब आदमी को ज़मीन मिलनी चाहिये। अगर इस चीज़ को नेकनियती के साथ माना जाय तो बहुत अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन की ताईद करता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने आरम्भ में हमको यह समझाने की कोशिश की थी कि जरा समझदारी के साथ सब धाराओं को पढ़ लेना चाहिये जब इस सदन के अन्दर मत व्यक्त किया जाय। यह तो मैं नहीं समझता कि समझदारी की ठेकेदारी केवल हमारी ही है। मैं समझता हूं कि समझदारी की टकेदारी सब की होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने जब कि पहले गंदासिंह जी के संशोधन के द्वारा १० एकड़ की बात आयी थी तो उस पर कुछ बातें कहीं थीं। चूंकि यहां पर उसी संशोधन को संशोधित करके ८ एकड़ की बात रखी है तो यहां भी वह पुरानी बात दोहरा सकते हैं। श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि अब सदन के अन्दर भी वाक् जाल में फंसाने की कोशिश की जाती है और जब कि यह कोशिश माननीय राजस्व मंत्री जी की ओर से होती है तब तो हमको और

[श्री राजनारायण]

भी परेशानी होती है। किस प्रकार यहां पर भोलेभाले अपन ख्याल को वह रखते हैं यह समझ में नहीं आता, वह कहते हैं कि विरोधी दल जितने खेतिहर हैं उन सब को १० एकड़ जमीन के दिलाये जाने की बात करता है। उसके लिये १२ करोड़ एकड़ जमीन चाहिये और हमारे यहां कुल ७ करोड़ एकड़ भूमि है। विरोधी पक्ष ने तो एक सिद्धान्त की बात कही और इस तरह की कोई बात नहीं कही कि सबको दस एकड़ जमीन दे दो। हमने तो आपकी इजाजत से माननीय राजस्व मंत्री जी को केवल यह बतलाने की कोशिश की थी कि जिनके पास दस एकड़ तक जमीन है उनके पास अगर दस एकड़ तक छोड़ें, उसमें आप जानते होंगे कि जितने खेतिहर हैं उसमें से ७३ फ़ीसदी ऐसे हैं, जिनके पास २ एकड़ से कम जमीन है और १ करोड़ २२ लाख एकड़ के ऊपर जमीन परती है, जिसमे से क़रीब क़रीब हमारे अन्दाज में आधी जमीन खेती के काम में आ सकती है। इन चीजों को इसलिये छोड़ दिया था कि जब जमीन के बटवारे का प्रस्ताव सदन में आयेगा तब देखा जायगा लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बुद्धि विभ्रम पैदा करने की कोशिश की और भूलभुलैया में डालने वाले आंकड़े दिये कि क़रीब १२ करोड़ एकड़ जमीन की जरूरत होगी, ऐसी बात हमने कभी नहीं कही थी। अब इस संशोधन में हम चाहते हैं और उसको मैं आप की इजाजत से पढ़ना भी चाहता हूं। अभी माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने जिनके बारे में हमारी ऐसी धारणा थी कि वह भूमि सम्बन्धी बातों को समझते हैं और जहां नहीं समझ पाते हमसे भी समझने की कोशिश करते हैं। परन्तु जब उन्होंने इस संशोधन को बिना समझे हुये एक भूतपूर्व जमींदार महोदय की बात की ताईद की तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने दाद कैसे दी और श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन को जो नासमझी का संशोधन बताया उसके लिये भी माननीय मौर्य जी ने उनको बड़ी मुबारकबाद दी, यह कैसे ! अब मैं संशोधन की धाराओं को पढ़ना चाहता हूं और देखा जाय कि श्री गेंदा सिंह के संशोधन में कहां तक गुण है। श्री गेंदा सिंह जी का संशोधन इस प्रकार है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोई भी अक्षम अथवा सक्षम व्यक्ति इस अधिनियम अथवा दूसरे अधिनियम में इसके विरुद्ध बात होते हुये भी अपने असामी अथवा अधिवासी को बेदखल न कर सकेगा यदि वह स्वयं अथवा उसके साथ सम्मिलित परिवार में रहने वाला कोई सदस्य १० एकड़ भूमि अपने क़ब्ज़े में रखते हैं। "इस संशोधन की भाषा में यह स्पष्ट है कि इस क़ानून की किसी धारा में किसी जोतने वाले को असामी या अधिवासी का हक़ मिलता हो, उसको गेंदा सिंह जी के संशोधन से कोई हक़ कम नहीं मिलता है। जो भी उसके अधिकार हों, वह सुरक्षित हैं अगर उसके पास ८ एकड़ तक भूमि है तो उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने २३७ धारा का भी जिक्र किया। मैं आप की इजाजत से पूछना चाहता हूं कि उसमें बेदखली को खोलने की गुंजायश क्यों रखी गई है। अगर इस सरकार की कृपा दृष्टि फिरी या आज जो मस्तिष्क अच्छा है उसमें कुछ परिवर्त्तन हो जाय तो बेदखली को जायज करने के आदेश निकल सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि धारायें इस तरह से साफ हों कि जिनमें आगे के लिये किसी ऐसी बात की गुंजायश न रहे। श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का दूसरा अंश स्पष्ट कहता है कि "परन्तु प्रतिबन्ध यह भी होगा कि व्यक्ति अक्षम नहीं समझा जायगा जिसने भूमि ८ अगस्त, १९४६ के बाद सक्षम व्यक्तियों से प्राप्त की हो।' मैं माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य से निवेदन करूंगा कि इस बिल की किसी भी धारा में इससे आगे जाने वाली क्या कोई लाइन है ?

अगर उनके पास कोई दलील है तो वे हमें बतावें और हम उनकी बात सुनकर अपने विचारों में परिवर्तन करने के लिये हमेशा तैयार हैं। हम हठवादिता पर नहीं चलना चहते। हमने पहले भी कहा था कि हमने सरकार की तरह हर बात की ठेकेदारी नहीं ले ली है। श्रीमन्, यह जो धारा १० है और जिसमें आगे संशोधन माननीय गेंदा सिंह जी रखना चाहते हैं और जिसे संशोधित इस विधेयक के द्वारा सरकार भी करना चाहती है, अगर इन तीनों के अन्तर को देखा जाय तो धारा १० में यह लिखा है कि यदि सीर के किसी काश्तकार का क्षेत्रपति

काश्तकारी प्रारम्भ होने के समय तथा निहित होने के दिनांक पर स्त्री, अवयस्क, पागल, जड़, अन्धपन या शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती करने में असमर्थ अथवा भारतीय संघ की सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर रहा हो तो उपधारा (१) की कोई बात उसे लागू न होगी। क्या माननीय गेंदासिंह जी ने जो अपने संशोधन की दूसरी धारा के जरिये बांधने की कोशिश की है यह इस धारा में कहीं आता है। माननीय द्वारका प्रसाद जी ने समझने की काफी कोशिश की मगर वह समझ सकने में असमर्थ रहे।

मैं उनसे कहता हूं कि वह जरा इस संशोधन को धैर्य से पढ़ें। जो प्रतिबन्ध उन्होंने रखा है वह सबके लिये लागू होता है। मैं चाहता हूं कि गेंदासिंह जी के भाव को यह सदन अच्छी तरह से समझ ले। इस संशोधन में हम स्पष्ट तरीके से चाहते हैं कि किसी भी बहाने से यह गुंजाइश न रहे कि ८ एकड़ तक जमीन जिन्होंने ली है, उसके ऊपर अगर किसी की जमीन है तो उसे निकाल ले। अभी हमें आश्वासन मिला है सरकारी पक्ष की ओर से कि वह स्त्रीवाले मामले में हमारे मत के समर्थन में कोई न कोई संशोधन इस सदन में रखवाने जा रहे हैं। मुबारक हो और यदि यह बात चरितार्थ हो तो उसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देंगे और जब वह आवेगा तो उसका समर्थन करेंगे। मगर जब वह किसी बात को गलत तरीके से रखते हैं या रखने की कोशिश करते हैं तो हमें बड़ी आपत्ति होती है। श्रीमन्, मेरा माननीय द्वारिकाप्रसाद जी मौर्य से सादर निवेदन है कि वह हमें बतावें कि उनकी जो पोथी जमींदारी विनाश विधेयक, इसकी कौन सी धारा में ऐसी बात आती है, अभी तक कि कोई स्त्री हो, अवयस्क हो, जड़ की संज्ञा दी गई हो और अन्धपन या शारीरिक दुर्बलता की संज्ञा दी गई हो वह जमीन बेदखल नहीं करेंगे। किस धारा में यह है ? वे जमीन को बेदखल कर सकते है, क्योंकि दसवीं धारा का जो पहला अंश है, वह स्पष्ट तरीके से कहता है कि पहला अंश उन लोगों पर लागू नहीं होगा और अगर माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन मान लिया जाता है कि उन तमाम लोगों की जमीनों को, चाहे जिस किस्म की वह जमींनें हों, अगर कोई शिकमी के रूप में जोतता रहा है तो वह बेदखल न हो सकेगा। यह सीधी सी बात माननीय द्वारका प्रसाद जी समझ नहीं पाय।

एक भूतपूर्व जमींदार फैजाबाद के रईस ने जो हमारे पास बैठे हुए हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर दुलत्ती झाड़ दी और उसको नासमझी का खिताब दे दिया। उनके खिताब को सुनकर माननीय द्वारका प्रसाद जी गदगद हो गये कि एक ऐसी बात इस सदन में हो गयी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से उसका जवाब न बन पड़ा। ठीक है, भूतपूर्व जमींदार जो अपने हकों को सुरक्षित करने के लिय लालायित हैं, उनकी बातों का समर्थन चाहे द्वारका प्रसाद जी करें या राजस्व मंत्री जी करें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। मैं तो निहायत नम्रता के साथ निहायत अदब के साथ माननीय राजस्वमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरा हमारे ऊपर कृपा करें और कुछ सीधा चलें। जब वे सीधा नहीं चलते और दायें बायें-चलते हैं और अपने गलत किये हुये कामों के लिये दुलत्ती हमारे ऊपर झाड़ते हैं तो हमें परेशानी होती है, क्योंकि श्रीमान् ने देखा होगा कि हमने कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया। माननीय राजस्व मंत्री जी उठे और चूंकि उनको कुछ सफाई करनी थी तो हमने अच्छी तरह से बैठकर उनको कहने का मौका दिया ताकि जो बात वे कहना चाहते हों, कह दें, लेकिन जब वे गलत बात कह रहे थे, निराधार बात कह रहे थे, लोगों को भूल भुलैया में डाल रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार १० एकड़ जमीन खेतिहर परिवारों को नहीं मिल सकती, तो हमने चाहा कि उनके विभ्रम को दूर कर दिया जाय लेकिन उन्होंने समझा कि अगर उस समय ही कुछ कह दिया जायगा तो गड़बड़ हो जायगा, इसलिये उन्होंने यील्ड नहीं किया। (बैठे नहीं)। उनको मुबारक है। हम तो चाहते हैं कि अगर किसी के दिमाग में हमारी किसी बात से उलझन पैदा होती है

[श्री राजनारायण]

तो वे खड़े हो जायं और हम बैठ कर उनको मौका दें और वे अपनी सफाई कर दें । मगर माननीय मंत्री जी इसी में अपना श्रेय समझते हैं, अपनी प्रशंसा समझते हैं कि वे यील्ड न करें (न बैठे) तो ठीक है, वे ऐसा कर सकते हैं।

श्रीमान् जी, अब मैं माननीय राजस्वमंत्री जी और द्वारका प्रसाद मौर्य जी से यह निवेदन करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है वे उसकी गुरुता को समझें, उसकी गंभीरता को समझें तथा जैसा कि अभी द्वारका प्रसाद जी ने कहा कि हम विरोधी पक्ष की बहुत सी बातों को मानने जा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से यह घोषणा होनी चाहिये कि वे हमारी कौन कौन सी बातों को मानने जा रहे हैं जिससे बेकार सदन का समय बरबाद न हो। क्योंकि हम यहां किसी खास उद्देश्य को लेकर आये हुए हैं। क्या जरूरत है कि ५ बजे तक ही बैठा जाय या १० बजे रात तक ही बैठा जाय। इसलिये वे यह बता दें कि वे हमारे कौन कौन से संशोधन को मानने जा रहे हैं जिससे बाकी बातों पर विचार विनिमय हो जाय लेकिन व्यर्थ का वाद-विवाद करके उल्टी सीधी बातें कह कर दूसरे को नासमझ बता कर और अपने को समझदारी का ठेकेदार होने का श्रेय देना समय को बरबाद करना है, क्यों सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश की जाती है ? हम चाहते हैं कि जो मौजूं बातें हों उनको ठीक तरीके से और यथा स्थान रखा जाय। श्रीमन् मैं अब और अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

( इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री गेंदा सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो बातें मैंने माननीय सदस्यों से सुनी उससे मेरे संशोधन का जवाब नहीं होता है। माननीय मौर्य जी ने यह कहा कि हम तो इस अधिनियम के जरिये या इस विधेयक के जरिये और आगे जाना चाहते हैं तो हम तो उनको कभी यह सलाह नहीं देते हैं कि वे इसके पीछे जायं। आगे ही जाने की बात हम भी सोचते हैं। लेकिन मैं एक उत्तर उनसे चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के जरिये यह गुंजायश की है कि सीर से जो लोग काश्तकार होंगे और उनके क्षेत्रपति ने जिस दिन किसी के साथ जमीन का बन्दोबस्त किया और निहित होने के दिनांक पर वह अक्षम रहा तो उनकी जमीन पर किसी तरह का मौरूसी अधिकार लोगों को नहीं मिलेगा और पट्टे नाजायज हो जायंगे और जो शिकमी काश्तकार हैं उनको बेदखल भी किया जा सकेगा और एक बात यह जरूर है कि हमारे दिमाग में आज इस समय परेशानी है कि एक मध्यवर्ती या सीर का मालिक, उसने जिस दिन जमीन का बन्दोबस्त किया या नहीं बन्दोबस्त किया उसके पास ही सीर की जमीन पड़ी रही या अगर बन्दोबस्त किया तो जिसके साथ बन्दोबस्त किया, उसका नाम कागजात में दर्ज नहीं किया गया और निहित होने के दिनांक पर वह या तो दर्ज है या उस दिन निहित होने के दिनांक पर उसने दिया उसके बीच में वह अक्षम हो गया या जो सक्षम व्यक्ति थे उन्होंने जान बूझ कर अपनी जमीन अपने परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी या उसका नाम दर्ज किरा दिया जो कि अक्षम थे तो फिर उनके लिये क्या सेफगार्ड है ? ऐसा हुआ है और मैं बार बार इस पर माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता था कि यह बात की गयी है कि जो लोग सक्षम थे उन लोगों ने अपने ही परिवार के जो अक्षम सदस्य थे उनके नाम से अपनी जमीन को निकाल दिया, उनका नाम इन्दराज करा दिया और जो सीर की ही जमीन थी, और जमीनों को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि यह सीर के लिये ही धारा है। मैं सीर की ही बात कहता हूं । सीर की जमीन पर उन्हें अधिकार था कि

वे अपनी जमीन किसी को भी उठा सकें और मौरूसी काश्तकार बना सकें। तो उन्होंने अपने घर के ही बीबी बच्चों को जो अक्षम की परिभाषा में आ सकते थे अपना मौरूसी काश्तकार बना लिया। ८ अगस्त सन् ४६ को इस सदन के सामने जमींदारी विनाश का प्रस्ताव आया और वह सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द हुआ। एक नक्शा था और उस वक्त यह विधेयक था और इस विधेयक में इस बात की गुंजायश थी और ऐसे अक्षम लोग अगर होंगे तो उनकी जमीन में जोतनेवालों को किसी तरह का अधिकार नहीं मिलेगा। इसका बेजा फायदा लोगों ने उठाया। इसकी जानकारी उनको थी और इस जानकारी से उन्होंने बेजा फायदा उठाया। मेरा संशोधन ऐसे लोगों के हितों की रक्षा करना चाहता है कि जो इस धोखे के शिकार हुये। उनका नाम वहां दर्ज नहीं था। जोतते थे पहले वह लोग अब उस वक्त उनका नाम दर्ज होता है जिस वक्त उसका मालिक एक अक्षम व्यक्ति हो गया। ऐसे जोतने वाले जो हैं उसके हितों की रक्षा इस अधिनियम द्वारा नहीं होती। माननीय अधिष्ठाता महोदय बहुत सीधे शब्दों में और जितनी हमें जानकारी है उसके मुताबिक मैंने यह निवेदन कर दिया। आखिर में मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि समझदारी और ना समझी की बात बड़ी अप्रिय सी लगती है लेकिन सन् १९३९ ई० का काश्तकारी कानून पास करते समय माननीय मौर्य जी इस विधान सभा के सदस्य थे। वह सिर हिला रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी जहां तक है वे थे और अगर वे नहीं थे तो मैं छोड़ देता हूं लेकिन उनके स्थान पर इसी सदन में माननीय अजित प्रसाद जी जैन थे और माननीय अजित प्रसाद जी जैन की बुद्धि की तो बड़ी शोहरत है वह आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं। उन्होंने कानून बनाया इस सदन ने बनाया और उस कानून के बनने के बाद सन् १९४० में जिस वक्त वह कानून लागू हुआ उस वक्त तक, जब तक कि सन् १९४६ में फिर कांग्रेस सरकार ने हुकूमत की बागडोर नहीं सम्हाली उसके बीच जितने लोग बेदखल हुये उतने जमींदारों द्वारा बनाये हुये कानून में उतनी अवधि में उतने आदमी कभी बेदखल नहीं हुये थे इस काश्तकारी कानून के इतिहास म सारे प्रान्त में एक तूफान उठ गया और लाखों किसान बेदखल किये गये। मैं उन आंकड़ों को देकर इस वक्त सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है। समझदारी तथा नासमझी किसी की ठेकेदारी थोड़े ही है। वह हर तरफ हो सकती है। हो सकता है कि किसी कानून की धाराओं को हम न समझते हों हमारा ठेका समझदारी का नहीं है और कोई प्रैक्टिस हमने नहीं की है यह हम अपनी कमजोरी मानते हैं लेकिन जब उस कानून का प्रयोग होने लगता है तो उसके सारे दोषों का भुक्तभोगी हमको होना पड़ता है। इसलिए जो बात मेरी समझ में आई मैंने कही और बिलकुल एक भुक्तभोगी होने के नाते मैं ऐसी बात कह रहा हूं उनको कठिनाई होगी उनको स्वयं समझना होगा कि इस तरह की जो कठिनाइयां हैं उनका इलाज होना चाहिये अगर इलाज करना चाहें करें, करें या न करें हमारा तो कहने का अधिकार है। न मानें जब स्वयं दोष प्रकट होंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उन्हें बदलना पड़ेगा।

श्री चरण सिंह—जहां तक समझदारी के ठेके के होने या न होने का सवाल है मैं आपके जरिये इस सदन के सब माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न माननीय राजनारायण जी ने सबसे पहले उठाया और जब उसका उत्तर दिया गया तो फिर यह कहा जाता है कि समझदारी का ठेका लिया जाता है, समझदारी का ठेका कोई नहीं ले सकता, लेकिन किसी आदमी को यह कहने का हक नहीं है किसी कानून के सिलसिले में कि सब वकील लोग कहते हैं कि इसको भानुमती का पिटारा बना दिया या न मालूम क्या बना दिया। यह बात राजनारायण जी ने कही या नहीं जब हमने तमाम कानूनी सलाहकारों से सलाह लेकर और सबने मिलकर डेढ़ दो साल लगाये और कानून बनाया, उसमें मैं यह नहीं कहता कि नुक्स नहीं रह गया। नुक्स अगर रह जाता तो संशोधन विधेयक की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह कहना कि साहब समझ में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि इतनी बेसमझी से बनाया गया है कि हमारी समझ में ही नहीं आता है। उसका जवाब मैंने दिया

[श्री चरण सिंह]

था। नुक्स होना दूसरी बात है और यह कहना कि मेरी समझ में नहीं आया इसके मतलब यह है कि बहुत बेसमझी से बनाया गया है। बहुत समझदार आदमी का काम भी त्रुटि से रहित नहीं हो सकता है। इसमें दोष हो, त्रुटि हो यह मैं मानता हूं। लेकिन यह कहना कि मेरी समझ में नहीं आता और यही माननीय राजनारायण जी ने कहा था तो मैंने जवाब दिया। उसमें कोई ग्रीवांस क्यों बनाया जाता है। इसलिये कोई बात पहिले अपनी तरफ से नहीं कहना चाहिए। फिर जहां माननीय अजित प्रसाद जी का हवाला दिया गया कि उन्होंने यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट बनाया, इसमें कौन सा दोष रह गया है? आम तकरीरें की जाती हैं मुझको कोई कानूनी बात नहीं बतलाई जाती है कि इसमें यह त्रुटि है जिससे यह कानूनी नुक्स जायगा जिससे किसानों की बेदखली हो जायगी। मैं भी देखने के लिये तैयार हूं कि कितनी दफा में लाखों किसान बेदखल हो जायेंगे आपकी त्रुटि से अभी शाम तक बहस चलेगी। आप सब बतलाएं। दो दिन से बहस हो रही है किसी ने बताया नहीं कि इस त्रुटि की वजह से बेदखलियां होंगी।

श्री गेंदा सिंह—मैं केवल एक धारा की तरफ माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस धारा में भूमिधर की जमीन रेहन लगानी पर बैनामा समझी जायगी उसका क्या नतीजा होगा?

श्री चरण सिंह—यह त्रुटि नहीं है। यह तो नीति से समझ बूझ कर किया गया है। बाद को जब आपका उस पर संशोधन आयेगा तब मैं उसका जवाब दूंगा। एक दफा बीच में मैंने कहा था कि पट्टा करने और रेहन दखली करने में सिर्फ इतना अन्तर है कि पट्टे में हर साल लगान दिया जाता है और रेहननामा बेदखली में पेशगी लगान ले लेता है। तो कानून की शर्त यह है कि कब्जा और जमीन का हक दो हाथों में मुक्कसिम न हो। इससे फ्यूडलिज्म, लैन्डलार्डिज्म, सामन्तशाही, जमींदारी फिर पैदा होती है। इसलिये अगर हम केवल लीज को मना कर देते कि पट्टे पर न दी जा सके और रेहनदखली की इजाजत दे देते तो रेहन दखली के नाम से पट्टे दिये जाते। जितने वकील साहबान यहां बैठे हुए हैं उन सब को मालूम होगा कि जर पेशगी पट्टा और रेहन बेदखली के मुताल्लिक हाई कोर्टों की मुख्तलिफ रूलिंग्ज हैं। उनको मुश्किल पड़ जाती है यह फैसला करने में कि यह जर पेशगी पट्टा है यह रेहन नामा बेदखली है। तो जर पेशगी पट्टा और रेहननामा बेदखली एक ही चीज है तो इस पट्टे की, जिसमें सालाना लगान दिया जाता है उसकी मनाही की है। जरपेशगी की मनाही की है। जिसका मतलब रेहन बेदखली है। वह त्रुटि नहीं है। जानबूझकर किया गया है और इसलिये किया गया है कि जरपेशगी पट्टा और रेहन बेदखली के नाम से किसानों का फिर शोषण न होने लगे।

जैसा कि मैंने एक दफा कहा था मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से रेहननामा बेदखली की इजाजत दी जाने की मांग की जाती है।

जहां तक इस संशोधन का वास्ता है इस संशोधन के सिलसिले में इससे पहले मैं बतला चुका हूं कि क्योंकि इसी दफा १० के सिलसिले में यह संशोधन है और यही बात एक पहले के संशोधन में कही गयी थी। वही अब दूसरे रूप में कही गयी है। ढाई सौ रुपये से ऊपर वाले मालगुजार की सीर का काश्तकार मौरूसी माना जायगा। यह अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) में लिखा हुआ है। उसके भाग (२) में यह लिखा हुआ है कि जो स्त्री, जड़, पागल, वगैरह वगैरह ऐसे ढाई सौ रुपये से ऊपर वाले जमींदार की सीर का काश्तकार मौरूसीदार नहीं माना जायगा। उसके लिये फिर दफा वार २० में अधिकार लिखा हुआ है कि ऐसे असमर्थ या अक्षम हर जमींदार की सीर का काश्तकार अधिवासी माना जायगा। लिहाजा अधिवासी माना जाय या मौरूसीदार और मौरूसीदार सब सीरदार कर दिये गये, तो सीरदार या अधिवासी हो, बेदखल तो कोई नहीं हो रहा है। किसी तरीके से आप यह जो कहते हैं कि जमींदारों ने अपनी स्त्रियों के नाम पट्टे कर दिये हैं। ठीक है, कर दिये।

तो पुराना अगर उस सीर का कोई काश्तकार था तो वह उप-काश्तकार हो गया, शिकमी काश्तकार हो गया, जमींदार का, उस स्त्री का। लिहाजा वह अधिवासी हो गया, सब-टेनेन्ट हो गया। तो भी बेदखल नहीं होगा। तो कहीं जमींदारों ने अपनी सीर के पट्टे अपनी स्त्रियों के नाम कर दिये कि जो असली काश्तकार हैं उसको हासिल न होगा, तब भी वह अपने उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाये, वह जमींदार। तो जो माननीय गेंदा सिंह जी ने सवाल किया था उसका जवाब यह है कि अगर वह मालिक ही स्त्री या नाबालिग है यह नहीं है कि स्त्री के नाम पट्टा कर दिया। अगर कर देता है तो धारा १० की उपधारा (१) में आता है, स्त्री हेरेडिटेरी टेनेन्ट होगी और उसका भी कोई सब-टेनेन्ट है वह दफा २० के मुताबिक अधिवासी होगा। रहा यह कि धारा २३७ का अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो अगर संशोधन कर रहे हैं तो वहां संशोधन ले आइए। उसके संशोधन पर वहां जवाब दूंगा, लेकिन धारा १० में जो चाहते हैं वह बिल्कुल गैर जरूरी है। मैं यही कह सकता हूं। मैं ठेका नहीं ले रहा हूं। मैं समझाने में कासिर रहा हूं या मेरे माननीय दोस्तों ने कसद कर लिया है कि हम समझ कर नहीं रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

**अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १० के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिये जायं --

(१) किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोई भी अक्षम अथवा सक्षम व्यक्ति इस अधिनियम अथवा दूसरे अधिनियम में इसके विरुद्ध बात होते हुए भी अपने असामी अथवा अधिवासी को बेदखल न कर सकेगा यदि वह स्वयं अथवा उसके साथ सम्मिलित परिवार में रहने वाला कोई सदस्य ८ एकड़ भूमि अपने कब्जे में रखते हैं।

(२) परन्तु प्रतिबन्ध यह भी होगा कि व्यक्ति अक्षम नहीं समझा जायगा, जिसने भूमि ८ अगस्त, १९४६ के बाद सक्षम व्यक्तियों से प्राप्त की हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नया खंड ५-क

**श्री श्रीचन्द** (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् सभापति जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखना चाहता हूं कि--

निम्नलिखित नया खंड ५-क बढ़ाया जाय--

मूल अधिनियम की धारा १४ का वर्तमान स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण १ के रूप में पुनः परिगणित किया जायगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण २ के रूप में बढ़ाया जायगा :--

"स्पष्टीकरण २--यदि किसी भूमि का भोगबन्धक किया गया हो और बन्धक कर्त्ता उस भूमि का उसही अथवा भिन्न व्यक्ति के हक में पश्चाद्वर्ती ( subsequent ) बन्धक करे तो 'बन्धक' के दिनांक का तात्पर्य उस बन्धक के दिनांक से होगा जिसके अनुसार बन्धककर्त्ता ने बन्धकी को सर्व प्रथम कब्जा दिया था।"

**श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य**--माननीय सभापति जी, जो संशोधन श्री श्रीचन्द जी ने उपस्थित किया है वह स्वीकार है केवल तीसरी सतर में जहां शब्द 'अथवा' है, जैसे कि उन्होंने निकाल कर पढ़ा है, उसको शुद्ध कर लें।

में मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों उनका जिक्र किया गया है। यानी ऐसे लोग जिनका नाम मौरूसी काश्तकारी में न दर्ज हो और ऐसे मौरूसी अधिकार उत्पन्न न होते हों, तब भी १५ के अन्दर उनको नगलेक्ट कर दिया गया है। अगर इस धारा के अन्दर छोड़ दिया जाता है जैसा मौजूदा संशोधन है, तो एक क्लास के लोग जिनको उसने अपनी भूमि बेची हो खास तौर से वह लोग इस राइट से अलग कर दिये जायेंगे। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री ऐसे लोगों को जो यह अधिकार देने जा रहे हैं वह अवश्य देंगे और इस संशोधन को मान लेंगे।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--माननीय सभापति महोदय, श्री कमलासिंह जी चाहते हैं कि धारा १६ या १० के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों, तो मौरूसी काश्तकार जो इसमें धारा १९ (४) में लिखा गया है उससे मौरूसी काश्तकार सीरदार हो जायेंगे। आपके कहने का मतलब यह है कि १० और १६ में मौरूसी काश्तकार बन जायेंगे वह इसमें जोड़ दिये जांय। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि धारा १० की उपधारा (४) में लिखा है कि मौरूसी काश्तकार, जितने हैं वह सीरदार हो जायेंगे। इसलिये यह संशोधन रिडंडेंट है और मैं नहीं समझता कि इसकी आवश्यकता है और इसलिये इसकी मुखालिफत करता हूं।

**श्री कमला सिंह**--यह जरूरत इसलिये पड़ी कि जो १८ की उपधारा (घ) उसमें दी हुई है उसमें है "खाते को बेचने का अधिकार रखने वाले किसी मौरूसी काश्तकार"। यह शब्द लिखे हुये हैं। तो मौरूसी काश्तकार जिनका इन्दराज हो चुका है उनके मुताल्लिक तो मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन १५ के अन्दर, जिनके अधिकार मौरूसी काश्तकार में उत्पन्न होते हों, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। और पंदरह के अन्दर, जब कि एक इस अमेंडमेंट के अन्दर ला रहे हैं तो उनके लिए जरूरी होता है कि उनको इसके अन्दर रख दिया जाय क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मौरूसी काश्तकार शब्द उन लोगों के लिए है जो आलरेडी डिक्लेयर किये जा चुके हैं। लेकिन कैसे काश्तकार जिनके अधिकार उत्पन्न होते हैं, तो उन उत्पन्न होने वालों के लिए यह संशोधन है, और मैं समझता हूं कि यह ठीक है।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--सभापति महोदय, स्पष्ट कह दिया कि यह सब काश्तकार मौरूसी होंगे, १० और १६ के अन्दर मौरूसी किये जायेंगे। तो कोई भ्रम नहीं रह जाता है। जितने मौरूसी काश्तकार हैं, आज सब उसके अन्दर हैं। चाहे पहले से मौरूसी हों या होने वाले हों, सब होंगे। इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

**अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि खण्ड १० के उपखण्ड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

> "(४) धारा १५ व १७ में अभिदिष्ट ऐसी सब भूमि, जो उक्त दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास दवामी या इस्तमरारी पट्टे पर हो या जिसमें धारा १० या १६ के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

११--मूल अधिनियम की धारा २० में :--

(१) खंड (क) में शब्द "सीर का ऐसा काश्तकार" के पहले शब्द "उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था खंड (ग) में की गयी है", रख दिये जायं ;

(२) खंड (ख) में शब्द "बाग़ भूमि से भिन्न" के पहले शब्द "उस स्थिति को छोड़, जिसकी व्यवस्था खंड (ग) में की गयी है" रख दिये जांय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २० का संशोधन।

(ख)ऐसे मध्यवर्ती जो निहित होने के दिनांक पर धारा १० की उपधारा (२) के खन्ड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट वर्ग में से किसी वर्ग का व्यक्ति हो,

की सीर या ऐसी खुदकाश्त जिसने यूनाइटेड प्रांविसेज टेनेंसी ऐक्ट १९३९ (क) के निर्देशों के अधीन सीर का रूप धारण कर लिया हो अभिलिखित हो ।"

श्री कमला सिंह--माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(क) ऐसे मध्यवर्ती ( intermediary ) मातहतदार ( under-proprietor) अदना मालिक (sub-proprietor) दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder) जिसके कब्जे में अपने खाते की ३० एकड़ से कम भूमि खेती करने के रूप में हो, अथवा

इस विधेयक के अन्दर अब तक जो भूमि वितरण की व्यवस्था थी, वह वैल्यू इन मनी रखी जाती थी यानी जमींदारान जितने थ उनकी सीर का बटवारा इस विधेयक के जरिये किया गया है । सीर में जितने अधिकार लोगों को दिये जाते थे सीर या खुदकाश्त के अन्दर वह उन्हीं लोगों को दिय जाते थे, जो सीर लेट थे यानी जिस पर कोई शिकमी या अधिवासी काबिज थ । अब हमें इस विधयक के जरिये यह देखना है कि आया जो मनी की वैल्यू में यह जो लगान या मालगजारी के तौर पर जो अब तक माना जाता था कि ढाई सौ रुपये मालगुजारी के लोग या इससे ऊपर के लोग हैं, उनकी सीर में या खुदकाश्त में हम लोगों को हक देते थे, और अगर ३० एकड़ मानकर हम उनको भूमि वितरण करें तो इस तरीके पर ज्यादा से ज्यादा भूमि वितरण होगा । यही दो चीजें देखनी हैं। पिछले दिन माननीय मौर्य जी न यह बतलाया था कि भूमि वितरण ढाई सौ एकड़ को अगर हम मानें तो उस तरीके पर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ढाई सौ एकड़ के जितने जमीदारान हैं उनकी भी जमीन अगर सीर या खुदकाश्त है ढाई सौ रुपये के ऊपर की वह भी काश्तकारों के हक में चली जायगी, लेकिन जो जमीदारी उन्मूलन की रिपोर्ट है उसके आधार पर एक नकशा मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जिससे यह मालूम हो जायगा कि यह पैमाना जो अब तक इस विधेयक के अन्दर लिखा गया था उससे बहुत कम सीर या खुदकाश्त हम शिकमियों को या आसामियों को दे सकते हैं। जो ढाई सौ रुपया से कम के जमींदारान हैं, उनकी लेट सीर ७,८४,८५४ एकड़ है । जो ढाई सौ रुपया से ऊपर के जमींदारान हैं उनकी लेट सीर १०,८६,०८१ एकड़ है। इस तरीके से ढाई सौ से ऊपर के जो जमींदारान हैं, उनकी सीर में से वह ढाई सौ से नीचे के जो जमींदारान हैं, उनकी लेट की गयी सीर घटा दी जाय तो ३,०१,२२७ एकड़ जमीन बचती है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं श्रीमान् का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि धारा १० में यह बात स्वीकार की गयी है कि ढाई सौ से ऊपर के जो जमींदार हैं उनकी सीर के काश्तकार मौरूसी हो जायगें। धारा १६ जो इस वक्त विचारधीन है उसमें यह बात है कि ढाई सौ से नीचे के जो जमींदार हैं, उनके काश्तकारों का सवाल उठता है यानी ढाई सौ से नीचे के जो जमींदार हैं उनकी सीर के काश्तकार मौरूसी न होंगे । यह बात इसमें कही गयी है । तो जब हमने इस बात को स्वीकार किया है कि ढाई सौ से ऊपर वालों के काश्तकार मौरूसी होंगे वही बात यहां कही गयी है कि ढाई सौ से नीचे वालों के काश्तकार मौरूसी नहीं होंगे । इस प्रकार यह तीस एकड़ का जो संशोधन आया है वह उससे कैसे मेल खाता है । यह बात यहां असंगत सी है और आउट आफ आर्डर है।

श्री कमला सिंह--यह धारा १६ जो है यह अक्यूपेंट्स के मुताल्लिक है। "ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम किसी भूमि के अध्यासीन के रूप में किसी ऐसे अभिलेख

[श्री कमला सिंह]

में"। इसके स्पष्टीकरण में यह चीज आती है—"निम्नलिखित वर्गों की भूमि इस धारा के प्रयोजनों के लिय पद 'भूमि' के अन्तर्गत न समझी जायगी।" यहां आप दस की जगह तीस एकड़ या कोई नयी चीज रखना चाहें तो रख सकते हैं। धारा १० (१) में एक महदूद चीज दी हुई है। यहां एक सिद्धांत लिखा है और उस सिद्धांत को बदल कर दूसरा सिद्धांत रखने का अधिकार है। इसलिये जो आप लीगल आब्जेक्शन बतला रहे हैं वह स्टैंड नहीं कर सकते।

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि श्री कमला सिंह पेश कर सकते हैं।

श्री कमला सिंह—सभापति महोदय, अभी मैंने जो जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट थी उसके जरिये बतलाया कि जो जमींदारान की लेट खुदकाश्त और सीर थी उसमें से तीन लाख एकड़ जमीन का बटवारा हम इस तरीके पर करते हैं जिस तरीके पर अभी तक यह भूमि के वितरण का कायदा इस विधेयक के जरिये से रखा गया था, यानी ढाई सौ रुपये के ऊपर के जो जमींदार थे उनकी जो लेट जमीनें थी उन्हीं पर हम काश्तकारों को मौरूसी या सीरदार बनने का अधिकार दे रहे थे। लेकिन जैसा कि मैं प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है, अगर उसकी तरफ आप देखें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन का वितरण हम लोगों में कर सकते हैं। इसके पहले कि और मैं कोई बात कहूं मैं यह बतला देना चाहता हूं कि १३५३ फसली में या १९४५—४६ के आधार पर जमींदारी एबालिशन कमेटी ने इसे तैयार किया था। उसमें २५ एकड़ से कम के जो जमींदारान थे उनकी सीर लेट और अनलेट जो थी वह ५४,५७,८२६ एकड़ थी और २५ एकड़ से ऊपर के जितने जमींदार थे उनकी सीर जो थी वह १६,६९,४७४ एकड़ थी। इस तरीके पर अगर आप यह देखें कि जितने जमींदार हैं उनको ३० एकड़ भूमि दे दी जाय उसके बाद कितनी जमीन वितरण के लिय बच जाती है, इसके लिये २५ से ५० एकड़ तक के जो जमींदार हैं उनकी संख्या २३,४८२ है और उनकी जमीन का टोटल एरिया ६०,३४,३६२ एकड़ है। अगर ३० एकड़ फी आदमी के हिसाब से जमीन दे दी जाय तो ७,०४,४०७ एकड़ उनको दी जाती है और ५९, ९०२ एकड़ भूमि बच जाती है और ५० एकड़ से १०० एकड़ तक के जो जमींदार हैं उनकी संख्या ६,७४६ है और उनकी जमीन का कुल टोटल ४,५०,५२१ एकड़ है। अगर ३० एकड़ फी आदमी के हिसाब से दी जाती है तो २,०२,३८० एकड़ होती है और जो बचत होगी वह २,४८,१४१ एकड़ की होगी। इसी तरह १०० से ढाई सौ .....

अधिष्ठाता—मैं श्री कमला सिंह को बता देना चाहता हूं कि वह इस प्रकार से कोई कागज नहीं पढ़ सकते। अगर कोई नोट हो तो वह कभी कभी देख सकते हैं। इस तरह से किसी कागज को लेकर बराबर यहां पढ़ते चले जायं, यह उचित नहीं मालूम होता है।

श्री कमला सिंह—यह तो नोट ही है, श्रीमन्। अगर आप चाहें तो मैं आपके पास भेज सकता हूं आप देख लें।

अधिष्ठाता—अच्छा तो कहिये।

श्री कमला सिंह—इसी तरह से १०० एकड़ से ढाई सौ एकड़ तक जमीन वाले जो लोग हैं उनकी संख्या १,९२१ है और उनकी जमीन का कुल टोटल एरिया २,८०,०८४ एकड़ है। और ३० एकड़ अगर एक आदमी को दी जाय तो ५७,६३० एकड़ होगी और २,२२,४५४ एकड़ जमीन बच जायगी। इसी तरह से ढाई सौ एकड़ से ऊपर के जो जमींदार हैं, उनकी संख्या ४०६ है और उनकी भूमि का कुल टोटल एरिया १,७४,५०७ एकड़ है और ३० एकड़ एक आदमी को अगर दी जाय तो १२,१८० एकड़ दी जाती है और १,६२,३२७ एकड़ भूमि रह जाती है। इस

तरह पर टोटल एरिया जमीन का जो है वह १६,६६,४७४ एकड़ है और उसमें से ९,७६,६५० एकड़, अगर आप लोगों को ३० एकड़ के हिसाब से दे देते हैं, तो जो बाद में बच जाती है उसका एरिया ६,४२,८२४ एकड़ होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भूमि वितरण की व्यवस्था ढाई सौ से ऊपर की मानी है उसको लेते हुये हम तीन लाख का वितरण कर देते हैं, लेकिन अगर ३० एकड़ का आप ले लें तो इस तरीके से ६० लाख एकड़ भूमि वितरण कर सकते हैं। इस तरीके पर आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हम ऐसे लोगों से जिनके पास पड़ी है उनसे निकाल कर हम दूसरों को दे सकते हैं और इस तरह से हमारी भूमि वितरण की समस्या भी हल हो जाती है और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनकी समस्या भी काफी हल हो जाती है। मैं समझता हूं कि अगर इसको माननीय मंत्री जी मानलें तो शायद देश का ज्यादा भला हो सकेगा।

श्री चरण सिंह--माननीय चेयरमैन साहब, धारा १६ में यह कहा गया है कि फलां जमीन का काबिज हेरिडेटरी टेनेंट माना जायगा। कौन सी जमीन का? ऐसी जमीन का जो ढाई सौ रुपये के मालगुजार की जमीन न हो यानी ढाई सौ रुपये से बड़े मालगुजार की जमीन का आकूपेंट हेरीडेटरी टेनेंट माना जायगा। अब आपका संशोधन यह है कि ढाई सौ रुपये के मालगुजार पर कोई चीज मुनहसिर नहीं है, बल्कि जिस आदमी के पास ३० एकड़ से कम है जमीन उसके अलावा जितने और लोग हैं जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा है, उनके आकूपेंट हेरीडिटरी टेनेंट माने जायंगे। मौरूसी काश्तकार माना जायगा। ऐक्ट का मंशा यह है कि २५० रुपये से ऊपर के हेरीडेटरी टेनेन्ट्स हैं और बाकी के अधिवासी हैं। आपका मतलब है कि रकबा देखा जाय, मालगुजारी न देखी जाय। यही बात सुबह से कही गई है कि क्राइटेरियन इसका मालगुजारी का न हो बल्कि रकबे का हो। कहीं १० एकड़ का जिक्र है तो कहीं ३० एकड़ का जिक्र है। यही बात दुहराई जा रही है और मैं जवाब भी वही दे रहा हूं इससे सदन का समय नष्ट करना है। दूसरे मैं यह कहता हूं कि जब आपने संशोधन रख दिया है तो भूमि वितरण की बात आजाती है। मैं यह कहता हूं कि भूमि का वितरण कहां होता है। जमीन जिनके कब्जे में है उन्हीं के पास तो रहेगी। फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि इतनी इतनी जमीन बांट दें तो इतनी इतनी जमीन मिल जायगी। वह तो जो काश्तकार हैं उन्हीं के कब्जे में रहेगी। अगर आपके सारे संशोधन स्वीकार कर लिये जायं तब भी नहीं होगा। ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि जो २५० रुपये से ऊपर के जमींदार के सीर में काश्तकार हैं वह मौरूसी हो जायंगे और जो २५० रु० से नीचे के सीर में काश्तकार हैं वह अधिवासी होंगे। बेदखली ऐक्ट में कोई नहीं होती है। लेकिन आपका मंशा है, हक है आपको जितना समय लेना चाहें लें, चाहे जितनी लम्बी तकरीर दें, मजबूरी है।

श्री कमला सिंह--माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो १० एकड़ और ३० एकड़ की बात कही थी तो मैं कोई अपनी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की धारा १५४ में दिया हुआ है कि एक कुटुम्ब के लिये ३० एकड़ जमीन ज्यादा से ज्यादा दी जानी चाहिये। इसी सिद्धान्त पर यह मेरा संशोधन है।

श्री चरण सिंह--इसमें भूमि वितरण कहां होती है?

श्री कमला सिंह--भूमि वितरण के लिये यह चीज है कि आप जो राइट्स दे रहे हैं कि किसी को भूमिधर बना रहे हैं किसी को सीरदार बना रहे हैं, उसी के मुताल्लिक यह है कि जितने लोग काबिज हैं उनको राइट्स दे दिये हैं तो बेदखली की समस्या नहीं होती है। २३७ में आपने दिया है कि हम किसी आदमी को बेदखल कर सकते हैं और वह कब, जब कि विज्ञप्ति प्रकाशित कर देंगे तब। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि आप

[श्री चरण सिंह]
इस संशोधन को मान लेते हैं तो फिर इस समस्या का सवाल नहीं रहेगा और आपको विज्ञप्ति करने की दिक्कत नहीं रह जायगी और हर एक के पास ३० एकड़ जमीन रह जायगी और किसी को परेशानी भी नहीं होगी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय सभापति महोदय, यह कई बार धारा १६ के संबंध में और धारा १० के संबंध में पहले इस सदन के सम्मुख माननीय राजस्व मंत्री द्वारा बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है और मुझे आशा है कि इसको इस सदन के प्रत्येक सदस्य समझ गये होंगे और समझ लेना चाहिये । यह तो सीधी सी बात है कि २५० रुपये से ऊपर के जमींदार की सीर का काश्तकार या उसकी सीर का आकूपेंट मौरूसी काश्तकार हो जायगा और २५० रुपये से नीचे के जमींदार की सीर का काश्तकार या आकूपेंट अधिवासी हो जायगा । संशोधन के जरिये यह बात कही जाती है और पहले भी कही गई और आज भी श्री कमला सिंह कह रहे हैं कि ३० एकड़ से ऊपर को दी जाय । मौरूसी या नीचे के अधिवासी को बेदखल करने का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। भूमि के बंटवारे की बात नहीं आती है । उनका संशोधन अगर मान लिया जाय तो उसका नतीजा यह होगा कि २५० रुपये के ऊपर के जमींदार की अगर १०० एकड़ सीर है और १०० एकड़ के जो काश्तकार हैं वे अपनी जमीन में मौरूसी का हक पायेंगे । संशोधन मान लिया जाय तो ३० एकड़ में मौरूसी नहीं होंगे ७० एकड़ में मौरूसी होंगे । जब कि ढाई सौ रुपये से ऊपर वाले जमींदार के सीरदार को हम पूरा का पूरा मौरूसी बना रहे हैं लेकिन आप कहते हैं कि ३० एकड़ में मत बनाओ । आपका जो संशोधन है वह हमको जो मौजूदा विधेयक है उससे पीछे रह जाता है और मुझे आशा है कि यह चीज स्पष्ट हो गई होगी कि ढाई सौ से ऊपर वाले को हम मौरूसी बना रहे हैं और नीचे वाले को अधिवासी बना रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि चाहे ढाई सौ से ऊपर वाला भी हो, लेकिन उसकी भी ३० एकड़ में काश्तकार मौरूसी न बन पाये। अगर वह इस पर गौर करेंगे तो उनका जो भ्रम है वह दूर हो जायगा । इसमें न कोई बात बटवारे की आती है और न किसानों के नुकसान की। मैं आशा करता हूं कि संशोधन वापस ले लिया जायगा ।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) के भाग (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय –

'(क) ऐसे मध्यवर्ती (intermediary), मातहतदार (under-proprietor), अदना मालिक (sub-proprietor), दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder) जिसके कब्जे में अपन खाते की ३० एकड़ से कम भूमि खेती करने के रूप में हो, अथवा"

( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ )

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंश बने ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## खंड ८

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १७ का संशोधन ।

८--मूल अधिनियम की धारा १७ में शब्द "सीर न समझी जायगी " के बाद का सारा अंश निकाल दिया जाय।

श्री कमला सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १७ में शब्द "काश्तकार के पास थी" के बाद शब्द "या जिससे धारा १० या १६ के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों" रख दिये जायं ।

इस संशोधन के बाद वह धारा इस तरह से पढ़ी जायगी--

"ऐसी भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी मध्यवर्ती की सीर थी, किन्तु उक्त दिनांक पर पट्टा दवामी या इस्तमरारी पर किसी काश्तकार के पास थी, या जिससे धारा १० या १६ के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों, धारा १८ के प्रयोजनों के लिये ऐसे मध्यवर्ती की सीर न समझी जायगी, पर वह धारा १० और १५ के प्रयोजनों के लिये उसकी सीर समझी जायगी ।"

इसके रखने का मतलब यह है कि जो मूल अधिनियम की संशोधित धारा ६ है उसमें यह है "मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द 'मध्यवर्ती' के पास और शब्द 'कोई भूमि' के बीच में शब्द "उस भूमि को छोड़ कर जिसमें धारा १० या १६ के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों तथा जो पट्टा दवामी अथवा इस्तमरारी पर ली गई हों।"

तो जिस तरह से इसमें रक्खा गया है उसमें मालूम होगा कि तीन क्लाजेज हैं। एक पट्टा दवामी, दूसरा पट्टा इस्तमरारी और तीसरा वे लोग जिनके अधिकार धारा १० और १६ के अन्तर्गत आते हों। । इस चीज को लेकर मैं यह समझता हूं कि यदि धारा १० और १६ इसमें जोड़ दी जाती हैं तो जसा १५ में है उसी के मुताबिक यह भी ठीक हो जायगी ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अधिष्ठाता महोदय, यदि कमला सिंह जी इस धारा को जरा गौर से पढ़ लेते तो शायद इस संशोधन के पेश करने की नौबत न आती । धारा १८ को अगर वह देखलें तो उसमें लिखा हुआ है--

धारा १०, १५, १६ और १७ के निर्देशों को बाधित न करते हुए ऐसी सब भूमि जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर....

तो इसलिये यहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह संशोधन जो पेश किया गया है यह बिलकुल रिडेंडेंट है और अगर वे इसको वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री कमला सिंह--मने राजस्व मंत्री जी के ध्यान को आकर्षित करने के लिये इस संशोधन को पेश किया था, अगर वे इसको उचित नहीं समझते हैं तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कमला सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १७ में शब्द "सीर न समझी जायगी" के बाद का सारा अंश निकाल दिया जाय ।

इस धारा में अब यह इस प्रकार से पढ़ी जायगी कि "पर वह धारा १० और १५ के प्रयोजनों के लिये उसकी सीर समझी जायगी" इसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस रोज सीर या खुदकाश्त वालों पर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट का असर होगा उसी वक्त से २५० के नीचे जितने लोग हैं उनकी सीर और खुदकाश्त उसी दिन से काउन्ट होनी चाहिये। अगर १० और १२ में मौरूसी काश्तकार हो गये हैं तो उनको निकाल दिया जायगा । थोड़े दिनों में जो मौरूसी काश्तकार हो जायँगे उस हिस्से को निकाल दिया जायगा तो कोई ऐसा निश्चित मौरूसी नहीं होगा जिससे कोई स्टैंडर्ड रह सके । २५० से नीचे वालों के पास सीर और खुदकाश्त बहुत है । तो इस परेशानी को दूर करने के लिये जैसा पहले रखा गया था वह सोच समझ कर रखा गया था और वही इसमें रहना चाहिये। इसी चीज के लिये यह संशोधन पेश किया गया है। मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---धारा १० के अन्दर मौरूसी काश्तकार बनाये गये हैं ऐसे काश्तकारों को और धारा १५ में ठेकेदारों का सम्बन्ध है। जो बात कही गयी है वह इसमें बनाये जायेंगे। उन ठेकेदारों के जो काश्तकार पैदा होंगे सीर उनको वापस हो जायगी। इसलिये इस बात की आवश्यकता नहीं है कि धारा १० और १२ के प्रयोजन के लिये वह सीर समझी जायगी। मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है और इसको अस्वीकार किया जाय।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ८ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १७ में शब्द "सीर न समझी जायगी" के बाद का सारा अंश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १८ का संशोधन।

९---मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) में:-

(१) खंड (घ) के बाद शब्द "अथवा" रखकर निम्नलिखित नये खंड (ङ) के रूप में जोड़ दिया जाय---

"(ङ) बागदार के पास हो," और

(२) शब्द "पट्टेदार या काश्तकार" के स्थान पर शब्द "पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार या बागदार" रख दिये जायं।"

श्री गेंदा सिंह---मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा (१८) की उपधारा (१) के खंड (घ) में शब्द "खाते के बेचने का अधिकार रखने वाले किसी" निकाल दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, इस हमारे संशोधन का उद्देश्य यह है कि मूल अधिनियम की धारा १८ में जहां पर यह लिखा गया है कि किन किन लोगों को भूमिधरी का अधिकार मिलेगा वहां पर इस तरह की पाबन्दी है कि खाते के बेचने का अधिकार रखने वाले किसी दखीलकार, काश्तकार या मौरूसी काश्तकार या धारा १७ में अभिदिष्ट काश्तकार पट्टा दवामी या इस्तमरारी के पास, ऐसा काश्तकार होनेके नाते हो। तो मैं इस संशोधन के द्वारा यह जो हिस्सा है कि "खाते के बेचने का अधिकार रखने वाले किसी" इसको निकालना चाहता हूं। यदि इसे निकाल दिया जाय तो जिस प्रकार धारा १८ के ऊपर वाले हिस्से में क, ख, ग में भूमिधर बनने का अधिकार मिल गया है उसी प्रकार (ग) के नीचे वाले जो और लोग दिये हुये हैं उनको भी अधिकार मिल जायगा। इसमें वह लोग आते हैं जो भूमिधर बनेंगे या जिनको अधिकार अब दिया है यानी (क) किसी मध्यवर्ती के पास या कब्जे में सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में हो, या समझी जाती हो, (ख) जो अवध में स्थायी पट्टेदार के पास बाग के रूप में या निजी जोत में हों (ग) जो शरहमुअय्यन काश्तकार के पास शरहमुअय्यन काश्तकार होने के नाते और माफीदार के पास माफीदार होने के नाते हो, अथवा (घ) खाते को बेचने का अधिकार रखन वाले किसी दखीलकार काश्तकार या मौरूसी काश्तकार या धारा १७ म अभिदिष्ट काश्तकार पट्टादवामी या इस्तमरारी के पास ऐसा काश्तकार होने के नाते हो, तो मैं यह सोचता हूं कि इस प्रदेश के लाखों किसानों को राहत

हो जायगी । सरकार के लिये भी यह एक झंझट की बात है । सरकार दसगुने की वसूली के झगड़े से बच जायगी क्योंकि ज्यादातर जो किसान हैं वह इसी श्रेणी में आते हैं दखीलकार, काश्तकार, और मौरूसी काश्तकार। और अगर हमने इस संशोधन को मान लिया तो यह भूमिधर हो जाते हैं। मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं अपनी सरकार का कि पिछले वर्षों में उसने दसगुने की वसूली करने के लिये बड़ा प्रयत्न किया । मैं उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर देने में मंत्री जी को बहुत समय लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में जब दसगुने की वसूली जारी थी, उस वक्त हमारे अधिकारियों के पास सिवाय दसगुने की वसूली के और कोई काम नहीं रह गया था। उसकी बड़ी कहानी है इसलिये मैं चाहता हू कि उस की चर्चा में यहां न करूं। अब फिर अगर इस बात की गुंजायश रखी जाती है तो दसगुने की वसूली का सवाल फिर आयेगा और फिर किसानों को उसी तरह से कठिनाई पड़ेगी और अधिकारियों को भी कठिनाई पड़ेगी, क्योंकि जो अधिकारी वसूल नहीं कर सकेगा वह सरकार की निगाह में अच्छा नहीं जंचेगा और ऐसी हालत में अधिक से अधिक रकम की वसूली की चेष्टा की जायगी और अधिकारियों के हिसाब से जो चेष्टा की जाती है, उसको हम कभी कभी कुचेष्टा भी कहते हैं क्योंकि अधिकारियों के हाथ मजबूत होते हैं, पब्लिक सर्वेन्ट होने के नाते वह सब कुछ कर सकते हैं और जब कभी वह किसी से कुछ मांगने जाते हैं तो चाहे वह खुशी से ही मांगे, लेकिन उनके मांगने का एक अलग ही तरीका होता है और दूसरे लोगों को भी दूसरे तरीके से उनके मांगने को समझना पड़ता है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करके इस अध्याय को समाप्त किया जाय।

अब मैं एक बात और कहूंगा कि बहुत ज्यादा रुपये की भी बात नहीं है, इसलिये कि ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन जो हमारे यहां खती होती है, उसमें से ७७ लाख एकड़ जमीन जो मध्यवर्तियों के पास सीर और खुदकाश्त की शक्ल में थी, उनको तो सरकार ने बगैर कुछ लिये ही भूमिधर बना दिया है। बाकी इसके अवाला कुछ जमीन मध्यवर्तियों के बाग की भी थी और उसके भी वे भूमिधर बगैर कुछ दिये ही बन गये । मेरे पास इस समय वे आंकड़े नहीं हैं और मैं माननीय राजस्वमंत्री जी की सहायता चाहूंगा कि वे बतावें कि मध्यवर्तियों के पास कितनी जमीन बाग की थी, जिसके कि वे अब भूमिधर बन गये हैं? इस संशोधन विधेयक द्वारा सरकार ने फिर यह प्रस्ताव किया है कि जो बागदार प्रदेश भर के थे बगैर कुछ दिये भूमिधर बन जावें। तो इस तरह एक बड़ी भारी तादाद भूमिधर की हो गई और इसके अलावा पिछले कुछ दिनों पहले माननीय राजस्व मंत्रीजी ने इस सदन में यह बताया था कि ३४ करोड़ रुपये के लगभग भूमिधरी के सरकार ने प्रदेश भर से इकट्ठे किये थे । ३४ करोड़ रुपया जमा करने के बाद एक बड़ी भारी तादाद सीरदारों में से भूमिधर बन जाना मानी जायगी । वे भी बन गये। तो अब इतना हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी तादाद है जो किसी हालत में भूमिधर बनने के नाम पर १० गुना देने में अपने को असमर्थ पावेगी । एक जमाना था जब कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यह कहते थे कि किसानों की छप्पर में रुपये रखने की आदत है और यदि वे रुपये छप्पर में रखेंगे तो नुक्सान हो जायगा । वह जमाना यदि था तो बीत चुका है । देश की लड़ाई के बाद दूसरी अवधि शुरू हो गई है और हो सकता है कि लड़ाई के जमाने में कुछ किसानों के पास कुछ पैसा आगया हो और उस समय मुख्य मंत्री जी ने कहीं देखा हो कि छप्पर में लोग रुपये रखते हो, लेकिन आज तो छप्पर में क्या बक्सों में भी रुपया खत्म हो चुका है । आज किसानों की हालत जितनी तेजी से बिगड़ रही है यदि उतनी तेजी से बिगड़ने दी गई तो बड़ा भारी खतरा कुछ दिनों में आनेवाला है । इसलिये १० गुना वसूल करने का कानून बनाते हुये अधिकारियों को यह अधिकार देना कि किसानों को परसुएड करो, यह मेरी समझ में नहीं आता । यह अंग्रजी का शब्द परसुएड जो है, इससे किसानों के नाक में दम

[श्री गेंदा सिंह]

आजाता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस परसुएशन से हमारा पिंड छुड़ाया जाय और अधिकारियों को यह अधिकार न दिया जाय कि हमें १० गुने के लिये परसुएड करें। बेहतर हो अगर वे हमें इसके लिये परसुएड करें कि हम कहीं कच्चा कुंवा खोदें और वे हमारी इसमें सहायता करें। अभी हमें एक पुस्तिका मिली है 'जनशक्ति का उपयोग'। इसमें है कि बड़ी भारी जन शक्ति है, हमारे प्रदेश में और वह इसके लिये हमें परसुएड करें ताकि देश भर की उन्नति हो । तो मेरा यह संशोधन बहुत ही सीधासादा है और इससे कानून की पेचीदगी दूर हो जायगी यदि ये कुछ शब्द इसमें से हटा दिये जावें । मैं आशावादी हूं और चाहे राजस्व मंत्री जी कितना ही सिर हिलावें, लेकिन मैं यह आशा लिये ही रहूंगा कि उन्हें आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों इस कानून को बदलना ही पड़ेगा। अभी तो , ३ महीने ही इस कानून को लागू हुए हुए हैं कि ३४६ दफाओं के कानून में ६३ संशोधन आगये जिनमें कुछ संशोधन काम के भी हैं और कुछ बिना काम के । अबकी मर्तबा इस संशोधन के जरिये से मैं इस क़ानून की कुछ पेचीदगी को दूर करना चाहता हूं और इस प्रकार से किसानों की कुछ मदद करना चाहता हूं । इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान अपनी ओर खींच कर बहुत ही विनम्र भाव से कहता हूं कि अब जो भी किसान बाकी रह गय हैं वें दस गुना नहीं दे सकते । वे मजबूर हैं, दस गुना देकर वे भूमिधर नहीं बन सकते । इसलिये मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अधिष्ठाता महोदय, इस दस गुने के प्रश्न पर बहुत ज्यादा विचार इस सदन में हो चुका है, आज कोई नई बात गेंदासिंह जी ने नहीं कही है । मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी मौरूसी, दखीलकार या दवामी पट्टेदार हैं, जिनको राइट आफ ट्रान्सफर पहले से हासिल था, केवल उन्हीं को भूमिधर बनाया गया है और जिनको ट्रान्सफर का राइट नहीं था उनको सीरदार बनाया गया है । सीरदार न बनाकर सबको भूमिधर बना दिया जाय यह पहले भी स्वीकार नहीं था और अब भी स्वीकार नहीं है । क्योंकि यह कोई नई बात नहीं है इसलिय मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जायगा।

श्री गेंदा सिंह--मैं माननीय मौर्य जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह नई बात थी । पुरानी बात तो यही थी कि आप दस गुना लेना चाहते थे, लेकिन अब हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि अब दस गुना न लीजिये । दूसरी बात मैंने यह सेवा में निवेदन की कि जो हालत आज से ५ साल पहले काश्तकार की थी वह आज नहीं है । माननीय मौर्य जी किसान परिवार से आते हैं, लेकिन अगर फिर भी माननीय मौर्य जी और राजस्व मंत्री जी हमारी इस बात को समझने के लिये तैयार नहीं है तो मैं इसके लिये उनके ऊपर जोर नहीं डाल सकता। वापिस मैं इसलिये नहीं लेना चाहता कि सिद्धान्ततः पैसा लेकर जो लगान कम किया जाता है या जो अधिकार दिये जाते हैं, यह ग़लत चीज है । सरकार बहुत से अच्छे अच्छे संशोधनों को नामंजूर कर देती है, यह भी उन अच्छे संशोधनों में से एक है वह इसको भी नामंजूर कर सकती है । मैं समझता हूं कि नयी बात है और नयी रोशनी में इस बात को सोचा जाय । आज किसान से रुपया वसूल नहीं हो सकता । अगर आप इस प्रकार का प्रतिबंध रखते हैं तो आगे आपके रास्ते में कठिनाइयां बढ़ेंगीं और किसानों के ऊपर भी कठिनाइयां बढ़ेंगीं और उसे बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा । अब यह आपके ऊपर है, आप जो चाहें फैसला करें ।

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मेरे जो मित्र कह रहे हैं कि वापिस ले लो, वापिस ले लो, भला यह कैसे हो सकता है ? यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फिर किसानों से क्या कहा जायगा? दोनों बार कहा यह गया कि किसानों के पास पैसा नहीं है । मैं यह मानता हूं कि इधर कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण तथा और प्राकृतिक कारणों से किसानों का हाथ ऐसा खुला हुआ नहीं है जैसा पहले था, लेकिन हम उनको मजबूर कहां करते

हैं कि तुम भूमिधर बनो ? यह मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें ऐसी कौनसी दफा है जिसमें यह कहा गया हो कि तुम भूमिधर बन जाओ वरना तीन महीने की कैद हो जायगी ? क्या कोई धारा इसमें है कि भूमिधर बन जाओ वरना बेदखल हो जाओगे ? इसलिये मजबूरी कोई नहीं है, मर्जी का सौदा है। भूमिधर का अधिकार सीरदार से कुछ अधिक है। अगर उनको इन अधिकारों की क़ीमत इतनी दिखलाई देती है तो अपने लगान का दस गुना अदा कर दें और न दिखलायी देती हो तो न बनें, उनकी मौज। सीरदार ही बने रहें, जमीन उनके हाथ से किसी सूरत से बेदखल नहीं होती है। जहां तक किसानों की हालत अब बहुत अच्छी न होने की बात है तो पूर्वी जिलों में ३० जून सन् ५० के बाद जेड० ए० एफ० ड्राइव ही नहीं शुरू हुआ। रुपया इकट्ठा करने और भूमिधर बनाने का जो आन्दोलन था वह २ अक्टूबर सन् ४९ से ३० जून ५० तक सिर्फ ९ महीने ही पूर्वी जिलों में रहा। सन् ५० में बारिश नहीं हुई इसलिये गवर्नमेंट ने वहां के लोगों से यह नहीं कहा कि भाई, भूमिधर बन जाओ। पश्चिमी जिलों की जहां अच्छी हालत रही वहां यह आन्दोलन ५० से ५१ के ३० जून तक बराबर चलता रहा। तो इसमें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की कोई बात नहीं है। हम किसी से नहीं कहना चाहते हैं कि तुम भूमिधर बनो। इसमें एक दफ़ा आगे चल कर है कि दस गुना देकर कोई भी भूमिधर बन जायगा, अपनी मर्जी की बात है।

एक बात और सोचने की है कि जितना मालूम यह संशोधन मासूम होता है उतना है नहीं। सब को भूमिधर बना लेने का मतलब यह है कि सब की मालगुजारी आधी कर दी जाय बिना कुछ लिये हुये। अगर आज सारे सूबे की कुल मालगुजारी १८ करोड़ है तो जनाब का संशोधन मान लिया जाय कि सब भूमिधर बना दिये जायं तो ९ करोड़ मालगुजारी हो गयी। ८ करोड़ के क़रीब तो पहले से मिलता था। तो डेढ़ अरब रुपया जो जमींदारों को मुआविजे का देना है वह किसके घर से आयेगा ? कुछ है ऐसी जादू की बात ? तो फिर अधिष्ठाता महोदय, मेरे मित्र कह सकते हैं कि मुआविजा न दिया जाय, लेकिन इतनी बात तो आप समझते हैं कि कंस्टीट्यूशन के अधीन हमें मुआविजा देना है तथा और भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जमींदारों को मुआविजा देना है। अगर आज हम जमींदारों को मुआविजा न देना तय कर दें तो कल किसी का मकान, किसी का बैल कोई छीन लेगा, लोग सड़क पर चलते हुए कोट उतार लेंगे। इसलिये कंस्टीट्यूशन में जहां किसी की जायदाद लेने की बात कही गयी है वहां पर मुआविजा देने की बात भी है। जब हमें एक सोसाइटी को मुआविजा देना है तो वह मुआविजा भी इन्हीं किसानों से लेना है, चाहे मौजूदा लगान की शकल में देते रहें या माल-गुजारी से जितना रुपया मिलता है उससे हम बांड्स की शकल में ४० साल तक जमींदारों को देते रहेंगे। अगर भूमिधर बन जाने पर हमें नक़द रुपया मिल गया तो हम जमींदारों को नक़द मुआविजा ही दे देंगे। लिहाजा इस तरह का संशोधन लाना कि सब भूमिधर बना दिये जायं और सबकी मालगुजारी आधी कर दी जाय, यह बात माननीय गेंदा सिंह जी खुद जानते हैं कि अगर उनकी जिम्मेदारी होती तो शायद वे भी इस प्रकार की बातें न करते।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (घ) में शब्द "खाते के बेचने का अधिकार रखने वाले किसी" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रकार का संशोधन रखना चाहता हूं--

खंड ९ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(१) खंड (घ) के उपखंड (३) के पश्चात् तीसरी पंक्ति के अन्त का शब्द "तो" हटा कर और उसके स्थान पर शब्द "अथवा" रख कर निम्नलिखित नया खंड (ङ) के रूप में जोड़ दिया जाय--

[श्री श्रीचन्द]

"(ङ) बागदार के पास हो, तो"

यह कुछ अनियमित सा था। यदि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लें तो यह स्पष्ट हो जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मुझे यह स्वीकार है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(१) खंड (घ) के उपखंड (३) के पश्चात् तीसरी पंक्ति के अन्त का शब्द "तो" हटाकर और उसके स्थान पर शब्द "अथवा" रख कर निम्नलिखित नया खंड (ङ) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(ङ) बागदार के पास हो, तो"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ को इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९-क

९-क—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (२) में शब्द और संख्या "धारा ३" के स्थान पर शब्द और संख्या "धारा ३ या धारा ३-क की उपधारा (२)" रख दये जांय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ९-क इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

र प्रदेश
नियम १,
१ की
१९ का
न।

१०—मूल अधिनियम की धारा १९ में :—

(१) शब्द "रही समझी जाय" और शब्द "यह समझा जाय" के बीच में शब्द "उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (घ) में की गई है" रख दिये जायं ;

(२) खंड (७) के अन्त में शब्द "और" रख दिया जाय ;

(३) खंड (८) निकाल दिया जाय, और

(४) वर्तमान खंड (९) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"धारा १७ में अभिदिष्ट ऐसी सब भूमि जो उक्त दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास दवामी या इस्तमरारी पट्टे पर हो"।

श्री कमला सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० के उपखंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(४) धारा १५ व १७ में अभिदिष्ट ऐसी सब भूमि जो उक्त दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास दवामी या इस्तमरारी पट्टे पर हो, या जिसमें धारा १० या १६ के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों।

यह जो विधेयक है जैसा कि उसके धारा १५ में दिया हुआ है, कि धारा १० और १६

में मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों उनका जिक्र किया गया है। यानी ऐसे लोग जिनका नाम मौरूसी काश्तकारी में न दर्ज हो और ऐसे मौरूसी अधिकार उत्पन्न न होते हों, तब भी १५ के अन्दर उनको नगलेक्ट कर दिया गया है। अगर इस धारा के अन्दर छोड़ दिया जाता है जैसा मौजूदा संशोधन है, तो एक क्लास के लोग जिनको उसने अपनी भूमि बेची हो खास तौर से वह लोग इस राइट से अलग कर दिये जायेंगे। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री ऐसे लोगों को जो यह अधिकार देने जा रहे हैं वह अवश्य देंगे और इस संशोधन को मान लेंगे।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--माननीय सभापति महोदय, श्री कमलासिंह जी चाहते हैं कि धारा १६ या १० के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों, तो मौरूसी काश्तकार जो इसमें धारा १९ (४) में लिखा गया है उससे मौरूसी काश्तकार सीरदार हो जायेंगे। आपके कहने का मतलब यह है कि १० और १६ में मौरूसी काश्तकार बन जायेंगे वह इसमें जोड़ दिये जांय। इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि धारा १० की उपधारा (४) में लिखा है कि मौरूसी काश्तकार, जितने हैं वह सीरदार हो जायेंगे। इसलिये यह संशोधन रिडंडेंट है और मैं नहीं समझता कि इसकी आवश्यकता है और इसलिये इसकी मुखालिफत करता हूं।

**श्री कमला सिंह**--यह जरूरत इसलिये पड़ी कि जो १८ की उपधारा (घ) उसमें दी हुई है उसमें है "खाते को बेचने का अधिकार रखने वाले किसी मौरूसी काश्तकार"। यह शब्द लिखे हुये हैं। तो मौरूसी काश्तकार जिनका इन्दराज हो चुका है उनके मुताल्लिक़ तो मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन १५ के अन्दर, जिनके अधिकार मौरूसी काश्तकार में उत्पन्न होते हों, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। और पंदरह के अन्दर, जब कि एक इस अमेंडमेंट के अन्दर ला रहे हैं तो उनके लिए जरूरी होता है कि उनको इसके अन्दर रख दिया जाय क्योंकि इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मौरूसी काश्तकार शब्द उन लोगों के लिए है जो आलरेडी डिक्लेयर किये जा चुके हैं। लेकिन कैसे काश्तकार जिनके अधिकार उत्पन्न होते हैं, तो उन उत्पन्न होने वालों के लिए यह संशोधन है, और मैं समझता हूं कि यह ठीक है।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--सभापति महोदय, स्पष्ट कह दिया कि यह सब काश्तकार मौरूसी होंगे, १० और १६ के अन्दर मौरूसी किये जायेंगे। तो कोई भ्रम नहीं रह जाता है। जितने मौरूसी काश्तकार हैं, आज सब उसके अन्दर हैं। चाहे पहले से मौरूसी हों या होने वाले हों, सब होंगे। इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

**अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि खण्ड १० के उपखण्ड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(४) धारा १५ व १७ में अभिदिष्ट ऐसी सब भूमि, जो उक्त दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास दवामी या इस्तमरारी पट्टे पर हो या जिसमें धारा १० या १६ के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

**अधिष्ठाता**--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंश बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

११--मूल अधिनियम की धारा २० में :--

(१) खंड (क) में शब्द "सीर का ऐसा काश्तकार" स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था खंड (ग) में की जायं ;

(२) खंड (ख) में शब्द "बाग़ भूमि से भिन्न" के पहले को छोड़, जिसकी व्यवस्था खंड (ग) में की गयी है" रख दिये जांय।

(३) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ग) ऐसा व्यक्ति जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की क्रमशः धारा २८ और ३२ के अधीन तैयार की गई १३५६ फसली की खतौनी या खसरे में (बाग़, भूमि या ऐसी भूमि को छोड़कर जिस पर धारा १६ लागू होती है) किसी भूमि का अध्यासीन अभिलिखित हो या जिसे निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यूनाइटेड प्रांविसेज टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (१) के खंड (सी) के अनुसार उस भूमि पर क़ब्ज़ा वापस पाने का अधिकार हो।" और

(४) खंड (ग) के बाद निम्नलिखित नया खंड (घ) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(घ) ऐसा व्यक्ति जो ऐसी भूमि का जिसे धारा १६ लागू होती हो, अध्यासी ( occupant ) के रूप में —

यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के खंड ( e ) के अधीन तैयार किये गये १३५६ फसली के अधिकार-अभिलेख में अभिलिखित हो, किन्तु जो १३५९ फसली में क़ाबिज न रहा हो,

(४-क) शब्द "भूमिधर" और " न बन गया हो" के बीच में शब्द "या धारा २१ के खंड (ज) के अधीन असामी" रख दिये जायं।

(५) स्पष्टीकरण में से "के उपखंड (१)" निकाल दिया जाय।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाब वाला, मैं आपकी इजाजत से नीचे लिखा हुआ संशोधन पेश करता हूं—

खंड ११ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"२०—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर,—

(क) इस अधिनियम के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित या समझा गया हो, अर्थात्—

(१) उस दशा को छोड़कर, जिसकी व्यवस्था उप-धारा (ख) के खंड (१) में की गयी है, सीर का काश्तकार जो धारा १९ के खंड (९) में उल्लिखित काश्तकार से भिन्न हो या जिस के पक्ष में धारा १० के निर्देशों के अनुसार मौरूसी अधिकार ( hereditary rights ) उत्पन्न होते हों, या

(२) उस दशा को छोड़कर जिसकी, व्यवस्था उप-धारा (ख) के खंड (१) में की गयी है, बाग़ भूमि से भिन्न किसी भूमि का ऐसा शिकमी काश्तकार (sub-tenant ), जो यूनाइटेड प्रांविंसेज टेनेंसी (अमेंडमेन्ट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के प्रतिबन्ध में, अथवा यूनाइटेड प्रांविसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ की उप-धारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न हो,

(ख) अध्यासी (occupant) के रूप में--

(१) किसी ऐसी भूमि के (जो बाग़ भूमि से या ऐसी भूमि से भिन्न हो जिस पर धारा १६ लागू होती है) सम्बन्ध में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की क्रमशः धारा २८ और ३२ के अधीन तैयार किये गये १३५६ फसली के खसरे या खतौनी में अभिलिखित रहा हो या जिस पर उसे निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (१) के खंड (सी) के अनुसार क़ब्ज़ा वापस पाने का अधिकार रहा हो, अथवा

(२) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जिस पर धारा १६ लागू होती है, यूनाइटेड प्राविंसेज़ लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के खंड (ई) के अधीन १३५६ फसली के लिए तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, किन्तु जो १३५९ फसली में उक्त भूमि पर क़ाबिज न रहा हो, जब तक कि वह धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन उस भूमि का भूमिधर या धारा २१ के खंड (ज) के अधीन असामी न बन गया हो, उस भूमि का अधिवासी कहलायेगा और इस अधिनियम के निर्देशों को बाधित न करते हुए उसे उस भूमि पर क़ब्ज़ा लेने या रखने का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण १--यदि खंड (ख) में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति ३० जून, १९४८ के बाद भूमि से निकाल दिया गया हो तो किसी आज्ञा या डिगरी में किसी बात के रहते हुए भी उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह उक्त भूमि पर क़ब्ज़ा वापस लेने का अधिकारी है।

स्पष्टीकरण २--यदि खंड (ख) में अभिदिष्ट खसरा या खतौनी का कोई इन्दराज निहित होने के दिनांक के पूर्व यूनाइटेड प्राविंसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के निर्देशों के अधीन या अनुसार संशोधित किया गया हो, तो इस प्रकार संशोधित इन्दराज उक्त खंड के प्रयोजनों के लिये मान्य होगा।"

जनाब वाला, आप मुलाहजा फरमाएंगे कि दफ़ा २० का जब मुक़ाबला इस संशोधन से किया जाता है तो यह देखते हैं कि इस अमेंडमेंट में कुछ तो वह बातें आई हैं जिनको कि कांसिक्वेंशियल कहा जा सकता है। मसलन् यह कि ग्रोव लैंड में कुछ हक़ूक़ दिये गये काश्तकारों के, और इसलिये उसका जिक्र इस दफ़ा में भी होना जरूरी हो गया। दूसरे जनाब यह देखेंगे कि इस अमेंडमेंट का मंशा काश्तकारों को और ज्यादा हक़ूक़ देने का है। कुछ काश्तकार ऐसे थे कि जो उस ऐक्ट की वजह से कुछ राइट्स उनको नहीं मिलते थे, तो इस अमेंडमेंट के जरिये उन काश्तकारों को और ज्यादा हक़ूक़ दिये गये हैं। जनाब देखेंगे कि इसमें जो क्लाज (ए) की (१) है उसमें तो तक़रीबन वही हैं जो कि पहले ऐक्ट में हैं और नम्बर २, जो इसका है उसमें भी वही है। मुझे जो उस दफा को अमेंड करने की जरूरत हुई वह इस वजह से कि चूंकि दूसरी दफात में जिक्र आया है, तो उसके मुताल्लिक़ तो मैं समझता हूं कि ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि कांसिक्वेंशियल है और इनकी कोई वैल्यू नहीं है।

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

अलबत्ता जो खास अमेंडमेंट हैं वह दफ़ा बी में हैं और जिनको नम्बर १ और नम्बर २ में तकसीम कर दिया गया है । पहला क़ानून कुछ साफ और वाजह नहीं था जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था । उससे यह अहतमाल हो सकता था कि बाज़ लोगों को तो वह हक़ूक़ न मिलें कि जो अब इस असेम्बली का मंशा है कि हर आक्यूपायर को हक़ मिलना चाहिये, इस वास्ते इस क़ानून को इस दफ़ा के साथ ज्यादा वाजह तौर पर बनाने को सोचा गया और इसको दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया । पहले आप देखेंगे कि जहां तक सेक्शन २० का ताल्लुक़ था उसमें सिर्फ वह जमीनें आती थीं जिन पर सेक्शन १६ अपलाई नहीं करती थी यानी वह जमीनें आती थीं जो कि टेनेंट्स की होल्डिंग वगैरह में थीं । वह जमीनें नहीं आती थीं जो कि इसके अलावा थीं । चूंकि सेक्शन १६ पर भी, जो जमीनें अब आती हैं उनके मुताल्लिक़ भी सब-क्लाज़ २ में उसका ज़िक्र कर दिया गया है और उन जमीनों पर भी अधिकार दे दिया गया है उन लोगों को कि जो क़ाबिज थे । दूसरी बात यह है कि उस ऐक्ट में यह जरूरी था कि आन दि डेट आफ वेस्टिंग क़ब्ज़ा हो । यानी १३५६ फसली में अगर किसी आदमी का क़ब्ज़ा नहीं है, तो उसको वह अधिकार नहीं दिये जा रहे थे, लेकिन सब-क्लाज़ २ में लिखा है कि चाहे उसका क़ब्ज़ा १३५६ फसली में न हो, तो अब कोई आक्यूपायर्स की कैटीगरी बाकी नहीं रह गयी, जिसको एक या दूसरी फार्म में अधिवासी न बना दिया गया हो । सप्लीमेंटरी ऐक्ट जो जनाब के सामने पास हुआ है उसमें तो आपने उनको अधिवासी बनाया जिनका इन्दराज १३५६ फसली में था, क़ब्ज़ा नहीं था । पर इस फार्म में अगर यह अमेंडमेंट मंजूर हो जाता है तो किसी क़िस्म का आक्यूपायर हो उसको अधिवासी के अधिकार मिल जाते हैं । यह क़ानून काश्तकारों के हक़ में है । काश्तकारों के लिए, टिलर आफ दी सायल के लिए है, क्योंकि अब तो यही मक़सद है और यह जो पूरा ऐक्ट है वह इसी मक़सद के लिए बनाया गया है कि टिलर आफ दी सायल के पूरे राइट होने चाहिए और जो भी इंटरमीडियरीज हों, चाहे वह जमींदार हों या काश्तकार हों, चाहे किसी भी फार्म में हों उनको इसके दरमियान से निकाल देना चाहिए । तो यह क़ानून इसी मक़सद को पूरा करता है । अब इसकी बाबत आप देखेंगे कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन और ऐड किया गया । एक्सप्लेनेशन नम्बर वन तो मैं समझता हूं वही है कि जो पहले था । उसके मुताल्लिक़ तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह हाउस इसका मतलब पहले से समझता है क्योंकि वह पहले क़ानून में मौजूद है और इसको समझ बूझकर मंजूर किया गया था । एक्सप्लेनेशन नं० टू अलबत्ता इसमें एक नयी चीज़ है और वह इसलिए रखा गया है कि कुछ इस क़िस्म की कनफ़्लिक्टिंग रूलिंग्स हाईकोर्ट्स में और कोर्ट्स आफ रेवेन्यू में हुई, जिनसे कि एन्ट्री के मतलब जरा साफ नहीं होते । डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हुए । कोई तो यह कहता है कि जो ओरीजनल एन्ट्री है वही सही एन्ट्री मानी जायगी और उसके मुताल्लिक़ कोई एविडेंस इस क़िस्म के नहीं दिये जा सकेंगे कि वह एन्ट्री करेक्ट नहीं है । इसके बाद कुछ रूलिंग ऐसी हुई और उनमें से जो रिसेंट रूलिंग हुई वह यह है कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट नम्बर १ में अगर कोई मुक़दमात या प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उनमें कोई एन्ट्री करेक्ट कर दी गई है तो वह एन्ट्री, जो फाइनल फार्म में होगी वह एन्ट्री इस सेक्शन के मकासिद के लिए सही मानी जायगी । तो ला, क़ानून की खूबी तो यह है कि जितने भी कम इंटरप्रिटेशंस उसके हो सकते हैं, वह हों और जितने कम लिटिगेशंस हो सकते हों वह हों । तो इसलिए इस ख्याल से इसे रखा गया कि जिससे लिटिगेशंस कम हों और यह चीज़ बिल्कुल साफ हो जाय कि रेकर्डेड एन्ट्री के माने यह एन्ट्री है जो कि फाइनल एन्ट्री कर दी गई है । इसलिए यह एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया गया है । मैं समझता हूं कि इस पर इससे ज्यादा कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है । यह जाहिर है कि उन खामियों को, उन कमियों को, जो उस ऐक्ट में रह गई थीं, यह अमेंडमेंट पूरा करता है । यह उन आक्यूपायर्स को भी हक़ूक़ देता है जिनको पहले क़ानून में हक़ूक़ नहीं दिये गये थे और मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त जो अपोजीशन बेंचेज पर बैठे हुए हैं वह खुश होंगे । यह जरूर है कि गवर्नमेंट अपनी बदकिस्मती से या उनकी समझ में नहीं आता इसलिए उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं

कर सकी लेकिन इन तमाम क़ानूनों को गवर्नमेंट ने बनाया, जिससे कि काश्तकारों को ज्यादा हक़ूक़ मिले। बहरहाल जो कुछ भी हो मैं समझता हूं कि इसको उन्हें क़बूल करना चाहिए कि काश्तकारों के वास्ते, उनके फायदे के लिए यह है और वह इस पर खुश होंगे कि यह राइट स्टेप इन दी राइट डिरेक्शन लिया गया है।

श्री द्वारका प्रसाद मैार्य---माननीय सभापति महोदय, जो संशोधन माननीय ख्वाजा साहब ने उपस्थित किया है यह स्वीकार है। इस संशोधन के संबंध में एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि जो काश्तकार या अध्यासीन व्यक्ति १३५६ में जिसका नाम खसरे में या खतौनी में दर्ज है, उसको इस विधेयक के जरिये अधिवासी बना दिया गया। पहले यह शर्त थी कि १३५९ में जब काबिज हो तभी उसको अधिवासी का हक़ मिले लेकिन उस बात को यहां निकाल दिया गया है। यानी अगर वह १३५६ फसल के खसरे या खतौनी में दर्ज है, उसका नाम दर्ज है, आक्यूपेंट तो उसको अधिवासी का हक़ मिल गया। १३५९ के बाबत एक दूसरा अनुपूरक विधयक इस भवन ने पास किया था। तो १३५९ फसली में जिसका नाम है उस क़ानून के जरिये से उसको हक़ मिल गया है।

धारा १६ में यह बात है कि जो आक्यूपेंट है १३५६ फसली में ढाई सौ से ऊपर वाले जमींदार का, और उसका नाम दर्ज है और १३५९ फसली में भी वह क़ाबिज है, तो उसके लिये मौरूसी हक़ मिला है। जो १३५६ फसली में ढाई सौ से नीचे या ऊपर के जमींदार का आक्यूपेंट है और जो १३५९ फसली में नहीं काबिज है यानी जमींदारी वेस्ट करने के दिन, तो उसको अधिवासी का हक़ दिया गया है। यह चीज इसके जरिये साफ की गयी है और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से इस विषय पर स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्योंकि कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर १३५६ फसली में कोई आक्यूपेन्ट दर्ज है तब तो ठीक है लेकिन अगर १३५९ फसली में उसी आराजी का आक्यूपेन्ट कोई दूसरा है तो ऐसी सूरत में आप लेटेस्ट आक्यूपेन्ट को क्या राइट दे रहे हैं?

श्री चरण सिंह---अगर १३५६ फसली में दर्ज है.....

श्री गेन्दा सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी के बोलने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह धारा बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ऐसे परिवर्तन हो गय हैं जिनको हम लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाये हैं। तो मैं यह प्रार्थना करता हूं कि अभी इस धारा पर विचार न करें, कुछ देर के लिये इसे मुल्तवी कर दें।

श्री चरण सिंह---मैं समझता हूं कि इसमें कोई नयी बात नहीं है सिर्फ शब्दों का भेद है। जसा पहले अमेंडिंग बिल में सेलक्ट कमेटी से निकला है आशय इसका भी वही है। कहीं एक आध लफ्जों की कमी बेशी है लेकिन इन्टेन्शन म कोई फर्क नहीं। मैं समझता हूं कि किसी भी सिलसिले में कोई कन्ट्रोवर्सी नहीं हो सकती है। इसके अलावा हमने यह तय किया है कि इसको आज ही खत्म करके उठें, और अगर हम मुल्तवी करेंगे तो और देर होगी।

अधिष्ठाता---मैं माननीय गेंदा सिंह जी को बतला देना चाहता हूं कि यह संशोधन करीब करीब वही है जो संख्या २४ (क) पर श्री रामनरेश शुक्ल जी का संशोधन है। इसमें कोई विशष अन्तर नहीं पड़ता है।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम विश्वास करते हैं कि अर्थ वही होगा लेकिन अगर इसमें सिद्धांत की कोई हत्या न होती हो तो थोड़ी देर के लिये मुल्तबी कर दिया जाय। हम आज ही के लिये कह रहे हैं कि आज ही इसे पास कर लिया जाय परन्तु थोड़ी देर के लिये मुल्तबी कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह--मुझको कुछ नहीं अर्ज करना है । मुझे यह संशोधन स्वीकार है ।

अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि अगर माननीय गेंदा सिंह जी इस संशोधन पर बोलना चाहते हों, तो बोल सकते हैं । लेकिन स्थगित करना मैं उचित नहीं समझता ।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो ऐसा कानूनदां आदमी नहीं हूं कि इसको जल्दी से समझ कर कुछ कह सकूं । मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसी धारा पर सिलेक्ट कमेटी में काफी विवाद हुआ और काफी समय इस धारा पर संशोधन करने में लगा था और वहां से इसकी एक दूसरी शक्ल हो गयी है । जो संशोधन माननीय राम नरेश जी ने रखा था, उसके बाद भी माननीय अतहर हुसैन साहब ने कुछ तब्दीली की । तो इस समय हम अपने को बिल्कुल असमर्थ पा रहे हैं कि हम इस पर कोई अपनी राय कायम कर सकें । अब मर्जी राजस्व मन्त्री जी की है, वे अगर इसे पास करना चाहें तो पास करें ।

श्री चरण सिंह--मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर श्री गेंदा सिंह जी की ऐसी राय है, तो इसे होल्ड ओवर कर लीजिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मगर जैसा कि सेलेक्ट कमेटी से आया था माननीय रामनरेश जी ने सिर्फ ए, बी, सी, डी के बजाय कुछ और रख दिया है और अतहर साहब ने एक एक्सप्लेनेशन जोड़ दिया है । इसके अलावा और कोई परिवर्तन इसमें नहीं है, लेकिन अगर माननीय गेंदा सिंह जी को कुछ शिकायत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दूसरा लीजिए । आपको अख्तियार है, आप होल्ड ओवर कर सकते हैं ।

अधिष्ठाता--मैं इस संशोधन पर बाद को राय ले लूंगा ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय मन्त्री जी इसको क्लेरिफाई कर दें । इससे कुछ कन्फ्यूजन हो गया ।

(संशोधन कुछ समय के लिये स्थगित किया गया ।)

खण्ड १२

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २० में नई धारा का रखा जाना ।

१२--मूल अधिनियम की धारा २१ को धारा २१ की उपधारा (१) के रूप में पुनरांकित किया जाय और निम्नलिखित को उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

बाग भूमि के अध्यासी "(२) प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर धारा २० के खंड (ग) में कथित रीति के अनुसार किसी बाग भूमि के अध्यासी के रूप में अभिलिखित हो, उस भूमि का असामी कहलायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस भूमि पर कब्जा करने अथवा रखने का अधिकारी होगा" ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २१ में संशोधन ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :--

"खंड १२ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (२) में, जैसी कि वह संशोधित विधेयक के खंड १२ द्वारा रखी गयी है, शब्द 'खंड (ग)' के स्थान पर शब्द 'खंड (ख)' रख दिया जाय ।"

इस संशोधन की आवश्यकता इस कारण से पड़ी, अधिष्ठाता महोदय, चूंकि पिछले संशोधन में जो माननीय ख्वाजा साहब ने पेश किया उसमें (ख) आ गया है इसलिये (ग) की जगह (ख) रख दिया है ।

श्री चरण सिंह--मन्जूर है।

अधिष्ठाता--श्री राज नारायण जी, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं ? यह तो बड़ा इन्नोसेन्ट है।

श्री राज नारायण--जी हां, उसी को देख रहा हूं। एक मर्तबा इसको रोक दिया गया फिर माननीय द्वारका प्रसाद जी ने कहा कि इसको ले लिया जाय तो कुछ बारीकी जरूर आ गयी है।

अधिष्ठाता--क्या इसमें कोई खतरा मालूम होता है ?

श्री राज नारायण--जी हां, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह बहुत छोटा सा संशोधन है। मगर मैं श्री राम नरेश जी को बतला देना चाहता हूं कि जहां पर यह जोड़ रहे हैं और पहले यह नहीं था अब यह उसमें ऐड कर रहे हैं और बार बार मौर्य जी यह कहा करते हैं कि वह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर असामी की जगह पर अधिवासी रख दिया जाय तो जो संशोधन रखा गया है उसको मानने में हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय सभापति महोदय, यह तो माननीय नेता विरोधी दल जो प्रस्तावित धारा २० है उसके उपखंड (ख) को देख लेंगे तो मालूम होगा कि (ख) का उपखंड १ और २ थे। जो पहले धारा थी उसमें मूल संशोधन है। उसमें खंड (ग) कहा गया था। बाद में ख्वाजा साहब ने इसको कहा इसमें (ख) को (क) और (ग) को (ख) कह दिया। लेकिन दोनों के लिये यही बात लागू होती है। इसलिये मौजूदा संशोधन कहता है कि खंड (ख) रखा जाय। यानी इसमें दोनों आ जाते हैं यानी दोनों रूप में ऐसे अधिवासी, जो निकाल दिये गये हैं उनको अधिकार दखल लेने का होगा। चाहे वह खंड (१) में बेदखल किये गये हों, चाहे (२) में बेदखल किये गये हों। दोनों को अधिकार रहेगा। उसी को श्री राम नरेश जी ने पूरा खंड (ख) रखा है। इसमें दोनों के संरक्षण की बात है।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, जो संशोधन हो रहा है वह पहले इस तरह से था कि मूल अधिनियम की धारा २१ को धारा २१ की उपधारा (१) के रूप में पुनरांकित किया जाय और निम्नलिखित को उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय तो जो धारा बढ़ेगी वह इस तरह से होती है कि :--

"प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा २० के (ख) (ग) में कथित रीति के अनुसार किसी बाग, भूमि के अध्यासी के रूप में अभिलिखित हो, उस भूमि का असामी कहलायेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस भूमि पर कब्जा करने अथवा रखने का अधिकारी होगा"।

श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा था माननीय द्वारका प्रसाद जी से और मैं बहुत ज्यादा विवाद में जाना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा कि हम अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं मगर मैं आपकी इजाजत से निवेदन करता हूं कि वह चाहे (ख) का (ग) हो जाय या (ग) का (ख) हो जाय, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो यह है कि बागदार की भूमि पर कोई अध्यासी था उसको हक कौन सा मिलता है ? हम चाहते हैं कि जहां असामी का शब्द रखा हुआ है वहां पर अधिवासी कर दिया जाय .....

श्री चरण सिंह--मेरा कहना है कि धारा २१ में बागदार के शिकमी को बागदार करार दिया गया है और धारा २० क के बागदार को अधिवासी जो है वह भी इसमें असामी करार दिया गया है। यह एक बड़ी एनोमली है कि बागदार के बाग पर जो काबिज है, आक्यूपेन्ट और सब-टेनेन्ट के रूप में उनकी एक ही हैसियत हो जाती है, इस परस्पर विरोध को दूर करने के लिये यह संशोधन लाया गया है।

श्री राजनारायण--मैं, श्रीमान्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक बेदखली और दखल होने की बात आती है मैं माननीय राजस्व मन्त्री को बतलाना चाहता हूं कि मौजूदा हालत में कोई बेदखली नहीं होगी यह हम सब समझते हैं। अब हम यह कहना चाहते हैं कि अधिवासी और असामी में फर्क होता है। असामी आगे चलकर बेदखल हो सकता है और अधिवासी जो है वह आगे चलकर १५ गुना जमा करके भूमिधर हो सकता है। मैं माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान २१ (क) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है "किसी मध्यवर्ती का बाग भूमि का गैर दखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenat) इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी माननीय राजस्व मन्त्री जी हमारा यह संशोधन मान लें अगर यह वह सोचते हैं कि यहां पर कन्ट्रेडिक्शन होता है तो उसे वह दूर कर दें। हमारा वहां उनसे कोई विरोध न होगा। मैं राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारी मन्शा जो है वह यह है कि अधिक से अधिक जो लाभ हो वह लाभ गरीब किसानों को पहुंचे। दूसरा हमारा उद्देश्य जो छिपाने की बात नहीं है बार बार यह कहा जाता है कि भूमि के बटवारे की बात रक्खी जाती है, इस सम्बन्ध में जब जब हमें मौका मिलेगा तब तब हम अपने सिद्धांत के अनुसार जो डिस्पैरिटी (विषमता) है उसको कम करने की कोशिश करेंगे और उसको करते रहे हैं। इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि, यह जो संशोधन यहां रक्खा गया है कि जिसमें असामी शब्द है उसकी जगह हम अधिवासी रखना चाहते हैं। श्रीमन्, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं जब हम यह तर्क देते हैं तो राजस्व मन्त्री जी यह कह देंगे कि हम कोई उससे कहने नहीं जा रहे हैं कि १५ गुना ५ साल के बाद जमा करके वह भूमिधर बन जाय। इस तर्क से हमारा मेल नहीं खाता, यह इसी तरह से है, जैसे पूंजी पति कहते हैं कि हम मजदूरों को बुलाने नहीं जाते कि वह मिल में काम करने आयें। अतएव अन्त में मुझे यही निवेदन करना है कि हमारे इस संशोधन को अवश्य मान लिया जाय।

श्री चरण सिंह--आप इससे अधिवासी बना रहे हैं, भूमिधर बनाते तो दूसरी बात थी।

श्री राजनारायण--मैं यह सफाई और कर दूं कि अगर हम भूमिधर बनाना चाहें तो क्या माननीय राजस्व मन्त्री इसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। माननीय राजस्व मन्त्री जी उसको भूमिधर बना दें तो हमें बड़ी खुशी होगी और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जब यह कह दिया कि वह असामी की जगह भूमिधर बनाने को तैयार हैं तो मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा और इसी आशा में मैं जो संशोधन चाहता था कि अधिवासी कर दिया जाय, उसको वापस लेता हूं और जो 'भूमिधर' शब्द माननीय मन्त्री जी के मुखारविंद से निकला है, वही रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह--अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज नारायण जी को तो हर समय अपने थीसिस की व्याख्या करने का समय मिल जाता है और हर समय हर मौके पर वह थीसिस की बात से नीचे नहीं कहते। उन्होंने यह फरमाया कि अधिवासी को १५ गुना देना पड़ता है और सीरदार को दस गुना। यहां इस बात का जिक्र क्या है? स्वयं आपका संशोधन अधिवासी बनाने के लिये है। हम अधिवासी बना दें, चाहें सीरदार बनादें, जब उनको कोई और बात नहीं मिली तो वह यही कहने लगे। दफा २० में हमने यह लिखा है कि शिकमी और काबिज अधिवासी यह दोनों अधिवासी होंगे लेकिन बागदार के लिये ऐक्ट में पहिले से एक्ससेप्शन है कि बागदार का शिकमी असामी होगा, और बागदार की मर्जी पर बेदखली उसकी हो सकेगी, जब हम उसके शिकमी को असामी करार दे रहे हैं, तो जो आदमी वैसे काबिज है उसको हम और हायर राइट्स कैसे दें दें। इसीलिये यह किया जा रहा है जैसे सबटेनेन्ट को असामी करार दिया है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (२) में जैसी कि वह संशोधित विधेयक के खंड १२ द्वारा रखी गयी है, शब्द "खंड (ग)" के स्थान पर शब्द "खंड (ख)" रख दिया जाय)।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

१३--मूल अधिनियम की धारा २१ में --

(१) खंड (घ) में :--

(क) शब्द, अक्षर और कोष्ठक "(ख) और (ग)" के स्थान "पर (ख) से (ङ) तक" रख दियें जायं, और

(ख) शब्द, संख्या और कोष्ठक "खंड (१) से (६) तक" के स्थान पर शब्द संख्या और कोष्ठक "खंड (१) से (७) तक और (६)" रख दिये जायं।

(२) खंड (छ) के बाद निम्नलिखित नये खंड (ज) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(ज) यदि क्षेत्रपति या एक से अधिक क्षेत्रपति हों तो सब क्षेत्रपति भूमि उठाने के दिनांक पर और निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर धारा १० की उपधारा (२) में या धारा १५७ की उपधारा (१) के खंड (ड) में उल्लिखित वर्गों में से किसी एक या अधिक वर्ग के अन्तर्गत रहे हों तो धारा २० में उल्लिखित सीर का काश्तकार या शिकमी काश्तकार या अध्यासीन व्यक्ति।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (२) में शब्द "निम्नलिखित" और "नये" के बीच में शब्द "एक" बढ़ा दिया जाय।

यह केवल शाब्दिक संशोधन है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है। खंड १३ के उपखंड (२) में शब्द "निम्नलिखित" और "नये" के बीच में शब्द "एक" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (२) में ....

राजा वीरेन्द्रशाह--हमारे पास इस संशोधन की कापी नहीं है, जिसको पेश किया जा रहा था। मेरा विरोध यह है कि संशोधन शाब्दिक नहीं है, बल्कि यह अहमियत रखता है, लिहाजा हमें इसकी कापी पहले मिलनी चाहिए।

अधिष्ठाता--मैं राजा साहब को बतलाना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसे मौके आये हैं कि आपने भी संशोधन पेश किये हैं कि जिनकी कापी नहीं थी और आपको उनकी इजाजत दी गयी है। लिहाजा मैं इस संशोधन को भी पेश करने की श्री रामनरेश शुक्ल को अनुमति देता हूं और आप अगर चाहें तो उनसे लेकर देख सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (२) में मूल अधिनियम की धारा २१ के प्रस्तावित खंड (ज) में शब्दों "सीर का काश्तकार" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"धारा १६ के स्पष्टीकरण के खंड (१) के उपखंड (क) में अभिदिष्ट भूमि की सीर का काश्तकार।"

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब मेरे मित्र राजा साहब ने मेरे खड़े होने के पहले ही जब यह प्रयत्न किया कि मैं इस संशोधन को रख न सकूं तो मुझे थोड़ी हंसी आई और उसका कारण यह है कि यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इसके द्वारा इस प्रान्त के हजारों किसानों का लाभ होगा, और सैकड़ों पुराने जमींदारों को नुक्सान होगा। यदि यह संशोधन नहीं आता तो आज के संशोधन के बाद सीर के काश्तकार जो कि डिसैबिल्ड परसन्स के हैं वे सबके सब असामी हो जाते और वे अपने खेतों से बेदखल हो जाते। लेकिन इस संशोधन के बाद २५० रु० से ज्यादा, जिनकी मालगुजारी थी, उन डिसेबिल्ड परसन्स की सीर के काश्तकार अब अधिवासी हो जायेंगे और वे बेदखल नहीं हो सकेंगे। चूंकि इससे हजारों किसानों का लाभ होगा, इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह निर्विवाद इसे स्वीकार कर लें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह संशोधन स्वीकार है। इसमें कोई नई बात नहीं है जिससे हमारे राजा वीरेन्द्रशाह जी इतने व्यग्र हों। वे लोग पहले भी अधिवासी थे। धारा १० की उपधारा (२) के अन्दर इनवैलिड या नाबार्लिग के जो काश्तकार थे वे पहले से भी अधिवासी थे और इसमें भी कहा जा रहा है कि अधिवासी रहेंगे, यानी हम असामी को डिफाईन कर रहे हैं, तो कौन सी परेशानी की बात है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--माननीय सभापति जी, अगर वास्तव में इसमें कोई नवीनता न थी तो माननीय मौर्य्य जी को इस संशोधन के पेश करने या कराने की कोई जरूरत न होनी चाहिए थी। हर बार यह प्रयत्न किया जाता है और यह हर जगह किया जा रहा है कि २५० रुपये से ऊपर के जो जमींदार हैं, वे एक ऐसी चीज है कि उन्हें जितना दूर रखा जा सके, रखा जाय।

मैं यह समझता हूं कि आखिर २५० के नीचे के, जो जमींदार हैं, उनके साथ यह रियायत क्यों की जा रही है। आखिर जमीन्दार हम भी हैं। २५० वालों के साथ सिद्धांततः जब से यह ऐक्ट बना है तब से आज तक यही एक नीति बरती जा रही है कि जैसे हो, २५० से ऊपर वालों को कुचला जाय। जब तक उनकी आमदनी और मुआविजे तथा रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का सवाल था, उस हद तक तो यह डिसक्रिमिनेशन ठीक था, उसको किसी हद्द तक जस्टीफाई कहा जा सकता था। लेकिन आज जो सीर और खुदकाश्त का सवाल है, यह तो उनके परिवार के जीवन और रहन सहन का सवाल है। आज ऐसी परिस्थित नहीं कि यह कहा जाय कि २५० रु० के ऊपर जो लगान देते थे उनकी सीर के काश्तकारान भी बेदखल न होंगे। श्रीमान् जी, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें २५० से नीचे वालों को भी बेदखल होने का हक दिया है। अतः सिद्धान्ततः यह भेदभाव करना गलत है। यह एक ऐसी गलती हो जायगी और ऐसी हानिकारक साबित होगी और हमको उस हद तक पहुंचा देगी कि लोग उसका माकूल जवाब देने में असमर्थ होंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राम नरेश जी शुक्ल के संशोधन में संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। मेरा मन्शा उनका विरोध करने का नहीं, मेरा संशोधन इस इस प्रकार है कि "धारा १६ के स्पष्टीकरण के खंड (१) के उपखंड (क) में अभिदिष्ट भूमि के सीर के काश्तकार में शब्द (क) के आगे अथवा (ख) बढ़ा दिया जाय।"

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १६ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसके स्पष्टीकरण की धारा (१) का खंड (क) इस प्रकार है --

"प्रतिवर्ष २५० रुपया या उससे कम मालगुजारी देने वाले, तथा ऐसी दशा में जहां पूर्णतः या अंशतः कोई मालगुजारी न निर्धारित हो, २५० रुपया या उससे कम वार्षिक मालगुजारी पर देय स्थानिक कर देने वाले, अथवा"

उसका (ख) इस प्रकार है :—

"धारा १० की उपधारा (२) में 'अभिदिष्ट मध्यवर्ती को सीर या ऐसी खुदकाश्त जिसने यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के निर्देशों के अधीन सीर का रूप धारण कर लिया हो,"

माननीय मौर्य्य जी ने कहा कि धारा १० (२) में वर्णित जो ऐक्सेप्शन है उससे इसका संबन्ध है, लेकिन अगर उसमें (ख) और न जोड़ा जायगा तो माननीय रामनरेश जी का संशोधन अपूर्ण ही रह जायगा और जैसा कि मौर्य्य जी ने कहा वह मन्शा भी पूरी न होगी, इसलिये यह संशोधन दोनों के लिये लागू कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय राम-नरेश जी और राजस्व मन्त्री दोनों को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

श्री चरण सिंह—सभापति जी, मालूम पड़ता है कि कुछ गलत फहमी है वरना जो मन्शा है वह मन्शा बिल्कुल ही पूरी, हो जाती है कारण कि जो २५० रुपये से बड़े मालगुजारों या छोटे मालगुजारों के जो आक्यूपेन्सीज हैं वे अधिवासी हो ही रहे हैं जो अमेन्डमेंट है उसमें जो एक्सेप्शन किया गया है, वह डिस्एबिल्ड परसन्स के लिये है। यह अमेंडिन्ग बिल में था। अब उसमें जो रामनरेश जी का संशोधन है उसको स्वीकार करने के बाद यह हो जाता है कि २५० रुपये के बड़े मालगुजारों के जो डिस्एबिल्ड हैं उनके अधिवासी असामी नहीं होंगे।

वे अधिवासी रह आये हैं और २५० रुपये के छोटे मालगुजार अगर वे डिस्एबिल्ड थे, उनकी सीर का कोई अधिवासी है तो वह असामी हो जायगा। तो इसलिये जो (ख) है उसमें डिस्एबिल्ड का जिक्र है धारा १० (२) में वह आलरेडी आ गया है, उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वह असामी नहीं होगा।

श्री राज नारायण—श्रीमन्, क़रीब क़रीब एक घंटे से मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दफ़ा १६,२०,१० और २१ इन चारों दफ़ाओं का नाम एक साथ लेकर के कभी-कभी ऐसी बातें माननीय राजस्व मंत्री जी और श्री द्वारिका प्रसाद जी मौर्य कहते हैं, जो आपस में ही असंगत होती हैं। श्रीमन्, यह जो असंगति हो रही है, उसको हमें बड़ी बारीक़ी से समझना है। अभी-अभी जब माननीय द्वारिका प्रसाद जी मौर्य बोल रहे थे तो बोलते समय उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा १० का जो दूसरा खंड है, वह भी माननीय राम नरेश जी के संशोधन में इनक्लुडेड (शामिल) है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मेरी तबीयत गद्गद् हो गयी, लेकिन जब वे बैठने लगे तो उन्होंने बड़ी सफाई के साथ कहा कि "मगर धारा १० का दूसरा भाग इसमें नहीं शामिल है"।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—शामिल है, मैंने नहीं कहा, बल्कि मैंने यह कहा कि धारा १० (२) में जो जिक्र है, वह २५० से ऊपर वालों का है। उसके काश्तकार असामी नहीं होंगे, बल्कि अधिवासी होंगे।

श्री राजनारायण—मैं इसका यह अर्थ समझ लूं सफाई के लिये ताकि इन ४ दफ़ाओं की चौकड़ी में किसी को परेशान होने की जरूरत न पड़े कि चाहे वह २५० रु० के ऊपर का मालगुजारी देने वाला जमींदार रहा हो, या २५० रु० से कम का देने वाला रहा हो। जो २५० से ऊपर का जोतनदार है, वह तो मौरूसी और जो २५० से कम का है, वह अधिवासी होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—एबिल बाडी।

श्री राजनारायण—देखिये श्रीमन्, वही बारिकी शुरू हो गयी।

अधिष्ठाता—अगर आप ज्यादा समझना चाहते हैं तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वे समझा दें।

श्री राजनारायण—अब जो कुछ मैंने समझा है उसे आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं और माननीय राजस्व मंत्री की सेवा में और माननीय मौर्य जी की सेवा में भी निवेदन करना चाहता हूं कि दफा १० का जो दूसरा खंड है, उसमें दिया हुआ है कि जो भूतपूर्व जमींदार था, जो स्त्री, अवयस्क, पागल, जड़, अन्धेपन या शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती करने में असमर्थ अथवा भारतीय संघ की सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर रहा हो और उसकी जो शिकमी जोते हुए था उसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अब श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि दूसरे जो ऐसे शिकमी हैं वे भी अधिवासी हुए। तो अगर दोनों के शिकमी अधिवासी हैं और यह बात सही है तो माननीय रामनारायण जी ने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया उसे मानने में कोई दिक्कत न होनी चाहिये। जैसा कि अभी द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने यह कहा कि यह पहले से चला आ रहा था। इस पर माननीय अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि जब पहले से चला आ रहा था तब फिर क्यों लिख रहे हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे इस बात को मान लें तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम उनकी इस तरह की बातों को न समझ सकें। दफ़ा (१०) में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि दफा १० के पहले खंड के अनुसार जो अधिकार मिले हैं, जो शिकमी जोतने वाले थे, वे अधिकार दफ़ा १० (२) में वर्णित जितने लोग हैं, उनके शिकमी को नहीं मिलेंगे, यह साफ है। अब श्रीमन्, १६ वीं दफ़ा को देख लीजिये, उसमें यह स्पष्ट है कि "ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम किसी भूमि के अध्यासीन के रूप में किसी ऐसे अभिलेख में (१) जो यूनाइटेड प्राविंसेज़ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ४ के अनुसार पुनरीक्षित किया गया हो या उसे अधिकार द्वारा संशोधित किया गया हो या जिसे किसी क्षेत्र में वार्षिक रजिस्टरों के संशोधन के लिये राज्य सरकार ने विशेष रूप से नियुक्त किया हो, अभिलिखित हो और जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उस भूमि पर क़ाबिज़ रहा हो या जिसे उक्त दिनांक पर यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २८ की उपधारा (१) के खंड (सी) के अनुसार क़ब्ज़ा वापस पाने का अधिकार हो, अथवा (२) जो यूनाइटेड प्राविंसेज़ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के खंड (ई) के अधीन कृषि वर्ष १३५६ के लिये तैयार किया गया हो, अभिलिखित हो और जो पूर्वोक्त दिनांक पर उक्त भूमि पर काबिज रहा हो, यह समझा जायगा कि वह उक्त भूमि का मौरूसी काश्तकार है और उपर्युक्त दिनांक पर ऐसे काश्तकारों को लागू दरों से लगान का देनदार है।" इसके बाद श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण दिया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे सदन के सम्मानित सदस्य जरा इस पर ध्यान दें। मैंने दूसरा और पहला क्लाज़ धारा १६ का पढ़ दिया है और अब जो उसी में जुटा हुआ स्पष्टीकरण है, अगर सम्मानित सदस्यों के सामने वह विधेयक हो तो उसके पेज २६ पर जो स्पष्टीकरण है उसको पढ़ लें। वह कहता है, "ऐसी भूमि जो प्रतिवर्ष २५० रुपया या उससे कम मालगुज़ारी देने वाले तथा ऐसी दशा में जहां पूर्णतः या अंशतः कोई मालगुज़ारी निर्धारित हो, २५० रुपया या उससे कम वार्षिक मालगुजारी पर देय स्थानिक कर देने वाले, अथवा धारा १० की उपधारा (२) में अभिदिष्ट मध्यवर्त्ती की सीर या ऐसी खुदकाश्त, जिसने यूनाइटेड प्राविंसेज़ टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के निदेशों के अधीन सीर का रूप धारण कर लिया हो, अभिलिखित हो"।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (ज़िला बाराबंकी)—आप जो पढ़ रहे हैं वह तो अब संशोधित हो गया है।

श्री राजनारायण—उसको जरा पढ़ दीजिये।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—यह धारा १६ के स्पष्टीकरण का (क) और (ख) अब दूसरा हो गया है। इस संशोधन की धारा ७ देखिये।

श्री राजनारायण—जी हां, खंड ७ के संशोधन से वह अब इस प्रकार हो गया है :

(१) ऐसी भूमि जो—

(क) प्रतिवर्ष २५० रुपया या उससे कम मालगुजारी देने वाले, तथा ऐसी दशा में जहां पूर्णतः या अंशतः कोई मालगुजारी न निर्धारित हो, २५० रुपया या उससे कम वार्षिक मालगुजारी पर देय स्थानिक कर देने वाले या मातहतदार, अदना मालिक अथवा दवामी काश्तकार की दशा में, ऐसे मध्यवर्ती, जिसके द्वारा देय लगान २५० रु० प्रतिवर्ष से अधिक हो।"

(ख) ऐसे मध्यवर्त्ती, जो निहित होने के दिनांक पर धारा १० की उपधारा (२) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी वर्ग का व्यक्ति हो, की सीर या ऐसी खुदकाश्त, जिसने यूनाइटेड प्राविन्सेज़ टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के निर्देशों के अधीन सीर का रूप धारण कर लिया हो, अभिलिखित हो।"

श्रीमन्, मैं यहां पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह ७ में थोड़ी सी सफाई आई है। यह सही है। लेकिन रामनारायण जी ने जो संशोधन रखा है, अगर उसको यहां रामनरेश जी के संशोधन में जोड़ दिया, तो वह पूरी की पूरी कमी दूर हो जाती है।

श्री चरण सिंह---माननीय सभापति जी, मैं बिना किसी धारा का हवाला दिये बहुत मोटे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा और मैं चाहता यह हूं कि माननीय राजनारायण जी लिख लें। इस ऐक्ट से बहुत कुछ काम पड़ने वाला है, अगर इस सदन में नहीं तो बाहर भी पड़ने वाला है।

ढाई सौ से ऊपर के मालगुजार को बड़े जमींदार कहूंगा। और ढाई सौ से नीचे के मालगुजार को छोटे जमींदार कहूंगा।

बड़े जमींदार की सीर का काश्तकार सीरदार होता है। छोटे जमींदार की सीर का काश्तकार अधिवासी हो गया। अगर बड़ा जमींदार डिसएबिल्ड है तो उसका काश्तकार अधिवासी हो गया और छोटा जमींदार अगर डिसएबिल्ड हो तो उसका काश्तकार असामी हो गया और काश्तकारों का काश्तकार अधिवासी हो गया और जो काश्तकार डिसएबिल्ड हैं उनके काश्तकार अधिवासी हो गये। मोटी सी यह बात है।

राजावीरेन्द्र शाह---सभापति महोदय, जो संशोधन अभी उधर से पेश हुआ है, उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन जो है इसके द्वारा सरकार यह चाहती है कि जो डिसएबिल्ड परसंस के अधिवासी काश्तकारों के बजाय असामी कर दिया जाय। सेलेक्ट कमेटी में यह विचार नहीं हुआ। उसकी खिलाफ मंशा यह संशोधन लाया गया है। अभी सरकार ने यह फर्क डाला है कि जो ढाई सौ या ढाई सौ से ऊपर के मालगुजार जो हैं, उनके काश्तकार अधिवासी होंगे यानी पिछली बात को फिर चले जायं, और उससे कम जो देते हैं उनके काश्तकार असामी हो जायं। तो श्रीमन्, आपके जरिये बतलाना चाहता हूं कि मान लीजिये कि एक आदमी है जो २६० रुपया मालगुजारी देता है, और फौज में चला जाता है तो २६० और २५० में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर वह फौज में चला गया तो आप उसमें फर्क डाले देते हैं। तो एक आदमी को रियायत मिलती है और दूसरे को नहीं मिलती है। यह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। न सरकार को ऐसी चीजों में फर्क डालना चाहिए। मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि डिसएबिल्ड आदमी जो होंगे उनके लिए यह नहीं होना चाहिए कि उनकी आमदनी यह हो। आपने सुविधा को देखते हुए अगर रियायत दी है तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने अब इस तरह से क्यों सोचा कि ढाई सौ रुपये वाले बहुत मालदार हैं। कांग्रेस में भी जमींदार हैं। वह समझते हैं कि बड़ी-बड़ी सीर वे जोते हुए हैं और ढाई सौ से ऊपर वाले जमींदार ऐसे हैं, मैं जो आंकड़ों से बतला सकता हूं कि बहुत से जमींदार हैं उनके पास सीर और खुदकाश्त ज्यादा नहीं है और जो कांग्रेस में जमींदार हैं वे अपने को देखकर समझते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी सीर और खुदकाश्त है। लिहाजा बहुत मालदार हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है।

मैं समझता हूं कि डिसएबिल्ड आदमियों की सुविधा को देखकर अगर वह इस संशोधन को वापस ले लें तो अच्छा है।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि इस संशोधन पर काफ़ी वादविवाद हो चुका है।

श्री चरण सिंह---जरा सी एक बात कहने की मुझे इजाजत दे दी जाय, बल्कि दो बातों की।

एक तो यह कि जमींदार जब डिसएबिल्ड होता था तो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में भी केवल इस कारण कि वह डिसएबिल्ड था उसका काश्तकार किसी हक़ से महरूम नहीं होता था। जमींदार अगर डिसएबिल्ड भी हो तो भी अगर वह जमीन उठाता था तो उसका काश्तकार आकुपेंसी और हेरेडेटरी हो जाया करता था। पहले जो यह रिआयत रखी गयी थी वह काश्तकारों के हक़ में रखी गयी थी कि काश्तकार किसी दूसरे को शिकमी पर जमीन नहीं दे सकता और अगर दे सकता है तो सिर्फ डिसएबिल्ड होने की वजह से या फौज में जो मुलाजिम हो वही काश्तकार उठा सकता है। यह तो हमने जमींदारी व्यवस्था अधिनियम में जो डिसएबिल्ड जमींदार थे उनके लिये यह एक रियायत रखी थी कि डिसएबिल्ड जमींदारों के जो काश्तकार हैं, चाहे वे जमींदार बड़े हों या छोटे हों, उनके काश्तकार अधिवासी होंगे और वह ५ साल के बाद ही बेदखल हो सकेंगे। तो इसमें हमने एक रियायत की थी। वह जो रिआयत हमने की थी वह छोटे जमींदारों को तो हम रखना चाहते हैं, बड़ों को नहीं रखना चाहते। तो कोई हक़ जमींदारों का चला आ रहा हो, ऐसी बात नहीं है। छोटों के साथ इस उसूल पर करना चाहते हैं कि जो डिसएबिल्ड जमींदार या सीरदार को आगे हम जमीन को असामी को उठाने का अधिकार देते हैं तो ५ साल तक उनकी बेदखली बन्द रखना इन-कांसिस्टेंट मालूम होता है और जो असामी होंगे वह लायेबिल टु एजेक्टमेंट होंगे। तो उनको यह शिकायत हो सकती है कि उनके वास्ते कोई रिआयत नहीं की जा रही है जो छोटों के साथ की जा रही है। यह नहीं है कि उनका कोई हक़ रोका जा रहा है।

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन का, जो रामनरेश जी ने पश किया है, समर्थन करने आया हूं। मैं यह समझता हूं कि अगर यह संशोधन न आता तो बहुत से काश्तकार हजारों की तादाद में असामी हो करके बेदखल हो जाते और इस संशोधन से हमारे कुछ माननीय सदस्य एक दम तिलमिला से गये। वह स्वाभाविक ही है। अगर वह इस पर न बोलते तब आश्चर्य होता। इससे आश्चर्य नहीं हुआ कि वह बोले। हमारे माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने एक मर्तबा जमींदार शब्द पर आपत्ति की थी इसी सदन में और अपमानजनक समझा था, लेकिन मैं आज देखता हूं कि जब से यह बिल पेश हुआ है, ११ धारा पर जहां पर यह समझा जाता है कि जमींदारों का हक़ कम हो रहा है वह बहुत परेशान दिखाई देते हैं। तो मैं इस संशोधन का जो समर्थन कर रहा हूं वह इसलिये कर रहा हूं कि इसके जरिये से हजारों काश्तकारों को बेदखली से बचाया गया है और अगर यह संशोधन न आता तो यह विधेयक अपूर्ण रहता। यही मैं आप से कहना चाहता हूं।

अधिष्ठाता---अब मैं श्री रामनरेश शुक्ल का संशोधन आपके सामने रखता हूं। अगर यह पास हो जायगा तो आपका जो संशोधन ऊपर है उसको लाने की आवश्यकता हमें नहीं होगी।

प्रश्न यह है कि खण्ड १३ के उपखण्ड (२) में मूल अधिनियम की धारा २१ के प्रस्तावित खण्ड "ज" में शब्दों "सीर का काश्तकार" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"धारा १६ के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) में अभिदिष्ट भूमि का सीर का काश्तकार"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री ओंकार सिंह (जिला बदायूं)---आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड १३..

अधिष्ठाता---खंड १३ पास हो गया है। इस वास्ते अब आपको इसमें संशोधन पेश करने का मौक़ा नहीं मिल सकता। इसलिए आप बैठ जायं।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, आपके संशोधन के बाद खंड १३ में और भी संशोधन थे, आपने तो नाम पुकारा नहीं...

अधिष्ठाता---मगर माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए।

राजा वीरेन्द्र शाह---श्रीमन्, इसमें एजेंडे में तो मौजूद है, जब आपने नाम पुकारा नहीं तो खड़े कैसे होते ?

अधिष्ठाता---यह कोई जरूरी नहीं है। जिस माननीय सदस्य के संशोधन थे उनको खड़ा होना चाहिए था।

खंड १४

१४---मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २३ में संशोधन।

"(२) उपधारा (१) में कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू न होगी---

(क) रुपया अदा करने के लिये किसी डिक्री या आज्ञा के निष्पादन में, न्यायालय की आज्ञा के अधीन किया गया विक्रय (सेल) अथवा

(ख) किसी वक्फ़, न्यास ( trust ); निबन्ध ( endowment ) या संस्था ( society ) के, जो पूर्णतः दानोत्तर प्रयोजनों के लिये स्थापित की गयी हो, पक्ष में किया गया कोई विक्रय या दान जब तक कि राज्य सरकार किसी विशेष दशा में अन्यथा निर्देश न दे।

स्पष्टीकरण---उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिये "संस्था" का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी से है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो।"

श्री गेंदा सिंह---माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:---

खंड १४ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) के भाग (ख) में शब्द "विक्रय या दान" के बाद का अंश निकाल दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, यह जो मूल अधिनियम की धारा २३ थी उसको इस प्रकार बदला गया है और यह मूल अधिनियम में इस प्रकार यह अंश था कि "किसी वक्फस, न्यास ( trust ), निबन्ध ( endowment ) या संस्था ( society ) के, जो पूर्णतः दानोत्तर प्रयोजनों के लिए स्थापित की गयी हो, पक्ष में किया गया कोई विक्रय या दान जब तक कि राज्य सरकार किसी विशेष दशा में अन्यथा निर्देश न दे।" मैं चाहता यह हूं कि "जब तक कि राज्य सरकार किसी विशेष दशा में अन्यथा निर्देश न दे" यह अंश निकाल दिया जाय। दानोत्तर ट्रस्ट्स, एंडाउमेंट्स सोसाइटी जो दान के लिये स्थापित की गयी हों उनके पक्ष में पुनर्वासन अनुदान से उतनी रक़म देने की व्यवस्था की गयी है जितनी कि उनको वार्षिक आमदन हुआ करती थी। यह अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ यह जो अंश लिखा हुआ है कि सरकार किसी विशेष दशा में निर्देश दे, यह नहीं होना चाहिये। इस पर कोई मैं ज्यादा विवाद की बात नहीं समझता हूं। जितने भी ट्रस्ट थे या जितनी

[श्री गेंदा सिंह]

भी संस्थाएं ऐसी थीं उनके लिये तो अब एक प्रकार से निश्चय हो चुका है, प्रतिकर के काग़ज बन रहे हैं और यह क़ानून के मातहत निश्चय कर दिया गया है कि अब जो ऐसे ट्रस्ट हों, एंडाउमेंट्स हों या संस्थाएं हों उनके लिये नयी गुंजायश नहीं होगी। तो इस प्रकार इससे कोई खतरा भी नहीं उत्पन्न होता है। सरकार ने अब तक मुझे नहीं जानकारी है कि किसी ट्रस्ट को या किसी इस तरह की संस्था को यह समझा हो कि उन्हें इस तरह की सुविधाएं नहीं देनी चाहिये। अगर आगे भी सरकार इस तरह के अधिकार अपने हाथ में न रखें तो कोई बुरी बात नहीं है। दानोत्तर संस्थाओं के लिये सरकार के हाथ में ताक़त रहे इससे कभी-कभी दुरुपयोग होने का अंदेशा होता है, संभावना रहती है। तो ऐसे दुरुपयोग से अगर सरकार बच जाय तो अच्छा है। मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जो इस पर अपनी सम्मति देंगे और यदि आवश्यक वे समझते हों कि इसको रखना ही चाहिये तो क्यों रखना चाहिये, इस पर भी रोशनी दें।

श्री चरण सिंह--माननीय सभापति जी, मूल अधिनियम की धारा २३ का अभिप्राय यह है कि ३० जून, सन् १९४८ के बाद दिये हुये हिबानामे और बैनामे का असर किसी मध्यवर्ती के रिहैबिलिटेशन ग्रांट पर नहीं पड़ेगा। ७ जुलाई सन् १९४९ के बाद किये हुये बैनामे और हिबानामे बिलकुल नहीं माने जायंगे। लेकिन उसमें अपवाद यह था कि अदालत के जरिये जो बैनामे होंगे वे इससे मुस्तस्ना रहेंगे। इस प्रतिबन्ध से और ऐसे बैनामे जो वक्फ, ट्रस्ट या चैरिटेबिल एंडाउमेंट के हक में दर्ज किये गये हों वे इससे मुस्तस्ना रहेंगे। अब जो संशोधन विधेयक हैं उसमें बजाय बैनामे के हम हिबानामे को भी जोड़ रहे हैं कि अगर बैनामे और हिबानामे दोनों हो गये हों या दोनों में से कोई एक हो गया हो किसी चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स वक्फ और ट्रस्ट के हक में, वे भी उस प्रतिबन्ध से मुस्तसना रहेंगे। मूल अधिनियम में यह भी अख्तियार था गवर्नमेंट को कि अगर किन्हीं अवस्थाओं में वह वैसा समझे कि यह जो उनके साथ रिआयत कर दी गई है वह किसी खास दानोत्तर संस्था को न दी जाय और वह रिआयत वापस कर ली जाय, तो उसके लिये संशोधन विधेयक में रखा गया है। माननीय गेंदा सिंह जी का कहना यह है कि गवर्नमेंट अपने हाथ में ऐसे अख्तियार न ले। गवर्नमेंट को इस तरह के अख्तियार अपने हाथ में रखने में कोई लुत्फ नहीं है। लेकिन केवल इस लिये रखा है कि हो सकता है कि कोई इस तरह का वक्फ या ट्रस्ट फ्रूवलेन्ट हो। बजाहिर ऊपर से मालूम होता हो कि यह चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स है, चैरिटेबिल इंडाउमेंट आम तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन्स के लिये या एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लिये। यह जो इंडाउमेंट्स होते हैं वह चैरिटेबिल होते हैं। ऊपर से तो मालूम होता हो कि किसी स्कूल या औषधालय के लिये हैं, लेकिन असली मंशा उस वाकिफ का, उस डोनर का या क्रिएटर आफ दि ट्रस्ट का ऐसा है कि उससे फायदा उसके घर वालों को पहुंचता रहे, उस रुपये की आमदनी उसके बच्चों को होती रहे। जिससे उसका खर्चा पूरा हो जाय और जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट के जो असरात हैं उनसे वह बच जाय। तो गवर्नमेंट अगर किसी खास मामले में इस नतीजे पर पहुंचे तो गिफ्ट या सेल ऐसे चैरिटेबिल इंडाउमेंट का गवर्नमेंट रिकगनाइज नहीं करेगी, केवल यह मंशा है। बाकी हमने अभी तक कहीं किया भी नहीं है। अब कम्पेनसेशन स्टेटमेंट्स हर जिले में तैयार हो रहे हैं और अगर कोई केसेज हमारी नोटिस में वहां का कलेक्टर लाता है कि बजाहिर तो यह इन्डाउमेन्ट चैरिटेबिल है लेकिन दरअस्ल चैरिटी वगैरह को इसमें पैसा नहीं पहुंचेगा बल्कि जो वाकिफ है उसके घरवालों को पैसा पहुंच रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। इस लिए गवर्नमेंट ने यह पावर अपने हाथ में ली है, यह नहीं कि हमें इस पावर को एक्सरसाइज करने में कोई खास लुत्फ आता है। आगे मैं समझता हूं कि इस पावर का रहना जरूरी है और जो यह डर है कि गवर्नमेंट इस पावर को बुरी तरह एक्सरसाइज करेगी, मैं समझता हूं कि

जब पापुलर गवर्नमेंट हो और ४३० आदमी इस सदन के गवर्नमेंट के हर काम पर ८६० आंखें रखते हों तो फिर पावर अब्यूज होने की कोई सम्भावना नहीं है बल्कि अगर गवर्नमेंट इस पावर को न रखे तो जनहित के किसी खास मामले में हानि पहुंच सकती है ।

श्री गेंदा सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

## जलपान के लिए सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मैं अर्ज करूंगा कि कम से कम एक घंटे के लिए हाउस मुल्तवी कर दिया जाय ताकि चाय वगैरह हो जाय ।

अधिष्ठाता---अभी आपका रेजोल्यूशन क़बल अज वक्त है । अभी तो हम बैठ सकते हैं । सामने देखिये, हम १५ मिनट बैठ सकते हैं । सवा पांच बजे के क़रीब आप प्रस्ताव पेश कर सकते हैं ।

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंश बने ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

### खण्ड १५

१५---मूल अधिनियम की धारा ३० में निम्नलिखित, प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा ९९ के खंड (क) अथवा खंड (ग) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट किसी भी वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध की दशा में अन्तरिम प्रतिकर उक्त धारा के अन्तर्गत देय वार्षिक वृत्ति में से काट लिया जायगा और उससे संधानित कर दिया जायगा ।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३० में संशोधन ।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंश बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

### खण्ड १६

१६---मूल अधिनियम की धारा ३९ में --

(१) खंड (क) के उपखंड (२) में शब्द "और" के बाद शब्द "यदि उक्त अधिनियम में ऐसी गणना के लिये व्यवस्था न की गयी हो तो नियत रीति से और" जोड़ दिये जायं,

(२) खंड (क) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण में संख्या "१०" निकाल दी जाय, और

(३) खंड (ग) के अन्तर्गत वर्तमान स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण (१) के रूप में परिगणित किया जायगा और उसके बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण (२) के रूप में रख दिया जायगा :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३९ का संशोधन ।

"स्पष्टीकरण (२)---इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'सायर' के अन्तर्गत, जहां तक वह मध्यवर्ती के बाग से संबद्ध है, उसकी लकड़ी, फूलों अथवा फलों की बिक्री की आय नहीं है ।"

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---सभापति जी, आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १६ के उपखंड (३) के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३९ के खंड (ग) के अन्तर्गत प्रस्तावित स्पष्टीकरण (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय ---

[राजा वीरेन्द्र शाह]

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मूल अधिनियम की धारा ४४ के अधीन कच्ची निकासी में से घटाई जाने वाली कृषि आयकर, मालगुजारी, स्थानिक कर और अबवाब की धनराशि वह धनराशि होगी, जो कच्ची निकासी की धनराशि में से, बाग से सम्बद्ध लकड़ी, फूलों अथवा फलों की बिक्री की आय की धनराशि, को निकालने के बाद बाकी बची धनराशि पर निर्धारित की जाय।"

श्रीमन्, इस धारा के जरिये सरकार यह चाहती है कि लकड़ी और फल-फूलों की जो आमदनी हमारे अबवाब और सायर की है उस आमदनी को कच्ची निकासी में न जोड़ा जाय। सिर्फ मुआविजे की वजह से सरकार ऐसा करने जा रही है। मैं आपके जरिये सरकार को यह बतला देना चाहता हूं जिस तरह से सरकार ने जो हमारी सीर, खुदकाश्त और सीर का लगान है, उसके ऊपर जो मुआविजा आयेगा या जो हमको देना होगा, उसको बराबर कर दिया है। इस तरीके से जो आमदनी हमारी इधर है और फलों-फूलों और लकड़ी पर जो हमने अबवाब या कृषि आय-कर या मालगुजारी दी है उसको भी उस तरीके से घट जाना चाहिये, तब वह ठीक होगा। इसमें सरकार को पैसा देने का सवाल है इसलिये इस तरह का संशोधन लाते हैं कि सरकार को देने का वादा कर चुकी है उसमें भी कमी हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे संशोधन पर गौर करें और उसे स्वीकार करें।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--माननीय सभापति जी, अधिनियम में बागों की जो आमदनी थी वह ग्रास असेट्स में शामिल हो जाती थी। तो मतलब यह है कि बागों का मुआविजा जमींदारों को मिल जाता था जबकि बाग हम उनके पास छोड़ रहे हैं और बागों का मुआविजा उनको मिल जाय, तो यह तो सब लोगों को स्वीकार होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिये हमने उसमें वह संशोधन किया कि सायर की परिभाषा में बाग से फल-फूल और लकड़ी की जो आमदनी है वह इसमें शरीक नहीं होगी। यहां तक तो ठीक है कि वह होना चाहिए। लेकिन अब आपको आपत्ति यह है कि जब आप उसको ग्रास असेट्स में से निकाल रहे हैं तो जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स उस पर वसूल किया गया है वह मिनहा होना चाहिए। लेकिन वह तो पहिले से ही मिनहा हो जाता है। जो पहले दफा ४४ है उसमें यह दिया हुआ है :--

"४४--धारा ४० के प्रयोजन के लिये महाल के सम्बन्ध में किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी ऐसे मध्यवर्ती की कच्ची निकासी में से निम्नलिखित को घटाकर निकाली जायगी :--

तो ये हैं चीजे जो घट जायेंगी :--

(घ) जहां कोई भूमि मध्यवर्ती के पास उसकी निजी जोत में या खुदकाश्त, मध्यवर्ती के बाग या ऐसी सीर के रूप में हो, जिसमें मौरूसी अधिकार न उत्पन्न होते हों, वहां उसकी निजी जोत खुदकाश्त, बाग या सीर की भूमि के केवल ऐसे भाग के निमित्त, जो धारा १८ में उल्लिखित है, ऐसी धनराशि जो साकितुलमिल्कियत दरों से लगाई गई हो और जिसमें १ से ३ तक की निम्नलिखित कटौतियां निकाल दी जायं :--

(१) कृषि आयकर, यदि कोई हो, जो पिछले कृषि वर्ष में उक्त भूमि के सम्बन्ध में देय रहा हो, यह नियत रीति से निश्चित किया जायगा।"

अतएव जो माननीय राजा साहब चाहते हैं वह पहले से उसमें दिया हुआ है नहीं तो मुझे संशोधन के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी।

(इस समय ५ बजकर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

राजा वीरेन्द्र शाह--श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने जो अभी कहा उसको सुनने के बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ७३ का संशोधन।

१७--मूल अधिनियम की धारा ७३ में प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य के बाद निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में रख दिया जाय :--

"और प्रतिबन्ध यह है कि धारा ९९ के खंड (क) अथवा खंड (ग) के उपखंड (१) में वर्णित वर्गों के किसी भी वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध को उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार, ऐसे वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध द्वारा देय मालगुजारी चाहे कितनी भी हो, पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा।"

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १७ में मूल अधिनियम की धारा ७३ के प्रतिबन्ध में कोष्ठक व शब्द (Aggregate Land Revenue) के बाद शब्द "दस सहस्त्र" के स्थान पर शब्द "दो सौ पचास" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह मूल अधिनियम की धारा ७३ में हमारा संशोधन है। जो इस विधेयक में जहां पर जो अंग संशोधित किया जा रहा है या बढ़ाया जा रहा है उससे हमारा कोई विरोध नहीं है। ठीक है जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा दिया जाय। लेकिन मूल अधिनियम में एक बड़ी भारी भूल हुई है, उसका सुधार करने की गुंजायश हम करना चाहते हैं और जो बहुत गाढ़ी कमाई का पैसा किसानों का है हम उस पैसे को बचाने के लिये सरकार से निवेदन करना चाहते ह कि इस तरह से सरकार करोड़ों रुपयों की बचत कर सकती है जो अच्छे कामों में खर्च किये जा सकते ह। सदन ने जो कानून पहले पास किया था, वह इस प्रकार का है :--

"ठेकेदार के अतिरिक्त प्रत्येक मध्यवर्ती को, जिसके आस्थान इस अधिनियम के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिये गये हों, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कि यदि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ऐसे क्षेत्रों में स्थिति, जिनमें यह अधिनियम लागू हो, उस मध्यवर्ती के सब आस्थानों के सम्बन्ध में देय कुल मालगुजारी (Aggregate Land Revenue) दस सहस्त्र रुपये से अधिक रही हो, तो उसको ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया जायगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, कानून में लिखने का ढंग तो ऐसा है कि नहीं दिया जायगा, लेकिन किन लोगों को नहीं दिया जायगा, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दिया जागया, २०,१६,७८३ जमींदारों को जो हमारे प्रदेश में रहते हैं, उनके पुनर्वासन अनुदान या प्रतिकर के रूप में उनमें दस हजार रुपये से ऊपर के जमींदार केवल ३९० हैं, जिनको यह अनुदान नहीं दिया जायगा। उनको हम हटा देते हैं तब भी एक बहुत बड़ी तादाद पुनर्वासन अनुदान पाने के लिये हमारे सामने मौजूद ह। लेकिन जो संशोधन रख रहे हैं उसमें उपाध्यक्ष महोदय, २५० रुपये तक के मालगुजारी देने वाले इस प्रदेश में १९,८६,६४१ जमींदार हैं, हम यह चाहते हैं कि इन १९,८६,६४१ जमींदारों में से थोड़े लोगों को छोड़कर शेष को पुनर्वासन अनुदान दिया जाय।

यदि पुनर्वासन अनुदान इस तरह से दी जाती है तो बहुत-सा सरकारी रुपया बच जाता है। १९,८६,००,६४१ जमींदारों की जो मालगुजारी थी, वह २,८७,१६,९४१ थी और २५० रु० के ऊपर वाले जमींदारी की मालगुजारों ३,९३,५२,०८५ रुपये थी और कुल मालगुजारी ६,८०,६९,९२६ रुपये हुई। तो अगर २,८७,१६,९४१ रुपये १९ लाख ८६ हजार जमीन्दारों में बांट दिये जायं तो इस तरह से बहुत बड़ी रकम पुनर्वासन अनुदान की बच जायेगी। सरकार के सामने रुपये की कठिनाई आती रहती है जिसकी वजह से वह इन्डस्ट्री का समाजीकरण नहीं कर सकती। अगर बाजार, हाट की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मुआविजा देना पड़ेगा। हम चाहें या

[श्री गेंदा सिंह]

न चाहें, लेकिन सरकार मुआविजा देने की बात सोचती है। हर जगह मुआविजे का सवाल उठ खड़ा होता है। यह एक रास्ता हम बतला रहे हैं इससे एक बहुत बड़ी रकम को बचाया जा सकता है और सार्वजनिक हित में अधिक से अधिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। टैक्सेशन का जब सवाल आता है तो सरकार को सोचना पड़ता है। २० लाख जो जमींदार हैं, उनको तो हम कहते हैं कि पुनर्वासन अनुदान दिया जाय और उनको भी अगर दिया जाय तो उनसे अच्छे काम के लिये खर्च कराया जाय। कृषि के ही काम में खर्च कराया जाय। हमारे राजस्व मन्त्री जी कृषि मन्त्री भी हैं। उनके हाथ में इससे बड़ी भारी ताकत आती है और इस प्रकार हम अपने देश को हरा-भरा कर सकेंगे और देश में जो अन्न-संकट है उसको भी दूर कर सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक संकेत कर रहा हूं और इस तरह से हम राजस्व मन्त्री जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। वह इस पर विचार करें और जैसे उन्होंने बहुत सी धाराओं में संशोधन किये हैं, अगर इस धारा में एक संशोधन हमारा भी मान लें तो शायद हम लोग यह समझेंगे कि हमारी बहुत बड़ी बात मान ली गई और हम उनका उपकार मानेंगे और फिर हम सोचेंगे कि बहुत जल्दी हम इस काम से छुट्टी पा जायं। यह नहीं कि हम देर कर रहे हैं। इस संशोधन को माननीय राजस्व मन्त्री को मानना चाहिए उनके हाथ में यह रुपया हम दे रहे हैं जो कृषि के काम में खर्च होगा। इस तरह से हम उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं।

## सदन को दो घन्टे के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सवा ५ बज चुके हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब २ घंटे का रिसेस कर दिया जाय ताकि अब हम लोग विश्राम कर लें और फिर दस बजे, ११ बजे या १२ बजे तक बैठ सकें।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव तो पहले ही स्वीकार हो चुका है कि अब हम इस बिल को पास करने के बाद उठेंगे और जो निश्चय एक बार हो चुका है वह फिर बदला नहीं जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन २ घंटे के लिये अब अवकाश ग्रहण करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं एक निवेदन आपके द्वारा करना चाहता हूं कि अगर माननीय राजस्व मन्त्री जी उचित समझें तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि इसलिये ताकि हम जरा स्वस्थ मस्तिष्क से इस बिल की धाराओं पर विचार कर सकें अगर २ घंटे नहीं तो केवल एक घंटे के लिये ही इस समय हम सदन को स्थगित कर दें, वह अगर उचित समझें तो यह उनकी सद्बुद्धि पर ही है चूंकि यह बहुत आवश्यक संशोधन विधेयक जमींदारी अधिनियम का है।

मन्त्री (श्री चरण सिंह)--मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में हमारे यहां भी तै हुआ है कि बीच में कोई इन्टरवेल न हो और बृटिश पार्लियामेंट में भी कोई इन्टरवेल नहीं होता है। जिस भाई को चाय पीना हो या मस्तिष्क स्वस्थ करना हो वह रिटायर थोड़ी देर के वास्ते हो सकते हैं, लेकिन सारे हाउस का इस समय काम रोकना उचित न होगा। और यह भी मैं कह देना चाहता हूं कि जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, माननीय राजनारायण जी का स्वास्थ्य मेरे से तो अच्छा ही है।

श्री राजनारायण--मैं जानकारी के लिये यह बतला देना चाहता हूं कि वह पार्लियामेंट की बात कहते हैं। यही कौंसिल जो है वह डढ़ घंटे के लिये स्थगित की गयी है और ७ बजे से वह बैठ रहे हैं।

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

### खंड १७ (क्रमागत)

श्री राम नारायण त्रिपाठी (फैजाबाद)--मैं अपने भाई श्री गेंदा सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक उपयुक्त संशोधन लाकर बड़ा उपकार किया। इससे पहले कि मैं इस संशोधन की तफसील में जाऊं मुझे कुछ जरूरी बातें कहना उचित मालूम होती हैं जो कि माननीय मन्त्री जी को याद भी होगी कि जिस वक्त मुआविजे या पुनर्वासन अनुदान का प्रश्न आया था तो हमारी ओर से कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी गयी थी कि यह जो स्कीम बनाई जा रही है यह अव्यावहारिक है, लेकिन उस समय तो हमारी प्रादेशिक सरकार के मुख्य मन्त्री जी और दूसरे मन्त्री लोगों को किसानों के छप्परों में नोट दिखायी देते थे और आशा की गई थी कि जब २ अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म-दिसव को यह दसगुने की वसूली शुरू होगी उस वक्त हमारी सरकार की ओर से भी यह आदेश गये थे कि किसानों को चाहिए कि टोलियां बनाकर औरतें बच्चे और मर्द ढोल बजाते गाना गाते हुए दसगुना जमा करें और अगर मैं भूलता नहीं हूं तो पहले पहले सिर्फ ३ महीने का वक्त फर्स्ट एक्सपेरीमेंटल मेजर के तौर पर रखा गया था। उसमें सरकार नाकामयाब रही। हमने पहले ही कहा था कि किसान गरीब हैं और यह अनुचित होगा कि उनसे रुपया लेकर उन जमींदारों को दिया जाय जो ५, ५ हजार और १०, १० रुपया मालगुजारी वसूल करते थे। हमारी बात अनसुनी कर दी गयी। जब जब आवश्यकता हुई यहां इस बात पर सरकार की ओर से जोर दिया गया कि मनुष्य को मनुष्य समझना चाहिए, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा हैदराबाद के नवाब को २५ हजार रुपया रोजाना और महाराज बड़ौदा को १५ हजार और महाराज ग्वालियर को साढ़े सात हजार दिया जाता है। ये लोग हमारी सन्ट्रल गवर्नमेंट की राय में गरीब हैं और इस सरकार की राय में बेचारे गरीब किसान बहुत नोट रखने वाले हैं जिनके पास किसी के पास १ बीघा और किसी के पास कुछ भी जमीन नहीं है। यह हमारी सरकार की अज्ञानता है कि उसने यह समझा कि १८० करोड़ रुपया किसानों से ३-४ महीने में ही वसूल हो जायेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--आन ए प्वाइन्ट आफ़ आर्डर, सर।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं बोल रहा हूं कि आपको बैठ जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अध्यक्ष द्वारा मुख्य मन्त्री के भाषण के समय यह रूलिंग हो चुकी है कि प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठ सकता।

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठ जाइये, रामनारायण जी! उनको प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश करने का मौका देना चाहिए। यह कभी भी उठ सकता है।

श्री शिवनारायण--मेरा कहना यह है कि यह सब बातें जो कहीं कहीं की कही जा रही हैं इनका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह बेकार सदन का समय खोना है। इसकी इजाजत न दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--हां, अगर आप बिल पर ही या संशोधन पर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं इसलिये नहीं बैठ रहा था कि माननीय सदस्य को नहीं मालूम है कि प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या होता है? खैर, आपकी आज्ञा हुई और मैं बैठ गया। मैं बिल्कुल संशोधन पर ही बोल रहा हूं और मुझे अधिकार है कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिये जो उचित समझूं, कहूं हमारी कांग्रेस सरकार को अभी भी यही ख्वाब दिखायी देता है कि भूमिधरी और रिहैबिलिटेशन की स्कीम कामयाब होगी। और आज भी जब हमारी तरफ से इस किस्म का संशोधन पेश किया जाता है तो सरकार को असानी से मौका मिल जाता है कि वह सोशलिस्ट पार्टी पर इल्जाम लगाकर अपनी भलाई कर सके, लेकिन हम देखते

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हैं कि उस मौके से कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है। मैं राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस समय श्रेय ले लें और बुराई हमारे ऊपर छोड़ दें और कह दें कि क्या बतायें सोशलिस्ट पार्टी ने ऐसा अमेंडमेंट पेश कर दिया, इसलिये ऐसा करना पड़ा। और वाकई हमारी स्कीम भी सफल नहीं हो सकी। ऐसी हालत में सरकार को ऐसा संशोधन मन्जूर कर लेना चाहिए। और अगर वे हमारा संशोधन स्वीकार करना ही चाहें तो वे दलीलों के माहिर हैं उनको दलीलें बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने बार-बार यह जनता से वायदा किया था कि २५० से नीचे के जो जमींदार हैं उनको काश्तकार ही समझा जायगा। सरकार ने जो स्कीम चलाई वह व्यर्थ की और निरर्थक और बेकार की स्कीम थी और हमने उस वक्त भी चेतावनी दी थी। हमने कहा था कि सरकार व्यर्थ का सब्ज बाग देख रही है, किसानों के छप्परों में रुपया नहीं है। अगर किसानों को कुछ महंगाई से फायदा हुआ तो वह भी सरकार की दुर्व्यवस्था से लाभकर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडयूस और इन्डस्ट्रियल प्रोडूयस की प्राईसेज में बड़ा अन्तर था। जब काश्तकार अन्न की महंगाई से एक तरफ से रुपया कमाता था तो दूसरी तरफ से दूकानदारों द्वारा उसका रुपया छिन जाता था। जब वह कपड़े की दूकान में जाता था या किसी और दूकान में जाता था तो उसका वह रुपया वहां की महंगाई के कारण छिन जाता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप रिहैबिलिटेशन की अनुसूची को देखें तो उसमें जो मुआविजा दिया हुआ है वह इस प्रकार है :—

| रुपया से | | रुपया तक | ग्रान्ट जो दिया जायगा |
|---|---|---|---|
| — | | २५ रुपया तक | २० गुना |
| २५ | से अधिक | ५० से अनधिक | १७ गुना |
| ५० | ,, | १०० ,, | १४ गुना |
| १०० | ,, | २५० ,, | ११ गुना |
| २५० | ,, | ५०० ,, | ८ गुना |
| ५०० | ,, | २,००० ,, | ५ गुना |
| २,००० | ,, | ३,५०० ,, | ३ गुना |
| ३,५०० | ,, | ५,००० ,, | २ गुना |
| ५,००० | ,, | १०,००० ,, | १ गुना |

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा ८ गुना फ्लेट रेट से भी मुआविजा दिया जा रहा है। इस तरह से जो स्कीम सरकार ने बनाई वह पूरे तौर से असफल रही। ऐसी हालत में सरकार का यह फर्ज था कि वह स्तीफा देकर चली जाती और सरकार की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में दे देती और कहती कि हम लोगों को मुआविजा नहीं दे सके। अतः हमको इस गद्दी पर कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी आज हमारी तरफ से यह संशोधन उपस्थित किया जा रहा है। ऐसी सूरत में हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बुराई करके स्वयं यश ले ले। इस तरह इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने द। उपाध्यक्ष महोदय, शिव जी ने जिस प्रकार हलाहल को पी लिया था उसी प्रकार हम लांछन लेने के लिये तैयार हैं, राजस्व मत्री का उससे कल्याण होगा, वह अपने को उस कल्याण के भागी बनायें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसको मंजूर कर लेंगे अथवा इन कुर्सियों को छोड़ कर ऐडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर दूसरों के हाथ में देकर सचमुच ही अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर दें।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे समाजवादी नेता गेंदा सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है यानी बजाय १० हजार के २५० रुपया तक के जमींदारों को पुनर्वासन अनुदान दिया जाय और उससे ज्यादा को न दिया जाय। मेरे ख्याल से मध्यवर्ती के साथ ऐसा करना महान अन्याय होगा क्योंकि जमींदारी अबोलीशन के बाद इन छोटे जमींदारों की जो हालत है वह हम और आप लोगों से छिपी हुई नहीं है । हमारे समाजवादी भाइयों का यह ख्याल है कि तमाम जमीदारों के पास सीरें हैं, बाग हैं। ये कुछ ही जमींदारों के पास जरूर हो सकती हैं लेकिन ऐसे बहुत से लोग है जिनके पास जमीन भी बहुत कम है । हमारी सरकार जो कानून बनाती है उसका आशय यह होता है कि किसी के साथ जबरदस्ती न की जाय । लेकिन जो कायदे बने हैं उनकी वजह से थोड़े दिनों में ही सब जमींनें काश्तकारों के पास आ जायंगी । उन जमींदारों ने यह समझा था कि वे ज्यादा जमीन अपनी बीबी और बच्चों के नाम पट्टा करा कर उससे कुछ फायदा उठा पायेंगे । लेकिन गवर्नमेन्ट ने अभी तक उनको मुआविजा तो दिया ही नहीं है और वे लोग अपने खेतों को तोड़ नहीं पाये हैं हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब वे लोग खेती नहीं कर पायेंगे तो वे खेत छोटे-छोटे किसानों के पास आप से आप चले जायंगे । क्योंकि यह बात तो साफ है ही कि ऐसी जमीनें जिन पर खेती न की जाती हो वे गांव सभाओं की हो जायंगी फिर गांव सभाओं से वे ऐसे लोगों के पास तो जायगी ही जिनके पास जमीन नहीं है । इसलिये मेरा ख्याल यह है कि उन लोगों को मुआविजा देने के लिये हमारी गवर्नमेन्ट ने जो कायदे बनाये हैं उसी पर दृढ़ रहना चाहिये और जो कुछ उनको मुआविजा देने के लिये कहा गया है वह अवश्य ही दिया जाय । हमारे मित्र श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि जो मुआविजा दिया जाय वह ऐसे लोगों को दिया जाय जो उन पैसों को कुछ शुभ काम में खर्च करें । जहां तक मेरा खयाल है हर आदमी का पैसा शुभ काम में भी खर्च होता है और बुरे काम में भी मसलन कोई जमींदार अगर शराबखोरी करता है तो शराबखोरी में उसका पैसा जाकर कभी कभी सरकारी टैक्स में लग कर निर्माणकार्य में भी लग जाता है । इसलिये यह सवाल नहीं उठता कि वह पैसा बुरे काम में। खर्च होता है या अच्छे काम में। पैसा तो अच्छे आदमी के पास भी जाता है और बुरे आदमी के पास भी वह तो चलता फिरता रहता है । बहुत से लोग जो दान देते हैं तो दान का पैसा अच्छे काम में भी खर्च होता है और बुरे काम में भी खर्च होता है । लिहाजा इस बात को ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है । मेरी राय यह है कि हमारी गवर्नमेन्ट ने पहले जो तरीका बनाया था और जिस तरीके पर जिस सिलसिले से मुआविजा देने का वादा किया है उसी तरीके से उनको मुआविजा दिया जाय । हम सबों का जो यह खयाल है कि जमींदारों के पास जो जमींने हैं वे बांट दी जायं तो मेरा यह ख्याल है कि चन्द दिनों में खुद बखुद वे दूसरे किसानों के पास चली आयेंगी । क्योंकि वे जमीनें अभी तक ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं और उसके लिये हमारी गवर्नमेन्ट ने कायदा बना रखा है कि दो वर्ष के बाद गांव सभा उनको नोटिस दे देगी कि चूंकि तुमने अपनी जमीन में इतने दिन तक खेती नहीं की है लिहाजा वह जमीन गांव सभा जब्त करती है। तो क्या इस तरह से वह छोटे छोटे किसानों को नहीं मिलेगी ? जैसा कि माननीय रामनारायण जी ने कहा कि जमींदारों को काफी से काफी रुपया दिया गया है लेकिन वह रुपया अकेले जमींदार ही नहीं खर्च करते हैं । जमींदारी एबोलिशन के बाद भी उनके तमाम जो नौकर-चाकर हैं जो उनके कारिन्दे थे नौकर थे उनको भी जिन्दा रखना जरूरी था क्योंकि वे भी इसी देश के रहने वाले हैं। उनकी गुजर-बसर भी इसी से करनी थी । मेरा खयाल है कि अगर उनको पुनर्वासन अनुदान वगैरह नहीं दिया जाता तो उनके रहने के लिये कोई ठिकाना नहीं हो सकता क्योंकि उनकी हालत बहुत अबतर है। इसलिये हमारी गवर्नमेन्ट

[श्री सियाराम चौधरी]

ने जो तरीका बनाया ह उसी पर उसको अटल रहना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह के संशोधन के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् यह एक ऐसी बात थी जो कि दफन हो चुकी थी, लेकिन बार बार हर जगह समाजवादी दल के जितने सदस्य हैं यह कहते हैं कि जमींदारों को यह नहीं मिलना चाहिये, मुआविजा नहीं मिलना चाहिये, पुनर्वासन अनुदान नहीं मिलना चाहिये । श्रीमन् यह अन्धेर है । आज भारतीय संविधान के रहते हुए किसी माननीय सदस्य में यह साहस नहीं है कि वे आर्टिकल ३१ को देख सकें या वे देखना ही नहीं चाहते हैं या देख कर भी समझने में उनको दिक्कत होती है । इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है ? श्रीमन् आज भारतीय संविधान के रहते हुए किसी का भी यह कहना कि हम किसी प्राइवेट प्रापर्टी को लेकर उसका मुआविजा भी नहीं देंगे यह सर्वथा अनुचित है और न्यायसंगत नहीं है ।

श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन को लोग तमाशा समझते हैं और वह पार्टी जो संविधान बनते समय वहां से दूर रही वह आज बदकिस्मती से यहां शोरो-गुल मचाते हैं कि कम्पेंसेशन या पुनर्वासन अनुदान न दिया जाय । एक मरतबा नहीं हजारों मरतबे माननीय राजस्व मंत्री बता चुके हैं कि संविधान के रहते हुये हम विवश हैं कि पुनर्वासन अनुदान और प्रतिकर दें । अभी थोड़े दिन हुये जब जमींदारों ने सुप्रीम कोर्ट में इस ऐक्ट को चैलेन्ज किया था और आज तो हम कह नहीं सकते लेकिन कोई आज यह सुनने के लिये तैयार नहीं है कि कम्पेंसेशन ऐडीक्वेट इक्विटेबिल और जस्ट नहीं है और इसकी मजबूरी है । एक तरफ तो यह हालत ह और दूसरी तरफ माननीय राजस्व मंत्री रुपया देने से मजबूर होते हैं । कल ही माननीय विरोधी दल के नेता यह फरमा रहे थे कि प्राइवेट और पर्सनल को लोग नहीं समझते लेकिन आज माननीय गेंदा सिंह जी ने फरमाया कि जो रुपया जमींदारों को दिया भी जाय वह भी देखा जाय कि वह किस तरह से खर्च करते हैं । मैं विरोधी दल के नेता से कहना चाहता हूं कि प्राइवेट और परसनल का अन्तर पहले अपने साथियों को समझा दें इसके कब्ल कि वह दूसरों को समझावें । कहा जाता है कि छोटे जमींदारों के साथ रियायतें की जा रही हैं पुनर्वासन अधिक दिया जा रहा है । हमारे मित्र माननीय फैजाबाद के सदस्य ने कहा कि जब हम कांग्रेस में थे तो हम कहते थे कि ढाई सौ रुपये के नीचे के जमींदार किसान हैं लेकिन आज उस पुरानी बात को एक मरतबा भी माननीय त्रिपाठी जी ने नहीं कहा । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोग भूल जाते हैं कि उचित क्या है और अनुचित क्या है । एक तरफ कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ इस बात को कहने का भी साहस करते हैं । बड़ौदा, मैसूर और हैदराबाद का जिक्र किया गया । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को यह भी पता है कि इन लोगों के पास क्या सम्पत्ति थी । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही ऐसे थे जो इन लोगों की जायदादों को इस दाम पर भी ले सके वरना अगर वह न होते तो न जमींदारी ही टूटती और न प्रिसेज ही हिन्दुस्तान से गायब होते। श्रीमन्, यह कहना कि किसानों के पास रुपया नहीं है । हम कब कहते हैं कि किसानों को चूसकर हमको रुपया दिया जाय । हम तो माननीय राजस्व मंत्री से यह अनुरोध करते हैं हमको इस बात की जरूरत नहीं है हम तो चाहते हैं कि जो वादा सरकार ने किया है उसको पूरा करे चाहे भूमिधरी से रुपया आता है या नहीं लेकिन वह वादा पूरा करे । श्रीमन् अब वह वक्त आ गया है जमींदार चाहे वह ढाई सौ का हो या १० हजार का हो, खाना भी दुश्वार है और वस्त्र मिलना भी एक असम्भव वस्तु हो गई है । यही नहीं बल्कि हजार दो हजार रुपये जो जमींदार देते थे आज उसकी दशा भी दयनीय है और शोचनीय है ।

तो यह समझ कर जब आज जमींदार शब्द आता है तो लोग यह समझने लगते हैं कि वह पाकिस्तानी है या उनके दिल में यह आता है कि यह भी अंग्रेज हैं । जमींदार भी

इस देश के नागरिक हैं। अगर यह प्रथा बुरी थी तो यह मानी नहीं कि जमींदार भी बुरे थे। हर समाज में अच्छे और बुरे हुआ करते हैं। तो इस तरह का न्याय करना और समाजवादी दल के लिए ऐसी गैरजिम्मेदारी की बात करना कभी भी कल्याणकारी और हितकारी प्रतीत नहीं होता। एलेक्शन के अभी चार साल शेष हैं। जमींदारों के ही बीच में एक तरफ यह और दूसरी तरफ वह दल बैठा हुआ है जिसके हाथ में शक्ति है और वही हरकत यह भी करना चाहते हैं। वह भी उन्हीं के पुराने साथी हैं, उसी दल के।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर के लिए अब जमींदारों का नाम भूल जाइये अब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया है। केवल तन पर वस्त्र हैं अगर वह भी लेना चाहते हैं तो उनको भी लेकर अपने को खुश कर लीजिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, जब मैं श्री गेंदा सिंह के संशोधन पर....

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—मैं क्लोजर मूव करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं विरोधी दल के नेता को बोलने की अनुज्ञा दे चुका हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन के समर्थन के लिए खड़ा होता हूं तो यह संशोधन जितने महत्व का है इसको भी स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि श्रीमन्, इस सदन में काफी भ्रम है कि यह संशोधन जो रखा गया है वह केवल सामयिक और इधर उधर की बातों को या किसी पार्टी प्रोपेगेंडा को लेकर रखा गया है। मैं, श्रीमान् निहायत अदब के साथ आज यह जब मौका मिला है इस सदन में बोलने का उस मौके पर माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज हम अपने हृदय को टटोलें और टटोल कर देखें कि हम कहां जा रहे हैं? यह संशोधन है, श्रीमन्, २५० रुपये तक के जो मालगुजार हैं उन्हीं को रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दी जाय। मैं चाहता हूं कि सरकारी पक्ष के हमारे जितने सम्मानित सदस्य यहां बैठे हुए हैं और जो आज इस स्वतन्त्र भारत में जो संविधान बना उसके अनुसार चुनाव करके स्वतन्त्र वातावरण में यहां बैठे हुए हैं, वह अपने स्वतन्त्र मस्तिष्क से इस समस्या पर विचार करें। यह समस्या मामूली समस्या नहीं है अगर इसको गौण समझ कर या जल्दी से समझ कर उपेक्षा करेंगे तो सम्मानित सदस्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। श्रीमन्, अभी अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने बताया कि २५० रुपये के ऊपर तक जो मालगुजारी देते हैं उनको वह बड़ा जमींदार मानते हैं और २५० रुपये से नीचे जो मालगुजारी देते हैं उनको वह छोटा जमींदार मानते हैं और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय राजस्व मंत्री जी इस वर्त्तमान संशोधन विधेयक के जरिये पुराने विधेयक में बहुत कुछ परिवर्तन किये हैं। उसी बात को मैं इस समय सामने रखते हुए आज निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष के जितने सम्मानित सदस्य हैं और हमारे अवधेश प्रताप जी, जो भारतीय संविधान की अक्सर चर्चा किया करते हैं, जरा वह भी अपने दिल को टटोलें कि क्या दुनियां के किसी इतिहास में रिहैबिलिटेशन ग्रांट और मुआविजा दोनों साथ साथ दिये गये हैं? श्रीमान्, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं ताकि इस सदन के सम्मानित सदस्य इस बात को गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि उनकी सरकार कहां जा रही है?

यह बेजोड़ नयी चीज जिस में कि कम्पेंसेशन (मुआविजा) भी है, रिहैबिलिटेशन ग्रांट (पुनःवास अनुदान) भी है और मैं समझता हूं कि अगर इस सदन के हमारे सम्मानित सदस्य इन बातों की बारीकियों में जायंगे तो वह इस निश्चय पर पहुंचेंगे कि पुरानी सरकार ने जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेन्सेशन दोनों बातें रखी थीं यह उसकी गलती थी। अगर उस गलती को ठीक रास्ते पर नहीं किया जायगा तो यह सदन भी वही गलती कर जायगा जो पुरानी सरकार जो कि ब्रिटिश साम्राज्य शाही के जमाने में

[श्री राजनारायण]

बना हुआ कानून था। उस कानून के अन्दर जो चुनी हुई सरकार बनी थी उस सरकार के जरिये, जो कि अबतक परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी हुई थी, उस सरकार के जरिये जो कानून बना था वह कानून अगर ज्यों का त्यों रहता है तो हम भी अपने को श्रीमन्, किसी माने में स्वतंत्र भारत के नागरिकों द्वारा चुने हुए जो आये हैं उस चुनाव के महत्व को चरितार्थ नहीं करेंगे ।

श्रीमन्, हमारे मित्र पुराने जमींदार अवधेश प्रताप ने कुछ मौलिक बातें कही हैं। इस समय तो वह इस सदन में नहीं हैं, हम उन को याद दिलाना चाहते हैं कि वह बार बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर आक्षेप किया करते हैं और कहते हैं कि वह पार्टी न तो संविधान के ऊपर चलती है और न धाराओं के ऊपर है बल्कि यहां आ करके य लोग बेसमझी की बातें किया करते हैं । मैं उनसे ही कहता हूं कि जरा संविधान को तो पढ़ें उसमें कम्पेंसेशन शब्द आया है रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो नहीं आया है । तो जब कम्पेंन्सेशन पर हमारा संशोधन आता उस वक्त कहते तो हम समझते कि उन्होंने पढ़न की कोशिश की है । मगर इस समय रिहैबिलिटेशन ग्रांट (पुनःवास ) की बात पर उन्होंने भारतीय संविधान की किस लाइन और किस रेखा से समझ लिया कि अगर रिहैबिलिटेशन ग्रांट नहीं दी जायगी तो भारतीय संविधान की धाराओं का उल्लंघन होगा ? मैं समझता हूं कि उनका इस तरीके से सोचना कुछ भ्रामक था। उन्होंने यह भी फरमाया कि हम लोग उनको पाकिस्तानी समझते हैं । श्रीमन्, हम कभी नहीं कहते कि जो आज हिन्तोस्तान की सीमा के अन्दर रहने वाले पुराने जमींदार हैं वह पाकिस्तानी हैं और श्रीमान्, इसी अवसर पर हम आपकी आज्ञा से सम्मानित सदस्यों की सेवा में स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने तो किसी को भी पाकिस्तानी बनाने की कोशिश नहीं की । हम तो यहां के रहने वाले, जो जमींदार पुराने हों या और कोई हों, उनको पाकिस्तानी सोच ही नहीं सकते । हम तो यहां तक समझते हैं कि पाकिस्तान जिन उसूलों पर बनाया गया वह ही गलत है और जिसने बनाया उसकी गलती थी। तो अगर माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी को समझना हो कि पाकिस्तानी समझने न समझने का मौका किसने प्रदान किया तो उन्हें नेहरू साहब के पास जाना चाहिये और जिन्ना साहब की पुरानी आत्मा हो तो उनके पास जाना चाहिये । जब हम उनको रिहैबिलि-टेशन ग्रांट नहीं देने की बात करते हैं तो हम उनको पाकिस्तानी कैसे समझते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से इसका ज्यादा सम्बन्ध नहीं है और माननीय सदस्य भी यहां उपस्थित नहीं हैं । आप संशोधन पर ही बोलें ।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि यहां पर जो उन्होंने एक दयनीय परिस्थिति आपने दिखाई और दिखाने में पाकिस्तानी समझे जाने की बात कही, उस से सम्मानित सदस्यों को अपनी ओर खींच लिया होगा इसलिये हमारे सम्मानित सदस्य यह समझ करके यह न सोचें कि यदि उनको पुनर्वास नहीं दिया जायगा तो वह यह समझने लगेंगे कि वह पाकिस्तानी हैं।

हम तो श्रीमन्, उनसे निवेदन करते हैं कि यह रिहैबिलेटेशन ग्रांट जो उनको दी जाने वाली है इस रकम का अगर हिसाब निकाला जाय तो कितने करोड़ होगी, वह रकम कहां से आती है ? वह रकम इन्हीं गरीबों के खून से ली जायगी । तो गरीबों के खून से ली गई रकम जो उनको दी जायगी पुनर्वासन अनुदान के रूप में, तब तो वह समझेंगे कि वह हिन्दुस्तानी हैं और नहीं तो पाकिस्तानी समझ लेंगे । मैं पूछना चाहता हूं इस तरह की मनोवृत्ति रखने वाले लोगों से कि वह किसान क्या पाकिस्तानी हैं जिनके पास से यह रकम ली जाती है । क्यों यह रकम उन गरीब किसानों से ली जाती है, उस किसान के ऊपर क्यों जुल्म ढाया जाता है, उस गरीब के घर में जो मरीज पड़ा हुआ है उसके लिए दवादारू का इन्तजाम क्यों नहीं किया जाता, उसके खाने और रहने का

इन्तजाम क्यों नहीं किया जाता ? यह तमाम मौलिक बातें हैं श्रीमान्, जो कि इस समय विचारणीय हैं और मैं समझता हूं कि यह इतना मौलिक विषय है, इतना विशद है, देखने में छोटा जरूर है मगर सारा आर्थिक ढांचा इस पर मुनहसर है। सारे का सारा आर्थिक ढांचा हमारे प्रान्त का, अगर हम रिहैबिलेटेशन ग्रांट २५० रु० से ऊपर वालों को न दें, तो बदल सकता है और मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उनके द्वारा कैबिनेट से निवेदन करूंगा जो कि बार बार कैबिनेट के सम्मानित सदस्य बैठकर किसानों के ऊपर नये नये टैक्स लगाने की योजना करते हैं। अगर यह संशोधन गेंदा सिंह जी का मान लें तो इस तरह के टैक्स लगाने की परिस्थिति न पैदा होगी। इसलिये मैं श्रीमन्, कुछ ऐसा देखता हूं कि बहुत ही अनुपयुक्त समय पर यह संशोधन यहां पर आया क्योंकि इसमें जो गुण है, जो इसमें गम्भीरता है उस गम्भीरता को चंचल बुद्धि रखते हुए इस सदन के सम्मानित सदस्य इस समय कुछ समझने में कमी कर जायंगे क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि जल्दी हो जाय ताकि लोग जल्दी घर चले जायं या बाहर चले जायं। इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता हू कि इतना बड़ा विषद विषय यह है कि इस पर जरा उदारता के साथ, गम्भीरता के साथ मनन करते हुए विचार किया जाय। महात्मा गान्धी जी ने श्रीमन्, बराबर हमें नसीहत दी और हमें उनकी नसीहत याद है। जब हिन्दुस्तान में वाइसराय रहा करते थे तो गान्धी जी ने कहा था कि अगर हिन्दुस्तान की गरीबी देखना है और हिन्दुस्तान की डिस्पैरिटी देखना है, तो एक तरफ जो पुलिस का चौकीदार है और एक तरफ जो वाइसराय है उसको देखिये। एक चौकीदार ३ रु० मासिक तनख्वाह पाता है और वाइसराय की तनख्वाह में २० हजार के ऊपर मासिक खर्च होता है। तो यह वह संशोधन हमारा है जो संशोधन कि हमें उन पुरानी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है, उन पुरानी डिस्पैरिटी के मिटाने के तरीकों की याद दिलाता है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वह मौका इस सदन में दें ताकि अच्छी तरह से सफाई के साथ पुरानी सरकार के द्वारा जो की गई गलतियां हैं उस गलती को सम्मानित सदस्य के सामने निवेदन किया जा सके। श्रीमन्, मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से अपील करना चाहता हूं और उनसे चाहता हूं कि इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए वह इन पर विचार करें। हिन्दुस्तान गरीब मुल्क है। हिन्दुस्तान की जनता में अधिकतर किसान हैं, खेतिहर जनता है। आज भी श्रीमन्, हमारे मुल्क में, हमारे प्रान्त में जो चौकीदार हैं वह केवल ५ रु० मासिक पाते हैं, और अपने देश में एक व्यक्ति की प्रतिदिन की आमदनी इतनी है जो ३५ हजार रु० प्रतिदिन की है। मैं कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं कहता कि कौन प्रगतिशील है, कौन प्रतिक्रियावादी हैं, मगर वह अपनी सद्बुद्धि से इस पर विचार करें कि जब वह डिस्पैरिटी (अन्तर) बनी रहती है और वही पुरानी नीति के अनुसार आज भी पुराने जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने की बात विधेयक में प्रस्तुत की जा रही है, तो हम कहां जाते हैं, प्रगति की ओर या पीछे की ओर? श्रीमन्, यह सवाल समझने का है, यह सवाल विचारने का है केवल भावुकता में हंस देने से यह समस्या नहीं सुलझ सकती। हम श्रीमन्, चाहते हैं और हमें खुशी होगी कि वह शुभ घड़ी कब मिले जब माननीय राजस्व मंत्री इन बातों को अपने हृदय में स्थान देकर ऐसा एक कदम उठायें जिससे कि जो वेस्टेट इंट्रेस्ट (निजीस्वार्थी) वाले हैं, जो आज सत्ताधारी समाज के ऊपर आर्थिक तरीके से कब्जा किये हुये हैं उनकी आर्थिक विषमता घटे। श्रीमन्, इस सदन की चंचलता से मैं बहुत परेशान हो गया।

मैं पुनः कुछ मौलिक बातों को आप की आज्ञा से इस सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आज भी हमारी गरीबों की कमाई पर चार करोड़ रुपया भारतवर्ष के राजाओं और नवाबों को सालाना दिया जाता है। अभी अभी श्रीमन्, भारत में जो उप राष्ट्रपति हैं, डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने यहां बताया कि उन्होंने माननीय नेहरू जी को एक पत्र लिखा है कि कम से कम

[श्री राजनारायण]

उस रकम को आधा कर दीजिये। अगर सवा दो करोड़ की रकम बच जायगी तो उससे अपने देश में उन्नति की नयी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, अपने देश में गरीबों के उद्धार की नयी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो श्रीमन्, मैं केवल दो करोड़ या चार करोड़ की बात नहीं कहता, जो पचीसों करोड़ रिहैबिलिटेशन ग्रांट में जायगा वह रकम कहां से आयगी? बराबर माननीय राजस्व मंत्री को यह चिन्ता रहती है और माननीय द्वारका प्रसाद जी जब इस सदन में बोलते हैं तो कहते हैं कि मुआविजा कहां से दिया जायगा, रिहैबिलिटेशन ग्रांट कहां से दिया जायगा? मैं उनसे निहायत अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि मुआविजे के सिद्धांत को मानकर क्या सरकार ने गलती नहीं की है? अगर वह भारतीय संविधान की किसी धारा से बाध्य होकर किया है तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट क्या हमारा क्रिएशन (उपज) नहीं है। रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो ढाई सौ रुपये के ऊपर के जमींदारों के पास जा रहा है क्या यह सरकार का दोष नहीं है? क्या यह कदम हमारा किसान हित विरुद्ध नहीं है? क्या यह कदम हमारा गरीब हित विरुद्ध नहीं है? श्रीमन्, मैं निहायत अदब से माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि क्या महात्मा गांधी ने यह नहीं कहा था कि हिन्दोस्तान में राजनीति का वह अर्थ न लगाया जाय जो और मुल्कों में लगाया जाता है। बहुत से लोग कहा करते हैं कि सत्य और असत्य की परीक्षा हो, न्याय क्या है और अन्याय क्या उसकी परीक्षा हो, इंसाफ क्या है और गैर इंसाफ क्या है उसकी परीक्षा हो? जस्टिस क्या है और इंजस्टिस क्या उसकी परीक्षा हो। आज श्रीमन्, केवल इसी एक प्रश्न को लेकर मैं आपके द्वारा चुनौती देना चाहता हूं कि इस सवाल को लेकर जनमत लिया जाय कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट ढाई सौ से ऊपर जमींदार को दिया जाना चाहिये या नहीं दिया जाना चाहिये। इसी प्रश्न को लेकर यह परीक्षा हो जायगी कि इस सरकार की नीति के साथ आज अपने प्रांत के गरीब किसान हैं या नहीं? अगर हमारी इस बात को यह सरकार मानती है तो श्रीमन्, निहायत अदब के साथ मैं उनको यह आश्वासन देता हूं, यहीं बैठे बैठे हम उनको बता सकते हैं कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जायंगी, उनकी सारी पुलिस, उनका सारा जो जाल बिछा हुआ है ऐडिमिनिस्ट्रेशन का, वह बेकार हो जायगा।

यह जनता जनार्दन का सच्चा मत आयेगा कि ढाई सौ के ऊपर वालों को रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं देना चाहिये। और श्रीमन्, अगर राजस्व मंत्री जी और उनके साथियों का निर्णय हमारे निर्णय के विरुद्ध है तब हम उनसे कहना चाहेंगे कि इस चुनौती को स्वीकार करें और चलें जनता के साथ जनमत ले करके इस नीति को निर्धारित करें। श्रीमन्, मैं थोड़े में और जल्दी में यह कहना चाहता हूं कि यह सवाल जो आज हमारे सामने है, माननीय राजस्व मंत्री जी मैं समझ रहा हूं कि काफी चिन्ता के साथ उसका मनन कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि वह इस पर जरूर विचार करेंगे और इस पर विचार करके इस संशोधन को वह स्वीकार कराने की ओर जरूर बढ़ेंगे। एक बात श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी की आसानी के लिये कि जो हमारे मित्र श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने यहां पर कहा है कि इस सरकार के ऊपर बहुत पुराने वादे के तोड़ने का लांछन और दोष है, तो जो पुराने जमींदार हैं और जो पुरानी सरकार थी उस पुरानी सरकार के गलत कामों को हम तोड़ सकते हैं और उसे तोड़ कर यह सरकार पुराने दोष, पाप को धो सकती है। इस लिये अगर उनकी यह भावना है और वह चाहते हैं कि गरीब जनता के ऊपर टैक्स और करों का बोझ ज्यादा न बढ़े तो हमारे प्रस्ताव को कबूल करें। हम इस विवाद में नहीं जाना चाहते कि कौन प्रोग्रेसिव (प्रगतिशील) और कौन रिएक्शनरी (प्रतिक्रियावादी) है। हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं पड़ती। श्रीमन्, एक सवाल है सीधा सीधा, इस में सारा मामला साफ हो जायगा कि ढाई सौ रुपये के ऊपर जो मालगुजारी देने वाले पूर्व जमींदार थे उनको पुनर्वासन अनुदान देना चाहिये या नहीं। इस बात

को सम्मानित सदन अपने सामने रख ले कि पुनर्वासन अनुदान तो हम देते हैं, कम्पेन्शेसन भी हम देते हैं फ्लैट रेट पर (समान) जो फलैट रेट (समानता) और कहीं हो या न हो । अगर इतनी उदार थी यह सरकार कि जमींदारों को मुआविजा देने के लिये फ्लैट रेट का सिद्धान्त रख लिया और इसका बहुत प्रचार हुआ । श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी की सेवा में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा और उनका यह विवाद बहुत पुराना है और इसी विवाद को लेकर के २५ जनवरी सन् १९५० को एक लाख किसानों का प्रदर्शन भी हो चुका है और माननीय मंत्री जी ने भी बहुत से लेख लिखे थे ।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—७० लाख का हुआ था ।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, अगर सफाई दी है तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूं :—आई ऐम नाट गोइंग टु लीव दि फ्लोर ।

श्री चरण सिंह—७० लाख कहा है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब माननीय मंत्री जी के मुखारबिन्दु से यह बात निकली सो मैं यह कह देना चाहता हूं कि उनकी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो लोग संख्या गिनने के लिए नियुक्त हुये थे उन्होंने केवल ६३४ की फीगर दी थी । इसके ऊपर नेशनल हेरल्ड में टिप्पणी भी निकली थी । उन पुरानी बातों की याद दिलाना ठीक नहीं है । उनके लिये चाहे वह ६३४ ही रहे हों मगर सारा प्रान्त हिल गया था । उनकी सारी पुलिस, सारे पटवारी, सारी ग्राम पंचायतें और सारा प्रान्तीय रक्षा दल जुट गया था । जिलों में बावजूद तमाम कोशिशों के यहां पर किसान आये और माननीय राजस्व मंत्री जी की वह घोषणा कि ६ हफ्ते के अन्दर एक अरब, ७२ करोड़ रुपया जुट जायगा, मैं तो उन्हीं की घोषणा की उनको याद दिलाता हूं कि ६ हफ्ते बीते, ६ हफ्ते बीत गये, ६ महीने बीत गये और अगर उस सरकार की अवधि काल को मानें तो ६ साल भी बीत गये । अब यह दूसरी सरकार बनी है । स्वतंत्र भारत की सरकार, स्वतंत्र नागरिकों के द्वारा चुनी हुई है तो जो हम लोग बैठे हुये हैं और कांग्रेस पार्टी जो बैठी हुई है उस पार्टी के द्वारा चुनी हुई यह सरकार है ।

तो श्रीमन्, मैं सरकार से ज्यादा निवेदन करना नहीं चाहता । मैं तो अब निवेदन करना चाहता हूं अपने उन सम्मानित सदस्यों से जो अक्सर हमें जिलों में घूमते हुये मिला करते हैं और यह कहा करते हैं कि जो तुम्हारी पालिसी वही हमारी पालिसी, तुममें हम में क्या फर्क ? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बुनियादी फर्क यह है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कम्पेनसेशन के प्रिंसिपल को नहीं मानती । प्रजा सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि उत्पादन के संबध परिवर्तित हों केवल ढांचा न बदले । खैर, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता । कल बहुत काफी चर्चा इस सदन में हो चुकी है पंचवर्षीय योजना के बारे में, मगर इतना ही कह देना चाहता हूं कि जिस ढांचे में मीन्स आफ प्रोडक्शन (उत्पादन के साधन), मीन्स आफ एक्सचेंज (विनिमय के साधन) और मीन्स आफ डिस्ट्रीब्यूशन (वितरण के साधन), इंडिविजुअल (व्यक्तिगत) हाथ में रहते हैं वह व्यवस्था कैपिटलिस्ट व्यवस्था है । मैं आज सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था अपने प्रान्त में नहीं है ? क्या हमारा और उनका उसूल एक है ? बार बार इस आत्म प्रवंचना में आप क्यों रहते हैं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वाले जो कहते हैं वही आप भी कहते हैं । अगर वही कहते हैं तो बाबा मान लो कि ढाई सौ रुपये से ऊपर मालगुजारी देने वाले जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट नहीं दी जायगी । अब रिहैबिलिटेशन ग्रांट में कितनी रकम दी जायगी इसको भी मैं जरा सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं । १ से २५ तक वाले १ करोड़ ५० लाख, २५ से ५० तक वाले ५० लाख, ५० से १०० तक वाले ५७ लाख, १०० से ढाई सौ तक वाले ७९ लाख मालगुजारी देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—ये फीगर्स तो पहले भी पेश हो चुकी हैं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, ये पेश नहीं हुई हैं। रिहैबिलिटेशन ग्रांट में कितनी रकम जायगी यह जरा सम्मानित सदस्य समझ लें, क्योंकि यह जो मालगुजारी है उसी मालगुजारी के एक हिस्से को कम करके उस पर २१ गुना, १७ गुना, १५ गुना, ८ गुना, लगाया जायगा। तो ढाई सौ से ५०० तक वालों को १ करोड़ ११ लाख, ५०० से २००० तक वालों को १ करोड़ ६० लाख, २००० से ३,५०० तक वालों को ३० लाख, ३,५०० से ५००० तक वालों को १७ लाख और ५००० से १०००० तक वालों को ३० लाख मिलेंगे।

अगर इन तमाम फीगर्स को जोड़ें और इन फीगर्स के गुणा को जोड़े तो क्या यह पचासों करोड़ के ऊपर रकम नहीं जाती। पांच मिनट का समय मिलता तो पूरी फीगर्स इस सदन के सामने रख देते। तो श्रीमान्, अगर इस संशोधन को यह सरकार मान जाय तो न इस सदन के समय को व्यर्थ में नष्ट करने की आवश्यकता महसूस होगी और न जो तमाम प्रस्तावित कर हैं उनको लगाने की जरूरत पड़ेगी। छोटा सा संशोधन है मगर इसका अर्थ बड़ा व्यापक है और उस व्यापकता को देखते हुये अगर इसको माना जायगा तो जनता का कल्याण होगा, गरीबों का कल्याण होगा और जो यहां पर बार बार सरकार के द्वारा उन पुराने अखराजातों को सुरक्षित करने के विधेयक रखे जाते हैं उनके जरिये जो सदन का समय नष्ट होता है वह भी बच जायगा। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से और ज्यादातर जो इस सदन में सम्मानित सदस्य बैठे हुये हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि चाहे वे इस क्लाज पर आज डिस्कशन रुकवा दें यह बाद में हो जायगा। एक बात समझ लें कि अगर यह आज पास नहीं हो जायगा तो कोई जमीन नहीं फट जायगी, इस पर वे कैबिनेट में विचार करें तो संभव है कि वे इस संशोधन को मान लें। इसलिये मैं उनकी सद्बुद्धि को अपील करते हुये कहूंगा कि हमारे ऐसे भाई जो गरीबों के उद्धार के लिये लालायित रहते हैं वे आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर कम से कम इतनी बात तो कहें कि सरकार आज इस क्लाज पर विचार करना स्थगित करे, इसको अपनी पार्टी में जा कर विचारे और अगर उनकी पार्टी की भी यही राय हो तब तो ठीक है, उनका बहुमत है, जो चाहें करें। जो भी आफत ढाने वाला कानून यहां बनेगा उसका भुगतान तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज नारायण, राम नारायण त्रिपाठी और श्री गेंदा सिंह, यह तीनों एक ही पार्टी के सदस्य हैं। तीनों को प्रायः वही बातें कहनी थीं लेकिन फिर भी तीनों ने उनको अलग अलग कहा। मैं आपके जरिये से उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अच्छा तो इसमें हो कि उन तीनों में से जो ज्यादा सैद्धांतिक बात कह सकता हो तो उसी एक आदमी के ऊपर बार छोड़ दिया जाया करे क्योंकि तीनों अलग अलग कहें तो हम लोगों का भी सब का प्याला फैल जाता है। फलां निजाम साहब को इतना रुपया, फलां राजा साहब को इतना रुपया दिया, पाकिस्तान वगैरह की बातें कही गयीं, कैपिलिट्स का जिक्र किया गया और गरीबों तथा भूमिधरों की भी बातें कही गयीं और बहुत दिनों से हमारे दोस्त किसी ऐसे मौके की ही तलाश में थे। उनको एक मौका मिल गया, बड़ी खुशी की बात है।

जो आर्गुमेन्ट्स दिये गये हैं उनमें एक भी नया नहीं है। उनका जवाब यहां भी दिया जा चुका है और गांव गांव में दिया जा चुका है। पुराने जमाने में जबकि दकियानूसी राज्य था, यह हाउस जब का नहीं है। यह अभी चुनकर आया है जिसको अभी एक साल भी नहीं हुआ है। मुझे मालूम है कि प्रजा पार्टी में सोशलिस्ट और कृषि मजदूर प्रजा पार्टी तथा अन्य पार्टियों का सबका बड़ा भाग और बड़ा अंश एक ही प्लेटफार्म पर यही था कि मुआविजा न दिलाने का तथा भूमिधरी स्कीम, जो भूमिधर हो गये हैं, उनको रुपया वापस दिलान की बातें और यह जमीन मुफ्त दिला देंगे, इस किस्म की सारी बातें इन पार्टीज ने रखी थीं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद लोगों ने स्वतन्त्रता पूर्वक चौईस कर ली है। लिहाजा अब चुनाव होने के बाद यह बातें कहने के लिये बड़ी हिम्मत होनी चाहिए।

श्री रामनारायण--श्रीमान्, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं। चुनाव की बातें हमने यहां नहीं कही थीं। यह झूठ बात है।

श्री चरण सिंह--लेकिन मुआविजे की बात कही थी और भूमिधर बनाने को कहा था और जोर लगा दिया गया था कि मुआविजा नहीं देंगे और हम जमीन मुफ्त दिला देंगे। इस किस्म की बातें उनकी तरफ से कही गई थीं। लेकिन इन बातों के बावजूद जो बात हुई वह सब पर जाहिर है और हमारे मित्रों पर भी जाहिर है। अब उन बातों को दोहराना बेकार है। मैं सदन का समय इस सिलसिले में लेना नहीं चाहता हूं। केवल कुछ आंकड़े बतलाना चाहता हूं। कहा यह जाता है कि २५० रुपये से ऊपर वाले जमीन्दारों को पुनर्वासन अनुदान न दिया जाय। २५० रुपये से नीचे वालों की तादाद १९,८६,००० है और ऊपर वालों की तादाद केवल ३०,००० है। कहा यह जाता है कि बड़ी तादाद वालों को तो अनुदान दिया जाय, लेकिन इन ३०,००० लोगों को न दिया जाय और २५० रुपये से ऊपर वाले जमीन्दारों के पास केवल १२ लाख एकड़ सीर है और २५० रुपये से नीचे वाले जमीन्दारों के पास ५९ लाख एकड़ सीर है। मालगुजारी और अनुदान छोड़ दिया जाने वाला है तो बहुत से ऐसे मालगुजार हैं जिनके पास सीर और खुदकाश्त नहीं है। उनके लिये कोई जमीन खेती करने के लिये नहीं रह जायगी।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं.....

श्री देवदत्त मिश्र--मुझे निवेदन करना है कि क्लोजर पहले मूव किया जा चुका है। उसे ही पहले उपस्थित किया जाना चाहिए।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, जब आप पहले श्री कमला सिंह जी को आज्ञा दे चुके हैं उसके बाद क्लोजर की बात उठाना एक अजीब सी बात है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और श्री कमला सिंह जी को भाषण देने का मौका देंगे जिनको आप पहले ही आज्ञा दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष--यह सब ठीक है। लेकिन अपराध मेरा ही है। क्लोजर पहले ही मूव हो चुका था। इसलिये पहले उसी पर राय लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर एक लम्बा वाद-विवाद हुआ और मैं उसे गौर से सुनता रहा। मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी की बात सुनने के लिये बैठा था लेकिन उन्होंने इसको इतना कम महत्व दिया कि जिसकी आशा मैं नहीं करता था। मैं तो यह खतरा देखता हूं कि सरकार की ओर से सारे सूबे के किसानों के ऊपर कर लगाने की योजना बनाई जा रही है और वह योजना चाहे कितनी ही विषैली हो लेकिन मालूम होता है कि वह किसी न किसी तरह से हमारे ऊपर लदेगी। कुछ दिनों पहले एक बार माननीय राजस्व मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य के दौरान में कहा था कि किसानों के लगान के घटाने का प्रश्न नहीं है, उनका लगान तो बढ़ेगा ही। ऐसा जहां तक मुझे याद है उन्होंने कहा था। लगान बढ़े या न बढ़े लेकिन दूसरे प्रकार के कर अगर बढ़ा दिये जायं तो यही किसानों के लिये बड़ी भारी मुसीबत की बात होगी। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले इसी सदन में मैंने संशोधन रखते हुए सरकार से निवेदन किया था कि सरकार उन किसानों को भी भूमिधर बना दे जो किसान मौरूसी काश्तकार हैं या दखीलकार काश्तकार हैं, जिन्हें सीरदार कहा गया है। लेकिन उस सिलसिले में उस संशोधन का विरोध करते हुए माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा था कि परेशानी उनको यह है कि यदि वह उनको भूमिधर बना दें तो सरकारी मालगुजारी कम हो जायगी और उसके साथ ही उनके सामने यह भी परेशानी की बात थी कि जब जमीन्दारों को मुआविजा देना ही है, रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देना ही है, तो वह पैसा कहां से ले लावेंगे। आज हमें जो कुछ भी कहा जाय कि हम कानून की नासमझी करते हैं, कानून की किताबों को नहीं पढ़ते

[ श्री गेंदा सिंह ]

हैं, लेकिन जितना भी पढ़ते हैं उनको सोच समझ कर पढ़कर उन पर चलने की कोशिश करते हैं । जब हमने यह संशोधन रखा था कि उन किसानों को भी भूमिधर बनाया जाय जिनको मूल अधिनियम से भूमिधर बनने का हक नहीं है तो हमने उसी विचार को दृष्टि में रखते हुए यह संशोधन भी रखा था कि सरकार की जिम्मेदारी जो पुनर्वासन या प्रतिकर देने की है उसे भी कम कर दिया जाय । परन्तु उस संशोधन पर सरकारी पक्ष ने विचार नहीं किया और बड़ी निर्दयता पूर्वक उस संशोधन को ठुकरा दिया गया । उसका सीधा अर्थ है कि वह आज उन किसानों से भी दसगुना वसूल करने के हामी हैं जो आज भूखों मर रहे हैं । सारे प्रदेश के किसानों में से जो ढाई एकड़ से कम के किसान हैं, जिनकी संख्या ७० फीसदी है उनसे भी दस गुना वसूलने का अभी सरकार का मोह नहीं छूटा और उनसे भी दस गुना अभी वसूल किया जायगा । ऐसा सोचा जाता है, अगर यह नहीं होता तो सरकार इस संशोधन को नहीं मानती । वह जो मोह है वह इसलिये है कि सरकार को मन्जूर है कि उन लोगों को पैसा जरूर दिया जायगा, उन लोगों को रिहैबिलिटेशन करने के नाम पर दुरुपयोग के लिये धन उनको जरूर दिया जायगा जिन्होंने हमारे समाज को कंगाल बनाया, हमारे गांव के किसानों को तबाह किया, परेशान किया, उनको पैसा देने में हमारी सरकार को संकोच नहीं है । हमारी तो एक निश्चित योजना है और हम इसे समझते हैं कि यह सरकार इसे लागू नहीं कर सकती । लेकिन फिर भी जब सरकार खतरे की ओर जाती है तो उसे आगाह करना हमारा फर्ज है । हमारे विरुद्ध कहा जाता है कि हम मौके बेमौके अपनी बात कहना चाहते हैं । हम बेमौके कोई बात नहीं कहना चाहते हैं । जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा । माननीय राज नारायण, माननीय राम नारायण जी और मैं एक ही बात कहते हैं, परन्तु तीन आदमी कहते हैं । हमें दुख है कि हम तीन ही अपनी बात दोहराते हैं । अगर हमारी संख्या इतनी होती कि हम इस विधेयक को बदल सकते तो हम एक ही बात कह करके एक मिनट भी नहीं लगता कि इसे बदल देते । कानून बनाने का मन्शा क्या होता है, और उसका अमल क्या होता है ? इसकी कहानी भी बड़ी दुखदाई है । हमें कागज के फंदे में फंसा करके परेशान किया जा रहा है । हमसे कहा जाता है कि विधान का बन्धन है और उसमें जो आज इन्सान की आवश्यकतायें हैं, जो मानवता की आवश्यकतायें हैं, उन्हें आंखों से ओझल किया जा रहा है । क्या यह आवश्यक नहीं है कि आज प्रदेश के जो ७० फीसदी किसान ढाई एकड़ से कम के हैं उनकी मदद की जाय ? चाहे वे किसी तरफ के रहने वाले हों लेकिन जो भूखे और नंगे हैं, चाहे वह पश्चिम के हों या पूरब के हों, क्या सरकार उनकी हालत से संतुष्ट है ? यदि संतुष्ट समझती है तो यह सरकार के लिये खतरे की घंटी है । हम नहीं चाहते कि हिन्दोस्तान में ऐसी अव्यवस्था पैदा हो कि यह सरकार भी लदे और उसके साथ साथ यहां का प्रजातन्त्र भी लदे । हम इस प्रजातन्त्र के हामी हैं । हम आर्थिक प्रजातन्त्र चाहते हैं और हम आर्थिक समानता के हामी हैं । उसी के नाम पर हम इस तरह का संशोधन लाते हैं । हुकूमत अपने वायदों को और घोषणा पत्रों को भूल कर आज यहां कानून बना रही है । इतिहास इसका बदला लेगा । अभी मैंने उनके सन् ५१ के चुनाव के घोषणापत्र में से एक सेन्टेन्स पढ़कर सुनाया था । आर्थिक विषमता को दूर करने का उन्होंने वायदा किया था । क्या आर्थिक विषमता इसी तरह से दूर होगी कि १० हजार से ऊपर वाले जमीन्दार को हम रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दें ? इस सरकार के लिये यह बहुत खराब बात है । मालूम होता है आर्थिक समता की, इस सरकार को कोई दूसरी परिभाषा करनी होगी । अगर वह परिभाषा महात्मा गांधी की होती तो आज हमारी हालत दूसरी होती । और वह सरकार को बाध्य करती कि इस प्रकार पुनर्वासन अनुदान के नाम पर धन का दुरुपयोग न करें । हम फैयाजी की तारीफ कर सकते हैं कि हुकूमत बड़ी फैयाज है । लेकिन यह फैयाजी गरीब लोगों के ऊपर क्यों नहीं होती ? क्यों कुछ थोड़े से बड़े बड़े जमीन्दारों के लिये हो रही है । हुकूमत यह फैयाजी उनके साथ क्यों नहीं करती है जिनके नाम पर यहां आकर बैठी हुई है ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह—यह ठीक काम है, फैयाजी नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—आप भी इस प्रकार फैयाजी करने के नाम पर फैजाबाद की जनता द्वारा नहीं आये हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मुझे कहने में शर्म नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—यदि शर्म होती तो ऐसी बात नहीं करते क्योंकि वहां जाकर जवाब क्या देंगे? मैं समझता हूं कि सरकार ठंडे दिल से विचार करे, इसलिये मैं कोई देर करने के लिये या कोई वक्त टालने के लिये यह बात नहीं कह रहा हूं। मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ इस बात को रखना चाहता हूं। हमारे माननीय सदस्य और इस हुकूमत के जो चलाने वाले हैं, माननीय मन्त्रीगण, वे अब भी उस आर्थिक समता की बात करते हैं, दलील देते हैं और उसके लिये प्रयत्न करने की बात करते हैं। वे अपनी कठिनाई बताते हैं लेकिन अगर हम उनकी इस कठिनाई का रास्ता बताते हैं तो वे नाराज क्यों होते हैं? और विधान के बहाने उससे दूर क्यों जाते हैं? इसी सदन ने यह कानून बनाया था, अगर उसमें कोई खामी रह गयी थी तो उसको दूर करने के लिये अगर हम कोई रास्ता बताते हैं तो हमारे रास्ते में हर दो कदम पर विधान रुकावट डालता है। विधान भी तो आप ने ही बनाया है और मैं कहता हूं कि जिस वक्त जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को इस प्रदेश के जमीन्दारों ने चैलेन्ज किया तो क्या कांस्टीट्यूशन में तब्दीली नहीं हुई है? तो आज समय की मांग है कि ७० फीसदी किसानों और भूमिहीन मजदूरों का संकट हटाया जाय। उनके खाने और पहनने का इन्तजाम किया जाय। यह बन्दोबस्त इसी भूमि सम्बन्धी कानून के जरिये हो सकता है। हम प्रदेश की ७ करोड़ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में कानून बनाने जा रहे हैं। भूमि से अन्न पैदा होता है, अन्न से पेट भरता है, तो फिर ऐसी हालत में इस कानून से देश का कल्याण होने वाला है, यदि इस उद्देश्य से बने और इसी वजह से मैं इतना जोर देता हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट का रुपया है क्या उस रुपये को सरकार अपने हाथ में रख कर देश के कल्याण का कोई रास्ता ढूंढ़ने में असमर्थ हो रही है। यह ३४ करोड़ रुपया जो किसानों का खून पसीना को कमाई का सरकार के हाथ में आया है, मैं चाहता हूं कि सरकार उसको फैयाजी से न खर्च करे और उस काम में खर्च करे जिससे देश का उत्पादन बढ़े, लोगों को रोटी मिले और लोगों का काम धन्धा बढ़े। अगर आप बांट देते हैं, कुछ दिनों में कागज तैयार होने के बाद बटवारा होगा और भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न रकम मिलेगी तो क्या सरकार इससे आशा करती है पाने वाले कोई खेती की तरक्की कर सकेंगे या अपने बच्चों को तालीम दिला सकेंगे। मैं दूसरी जगहों का कोई उदाहरण देने का आदी नहीं हूं और न उसमें सदन का समय लूंगा। लेकिन एक बात मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस रिहैबिलिटेशन ग्रांट के न देने पर यह बात हो सकती है कि थोड़ी देर के लिये नाराजगी फैले, लेकिन जो नाराजगी फैलेगी वह मुट्ठी भर आदमियों में ही फैल सकती है। उसके बाद अगर हम एक सुनियोजित योजना पर दो तीन वर्ष तक काम करते रहें तो क्या जिन्हें कुछ रुपये देकर उसका दुरुपयोग करने का मौका दिया जा रहा है उनका लाभ उसमें नहीं होगा? और उसी रुपये को लेकर खेती की तरक्की के लिये खर्च करें तो देश की हालत बेहतर होगी। जो आज बड़े बड़े लोग हैं, अपनी खेती समुचित रूप से नहीं कर पाते हैं, दो सौ या हजार एकड़ खेती करते हैं लेकिन उनकी आमदनी नहीं बढ़ती, उन खेतों के पानी के लिये, अच्छे तरीके से खेती करने के लिये यदि हम सामान मुहय्या करें, हम उन खेतों के लिये अच्छे बीज देने का प्रबन्ध करें तो इस रुपये से हमारे देश का उत्पादन बढ़ सकता है और अगर उत्पादन बढ़ा तो हमारी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, हमारा उद्योग बढ़ेगा।

हमारे गांव के किसानों को अगर आमदनी होती है तो उस आमदनी से वे ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिन चीजों के उत्पन्न होने से अधिक पैदा हो जाने से ज्यादा मुसीबत पैदा होने का खतरा दिखलाई देता है। हम सब उसके भुक्तभोगी हैं और खास तौर से उत्तर प्रदेश के ईख उत्पादक भुक्तभोगी हैं और उसमें भी माननीय राजस्व मन्त्री जी का जिला ज्यादा भुक्तभोगी है। पिछले साल गन्ने का भाव १ रु० १२ आने मन था। लेकिन क्या बहुत से लोगों ने अपना गन्ना ८ आने मन के भाव से मिलों को नहीं बेचा? ७–८ जुलाई तक गन्ने

[श्री गेंदा सिंह]

की मिलें चलीं और उन्होंने ८ आने मन तक करोड़ों मन गन्ना खरीदी। इस नाम पर कि चीनी खाने वाले देश में नहीं हैं, ओवर प्रोडक्शन हो गया है। मैं कहता हूं कि अगर आज किसानों की हालत सुधर जाय, माली हालत ठीक हो जाय तो क्या वे नहीं चाहते कि वे भी चीनी के शर्बत पीयें, क्या वे नहीं चाहते कि वे हलवा खायें ? अगर इस देश के किसान चीनी का शर्बत पीना शुरू करें, हलवा खाना शुरू करें तो क्या चीनी के ओवर प्रोडक्शन का सवाल खड़ा हो सकता है ? ओवर प्रोडक्शन की बिना पर ही सरकार को गन्ने का दाम कम करना पड़ा और इस साल के लिये १ रु० ५ आ० तय हुआ है। क्योंकि चीनी बहुत ज्यादा पैदा हो गयी है। तो मैं आपसे कहता हूं कि किसानों की हालत को दुरुस्त करने का एक ही मार्ग है कि इस देश की जनता की माली हालत दुरुस्त की जाय और देश की माली हालत दुरुस्त करने का यही मार्ग है कि गांव की माली हालत को ठीक करके देश को उठाया जाय। मैं बहुत ही अदब के साथ यह गुजारिश करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से, कि जो रास्ता सरकार ने पकड़ा है उस रास्ते से माली हालत नहीं दुरुस्त हो सकती है। अगर माली हालत दुरुस्त नहीं हो सकती है तो कौन दुनिया में ऐसी ताकत है जो आर्थिक संकट को आने से रोक सके। जो सरकार का ढंग है उस ढंग से आर्थिक संकट आने से कोई ताकत दुनिया में नहीं है जो रोक सके। सरकार तो समझती है कि किसान ऐसे हैं जिनसे अधिक से अधिक पैसा वसूल किया जा सकता है। वह इसलिये कि किसानों की सिधाई और सच्चाई का बेजा फायदा सरकार उठाना चाहती है। क्या सरकार इस बात के लिये राजी है कि इस सदन में उठ कर सरकार का कोई माननीय मन्त्री कहे कि सरकार का कोई इरादा किसानों पर नये टैक्स लगाने का नहीं है ? और नहीं इरादा है कि इस तरह से पब्लिक के ऊपर कर बढ़ाया जाय।

श्री चरण सिंह--और आबपाशी का लगान माफ कर दिया जाय ?

श्री गेंदा सिंह--मैं नहीं कहता कि आबपाशी का लगान माफ कर दिया जाय बल्कि मैं तो नये टैक्सों को लगाने का विरोध करता हूं। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी या कोई अन्य मन्त्री महोदय इस बात का एलान कर दें कि नया टैक्स किसानों पर कोई नहीं लगाया जायेगा तो मैं सिद्धान्त की बात होते हुय भी इस संशोधन को वापिस ले सकता हूं। मैं इसको अपनी खुशकिस्मती मानूंगा अगर कोई मन्त्री महोदय इस बात को हाउस में उठकर कहें। मुझे इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रदेश का किसान टैक्स देने के लिये तैयार नहीं है। तो या तो हम किसानों को छोड़ दें इस बात के लिये वह अपना रास्ता ढूंढें इस सरकार को मनवाने का और उसको दुरुस्त करने का और रास्ते पर लाने का, और नहीं तो अगर हम डिमोक्रेसी की हिफाजत करना चाहते हैं तो हमको उनका नेतृत्व करना पड़ेगा, और जो किसान इस सरकार के जुल्म और ज्यादती से तबाह हो रहे होंगे उनको बचाना पड़ेगा। उसका परिणाम यह होगा कि एक तरफ सरकार की तोप, पुलिस और ताक़त होगी और दूसरी तरफ हमारा सीना होगा। ऐसा वक्त न आवे इसे मैं भी चाहता हूं। और इसीलिये पहिले ही से आगाह कर रहे हैं। क्योंकि कोई शौक थोड़े है कि हम रोज इस सरकार से लड़ाई लड़ा करें। मैं आज इस बात को कह रहा हूं कि आसानी से हुकूमत चला करे, प्रजातंत्र की हिफाजत हो और दूसरे लोगों को मौक़ा न मिले कि दूसरी तरफ लोगों को ले जायं इसलिये हम भी उतने ही चिन्तित हैं जितने चिन्तित हमारे मन्त्रीगण है और इसीलिये हम भी कहते हैं कि पुराने पक्षपातों को छोड़ें और जिसका वादा हमने किया है उस काम को शुरू करें। रिहैबिलिटेशन ग्रांट के संबंध में जमींदारी अबालीशन कमेटी की राय है उसका मैं थोड़ा सा हिस्सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। सौभाग्य से इस सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी उसके चेयरमैन थे और माननीय राजस्व मंत्री भी उसके सदस्य थे और उनकी राय वहां पर सबसे अधिक मानी जाती थी। उस कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ ४३२ पर साफ यह लिखा हुआ है --

मैकमिलन कमेटी के निम्नलिखित उद्धरण से भी यह बात प्रमाणित होती है --

"बैंकों की जमा रक़म के बारे में यह सोचना अस्वाभाविक नहीं है कि वह लोगों के बचत के रुपये या जिस रक़म की तत्काल आवश्यकता नहीं है, उसे जमा कर देने से बढ़ती है। किन्तु

बैंकों में जमा अधिकांश रक़म स्वयं बैंकों की कार्रवाई से ही जमा होती है। लोगों को ऋण देकर या जमा से अधिक रुपया निकालने की सुविधा देकर बैंक अपनी साख बनाता है, इसी से बैंकों में जमा की रक़म बढ़ती है"।

यह तो मैकमिलन कमेटी की रिपोर्ट है और अब कमेटी के माननीय सदस्यों की क्या राय थी, उसको पढ़कर सुनाता हूं—

"इसीलिये यह सुझाव रखा गया है कि मुआवजे की रक़म प्रान्तीय सहकारी बैंकों, सेन्ट्रल बैंकों तथा गांवों की सहकारी समितियों के मियादी खातों में जमींदारों के नाम से जमा की गयी रक़म के रूप में दी जाय। मियादी खातों में जमा रक़में स्वभावतः दूसरों के नाम बदली न जा सकेंगी। सरकार उनपर यह प्रतिबन्ध भी लगा सकती है कि ये उनके नाम हस्तान्तरित नहीं की जा सकती जो सहकारी समितियों के सदस्य न हों। यह बताया गया है कि इस प्रकार के भुगतान का लाभ यह होगा कि प्रथमतः सहकारी समितियों के पास रक़म जमा रहने से नये धन या नयी मुद्रा की सृष्टि न होगी, दूसरे इस रक़म से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के काम में पूंजी लगायी जा सकेगी"।

तो यह कोई नई बात हम नहीं कह रहे हैं। यह तो उस कमेटी ने भी सोचा था कि कृषिकार्यों में इस धन को लगाया जाय और इस पर रोक लगायी जाय जिससे इसका दुरुपयोग न हो सके। अगर हम आज यह कहते हैं कि इसका दुरुपयोग न हो, और ऐसा बन्दोबस्त सरकार करे,तो कौन सी परेशानी की बात होती है। हां, एक परेशानी की बात हो सकती है। वह यह कि अपने पुराने साथियों से उस पर सरकार अपने को उठा नहीं पाती है, पुराने दकियानूसी जमींदारों और पुराने शोषकों से अपने को अलग नहीं कर पाती है। मैं यह नहीं कहता कि पूरी कांग्रेस में सभी लोग ऐसे ही हैं। यह मैं जानता हूं कि कांग्रेस दल के भीतर भी हमारी तरह से सोचने वाले कुछ लोग हैं। मुमकिन है कि हमसे भी अच्छा सोचते हों। तो अगर यह बात सही है तो उससे ऊपर उठना चाहिए क्योंकि कांग्रेस दल यह कह करके इस सदन में अपने को बहुमत में नहीं लाया है कि हम जा करके इसी प्रकार का कार्य करेंगे जैसा कि वह कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट की बात है वह ढाई सौ रुपये मालगुजारी देने वालों की है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनकी संख्या १९ लाख ८६ हजार है, २० लाख कुछ जमींदारों में से, उनको हम देने की बात मानते हैं। तो कोई खतरा नहीं पैदा होता। कोई ऐसी बात नहीं पैदा होती कि यह सरकार बड़ी अलोकप्रिय हो जायगी। अगर थोड़े से लोगों में अलोकप्रिय होगी तो बहुत से लोगों में लोकप्रिय भी तो होगी क्योंकि ७० फीसदी किसानों से रुपया लेने की जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। और अगर ऐसी बात न हुई और साथ ही खेती की तरक्की हमने की तो फिर बहुत से लोग सरकार का झंडा उठाने को तैयार होंगे। सरकार का जय जयकार बोलेंगे। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जो सरकार के रास्ते में रुकावट डाले। अगर कोई रुकावट है तो वह सरकार के इरादे और नीति से है। जिस काम को सरकार नहीं करना चाहती है उसके लिए मालूम नहीं कौन कौन से बहाने बताये जाते हैं। मैं नियत पर हमला नहीं करता कि उनकी नियत खराब है। लेकिन मैंने इतना जरूर देखा है और कुछ दो चार महीनों में जो अनुभव हुआ है उसको मैं उनकी खिदमत में जरूर कह देना चाहता हूं।

जिस कार्य को उनको करना होता है उस कार्य के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। कांस्टीट्यूशन में तब्दीली भी हो सकती है। लेकिन जिस काम को नहीं करना है उसके लिए मालूम नहीं कितने कितने क़ानूनी बंधनों में हम अपने को उलझा देखते हैं। और हमारे लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अभी कुछ देर पहले बात हुई कि क़ानून ऐसा सीधा-सादा है। लेकिन इतना सीधासादा क़ानून तो किसानों के लिए है जिसमें कि वकील भी फंस कर घंटों गंवाते हैं। और अगर इस तरह का क़ानून हो जिस क़ानून में हम किसानों का भला करना चाहते हों, देश के ग़रीबों का भला करना चाहते हों, इस सरकार का भी भला करना चाहते हों उस वक्त क़ानून चलने ही न दें तो आखिर क़ानून आदमी के लिए या आदमी क़ानून के लिए?

एक सदस्य--दोनों बातें हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं यह कहना चाहता हूं कि क़ानून जो है वह आदमी के लिए बना करता है। क़ानून मनुष्य की सहायता और उन्नति के लिए है न कि इसलिये कि जब मानव-जीवन को उठाने और उन्नति का मार्ग ढूंढा जाय तो वह रुकावट के लिये सामने खड़ा हो जाय। क़ानून मनुष्य के लिये है न कि मनुष्य क़ानून के लिये ?

एक सदस्य--दोनों बातें हैं।

श्री गेंदा सिंह--मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि क़ानून जो बनता है वह मनुष्यों द्वारा और मनष्यों के लिये। आदमी के लिये, पब्लिक को राहत के लिये क़ानून बना करता है। क़ानून मांग करता है किसी क़ानून बनाने के लिये। कोई जमाना था कि जबकि कोई क़ानून नहीं था। जो मनुष्य करता था वही क़ानून था। लेकिन आप किसी क़ानून को ऐसा न बनायें कि आम तौर से लोग उस क़ानून को तोड़ने लगे। फिर तो वह क़ानून नहीं है और फिर इसका मतलब है कि उस क़ानून को बदलने की जरूरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम को ६३ दफाओं में थोड़ी सी ही धाराओं में नहीं बोलन की जरूरत है। फिर भी कुछ ही धाराओं को बदलने से उस क़ानून का रूप बदल जायगा और उसके फलस्वरूप प्रदेश की रूपरेखा बदल सकती है। मैं सरकारी पक्ष से ढंडे दिल से विचार करने को कह रहा हूं। मैं तो कह सकता हूं कि मैं गैर ज़िम्मेदारी की बात नहीं कह रहा हूं। देश और देश के बसने वालों के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी है और उसके नाते मैं यह बात कह रहा हूं।

जब देश का पैसा सरकार के पास आता है तो वह देश की थाती है, उसको इस फैयाजी के साथ दुरुपयोग में नहीं खर्च करना चाहिये। नेक कामों में खर्च किया जाय, कोई ताक़त आपको नहीं रोक सकती। हमारे पास अगर इससे भी मजबूत शब्द होते तो हम आपके सामने कह करके आपको राजी करने की कोशिश करते, लेकिन मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। मैं सीधी बात आपके सामने रख कर अपील करना चाहता हूं कि आप फिर सोचिये इस प्रश्न पर। हो सकता है कि हुकूमत जल्द से जल्द इस क़ानून को पास करना चाहती हो। तो हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी समझती है, हम अपनी समझते हैं और हम अपनी बात कह करके स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमारे लिये दरख्वास्त करने के सिवा और रास्ता ही क्या रह जाता है। जो हालत हुई है किसानों की वह हमारे दिमाग़ में यादगार है कि जिस तरह से १० गुना वसूली हुई। मेरठ, मुज़फ़्फ़रनगर की खबर तो मुझे नहीं है, लेकिन कुछ ज़िलों की खबर हमको है और खासतौर से बस्ती का ज़िला, जहां १० गुने की वसूली की गयी--उसी हिस्से में पिछले वर्ष घोर अकाल पड़ा। मैं उस पुरानी बात को दुहराना नहीं चाहता, लेकिन आज भी किसान समझता है कि हमसे १० गुना लेकर धोखा दिया गया और जिसने १० गुना नहीं दिया वह अपने को बंधा हुआ मानता है। सरकार वह इसलिये लेती है कि वह अपनी ज़िम्मेदारियों को समझती है और जो इस क़िस्म की ज़िम्मेदारी है वह फिजूल है। तबाह करने वाली है। उससे वह अपने को बरी करे। उसका नतीजा यह होगा कि किसान को खदेड़ना नहीं (परसुयेड करना नहीं) पड़ेगा और न हाकिमों से १० गुना वसूली के लिये कहना पड़ेगा।

श्री चरण सिंह--कौन कहता है ?

श्री गेंदा सिंह--हमको खुशी इससे जरूर होती है कि शायद अब वह आगे नहीं कहेंगे। लेकिन जो रक़म सन् १९४८-४९ में अमानत के नाम पर सरकार ने लोगों से जमा करा रखी थी १,८२ लाख उनसे कोआपरेटिव बैंक में इस भरोसे पर जमा करा रखी थी कि उसमें से बुरे वक्त पर जमा करने वालों को कुछ मिल सकेगा। मुझे सही आंकड़े तो याद नहीं हैं, इस सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि एक बार यह बताया गया कि २५ लाख रुपया देवरिया में जमा कराया गया था, और यह भी बताया गया कि १७,६५ हज़ार रुपया जमा है किसानों को देने के लिए। लेकिन फिर दो तीन दिन बाद बताया गया कि नहीं हिसाब गलत है, सही

हिसाब बतलाया जायगा। एक महीने के बाद हमको यह बताया गया कि २५ लाख रुपया तो देवरिया के किसानों ने जमा किया था गन्ने के दाम पर ४८-४९ में। लेकिन उन्हें २८ लाख दे दिया गया। २५ लाख जमा किया था २८ लाख दिया गया। आश्चर्य होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात आपसे कहता हूं कि मुझे भ्रम था कि मेरे भी नाम से जो गन्ना गिरा था और जो अमानत की रक़म जमा हुई थी, उस रक़म को भी पटवारियों ने जमा कर दिया है १० गुना में। इत्तफ़ाक़ से मैं दस्तखत बनाता हूं। अब जब कि मैंने एक मर्तबा एक महीने पहिले वहां के एस० डी० ओ० से दरियाफ्त किया तो पटवारी ने कहा कि हमारा जमा नहीं है और काग़ज़ हमारे पास मौजूद है। मैं आपसे कहूं कि वह काग़ज़ मेरे पास इस समय भी मौजूद है। इत्तफ़ाक़ से मैंने उपाध्यक्ष महोदय, रखा है उसको। एक बांड तो हमारे चचाजात भाई का है वह भी पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उन पर निशान अंगूठा लगा हुआ है और उस पर शिनाख्त भी किया हुआ है, लेकिन चूंकि हमारे घर का है इसलिए अधिकारियों के जब समझ में यह बात आई कि वह भी मेरे घर के हैं तो शायद उन्होंने उस निशान अंगूठा को काट दिया और शिनाख्त पर दस्तख़त अभी बनी हुई है।

एक मैंने सरकार के सामने यह बात रखी और सदन के सामने रखी कि क्या सरकार की यह ज़िम्मेदारी नहीं है कि वह ग़रीबों से, खेतिहरों से, लाखों रुपया जमा कराया जाता है तो उन लाखों रुपयों को उन किसानों की अमानत को वापस करने की भी ज़िम्मेदारी अपनी समझे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने इन ज़िम्मेदारियों को लेकर के बड़े बड़े ऐसे काम किये हैं जिनको हम कुकर्म कह सकते हैं। उन कुकर्मों से बचाने के लिए यह कहा जाता है कि सरकार इस रिहैबिलिटेशन ग्रांट की और इन सारे मामलों में जहां पर कि जनता के रुपयों का दुरुपयोग करना है, उस तरह की ज़िम्मेदारी से अपने को हटा ले। अगर इस तरह की ज़िम्मेदारी से हटेगी तो ज्यादा भला हमारा नहीं होगा बहैसियत इसके कि हम उस सरकार के राजनीतिक शत्रु हैं, ज्यादा भला आपका, उधर बैठने वालों का होगा। हमारा भला तो यही है कि जल्दी से जल्दी आप उन सीटों से हटें और उन पर हम आकर बैठें। (एक सदस्य--जो कभी होने को नहीं है) दुनिया में अगर कोई आदमी यह समझ ले कि उसके अन्दर कमजोरी है, वह बीमार है, उसको इलाज करना चाहिए तो शायद वह दुनिया में कुछ दिन और जी सकता है लेकिन अगर सन्निपात हो जाय किसी को तो उसे सही बात थोड़े सूझती है। हम यह नहीं कहते कि सन्निपात हो गया है राजस्व मन्त्री जी को लेकिन इस सरकार को अवश्य सन्निपात हुआ है और यह सरकार सही तरीक़े पर सोच नहीं सकती। सरकार को हम रास्ता यह बतायें कि खर्चा बचाओ, रुपया बचाओ, अपनी हिफाज़त करो और फिर उस वक्त सरकार यह कहे कि हम बेवकूफी की बात करते हैं। हम वहां आवें या यहां रहे, हम जनता की इच्छा पर हैं। हुकूमत कभी यह समझती थी कि हम इतने लोग यहां आयेंगे ? व्यक्तिगत बात हो जाती है इसलिए नहीं कहना चाहता हूं।

यह हुकूमत में रहने वाले लोग यह नहीं समझते थे कि जहां से सोशलिस्ट पार्टी के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग कांग्रेस को हरा करके जो आये हुये हैं वे हरा करके चले आवेंगे। यह तो नहीं समझते थे आप लेकिन समझना पड़ा और समझना पड़ेगा सन् १९५७ में। मैं तो आप से कहता हूं कि आप करते चले जाइये इसी तरह के काम क्योंकि हमारे लिये तो आप बहुत अच्छा रास्ता तैयार कर रहे हैं लेकिन डर इस बात का लगता है कि आप जो रास्ता अख्तियार किये हुये हैं, जो यह हुकूमत रास्ता अख्तियार किये हुये है, उस रास्ते को अख्तियार करके वह ऐसी हालत न हिन्दोस्तान में पैदा करदे जिसको न हम चाहते हैं और न देश चाहता है।

आज गांवों की क्या हालत है। इसका सम्बन्ध तो मैं कोई इस संशोधन से नहीं समझता हूं लेकिन इसलिये मैं सम्बन्ध इसका मानता हूं कि अब गवर्नमेंट रुपया वसूल करेगी रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने के लिये, तो वह जिन से वसूल करेगी, उनकी हालत क्या है, उसे जान लेना चाहिये कि गांवों में अराजकता फैल रही है, आज चोरी और डकैती का रोकना दुश्वार है। गांवों में मुक़द्दमेबाजी आपस में बढ़ रही है और कत्ल और बलवे इस क़दर बढ़ गये हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं है। यह बात मानने की नहीं है कि हर आदमी जो चोरी करने वाला होता है

[ श्री गेंदा सिंह ]

वह बदमाश ही होता है और बदमाशी की वजह से वह चोरी करता है। मैं तो यह समझता हूं कि मनुष्य मजबूर होता है कोई काम करने के लिये। परिस्थिति मजबूर करती है किसी इंसान को कि वह इस तरह का काम करे जिसे वह बुरा भी समझता है और फिर सरकार का यह फर्ज होता है कि वह उस इंसान को इंसान बनाने की कोशिश करे। तो इस सरकार से मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार इंसान को इंसान रहने दे और दूसरा कुछ बनाने की कोशिश न करे। इंसान दूसरा कुछ हो सकता है जब वह भूखा होता है, जब भूख से तबाह होता है आदमी तो अगर महर्षि विश्वामित्र चांडाल के घर में जा सकते हैं उस जमाने में जबकि चांडाल को बड़ी नीच दृष्टि से देखा जाता था, तो मैं किसको कहूं कि कौन नहीं कुकर्म कर सकता है। इसलिये मैं अन्त में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामूली से संशोधन को रख करके मैं सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि सरकार जिस तरफ जा रही है उस तरफ जाने से अपने को रोके। अगर वह नहीं रोकती है तो जैसा कि निवेदन मैंने कर दिया कि जो दुर्गति देश की होने जा रही है अगले दो तीन वर्षों में उसको देखने का अवसर मिलेगा। माननीय राजस्व मंत्री जी भी सौभाग्य से यहीं रहेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है लेकिन हम भगवान से यही चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाय और हम लोग हंसी खुशी से इस बात को देखते रहें। उनको स्वयं इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि विरोधवश पहले जिनको हम राजनीतिक शत्रु समझते थे और जिनकी बातों को हम समझते थे कि ठुकराना ही मुनासिब है, अगर वे दिन कहें तो रात कहने वालों की मदद करो, वे मानेंगे कि हमारी बात सही थी। इतना कहने के बाद मैं यह उम्मीद नहीं करता हूं कि इस समय हमारे माननीय राजस्व मंत्री हमारे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे लेकिन मैं इस उम्मीद से बैठ रहा हूं कि माननीय राजस्व मंत्री और हमारे सौभाग्य से हमारे माननीय गृह मंत्री भी बैठे हुये हैं, जो हमारे देश के अर्थ शास्त्रियों में से हैं और समाज शास्त्रियों में से हैं, उनसे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस दृष्टि से विचार करके माननीय सदस्य और यह सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पोच समझकर अपने कंधों पर लादे। अगर सरकार सोच समझकर इन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर नहीं लादेगी तो उसका कुफल सरकार को भुगतना पड़ेगा और उसके साथ साथ कुछ हम को भी भुगतना पड़ेगा, इसी का सबसे भारी डर है।

**एक सदस्य**--तो इधर ही बैठिये आ करके।

**श्री गेंदा सिंह**--मैं तो कभी डरता नहीं वहां बैठने से और आप के साथ बैठने से लेकिन कम से कम माननीय राजस्व मन्त्री जी हमें इस लायक़ तो बनादें कि हम वहां बैठ सकें। क्या हम बैठें वहां इसलिये कि बैठ करके ग़रीबों के खून पसीने का कमाया हुआ रुपया पाइयाजी के साथ लुटावें। मैं नहीं बैठ सकता उनके साथ इस मामले में। बैठने को हम बैठ सकते हैं, कभी आदमी से नफरत हम थोड़े करते हैं और न हमें सिखाया गया है कि आदमी से नफरत करो। हम तो माननीय वीरेन्द्रशाह, माननीय अवधेश प्रताप जी जो रोज़ गालियां देते हैं, उनकी गालियां सुनते हैं और उन्हीं के साथ बैठते हैं और बैठ करके सोचते हैं कि किसी न किसी दिन उनका भी कल्याण होगा। कल्याण लफ्ज़ का अर्थ जो है, मैं शब्द भाषा शास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन कल्याण लफ्ज़ का अर्थ मैं करूंगा। कल्याण में कभी यह नहीं होता कि दूसरों की सम्पत्ति को छीनो। मैं तो कुछ हद तक गांधी जी का क़ायल हूं, उनके अपरिग्रह व्रत का बड़ा प्रशंसक हूं। और सौभाग्य हमारा है कि आखिरी बात कहते समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस सदन में आगये। जो कुछ मैंने कहा है, फिर से कोई साहब कह रहे हैं कि मैं फिर से दोहरा दूं लेकिन मैं यह गुस्ताखी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं करूंगा और जो कुछ मैंने कहा है उसपर फिर से विचार करने के लिये सरकार से कहता हूं। बड़ा ही अच्छा होता कि आज यह सरकार हमारे इस संशोधन को मान लेती। कुछ संयोग अच्छा है क्योंकि विचार करने का मौक़ा होगा और अकेले माननीय राजस्व मन्त्री जी के ऊपर ही अब सारी जिम्मेदारी नहीं आयेगी।

अब अगर इस पर विचार करके इस संशोधन को स्वीकार कर लेते तो कुछ उनके जिम्मे यह पाप ही नहीं माना जाता, मैं समझता हूं यह बड़े पुण्य का काम होता और उसमें ज्यादा हिस्सा उनका होता और अपने अनुपात के हिसाब से कुछ हिस्सा हम भी बटा पाते। इतना कहने के बाद मैं क्षमा चाहूंगा कि कभी मैंने कोई कड़ी बात कह दी हो लेकिन मैंने जो कुछ बात कही है वह बहुत सोच समझ कर कही है। इसी तरह से मैं महसूस करता हूं कि यही रास्ता है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हमारे प्रदेश का कल्याण हो सके।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर दो घंटे अबतक लग चुके हैं और अगर मैंने भी लम्बी तक़रीर की और माननीय गेंदा सिंह जी से आधा भी समय लिया तो साढ़े सात बज जायंगे। माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत फायटिंग स्पीच दी है।

श्री गेंदा सिंह—फायटिंग ?

श्री चरण सिंह—जी हां, मैं उसे फायटिंग ही कहता हूं। जब यह कहा जाता है कि अगर यह संशोधन नहीं किया गया तो किसानों का नेतृत्व आप को करना होगा और सीने पर आप को गोलियां खानी होंगी, यह बात भी कही गयी और इसमें दो रायें नहीं हैं। इसी को मैं फायटिंग कहता हूं और आप गाली खायेंगे या नहीं, इसकी बाबत भी दो राय नहीं हो सकती। तो फायटिंग स्पीच हुई और फायटिंग स्पीच के जवाब में भी बहुत फायटिंग स्पीच दी जा सकती है लेकिन मैं अपनी तबियत को रोकता हूं क्योंकि जजबात के मातहत जब बातें कही जाती हैं तो आदमी दिमाग़ से काम लेना छोड़ देता है। इस हाउस में माननीय गेंदा सिंह जी ने भावना के वशीभूत होकर, जो बातें और जो दलीलें उन्होंने अपनी गांठ में तीन साल से बांध रखी थीं, आज सब उगल दीं। जबसे जमींदारी एबालीशन बिल पास हुआ तबसे जो उनके मन में भरा हुआ था, उन्होंने समझा कि नादिर मौक़ा है, आज कह डालो, फिर मौक़ा मिले या न मिले।

तो इसलिये मैं कोई मुफस्सिल जवाब नहीं देना चाहता और न उस लेविल से जवाब देना चाहता हूं जिस तरीक़े से उन्होंने बातें की हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उनके संशोधन की मंशा केवल इतनी है कि ढाई सौ रुपये से बड़े मालगुजारों को पुनर्वासन अनुदान न दिया जाय। ढाई सौ रुपये से ऊपर वाले जमींदारों को अगर पुनर्वासन अनुदान दिया जाता है तो उनकी पक्की आय का १० से ले कर ८ गुना तक देना पड़ता है, ढाई सौ रुपये तक के जो माल-गुजार हैं उनके अनुदान और मुआविजा का वह बैठता है १९ से लेकर २८ गुना तक और ढाई सौ से १० हजार तक वालों का बैठता है १० से ले कर ८ गुना। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत थोड़ी तादाद इन जमींदारों की है, ३० हजार के क़रीब और उन ३० हजार जमींदारों को अपनी पक्की आय का एक से ले कर ८ गुना तक रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिलेगी और कौन सी पक्की आय का ? जिसमें से मालगुजारी हमने काट ली, अबवाब काट लिया, इन्कम टैक्स काट लिया और १५ फ़ी सदी हमने उनका इन्तजाम करने के खर्चे के तौर पर काट लिया। बहुत से जमींदारों की कुल आमदनी का एक रुपये में ९ आने तक इन्कम टैक्स बैठता है। बहुत से लोगों का जो कुल मुआविजा बैठेगा वह उनकी कुल दो साल की आमदनी के बराबर बैठेगा। यह मुआविजा हम दे रहे हैं और उसको ४० साल में बेबाक करेंगे। इस पर यह कहा जा रहा है कि किसान लूटे जा रहे हैं और बड़ा भारी अन्याय किया जा रहा है। मैं इसको एक निहायत बेजा बात मानता हूं कि जिन लोगों की जायदाद हम ले रहे हैं उनको कुछ न कुछ हम मुआविजा दें और दुनियां भर में मुआविजा दिया गया है जहां शांतिपूर्वक, क़ानून के जरिये जमींदारियां खत्म की गयी हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—रिहैबिलिटेशन ग्रांट की कोई नजीर है आपके पास ?

श्री चरण सिंह—उसको आप यह समझ लीजिये कि १६ गुना मुआविजा छोटे जमींदारों को दिया जा रहा है, उनसे बड़ों को १३ गुना, उसके बाद १० गुना, फिर ९ गुना और फिर ८ गुना। जहां तक किताबों का सवाल है, अभी कल हैरोल्ड लास्की का हवाला दिया गया था, तो जिन लोगों ने किताबें लिखी हैं वे अपने देश में पूरा मुआविजा दे रहे हैं और अदालतों के जरिये जो सय

[ श्री चरण सिंह ]

होता है, फुल कम्पेन्सेशन देते हैं। अभी जो पिछली लेबर या सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने रेलवेज को सोशलाइज किया, बैंक को सोशलाइज किया तो पूरा मुआविजा दिया और उस मुआविजे को अदालत के ऊपर छोड़ दिया तय करने को। तो जहां की आप लोग नक़ल करते हैं वहां पूरा मुआविजा दिया जा रहा है। हम इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन दे रहे हैं और इक्वीटेबिल को तय किया है इस हाउस ने। हमने अदालतों के लिये उसको नहीं छोड़ा। पूरे मुआविजे का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया और उचित मुआविजा कहा और उस उचित मुआविजे को भी तय किया इस विधान मंडल ने और जैसा कि मैंने अर्ज किया बहुत से जमींदारों को तो सिर्फ उनकी दो साल की आमदनी के बराबर मिलता है। फिर किसान लूटा जा रहा है आदि जो बातें कही जाती हैं ये बिलकुल बेबुनियाद हैं और केवल पोलिटिकल प्रोपेगंडा है। कहा जाता है कि बस्ती में किसानों ने रुपया दिया था इसलिये भूखों मर गये। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भूमिधरी का रुपया दिया उन लोगों की हालत ऐसी खराब थी कि जरूरत नहीं थी तक़ावी लेने की, अपनी मालगुजारी माफ़ कराने की और टेस्ट वर्क्स में काम करने की? बिल्कुल गलत बात है। मैं पूछता हूं इसके साथ साथ कि बहराइच के कुछ हिस्से में बहुत बुरी हालत थी और वहां पर ५ फ़ीसदी रुपया जमा हुआ था। अगर किसानों की बुरी हालत हुई तो प्रकृति के प्रकोप के कारण हुई न कि इसलिये कि उन्होंने भूमिधरी का रुपया दिया था। क़ानून में कहा मजबूरी है कि रुपया नहीं दोगे तो सजा हो जायगी, कहां लिखा है कि रुपया नहीं दोगे तो बेदखल हो जाओगे। मर्जी है जो दे दे, न दे, न दे। फिर यह रुपया लिया जा रहा है तो वह क्या मिला जा रहा है। वही जो वह लगान पहले से दे रहे हैं। जो ३० के डिप्रेशन के वक्त तय हुआ है। जब कि आमदनी बहुत गिरी हुई थी और भाव बहुत गिरे हुये थे। जब से एग्रीकल्चरल प्राइसेज पांच गुना तथा छ गुना बढ़ गई है। लेकिन जो उनका लगान था वही लगान देते रहेंगे। मालगुजारी के तौर पर उसी में से मुआविजा दे देंगे जमींदारों को।

जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले कह चुका हूं या इस संशोधन के सिलसिले में कह चुका हूं कि किसान किन बातों को मानता है। बिला मुआविजा के जमीन दिलवा देंगे तो उसको तो किसान चुनाव में तय कर चुके हैं। जो उनको बिला मुआविजा के जमीन देने की बात करते हैं वह अपने मन में छिपाने की बात को छिपाये रखते हैं। यह बात वह जानते थे। इसलिये उसने छोटे सोशलिस्ट लोगों की ही नहीं बल्कि बड़े बड़े धुरन्धर सोशलिस्ट को हमारे मामूली कांग्रेस के लोगों के सामने वोट नहीं दिया। लेकिन फिर भी अब यह कहा जाता है। किसान नहीं चाहता है। अब तो ५ साल बाद बात कीजिये। अब तो मैदान आपका खत्म हो गया है। लिहाजा केवल जजबात की बात करना और विचार से बिल्कुल काम न लेना ठीक नहीं है। बिला मुआविजा के अगर हम जायदाद लेते हैं तो उसके नतायज क्या होंगे, और रिपरकशन्स क्या होंगे। इसलिये हमारे नेताओं ने संविधान ने और हमारे विधान मंडल ने तय किया कि थोड़ा सा मुआविजा देना जरूरी है ताकि हम जमींदारों के आंसू पोंछ सकें।

जमींदारी यह एक सोशल सिस्टम था और जमींदार उसके अंग थे। जो उस समय का क़ानून था और उससे जो फायदा उसको पहुंचता था वह उठाता था। हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं और हम जमींदारों को अपना भाई समझते हैं। रिहैबिलिटेशन ग्रांट न देने की बात जो कही गई है वह अंततोगत्वा ब्वाइल डाउन करती है कि उनको मुआविजा दिया जाय या न दिया जाय। ५ हजार से लेकर १० हजार तक के जमींदारों को मालगुजारी का उनकी पक्की आय का एक गुना मिलता है। वह केवल २० या १५ प्रतिशत होती है। इसी तरह से इन लोगों की बात होती है। एक से लेकर आठ गुना उन्हें मिलता है। मैं इस संशोधन को निहायत अनुचित समझता हूं और सदन को मश्विरा देता हूं कि वह इसको स्वीकार न करे।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १७ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ७३ के प्रतिबन्ध में कोष्ठक व शब्द "(Aggregate Land Revenue)" के बाद शब्द "दस सहस्र" के स्थान पर शब्द "दो सौ पचास" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--११

विपक्ष में--११९ )

श्री कमला सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ७३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अन्तर्गत जो देय या देय समझा जाने वाला अनुदान हो कृषि सम्बन्धी तथा शिक्षा सम्बन्धी उन्नति कार्य में लगाया जायगा।"

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं श्रीमन् का ध्यान नियमावली की धारा १७७ की ओर दिलाना चाहता हूं। हिन्दी की नियमावली में इस प्रकार लिखा हुआ है "प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव के विषय से सुसंगत होना चाहिये जिस पर वह पुरःस्थापित किया जाय।"

उसका तर्जुमा अंग्रेजी में इस प्रकार है--

"An amendment must be relevant to the subject matter of the Motion to which it is proposed."

इस संशोधन का सबजेक्ट मैटर इस प्रकार है कि "और प्रतिबन्ध यह है कि धारा ६६ के खंड (क) अथवा खंड (ग) के उपखंड (१) में वर्णित वर्गों के किसी भी वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध को उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार, ऐसे वक्फ़, न्यास अथवा निबंध द्वारा देय मालगुजारी चाहे कितनी भी हो, पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा। यानी वक्फ और न्यास वालों को पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा, यह धारा है और जो कोई भी संशोधन हो वह इससे रिलेवेन्ट होना चाहिये। जो संशोधन पेश किया गया है मैं उस पर श्रीमन् की व्यवस्था चाहता हूं कि वह किस प्रकार रिलेवेन्ट है। ओरिजनल मोशन यह है कि अनुदान दिया जायगा और संशोधन यह है कि जो कुछ जमींदार को अनुदान में मिले वह फलां काम में खर्च किया जाय यानी संशोधन यह है कि इस धारा के अन्तर्गत जो देय या देय समझा जाने वाला अनुदान हो कृषि सम्बन्धी तथा शिक्षा सम्बन्धी उन्नति कार्य में लगाया जायगा। मूल जो प्रस्ताव है वह न्यास के लिये है कि उनको पुनर्वासन अनुदान दिया जाय परन्तु इसका उस न्यास से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें वह कहते हैं कि कृषि या शिक्षा के काम में लगाया जाय। इस वास्ते मैं समझता हूं कि यह संगत नहीं है और जब वह रिलेवेन्ट नहीं है तो पेश नहीं होना चाहिये। इसलिये श्रीमान् इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री राजनारायण--मैं इस सम्बन्ध में बहुत ही हैरत में पड़ गया कि मौर्य जी जैसे सूझ-बूझ के व्यक्ति ने ऐसा प्वाइंट आफ आर्डर उठाया। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि यह इरेलेवेन्ट (असंगत) कैसे है, शायद रिलेवेन्सी की उनकी कोई नई परिभाषा है। यह संशोधन बिलकुल ठीक है, इतना मौजू और इतना उपयुक्त है और जितने संशोधन अब तक इसमें लिये गये हैं उन सब से अधिक उपयुक्त है। यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि मुआवजा या पुनर्वासन अनुदान न दिया जाय। सीधी सी बात है कि पुनर्वासन अनुदान दिया जाय, लेकिन इसमें कहा यह गया है कि उस अनुदान को खर्च कैसे किया जाय। इसमें असंगति क्या है, यह मैं समझ नहीं सका। माननीय उपाध्यक्ष, आप अपनी व्यवस्था के लिये यह समझ लें कि प्वाइंट आफ आर्डर का यह अर्थ नहीं होता है कि बगैर संशोधन की बारीकी को समझे हुये ही कह दिया जाय। इसलिये निवेदन हमारा यह है कि यह प्वाइंट आफ आर्डर का विषय नहीं है लेकिन वह चूंकि निरंकुश और अनियंत्रित तरीक़े से पुनर्वासन अनुदान देना चाहते हैं इसीलिए वह

[ श्री राजनारायण ]

इस प्रकार के संशोधन को आने ही नहीं देना चाहते हैं। इसलिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इ स पर व्यवस्था देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि यह बिलकुल असंगत नहीं है और हर तरह से रिलेवेन्ट है। यह संशोधन केवल इतना कहता है कि जो पुनर्वासन अनुदान दिया जा रहा है वह जिनको मिले वह उसको कृषि और शिक्षा की उन्नति के लिये खर्च करें और कहीं वह गैरवाजिब तरीक़े से खर्च न हो जाय। यह रुपया ग़रीबों के खून को चूस कर लिया जायगा और लिया गया है, हम चाहते हैं कि उसका सदुपयोग हो कोई दुरुपयोग न हो और उस रक़म के उपयोग को सुरक्षित रखने के लिये ही इस संशोधन को लाया गया है। इसलिये मैं आप से उपाध्यक्ष महोदय, विनम्र निवेदन करूंगा अनुनय और विनय करूंगा कि संशोधन को पेश करने की उचित व्यवस्था देते हुये अपना निर्णय देने की कृपा करें।

श्री कमला सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौर्य जी की ओर से जो प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाया गया है उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि धारा ७३ इस तरह से है :— ठेकेदार के अतिरिक्त प्रत्येक मध्यवर्ती को, जिसके आस्थान इस अधिनियम के निदेशों के अधीन हस्तगत कर लिये गये हों, आगे की गई व्यवस्था के अनुसार पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा। तो यह अनुदान मध्यवर्ती को दिया जायगा। इसके बाद जितने क्लाज आते हैं वे प्रतिबन्ध के तौर पर उसमें लगाये गये हैं लेकिन मुख्य धारा के अन्दर केवल इतना ही है कि ठेकेदार के अतिरिक्त प्रत्येक मध्यवर्ती को पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा, इसके बाद जो पहले प्रतिबन्ध है वह यह है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर ऐसे क्षेत्रों में स्थित, जिनमें यह अधिनियम लागू हो, उस मध्यवर्ती के सब आस्थानों के संबंध में देय कुल मालगुजारी दस सहस्र रुपये से अधिक रही हो, तो उसको ऐसा कोई अनुदान नहीं दिया जायगा।" एक क्लाज तो यह है कि जो अनुदान दिया जायेगा उसके लिये दो तरह के आदमी रखे गये हैं। एक तो वे मध्यवर्ती जो १० हजार रुपये अधिक का मालगुजार हो और दूसरे वह जो इस संशोधक विधेयक से लाया गया है जोकि वक्फ वगैरह के सिलसिले में है। जब हम प्रतिबन्ध के जरिये अनुदान पानेवालों को २ हिस्सों में विभाजित करते हैं लेकिन मूलधारा के अन्दर कोई ऐसी चीज नहीं है तो हम इस संशोधन के लिये बाध्य कर सकें। मेरा संशोधन किसी तरह से भी मूलधारा को कंट्रेडिक्ट नहीं करता है। जहां दो प्रतिबन्ध लगे हैं वहां तीसरा भी लग सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो संशोधन पेश किया गया है उसका पुनर्वासन अनुदान से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इसलिये इसे मैं असंगत मानता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ७४ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा ७४ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"प्रतिबंध यह है कि धारा ९९ के खंड (क) तथा खंड (ग) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट वक्फ़, न्यास अथवा निबन्ध को निहित होने के दिनांक से पुनर्वासन अनुदान देय होगा।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११४ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा ११४ में :—

(१) खंड (ख) निकाल दिया जाय; और

(२) स्पष्टीकरण, (२) निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह ह कि खंड १९ इस विधयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१०४

विपक्ष में १० )

## ५५ मिनट के लिये सदन के। स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव मेरा यह है कि ५५ मिनट के लिये यह सदन स्थगित कर दिया जाय ताकि हम लोग जाकर खाना खा सकें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह पहले ही निश्चय कर दिया गया है कि यहां पार्लियामेंट की प्रथा मानी जाती है और वहां सदन स्थगित नहीं होता इसलिये यह सदन स्थगित तो नहीं हो सकता लेकिन जो माननीय सदस्य खाना खाने जाना चाहें वे जा सकते हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—हम लोगों का निवेदन यह है कि जो प्रस्ताव हाउस के सामने आया है, श्रीमन् उस पर हाउस का मत जान लें तो अच्छा हो। पहले जो २ घंटे का प्रस्ताव लाया गया था क्योंकि वह समय बहुत ज्यादा था इसलिये अब ५५ मिनट का प्रस्ताव लाया गया है। पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता, इसलिये यहां भी नहीं होना चाहिये। आपको यह प्रथा मान कर अपना फैसला नहीं देना चाहिये, क्योंकि आज ही कौंसिल भी १ १/२ घंटे के लिए एडजर्न हो चुकी है। अतः मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर सदन की राय ले ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन ५५ मिनट के लिये स्थगित हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होन पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१४

विपक्ष म—११०)

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

खण्ड २०

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११७ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा ११७ के अन्त में निम्नलिखित नये प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार के लिये यह बंध होगा कि खण्ड (१) से (७) तक में वर्णित सभी विषयों के या उनमें से किसी के संबंध म वह पूर्वोक्त प्रख्यापन करे, और ऐसा करन म वह ऐसे अपवाद अथवा प्रतिबन्ध रखे, जिन्हें कि वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे।"

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

"खंड २० में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ११७ के अन्त में प्रस्तावित नया प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड २० में जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५१ का जो प्रतिबन्ध ह वह इस प्रकार है—

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि खंड (१) से (७) तक म वर्णित सभी विषयों के या उनमें से किसी के सम्बन्ध में वह पूर्वोक्त प्रख्यापन करे, और ऐसा करने में वह ऐसे अपवाद अथवा प्रतिबन्ध रखे, जिन्हें कि वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडिंग बिल के खंड २० में जिस धारा का जिक्र किया गया है, वह जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ वीं है। मैं आपका ध्यान उस धारा की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस धारा में कुछ भूमि आदि का गांव समाज में निहित होने के सम्बन्ध में बतलाया गया है।

"११७—धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर किसी समय राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से जो इस अध्याय में आगे चल कर निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा :—

(१) समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं।

(२) गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल।

(३) खाते, बाग या आबादी में, अथवा खेतों की मेंड़ों पर स्थित पेड़ों को छोड़ अन्य सभी पेड़।

(४) सार्वजनिक कुएं।

(५) मीनाशय।

(६) ऐसी भूमि पर, जिसे धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक लागू होते हों, लगन वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेले।

(७) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालियां (water channels) रास्ते और आबादी के स्थल ( abadi sites )।

जो मंडल में स्थित हों और इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गये हों, उस मंडल के लिये स्थापित गांव समाज में निहित हो जायेंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय में किसी गांव में उस भूमि का क्षेत्रफल, जिसमें खेती न होती हो, गांव समाज की साधारण आवश्यकताओं से अधिक हो, तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि उक्त भूमि के किसी भाग को इस धारा के अधीन गांव समाज में निहित हो जाने से अलग रक्खे और ऐसी आनुषंगिक और पारिणामिक "incidental and consequential" आज्ञाएं दे, जो आवश्यक हों।

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी समय पूर्वोक्त कोई भूमि या वस्तु राज्य सरकार हस्तगत कर ले, तो गांव समाज को उस प्रतिकर के अतिरिक्त, जो उसे उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किये गये किसी विकास कार्य के निमित्त इस प्रकार कोई और प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न वह पायेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, धारा ११७ के छठें आइटम में ऐसी भूमि का सम्बन्ध है जिसमें धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक लागू होते हों, उस धारा की तरफ अगर आप अपना ध्यान दें तो आप देख सकते हैं। धारा १८ म सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग का उसके मध्यवर्ती के साथ भूमिधर के नाते बन्दोबस्त किये जाने के सम्बन्ध में है। इस धारा १८ की उपधारा (१) इस प्रकार है—

"(१) धारा १०, १५, १६ और १७ के निदेशों को बाधित न करते हुए ऐसी सब भूमि जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर—

(क) किसी मध्यवर्ती के पास या क़ब्जे में सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप में हो, या समझी जाती हो।

(ख) जो अवध म स्थायी पट्टेदार के पास बाग के रूप में या निजी जोत में हो।

(ग) जो शरहमुऐयन काश्तकार के पास शरहमुऐयन काश्तकार होने के नाते और माफीदार के पास माफीदार होने के नाते हो, अथवा

(घ) खाते को बेचने का अधिकार रखने वाले किसी (१) दखीलकार काश्तकार, (२) मौरूसी काश्तकार, या (३) धारा १७ में अभिदिष्ट काश्तकार पट्टा दवामी या इस्तमरारी के पास, ऐसा काश्तकार होने के नाते हो तो यह समझा जायगा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे मध्यवर्ती या पट्टेदार या काश्तकार, जैसी भी दशा हो, के साथ उसका बन्दोबस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह उस भूमि को इस अधिनियम के निदेशों को बाधित न करते हुये भूमिधर के नाते अपने क़ब्जे में ले ले या रखे।"

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि इस धारा के (ग) के भाग (३) में धारा १७ का जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र इस समय आवश्यक है। धारा १७ इस प्रकार है—

"१७—ऐसी भूमि जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी मध्यवर्ती की सीर थी, किन्तु उक्त दिनांक पर पट्टा दवामी या इस्तमरारी पर किसी काश्तकार के पास थी, धारा १८ के प्रयोजनों के लिय ऐसे मध्यवर्ती की सीर न समझी जायगी, पर वह धारा १० और १५ के प्रयोजनों के लिये उसकी सीर समझी जायगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि धारा १७ में धारा १० और धारा १५ का जिक्र आ गया। क्योंकि उनके पढ़ने के बाद ही जो संशोधन उपस्थित किया गया है, वह ठीक तरह से उपस्थित किया जा सकता है, इसलिए उसका पढ़ना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, धारा १५ इस प्रकार है—

"१५—(१) यदि निहित होन के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी ऐसे आस्थान या आस्थानों में, जो मध्यवर्ती और अन्य व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व म हों, ठेकेदार से भिन्न मध्यवर्ती के पास कोई भूमि उसके आनुपातिक अंश से अधिक निजी जोत में अथवा सीर खुदकाश्त या मध्यवर्ती के बाग के रूप म रही हो, तो यथाशीघ्र नियत आधिकारिकी ऐसे मध्यवर्ती के अंश के अनुपात म भूमि का परिच्छद कर देगा।

(२) (क) धारा १८ के प्रयोजनों के लिये केवल उतनी भूमि, जिसका इस प्रकार परिच्छेद किया जाय, उसकी सीर, खुदकाश्त या मध्यवर्ती का बाग समझी जायगी, और

(ख) वह भूमि, जो उसके पास उसके अंश से अधिक हो, धारा १९ के प्रयोजनों के लिये उसके पास साकितुलमिल्कियत काश्तकार की भूमि के रूप में समझी जायगी और उसे निहित होने के दिनांक पर लागू साकितुलमिल्कियत काश्तकारों के दर से लगान देना होगा। और धारा १० की उपधारा (२) इस प्रकार है :—

(२) यदि सीर के किसी काश्तकार का क्षत्रपति काश्तकारी प्रारम्भ होने के समय तथा निहित होने के दिनांक पर—

(१) स्त्री,
(२) अवयस्क,
(३) पागल (lunatic)
(४) जड़ (idiot)
(५) अंधपन या शारीरिक दुर्बलता (physical infirmity) के कारण खती करने म असमर्थ, अथवा

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

(६) भारतीय संघ की सनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना म नौकर रहा हो तो उपधारा (१) की कोई बात उसे लागू न होगी ।"

उपाध्यक्ष महोदय, अब इस धारा में, धारा १० (१) और (२) में जिन व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, उसका संबंध धारा १६ से है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं । धारा १६ में कुछ संशोधन हो गया है तो धारा १० और १६ एक दूसरे पर निर्भर हैं । तो धारा १६ संशोधित रूप में इस रूप में है ।

"ऐसे प्रत्यक व्यक्ति के विषय में जिसका नाम किसी भूमि के अध्यासीन (occupant) के रूप में किसी अभिलेख म,

( ) जो यूनाइटेड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ४ के अनुसार पुनरीक्षित (rev sed ) किया गया है । या ऐसे अधिकारी द्वारा संशोधित किया गया हो या जिसे किसी क्षेत्र में वार्षिक रजिस्टरों के संशोधन के लिए राज्य सरकार ने विशेष रूप से नियुक्त किया हो, अभिलिखित हो और जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उस भूमि पर काबिज रहा हो या जिसे उक्त दिनांक पर यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (१) के खंड (सी) [ clause (c) ] के अनुसार क़ब्जा वापस पाने के अधिकार हों, अथवा

(२) जो यूनाइटेड प्राविन्सेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के के खंड (ई) [clause] (e) के अधीन कृषि वर्ष, १३५६ के लिए तैयार किया गया हो, अभिलिखित हो और जो पूर्वोक्त दिनांक पर उक्त भूमि पर काबिज रहा हो यह समझा, जायगा कि वह उक्त भूमि का मौरूसी काश्तकार है और उपर्युक्त दिनांक पर ऐसे काश्तकार को लागू दरों से लगान का देनदार है ।"

स्पष्टीकरण---इस विधेयक के अन्दर संशोधित कर दिया गया है जो इस प्रकार है ---

"(१) ऐसी भूमि जो---

(क) प्रतिवर्ष २५० रु० या उससे कम मालगुजारी देने वाले तथा ऐसी दशा में जहां पूर्णतः या अंशतः कोई मालगुजारी निर्धारित न हो, २५० रु० या उससे कम वार्षिक मालगुजारी पर देय स्थानिक कर देने वाले, या ऐसे मातहतदार ( under proprietor ) अदना मालिक (sub proprietor) या दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) जो २५० रुपये या उससे कम वार्षिक लगान देता हो, अथवा

(ख) ऐसे मध्यवर्ती जो निहित होने के दिनांक पर धारा १० की उपधारा (२) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी वर्ग का व्यक्ति हो,

की सीर या किसी खुदकाश्त जिसने यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के निर्देशों के अधीन सीर का रूप धारण कर लिया हो, अधिलिखित हो" ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि धारा १६ में यूनाइडेड प्राविन्सेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा ३२ (ई) का जिक्र है और.....

इतना एक दूसरे से इनका सम्बन्ध है और रेवेन्यू का मैटर है । इसलिये मैं पूरी तस्वीर रखना चाहता हूं । और इस कार्यवाही को आगे आने वाली संतान भी पढ़ेंगी । इसलिये पूरी तस्वीर रखनी जरूरी है । अध्यक्ष महोदय, यूनाइटेड प्राविन्सेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ का जिक्र उसमें आया है । खंड ३२ इस प्रकार है ---

"There shall be a record-of-rights for each mahal, or, if a mahal consists of two or more villages or portions of villages, the record may be prepared for each such village or portion separately."

उसकी उपाध्यक्ष महोदय उपधारा (ई) इस प्रकार है —

"(e) a register of all persons cultivating or otherwise occupying land, specifying the particulars required by section 55."

अब जब लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट १९०१ के सेक्शन ५५ को न पढ़ा जाय जिसका वर्णन इस "ई" में आया है तो मतलब समझ में नहीं आ सकता। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं।

"The register of persons cultivating or otherwise occupying land perscribed by clause (e) of section 32 shall specify as to each tanent the following particulars :

(*a*) the nature and class of his tenure as determined by the United Provinces Tenancy Act, 1939.

(*b*) the rent payable by the tenant ;

(*d*) any other condition of the tenure which the Provincial Government may, by rules made under section 234, require to be recorded."

अब मैं उपरोक्त सेक्शन ५५ के (डी) में वर्णित लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा २३४ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—वैसे तो सारे विधेयक में सभी धारायें एक दूसरे से सम्बंधित हैं, परन्तु माननीय सदस्य ने अपने संशोधन के विषय में कुछ नहीं कहा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—संशोधन का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आप यह देखेंगे कि उसमें इन चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और नहीं तो मैं सदन का कतई समय नहीं लेना चाहता। दो धारायें और रह गई हैं। उसके बाद मैं और धाराओं का रिफरेन्स नहीं दूंगा। अगर आवश्यक नहीं होता तो ऐसा करने की जरूरत न पड़ती।

"The Provincial Government may make rules consitent with this Act in respect of matters under clauses (a) to (f), (m) (i), (o) to (s), (v) (i), (w) (i), (x) (i) and (y) and the board may from time to time subject to the sanction of the Provincial Government make rules consitent with this Act in respect of matter under clauses (g) to (l), (m) (ii), (n), (t), (u), (v) (ii) (w) (ii), and (x) (ii)."

आपकी आज्ञा नहीं है कि मैं इस पर ज्यादा प्रकाश डालूं, लेकिन जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५१ की धारा ४, जिसके मातहत जो डिक्लेरेशन होगा उसका पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसलिये मैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि ११७ में यह जिक्र है कि धारा ४ के मातहत प्रख्यापन होगा।

"४—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद यथा शीघ्र राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से उत्तर प्रदेश में स्थित सब आस्थान राज्य में निहित हो जायेंगे और इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से, जिसको आगे चलकर निहित होने का दिनांक कहा जायगा ऐसे सब आस्थान, सब भारों से मुक्त राज्य को हस्तांतरित होकर, उस दशा को छोड़कर जिसकी आगे व्यवस्था की गयी है, उसमें निहित हो जायेंगे।"

इस संशोधन में मैंने निवेदन किया था कि ऐसे जंगल वगैरह का सम्बन्ध है, जिनको कि पन्चायतों को राज्य सरकार को देना चाहिए और उसमें जो मौजूदा प्रतिबन्ध सरकार लगा रही है उसकी वजह से जो अधिकार सरकार गांव पन्चायतों को देना चाहती थी अब नहीं देना चाहती और वह यह व्यवस्था करना चाहती है इस प्रतिबन्ध के जरिये से उपाध्यक्ष महोदय, कि जो चीज राज्य सरकार देना चाहे दे न देना चाहे न दे या उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे, पूरा अधिकार दे या आंशिक दें तो ऐसा कानून यह सरकार बनाना चाहती है और इसका लुब्बोलबाब

[श्री रामनारायण त्रिपाठ]

यह है कि राज्य सरकार यदि कुछ भी न दे तो वह भी वैध होगा। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो है वह संक्षिप्त तो जरूर है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसके पीछे एक बड़े भारी सिद्धांत की बात छिपी हुई है। आप जानते हैं कि पन्चायतों से सम्बन्धित यह विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो जानकारी है ही और सदन के तमाम सदस्य भी जानते हैं कि ग्राम पन्चायतों की आर्थिक हालत कितनी खराब है। जब यह मांग हमारी तरफ से की जाती है कि ग्राम पन्चायतों को प्रान्त के रेवेन्यू का २५ फीसदी दिया जाय तो उस वक्त राज्य सरकार एक पैसा भी देने के लिये तैयार नहीं होती। राज्य सरकार तो ऐसा बजट स्वीकार करती है और उसको कार्यान्वित करती है कि ६१ करोड़ के बजट में २५ करोड़ सरकारी कर्मचारियों की तन्ख्वाह में लग जाय लेकिन हमारी मांग, कि ग्राम पन्चायतों को आर्थिक सहायता दी जाय नहीं मानी जाती। राम राज्य की चर्चा जिस राम राज्य को पूज्य महात्मा गांधी जी कायम करना चाहते थे उसकी चर्चा की जाती है लेकिन उसके लिये ग्राम पन्चायतों को सहायता देने की बात जब आती है, तो राज्य सरकार उसको अनसुनी कर देती है। आप देखें कि पहली बात तो यह है कि गांव के रेवेन्यू से ही हमारा पालन-पोषण होता है, यह जितने माननीय सदस्य यहां हैं या जितने मिनिस्टर साहबान यहां हैं उन पर जो खर्च होता है वह सब गांव के रेवेन्यू से होता है और उस रेवेन्यू से एक पैसा भी सरकार पन्चायतों को नहीं देना चाहती। दूसरे जो कुछ अधिकार उनको दिया जाता है, तो उस पर भी सरकार ग्रज(grudge)करती है। उसको भी कम करना चाहती है। तो इससे सही मानों में राज्य सरकार की, प्रादेशिक सरकार की यह मनोवृत्ति जाहिर होती है कि कहने को तो अब भी गांधी जी का नाम लेती है पंचायती राज्य का नाम लेती है लेकिन सही मानों में उनके लिये कुछ करना नहीं चाहती और उस पर अमल नहीं करती। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार बार हमारी पार्टी की तरफ से यह चेतावनी दी जाती है कि पन्चायतों का प्रादुर्भाव इस प्रदेश में एक ऐसा कदम था, जिसका हर पोलीटिकल पार्टी ने बिना किसी विरोध के और प्रशन्सा के साथ स्वागत किया, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया आज सिर्फ माननीय सदस्यों को उसकी याद दिलाने की जरूरत है। जब हमारे यहां प्रादेशिक सरकार ने देखा कि प्रदेश में हमारे यहां ३५ हजार से ज्यादा ग्राम सभायें हो गयी हैं और ८ हजार से ज्यादा पन्चायती अदालतें हो गयीं, तो उस वक्त उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं संख्या बताऊं तो हर ग्राम सभा में १५ से लेकर ५० तक पंच होते हैं और पन्चायतों में भी यही २०,२५, ३० इसी तरह की संख्या पन्चों की है। इस प्रकार से एक ह्यूज आर्मी साढ़े दस लाख पन्चों की हो गयी और जिसको देखकर राज्य सरकार भयभीत हो गयी और भयभीत होने के बाद उसने सोचा कि हम जनता को भूल भुलैया में डाल दें। सरकार के ऐसा सोचने का कारण यह था हमारे प्रदेश में ३९ फीसदी वोटरों ने ही पिछले मतदान में हिस्सा लिया। और उसमें ३९ फी सदी से ४४ फी सदी कांग्रेसी सरकार को मिले और फिर भी ३९१ कांग्रेस के सदस्य यहां बैठे हुए हैं। ऐसे ही भूल भुलैया में डालकर यह सरकार चाहती है कि एक एक कर के अधिकार जो पन्चायतों को दिये गये थे उनको वापस ले ले। ऐसी हालत में अगर सरकार को लोक लज्जा का डर नहीं होता, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकार पन्चायतों को एक मिनट भी न पनपने देती और वह सारे पन्चायत राज्य एक्ट को एक मिनट के अन्दर दियासलाई लगा करके जला देती। वह एक कदम उठा चुकी है, परन्तु उसका वापस लेना इसलिये श्रेयकर नहीं समझती, क्योंकि इससे जनता में बदनामी हो जायगी। राज्य सरकार गांधी जी के उसूलों को मानती है, राज्य सरकार सत्ता के विकेन्द्रीय-करण के सिद्धांत को मानती है, ऐसी हालत में पन्चायतों की स्थापना होने के बाद उनके अधिकार छीन लिये जायं, इतना साहस हमारी राज्य सरकार में नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पीछे जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, एक महान पूंजीवादी और प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति दर्शित होती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय राजस्व मन्त्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ दिन पहले जब एलेक्शन हुआ था, तो उसमें हम भी जनता के पास गये थे और दूसरे भी जनता के पास गये थे और जनता ने उसका फैसला कर दिया। मैं राजस्व मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चुनाव के फल का विश्लेषण

करने का हमको एक मौका दिया है, यह बताने का मौका दिया कि किस चालबाजी से और किस जादूगरी से स्टेट्स में और सेन्टर में कांग्रेस हुकूमतें बनीं। यह उपाध्यक्ष महोदय, सुनने की बात है और मैं समझता हूं कि सदन के तमाम सदस्य इसको ध्यानपूर्वक सुनें कि जाहिरा तो हमारी सरकार अपने को सेकुलर कहती है और यह कहती है कि हम कम्यूनलिज्म के खिलाफ हैं, हम किसी किस्म के जातिवाद के खिलाफ हैं, लेकिन सही मानों में एक इस प्रकार का पूंजीपतियों और कांग्रेस सरकार का मिला-जुला जाल हमारे देश में बिछा हुआ है, जिसको समझने के लिये एक तीव्र बुद्धि की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री जी को फिर बता देना चाहता हूं कि आज के इस विश्लेषण का उन्होंने मौका दिया। आज किसी प्रदेश में कोई भी सरकार हो उसमें यह हिम्मत नहीं हो सकती कि वह किसान और मजदूरों के नाम न लें और गरीब और दुखियों की कहानी सामने रख कर जनता को गुमराह न करे उसके पीछे जाल क्या है आज मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अभी अभी मैंने एक प्रश्न उठाया था जब कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने बड़े गर्व के साथ यह कहा कि हम तो ३९१ हैं और पन्चायती तरीके से आये हैं .....।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। अभी हमारे माननीय सदस्य ने अपने भाषण में "जादूगरी" और "चालबाजी" शब्द का प्रयोग किया, तो क्या "चालबाजी" शब्द पार्लियामेंट्री है ?

श्री उपाध्यक्ष—वह अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ऐसी बातें सेकुलर वाद के नाम पर, गरीबी को दूर करने के नाम पर यह सरकार किया करती है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं आपका ध्यान १८४ नियम की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बातें जो एलेक्शन की और दूसरी दूसरी इस संशोधन के अन्तर्गत कही जा रही हैं वे कहां तक संगत हैं। मैं आपकी व्यवस्था इस विषय में चाहूंगा। क्योंकि इनका कोई भी सम्बन्ध उससे नहीं है। आपको नियम १८४ में शक्ति दी गयी है कि आप ऐसे भाषण जो होते हों उनको रोक सकें। मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि इस तरह के जो भाषण होते हों उनको आप रोकने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संगत ही भाषण करेंगे असंगत नहीं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश कर सकता हूं। क्या ऐसा भी प्वाइन्ट आफ आर्डर माननीय सदस्य को उठाने का अधिकार है, जो प्वाइन्ट आफ आर्डर न हो।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो उनकी समझ की बात है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्वाइन्ट आफ आर्डर की जो आपने व्यवस्था दी है उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। सही मानों में आज मुझे प्रसन्नता हुई कि विरोधी दल के हितों को आप ही रक्षा करने वाले हैं और सही मानों में आप प्रजातन्त्रवादी हैं। माननीय भगवती प्रसाद शुक्ल मेरे खास मित्रों में से हैं। ११७ धारा अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर पढ़कर सुना दूं। ११७ धारा का सम्बन्ध गांव पंचायतों से हैं। गांव पंचायतें पूज्य बापू के सिद्धान्तों के अनुसार राम-राज्य का पहला खम्भा हैं। इस राम-राज्य के खम्भे के साथ आपकी प्रादेशिक सरकार क्या व्यवस्था कर रही है इसका बतलाना आवश्यक है। तो मैं इस जादूगरी का जिक्र कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि देश की पूंजीपति कांग्रेस पार्टी, जनसंघ, हिन्दू महासभा

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

और जितनी भी रिएक्शनरी पार्टीज हैं उनका पेट्रोनेज एक तरह से करते हैं। जो हिन्दोस्तान में पूंजीपति हैं वे यदि देखते हैं कि जनसंघ के पास रुपये की कमी है तो उनके लिये बिरला की थैलियां खुल जाती हैं और अगर हिन्दू महासभा को रुपये की जरूरत होती है तो बिरला और टाटा की थैलियां खुल जाती हैं। और उपाध्यक्ष महोदय, उनकी थैलियां कांग्रेस के लिये भी खुली रहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सूक्ष्म विषय है और इस की तफसील में जाना मुझे इस लिये जरूरी है कि फिर विधान सभा के माननीय सदस्य इस प्रकार की शंकायें न उठा सकें और इसको अच्छी तरह से समझ सकें।

श्री उपाध्यक्ष--बिरला की थैलियों से इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--वह ठीक है मैं विषय पर आ रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, किन्तु मुझे जरा नतीजा निकाल लेने दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि एलेक्शन में कितनी पार्टियां खड़ी हुईं। पंचायत राज का संबंध चूंकि एलेक्शन से है और साथ ही साथ उस बात को जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने यहां उठायी है, जो भ्रम माननीय राजस्व मंत्री जी ने उत्पन्न कर दिया है, को दूर करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बचपन में देखा होगा और हमारे माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा कि कठपुतली नचाने वाले आते हैं और वे चारपाई का परदा डाल कर उसके पीछे खड़े होकर दिखाते हैं। कभी राजा आ जाता है, कभी नवाब आ जाता है और कभी हज्जाम आ जाता है और उसका सूत्रधार पर्दे के पीछे छिपा रहता है। उसी प्रकार देश के पूंजीपतियों ने परदे के पीछे छिप करके हर पार्टी को आर्थिक सहायता दे करके कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव में जिताया है। वे चाहते थे कि कांग्रेस के विरोध में जो वोट हों वे बंट जायं और यदि वे बंट जायंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि कांग्रेस पार्टी जीत जायगी। सिर्फ ४४ फीसदी वोट कांग्रेस पार्टी को मिले और ५६ फीसदी कांग्रेस के विरोध में गये। ५६ फीसदी में यदि ४ पार्टियां लड़ीं तो चारों को १४-१४ प्रतिशत वोट बंट गये। यदि १४ फीसदी राम-राज्य परिषद् को मिले, १४ फीसदी हिन्दू महासभा को मिले और बाकी दूसरे दो पार्टियों को भी १४-१४ प्रतिशत मिले तो इस प्रकार वोटों का बटवारा हो गया। हमारे हिन्दुस्तान के पूंजीपति बिरला, टाटा और डालमिया आदि १,५०० पूंजीपतियों का यह विश्वास है कि अगर कोई उनके हितों की रक्षा कर सकता है तो वह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गवर्नमेन्ट, ही कर सकती है। इसीलिये उन्होंने कठपुतली के सूत्रधार की तरह पीछे आड़ में अपनी उस जादूगरी को दिखाया। उपाध्यक्ष महोदय, इस होशियारी और चालबाजी से कि इसको कोई नहीं समझ पाये। और आज वही हर्फ बहर्फ उपाध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं कि कांग्रेस का कोई दूसरा काम नहीं है। उसका सिर्फ काम यह है कि यहां की पूंजीवादी व्यवस्था को यथास्थित कायम रखा जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं माननीय राजस्व मंत्री से, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े धुरंधर होने का दावा करते हैं, पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस दो करोड़ जमींदारों की जमींदारी खत्म कर सकती है, देश की ७०० देशी रियासतों के राजाओं और नवाबों का स्वत्व खत्म कर सकती है और ऐसी रियासतें, जो कि राजपूतों की थीं, वीर आल्हा-ऊदल के देश की थीं, जो अगर एक मर्तबा बगावत कर जाती, तो उस समय कांग्रेसी सरकार के छक्के भी छूट सकते थे, लेकिन उन रियासतों को भी कांग्रेस सरकार ने ले लिया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये ७०० देशी रियासतें खत्म की जा सकती हैं, दो करोड़ जमींदारों की जमींदारी ली जा सकती है, हैदराबाद के निजाम दबाये जा सकते हैं, काश्मीर के महाराजा दबाये जा सकते हैं, तो सवाल यह है कि क्या वजह है कि ये जो १,५०० खानदान पूंजीपतियों के हैं उनके स्वत्वों को क्यों नहीं खत्म किया जाता?

माल मंत्री सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमान् जी यह तो इन लोगों की आदत ही हो गयी है, बार बार प्वाइंट आफ आर्डर को उठा कर सदन का समय नष्ट करने की।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये उनका प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैं श्रीमन् का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस भवन का समय इस प्रकार नहीं ले सकता कि जिससे विषय जो है उसके अलावा बहुत सी बातें कह कर भवन का अधिक समय ले। मैं नियम १८४ को जो अंग्रेजी में है आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :—

"The Speaker after having called the attention of the Assembly to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate may direct him to discontinue his speech."

[अध्यक्ष ऐसे सदस्य के जो विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त युक्तियों की व्यर्थ पुनरावृति करता रहे, व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरान्त उस सदस्य को भाषण न करने का निदेश दे सकता है।]

मैं श्रीमन् यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले धाराएं पढ़ी गयीं जमींदारी विधेयक की धारा ४, धारा १० और बहुत सी धाराएं पढ़ी गयीं और लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धाराएं पढ़ी गयीं और उसके बाद चुनाव की बात कही गयी और उसके बाद फिर काश्मीर और कहां कहां की बातें कही गयीं और सीधा सा जो प्रस्ताव है उस पर कुछ अधिक नहीं कहा जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे समय लेने की मंशा है और अधिक से अधिक परेशान करने की बात जाहिर हो रही है। इसलिये मैं श्रीमान् से कहूंगा कि ऐसा भाषण रोक देना चाहिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह जो प्वाइंट आफ आर्डर है, उसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये कृपा कर के।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण आपके जरिये यह कर दूं कि अभी जिस रूल को माननीय द्वारका प्रसाद जी ने पढ़ा .. ....

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि रूल के माने लगाना तो मेरा काम है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आप ही से निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाने की कृपा करें।

जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया गया है उसकी बाबत मैं इतना तो कह सकता हूं कि काफी समय माननीय सदस्य जो कि इस समय बोल रहे थे, ले चुके हैं और मैं इसी आशा पर उन्हें फिर मौका देता हूं और मैं समझता हूं कि वह करीब समाप्त करने ही के होंगे। इसलिये मैं पांच मिनट समाप्त करने के लिये उनको और देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल यह है कि माननीय राजस्व मंत्री के सभा सचिव की समझ में इस संशोधन की महत्ता नहीं आयी। मैंने बार बार कह दिया था कि गांव सभाओं की स्थापना से इस संशोधन का संबंध है और उपाध्यक्ष महोदय हमारे संशोधन का महत्व उस समय तक समझ में नहीं आ सकता है जब तक कि उसकी पूरी तस्वीर सदन के सामने न आ जाय। इसलिये मेरी मजबूरी है

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कि मैं इसकी तस्वीर सदन के सामने रखूं, जिससे कि माननीय सदस्यों की समझ में यह संशोधन आ सके। इसलिये जनरल बात कह रहा था। धारायें जो मैंने पढ़ी हैं तो मैं चैलेन्ज करता हूं कि एक भी धारा, जिसका संबंध इस संशोधन से न हो उसका यदि मैंने उल्लेख किया हो, तो ऐसी वह एक भी धारा दिखा देंगे तो मैं असेम्बली से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। इस तरह से लांछन लगाना मैं उचित नहीं समझता हूं और उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि आप इसकी व्यवस्था करें कि माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य के ऊपर इस तरह से लांछन न लगाया करें।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह गम्भीर प्रश्न है और माननीय राजस्व मंत्री और उनके सभा सचिव के सोचने की बात है। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस और पूंजीपतियों के गठबंधन की बात सामने आ रही है। इसलिये उनकी मंशा है कि इसका चित्र सामने न आये क्योंकि अगर काने को काना कह दिया जाय, तो उसको बुरा लगता है अगर दो आंख वाले को काना कहा जाय तो उसको बुरा नहीं लगता है। इसलिये कांग्रेस वालों को बुरा लगता है, क्योंकि देश के पूंजीपतियों के वे साथी हैं जब दो करोड़ जमींदारों की जमींदारी का विनाश किया जा सकता है, सात सौ रियासतों के स्वत्व का विनाश किया जा सकता है, तो फिर १,५०० कैपीटेलिस्ट्स् के स्वत्वों को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता है! राजस्व मंत्री को गर्व है, क्योंकि वह बहुमत से चुने हुये हैं। इसलिये वह व्यावहारिक चीज समझ नहीं पाते हैं। वह कौन से अधिकार हैं, जो गांव पंचायतों को देना चाहिये और कौन से नहीं। ११७ में जो अधिकार देने की बात कही है उसको सुनकर आपको ताज्जुब होगा। बहुत शर्माते हुये, लजाते हुये तीन महीने बाद पहली नवम्बर को सात में से दो अधिकार दिये गये हैं। वह जंगलों और परती के बारे में थे। अभी पांच अधिकार बाकी हैं फिर डर हुआ, जैसा कि मैंने बतलाया कि पंचायतों के फलस्वरूप १० लाख पंचों की एक सेना जमा हो गयी उससे सरकार भयभीत हो गयी। इसलिये राजस्व मंत्री यह चाहते हैं कि उनको कुंठित कर दिया जाय, उनके हाथ पैर काट कर उनको असहाय कर दिया जाय, वाहवाही लूटी जाय कि बापू के आदेशानुसार गांव पंचायतें चल रही हैं और उनके सारे अधिकार भी ले लिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन गांव पंचायतों का ताल्लुक है उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। यह प्रादेशिक सरकार भी समझती है और पिछले बजट के जमाने में ५० लाख रुपया सेक्रेटरियों की तनख्वाह के दिये गये और व्यवस्था की गई कि वह टैक्स लगा सकें। अजीब व्यवस्था हमारी सरकार की है। प्रादेशिक सरकार अलग टैक्स लगाती है। सेल्स टैक्स और न जाने और कौन कौन से टैक्स हैं मैं उनके नाम नहीं लूंगा वरना फिर मौर्य जी को मालूम होगा कि मैं डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा हूं। गांव पंचायतों को अधिकार है कि वह टैक्स लगायें और सेक्रेटरीज को तनख्वाहें दें। आज २१ जिले ऐसे हैं, जिनमें सेक्रेटरीज को पिछले साल के पहले साल भर का वेतन बकाया है। उनसे काम लिया जायगा चाहे काम करें या न करें उनको नौकर रखा जायगा और दस महीने के बाद उनको सद्बुद्धि होगी कि उनको फाइनेन्स किया जाय और उनको ५० लाख रुपये की रकम दे दी जाय। क्यों नहीं आप हमारे सजेशन को मानते हैं और रेवेन्यू का २५ प्रतिशत अपने बजट से इनको दे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को ५ मिनट दिये गये थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लिये बैठना तो नामुमकिन है। बहुमत यह चाहता है कि मैं अपने विचार सदन के सामने न रख सकूं। गांव पंचायतों के मुताल्लिक जो शिकायतें हैं उनके मुताल्लिक शिकायतें पेश करना आवश्यक है। ऐसी हालत में कम से कम मुझे १०-१५ मिनट का वक्त और मिलना चाहिये जिससे जो तस्वीर मैं रखना चाहता हूं, वह पूरी रख सकूं कहीं अधूरी न रह जाय। वैसे आपको

अधिकार है जो चाहें कर सकते हैं। हाउस से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यह भी मुझे हक है कि मैं आप से अधिक वक्त के लिये प्रार्थना करूं और सही तस्वीर आपके सामने रख सकूं। इसलिये आशा है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की जायगी कि मुझे १०-१५ मिनट का और समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--इसमें शक नहीं कि माननीय सदस्य अपने आर्ग्युमेंट्स को दोहरा रहे हैं और काफी समय वह ले चुके हैं। इसके मानी यह हैं कि कार्यवाही भवन की जान-बूझ कर डिले की जा रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जो तात्कालिक संशोधन है उस पर रोशनी डालना मैंने शुरू ही किया था कि मेरे रास्ते में कांग्रेसी सदस्यों की तरफ से रुकावट आनी शुरू हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने माननीय सदस्य को सूचना दे दी थी कि ५ मिनट के अन्दर वह अपना वक्तव्य समाप्त कर दें। अब मैं मजबूर हूं अधिक समय देने के लिये। अब क्योंकि देर हो रही है, इसलिये मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्पीच समाप्त कर दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इस तरह से हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है वैसे आपकी रूलिंग को मैं मानता हूं। लेकिन इस तरह की रूलिंग देने से आप प्रजातंत्रवाद की हत्या कर रहे हैं।

श्री ओंकार सिंह (जिला बदायूं)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज तक सरकार की तरफ से बराबर ग्राम सभाओं और पंचायतों की तारीफ होती रही। कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती कि अब ग्राम सभाओं के अख्तियारात को समाप्त किया जा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह देख कर कि ग्राम सभाओं का इंतजाम जो अब तक वहां के सभापति और प्रधान करते थे अब उसके लिये सरकारी कर्मचारी मुकर्रर किये जायं और वह करेंगे। सरकार की तारीफें सुन कर हम अन्दाजा करते थे कि सरकार पंचायतों और ग्रामसभाओं को और अख्तियारात देगी, लेकिन अब उन अख्तियारात को वह वापस ले रही है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज सब में यही रवैया बरता जा रहा है। तो क्या सरकार सब कुछ अपने हाथ में ले लेना चाहती है। वहां के चुने हुए लोग बेईमान हैं और जो हम लोग यहां चुन कर आये हैं सिर्फ वह ही ईमानदार हैं। मैं इस नीति की बड़ी निन्दा करता हूं। हमको यह याद रखना चाहिये कि हमने जनतंत्रवाद का वायदा किया था। तो क्या जनतंत्रवाद का यही उद्देश्य है कि सरकार अपने हाथ में सारी पावर ले ले? इन शब्दों के साथ में समर्थन करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री देवदत्त मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं अभी दो-एक सदस्यों को और मौका दूंगा उसके बाद प्रश्न उपस्थित करूंगा।

श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण जी का जो संशोधन पेश है वह जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की ११७ धारा से सम्बन्धित है। मैं आप से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि यह ११७ धारा जनतांत्रिक पद्धति से सम्बन्धित है चूंकि इसका सम्बन्ध गांवसभाओं, गांव पंचायतों और गांवसमाज से है और जनतांत्रिक प्रणाली क्या है यह मैं आप के द्वारा बहुत ही अदब के साथ पेश करना चाहता हूं। जनतांत्रिक प्रणाली को हम लोग भी कुछ समझते हैं और जनतांत्रिक प्रणाली में किस तरह से आप के द्वारा हमारे अधिकारों की रक्षा होती है उसके सम्बन्ध में पहले ही मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। सरकार के दिमाग में जो धारणा बनी हुई है और जिस धारणा को अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने व्यक्त किया और उन्होंने

[श्री राजनारायण]

स्पष्ट कहा कि पिछले चुनाव में जो पुरानी सरकार द्वारा कानून बनाया गया था उसकी काफी चर्चा हो चुकी है और कहा गया था कि सब बातों को समझते हुये भी जनता ने उनको यहां भेजा है। अगर हम इस संशोधन पर बोलते हुये जब तक सरकार को न बतला दें कि पीछे क्या अधिकार थे और अब क्या अधिकार हैं और किस तरीके पर यहां पर चुन कर आये हैं सब न बतला दें तब तक हमें हमारे लिये संशोधन पर बोलने दिया जाय। मैं बहुत ही सफाई के साथ निवेदन करूंगा कि धारा ११७ में पहले जो अधिकार गांव-समाज और ग्राम पंचायतों को दिये गये थे अब इस विधेयक के द्वारा वह अधिकार छीने जा रहे हैं। यहीं एक कसौटी है और जो अधिकार दिये गये थे, जिन पर चुनाव की लडाई हुई थी वह आज इस कानून के जरिये छीने जा रहे हैं। यहां पर जब माननीय राजस्व मंत्री जी जिक्र करते हैं कि किस प्रकार उन के छोटे नेता हमारे दिग्गजनेताओं को गिरा कर आये हैं तब तो बड़ी सावधानी से वह अपनी बात कह देते हैं लेकिन जब हम इधर से कुछ चर्चा करते हैं तो उधर से आवाज उठती है कि यह तो धारा से सम्बन्धित नहीं है। जब उनकी कलई खुलती है तब वह परेशान होते हैं और बीच बीच में इस तरह के प्वाइंट आफ आर्डर और प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन लाते हैं और सदन का समय नष्ट करने की कोशिश की जाती है। मैं सदन का ध्यान धारा ११७ की ओर दिलाना चाहता हूं क्योंकि वह तमाम धाराओं से सम्बन्धित है। उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। धारा ४ में उल्लिखित.....

श्री उपाध्यक्ष--जिन धाराओं का हवाला माननीय सदस्य दे रहे हैं उनका हवाला दिया जा चुका है। आप इसे अब न पढ़ें।

श्री राजनारायण--मैं यह बतलाना चाहता था कि इस खंड और इस के खंडों में जो अधिकार गांव पचायतों, गांव सभाओं को दिये गये थ वह अब छीन जा रहे हैं और इससे बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। पहले खंड में अधिकार था या कि समय विशष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ अन्य सभी भूमि चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं वह सब गाँव समाज में निहित होती थीं। मैं आपके जरिये इस सम्मानित सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुराना एक्ट था उसके अन्दर क्या यह जमीन जो कृषियोग्य हो या न हो गांव समाज के अन्दर नहीं छोड़ी जाती थी। बहुत ही सीधा सादा संशोधन है और जब इस पर विचार होता है तो माननीय द्वारिका प्रसाद जी मौर्य उठकर खड़ होकर कहते हैं कि यह आउट आफ प्वाइंट जा रहे हैं। आउट आफ प्वाइंट तो वे खुद जा रहे हैं और उलटे हमको कहते हैं। फिर इसके अन्दर यह भी है कि गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल। इस पर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज जो संशोधन विधेयक उपस्थित है उससे यह अधिकार गांव समाज के पास रहता है। क्या इस सरकार की उसे गांव समाज म रहने देन की मनोवृत्ति है? मैंने पहले ही कहा है कि "कमिंग ईवेंट्स कास्ट देयर शडोज बिफोर"। (होनहार विरवान के होत चीकने पात) म्युनिसिपल बोर्ड में देखिये, डिस्ट्रिक्ट बोड म देखिये, टाउन एरिया में देखिय और गांव समाज बचा हुआ था उसे भी इस सरकार ने अपनी मातहती में करके पूरी बात अपन कब्ज में कर ली। मैं बताना चाहता हूं कि आखिर कितने जंगल हैं और उन तमाम को अब यह राज्य सरकार अपने हाथ म निहित करना चाहती है। जब हम इन तमाम आंकड़ों को पढेंगे तो द्वारिका प्रसाद जी उठकर कहने लगेंगे कि आउट आफ प्वाइन्ट जा रहे ह। कैसे जा रहे ह? खैर मैं उन आंकड़ों को इस समय पढ़ कर सदन का समय नहीं लेना चाहता। माननीय मंत्री जी खुद समझ लेगें कि जंगल हमारे सूबे म कई लाख एकड़ हैं। वे गांव समाज में जाते थ। अभी लखीमपुर-खीरी की घटना है कि १,५०० एकड़ जंगल जो पहले दूसरे रूप का था मगर अब जब कि लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट के मुताबिक वहां के कलेक्टर ने उसका बन्दोबस्त कर दिया तब वहां के किसानों पर नये नये प्रतिबन्ध

लगाये जाते हैं, इसलिये वे कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं थे। जब इन बातों को यहां पर रखा जायगा तो कहा जायगा कि सदन का समय नष्ट हो रहा है। मैं निहायत अदब के साथ आपके जरिय अपील करना चाहता हूं कि इस सदन का समय कौन नष्ट कर रहा है। हम करते हैं या सरकार करती ह? अगर यह सरकार इस तरह से निकम्मे कानून की पोथी गलाघोट और किसान हित विरोधी गांवसमाज विरोधी कानून को हमारे ऊपर न थोपे तो यहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी।

दफा ११७ की तीसरी उपधारा को देखिये। इसमें है कि खाते बाग या आबादी में अथवा खेतों की मेड़ों पर स्थित पेड़ों को छोड़ अन्य सभी पेड़। जब माननीय राजस्व मंत्री जी चुनाव की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने ये सब अधिकार गांव समाज के सुपुर्द कर दिये थे। य अधिकार आज छीने जा रहे हैं। उपधारा (४) में सार्वजनिक कुंवों का जिक्र है जो गांव समाज के मातहत थे। मीनाशय भी गांव समाज में थे। तालाब, पोखर, निजी नावघाट, जल प्रणालियां, रास्ते और आबादी के स्थल, ये तमाम चीजें गांव-समाज के मातहत थीं। आज यह सरकार जो यहां पर संशोधन विधेयक उपस्थित किये हुये है उसके जरिये यह साफ कहती है कि ये तमाम बातें अब ले ली जावेंगी अब राज्य सरकार के आगे निकलने वाले आदेशों के अन्दर। आखिर गांव समाज के अधिकार में जब ये चीजें दी गई थीं तो उस समय उसका कुछ उद्देश्य था। कुछ आब्जैक्ट्स थे। वह उद्देश्य ये थे कि गांव की जनता जो वहां की उन्नति और वहां की शिक्षा और रास्ते के बारे में सुधार कर सकती है, वह पूरी तरह से करें।

मगर आज का वह अधिकार इस विधयक के जरिय से यह सरकार नहीं छीन रही है? मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि वह देखें कि यह सही है उनके दिल को ठेस भी लगी होगी। इस कैबिनट के जो मंत्री लोग हैं उनको भी हम उसी प्रकार संबोधित करते हैं जिस प्रकार से हम और माननीय सदस्यों को सबोधित करते हैं। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं।

[इस समय ८ बजकर ४५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी), पीठासीन हुए।]

श्रीमान् जी, म बड़े अदब के साथ आपसे अपने अधिकारों की रक्षा के लिय निवेदन करते हुए पुनः अपील करना चाहता हूं और आपके जरिये से सरकारी पक्ष से सब सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वे इस सरकार की आकांक्षाओं का आदर करते हैं। मैं पुनः आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने पंचायत राज्य की स्थापना की थी उस समय पंचायत राज की स्थापना के लिय सर्व सम्मति से सब लोगों न सरकार की प्रशंसा की थी। अगर देखा जाय तो मैं माननीय द्वारिका प्रसाद जी से यह आज्ञा चाहता हूं कि यह प्वाइंट आफ आर्डर या आउट आफ प्वाइंट तो नहीं है? क्या उससे सरकार का यह उद्देश्य नहीं था कि पंचायतों के हाथों में शक्ति जाय और गांव की जनता नयी प्राप्त की हुई आजादी का मजा चखे और हुकूमत का हाथ बटावे, इसीलिये उसको खेती के काम में आने वाली और न आने वाली जमीनों पर, पेड़ों पर, जंगलों पर, सार्वजनिक कुओं पर, जलाशयों और मीनाशयों पर उसका अधिकार रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे सरकार सब अधिकारों को अपने हाथ में सुरक्षित करती जा रही है। पहले तो म आपकी इजाजत से सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय ग्राम पंचायत राज ऐक्ट बना था उस समय उसको जो अधिकार दिये गये थे वह अधिकार सरकार धीरे धीरे अपने हाथों में लेती जा रही है। मैं आपकी आज्ञा से उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि सबसे पहले इस सरकार ने गांव समाज को कुंठित करने के लिय ऊपर से सर्किल इंस्पेक्टर को थोपा। सर्किल इंस्पेक्टरों को थोपने से जब उसको संतोष नहीं हुआ तो सेक्रेटरीज को ऊपर से मनमाने ढंग पर नियुक्त किया गया। इस सिलसिले

[श्री राजनारायण]

में आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिये से इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने पहले ६ महीने तक उनकी तनख्वाह दी और ६ महीने तनख्वाह देने के बाद ग्राम पंचायतों को मुर्गी खुरपी और घास की खांची पर टैक्स लगाकर तनख्वाह दिलाने की कोशिश की और आज वह इसके द्वारा सारे अधिकारों को अपने हाथों में सुरक्षित करने जा रही है। मैं माननीय संपूर्णानन्द जी को जो कि गृह मंत्री और कैबीनेट के सीनियर मेम्बर भी हैं इसकी एक मिसाल दिखाना चाहता हूं कि आज यह सरकार किस प्रकार ब्युरोक्रेटिक रास्ते की ओर जा रही है। मैं उनके पास कुछ रसीदें भेजना चाहता हूं जिन पर जाली दस्तखत कराये गये फिर उनको काटा गया और जाली कार्यवाही की गयी है। ये कोआपरेटिव बैंक की रसीदें हैं जो आपके सामने हैं। ये मैं उनकी खिदमत में भेज रहा हूं और इसके जरिये से यह दिखाना चाहता हूं कि हालत कैसी चल रही ह। तो श्रीमन्, म आपसे यह अज कर रहा था और माननीय राजस्व मंत्री अपने मित्र द्वारका प्रसाद मौर्य और आपके कैबिनट के सम्मानित सदस्य जो यहां पर मौजूद हैं वे हर समय यहां नहीं रहते और अपने विभाग की बातें नहीं सुनते। इसलिये म उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे कैबिनट में इस पर विचार करें कि आज ग्राम पंचायतें निष्प्राण की जा रही हैं उनके अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है और गांव पंचायतों के अधिकारों के अपहरण के माने होते हैं कि जनता के अधिकारों का अपहरण, नागरिकता का अपहरण। इस तरह की चीजें श्रीमन्, इस थोड़ से समय में मैं यहां पर क्या अर्ज कर सकता हूं केवल एक उदाहरण आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि जब मंत्रियों की तनख्वाह देने के लिये भी आम जनता ने टैक्स नहीं दिया। मैं एक घटना श्रीमन्, आपकी सेवा में निवेदन करूं कि अभी अभी माननीय स्वायत्त-शासन मंत्री बनारस गये थे तो श्रीमन्, वहां एक कांफ्रेंस तमाम पंचायत सभापतियों और मंत्रियों की हुई जिसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन रखवाया था कि गांव पंचायतों के जरिय जो टैक्वस लगाया गया था वह टैक्स जिन लोगों ने नहीं दिया उनसे रेवेन्यू की तरह क्यों न कसूल किया जाय। तो श्रीमन्, पहले केवल ३ हाथ उठे थे। फिर वहां के पंचायत अफसर ने हा कि तमाम लोगों ने इसको समझा नहीं है। हमने कहा कि आप फिर वोट ले लीजिय दूसरी बार श्रीमन् एक भी हाथ नहीं उठा। ये तमाम बातें इस बात की द्योतक हैं कि गांव पंचायतों के अधिकारों का कितना अपहरण किया जा रहा है और जब माननीय राजस्व मंत्री ने मंत्रियों की तनख्वाह को राज्य सरकार से देने की बात को राज्य कोष से देने की बात का तो उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया कि अब राज्य सरकार जो अपना काम चाहेगी वह भी मत्रियों से लेगी। ये तमाम काम पहले हो चुका ह। इसके अतिरिक्त श्रीमन् आपकी आज्ञा से केवल एक बात कहना चाहता हू क्योंकि यह गांव समाज के अधिकारों को छीनने की बात है और जो संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत है वह सही माने में गांव समाज के दिये हुए अधिकारों का अपहरण करता है। यह अपहरण भी किया जाता है और माननीय राजस्व मंत्री के मस्तिष्क में यह बात भी रहती है कि जनता ने समझ बूझ कर कि जब यह सरकार बनेगी और माननीय चरण सिंह राजस्व मंत्री होंगे तो वे हमारे अधिकारों को छ नेंगे। जनता ने इन पूरी बातों को समझ बूझ कर सफाई के साथ वोट दिया। इसीलिये तो श्रीमन्, मेरी परेशानी बढ़ गयी जिससे वहां की गुत्थियों को खोलने की आवश्यकता पड़ती है वरना यह संशोधन निस्सार हो जायेगा। इसी से मैं इस संशोधन को समझ ने की ज्यादा कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि समझ सकने में माननीय मंत्री जी असमर्थ हो जाते हैं।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि वे बहुत विस्तार में न जायं। सिर्फ पंचायत का ही विषय नहीं है। संशोधन के विषय पर ही यदि अपने को सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह जो विधेयक की ११७वीं धारा यहां प्रस्तुत है उसमें गांव समाज को जो अधिकार दिया गया है उसे छीनने की बात है और उस अधिकार को राज्य सरकार म निहित करने का संशोधन प्रस्तुत है। गांव पंचायत और गांव समाज से सम्बन्धित ही यह संशोधन है। इसलिये उसके सम्बन्ध में भी बतलाना आवश्यक है। मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह सरकार चल रही है उसको समझने में मैं तो असमर्थ हो रहा हूं। उस पार्टी के सदस्य लोग आम जनता में कैसे उसकी सफाई देंगे। वह भी सिर्फ कलाबाजी होगी। जिस तरह से यहां कलाबाजी है उसी तरह से आम जनता में भी कलाबाजी होगी, क्योंकि अगर मैं उस पार्टी का सदस्य होता तो मैं कतई असमर्थ हुआ होता। सफाई दे ही नहीं सकता और मुझे साफ तौर पर बतलाना पड़ता है कि हमारी पार्टी ने जो सरकार बनायी है उसमें मेरा विश्वास नहीं है। श्रीमन्, मैं आपके जरिये सम्मानित सदस्यों से केवल इतना ही अपील करना चाहता हूं कि क्या आज जो वर्तमान विधेयक प्रस्तुत है वह वर्तमान विधेयक गांव समाज के अधिकारों में वृद्धि करता है या गांव समाज के अधिकारों को छीनता है जो पहला विधेयक था उसमें एक प्रबन्ध लगा हुआ है कि "और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि खंड (१) से ७ तक में वर्णित समी विषयों के या उनमें से किसी के सम्बन्ध में वह पूर्वोक्त प्रख्यापन करे और ऐसा करने में वह ऐसे अपवाद अथवा प्रतिबन्ध रखे जिन्हें कि वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे।"

सीधा सीधा एक सवाल है कि यहां पर जो यह प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ा जा रहा है वह वाक्यांश गांव समाज के अधिकार को बढ़ाता है या उसके अधिकार को छीनता है मैं तो यह समझता हूं कि यह गांव समाज के अधिकार को छीनता है। वह अधिकार गांव समाज का राज्य सरकार में निहित हो गया तो श्रीमन् जी जनतन्त्र के लिये प्लेज्ड (दृढ़प्रतिज्ञ) और जो डिमोक्रैसी के लिये प्लेज्ड है मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यही डिमोक्रेसी है, क्या यह जनतंत्र और डिसेन्ट्रलाइजेशन का द्योतक नहीं है। और यह भी पूछना चाहता हूं कि यह डिमोक्रेसी अगर है तो कौन सी डेमोक्रेसी है; वेस्टर्न डिमोक्रेसी है या ईस्टर्न डिमोक्रेसी है या कौन सी डेमोक्रेसी है, यह डिमोक्रैसी की नवीन परिभाषा होगी। मैं इसे समझ सकने में असमर्थ हूं। मेरे मस्तिष्क में यह संशोधक विधेयक गांव समाज के अधिकार को छीनता है। यह दूसरी बात है कि इस सरकार को सुरक्षित करने के लिये उसको प्रतिष्ठित करने के लिये यह विधेयक उपयुक्त हो, यह कतई दूसरी बात है लेकिन यह पावर को केन्द्रित करने वाला विधेयक है। जब हम इस कसौटी पर इस विधेयक को कसते हैं तब हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजस्व मंत्री ने जिस विधेयक को प्रस्तुत करने की कृपा की है वह जनतंत्र के विरुद्ध है चाहे वह वेस्टर्न डेमोक्रेसी हो या ईस्टर्न डिमोक्रेसी हो इसको समझ सकने में मैं असमर्थ हूं क्योंकि आजकल इतने शब्दों में डेमोक्रैसी की परिभाषा चल रही है जिनका अन्त नहीं है। माननीय मन्त्रियों के मुखारबिन्द से ऐसी-ऐसी व्याख्या हुई है चाहे एजूकेशन में हो चाहे गांव पंचायतों में हों और चाहे टाउन एरिया में हो सब जगह पावर को केन्द्रित करने वाला है, नियंत्रित करने वाला है लेकिन डिमोक्रेसी के आवरण में छिपाकर और मैं अब आपके जरिये से अन्त में निवेदन करना चाहता हूं कि क्या अब भी इस सरकार के दिमाग में वही बात है कि इस संशोधन के जरिये से गांव समाज के अधिकार को बढ़ाया जा रहा है, क्या गांव समाज आबादी, बाग, मीनाशय और कुंओं को उसी तरह से कब्जे में रखेगी जिस तरह से पहले ऐक्ट में दिया गया था, नहीं रखेगी और अगर रखेगी तो माननीय राजस्व मंत्री जी कब कृपा कर के समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे। मगर इस प्रकार हमारा यह निश्चित मत है कि इतना प्रतिक्रियावादी, इतना जन हित विरोधी और जो पंचायत इकाई गांव की है उसके अधिकार को अपहरण करने

[श्री राजनारायण]

वाला विधेयक इस सदन में कभी उपस्थित नहीं हुआ और जब यह प्रस्तुत किया जाता है तो इसके लिये भी जनतन्त्र कहा जाता है तब परेशानी होती है। इन शब्दों के साथ मैं एक बात और पुनः निवेदन करूंगा। माननीय मंत्री जी और सम्मानित सदस्य ठंडे चित से इस विधेयक को समझें और अगर ठंडे दिल से समझेंगे तो मुझे पूरा इत्मीनान है कि वह रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को अवश्य मान लेंगे। वह संशोधन केवल इतना कहता है कि पुराने ऐक्ट में पुरानी सरकार ने कृपा करके गांव समाज को जो अधिकार दिया था वही अधिकार रहने दिया जाय। रामनारायण जी के संशोधन का सिर्फ इतना सा मतलब है। बहुत व्यापक अधिकार जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी देना चाहती है वह भी रामनारायण जी नहीं कहते हैं। पुरानी सरकार जो थी उसके द्वारा जो ऐक्ट बनाया गया था जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ११७ में जो अधिकार गांव समाज को दिया गया था अभी हम उसी को चाहते हैं। चाहे जनता ने समझा हो या न समझा हो, मगर किसी न किसी तरह से सरकार यह बन ही गयी है तो जब सरकार बन गयी है तो जनता के दिल में जो एक अधिकार की भावना, जनता के दिल में जो एक इत्मीनान दिलाया था उसको क्यों छीन रही है?

श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से माननीय राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब-जब हम कहते हैं कि यह किसानों के हित में कानून जायेगा तब तब राजस्व मंत्री कहा करते हैं कि यह तो अधिकार हमने पुरानी दफाओं में दे दिये हैं और उनको इसलिए बदल नहीं पाते हैं कि सिक्योरिटी नहीं रह जायगी। तब मुझे बड़ा भरोसा होता है कि माननीय मंत्री जी जनता की भी कोई सिक्योरिटी रखेंगे, गांव समाज की भी कोई सिक्योरिटी रखेंगे। इसलिए जब माननीय मंत्री ने बारबार सिक्योरिटी का नाम लिया है तो उन्होंने कह दिया है कि पुरानी दफाएं थी, इसलिये नहीं बदल पाते हैं सरकार ने भूमिधरी का अधिकार दे दिया है इसलिये वह धारा नहीं बदल सकती तो क्या गांव समाज को यह अधिकार नहीं दिया गया था, उसको क्यों छीन रहे हैं आज? आज कौन सी दिक्कत उनको पड़ी कि गांव समाज के अन्दर जो पहले से अधिकार निहित था उसको छीन रही है। जब तक तमाम बातें न बतायी जायं कि इस विधेयक के अन्दर यह धारा क्यों जोड़ी जा रही है, तब तक मैं समझता हूं यह कोई जनतन्त्र के लिये बहुत अच्छी बात नहीं है कि केवल यहां पर बहुमत के बल पर राजस्व मंत्री जी इस संशोधन को पास करा लिया करें। इसके पास करने से जनतंत्र का हनन होता है।

अधिष्ठाता—अब मैं क्लोजर का प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि .....

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—चेयरमैन साहब, क्या चेयरमैन की रूलिंग पर भी कोई प्वाइंट आफ आर्डर हो सकता है? जब कि आप कहने जा रहे है.....।

अधिष्ठाता—(श्री सुरेश प्रकाश से) आप बैठ जाइये।

प्रश्न यह है कि जो रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन है उसके ऊपर जो वादविवाद हो रहा है वह समाप्त किया जाय।

इस प्रश्न पर माननीय उपाध्यक्ष के सामने एक प्रस्ताव आया था। अब मैं उसे ले रहा हूं।

तो प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—९४

विपक्ष में—१५।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं भविष्य की गायडेंस के लिये आप से नम्रतापूर्वक एक रूलिंग चाहता हूं और वह यह है कि अभी जो क्लोजर जिस पर कि वोटिंग हुआ है वह जब मूव हुआ था तो उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि अभी क्लोजर इंट्रोड्यूस नहीं किया जायगा इसलिये कि दो-तीन स्पीचेज हो जायं। तो मैं यह चाहता था कि यह क्लोजर फिर मूव किया जाय और उसके बाद वोटिंग हो। मैं यह नहीं चाहता था कि क्लोजर न हो इसलिये मैं अपनी पोजीशन साफ करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि क्लोजर फिर मूव होना चाहिये उसके बाद फिर वोटिंग हो सकता है।

अधिष्ठाता—पहली बात तो मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि मेरे विचार से पहले तो प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता। दूसरे उपाध्यक्ष महोदय ने, जबकि क्लोजर मूव किया गया था कहा था, कि इस पर मैं दो एक सदस्यों को और मौका दूंगा और यह कहने के बाद उन्होंने राजनारायण जी को पुकारा था। तो उसके बाद यह क्लोजर आना चाहिये था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि अगर्चे यह संशोधन छोटा था, मगर उसके पीछे जो नीति और सिद्धान्त थे उस सम्बन्ध में आपकी अनुकम्पा से हम लोगों को कुछ समय ज्यादा मिला। अधिष्ठाता महोदय, अगर्चे कांग्रेस पार्टी की तो, यह बराबर कोशिश थी कि बीच बीच में हमें बार बार टोक कर और हमारे भाषणों को रोक-टोक कर हमें परेशान किया जाय।

लेकिन अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहली मुश्किल यह भी है मेरी कि अभी सरकारी दल की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई भाषण हुआ नहीं और हमारी बातों का राजस्व मंत्री पहले कुछ जवाब दे लेते तो इसके बाद मैं समझता हूं कि मेरा नाम पुकारा जाता तो यह अच्छा होता क्योंकि आमतौर पर जब क्लोजर खत्म हो जाता है तो उसके बाद मिनिस्टर इंचार्ज आफ दि बिल के भाषण के बाद ही संशोधन पेश करने वाले की बात कही जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि चूंकि आपन मुझे मेरे नाम से पुकार लिया तो इससे राजस्व मंत्री महोदय के बोलने में बाधा पड़ी होगी इसलिए पहले राजस्व मंत्री महोदय बोल लें तब मेरा नाम पुकारा जाय तो . . .।

अधिष्ठाता—तो मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि जब क्लोजर मूव हो जाता है उसके बाद फिर अगर मैं माननीय मंत्री जी को पुकारूंगा तो माननीय मंत्री जी के बोलने के बाद माननीय सदस्य को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन के ऊपर सरकार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया। चाहिए यह था कि इस पर कुछ रोशनी सरकारी दल डालता। मैंने यह कहा था कि यह प्रश्न उठता है सरकार द्वारा और अभी चार-पांच महीने के अन्दर ही यह आवश्यक क्यों समझा गया कि हमारी राज्य सरकार के द्वारा पहली नवम्बर को तो परती और जंगल ग्राम पंचायतों को दिये गये, उसके बाद फिर यह प्रश्न क्यों उपस्थित हो गया कि धारा ११७ के १से ७ तक के अधिकारों से जिसको वह चाहें ग्राम पंचायतों को दे और जिसको न चाहे न दे। तो सिद्धान्त की बात थी और उस सिद्धान्त के पीछे हमारा जो दावा है वह यह है कि चूंकि यह कांग्रेसी सरकार पूंजीवादी सरकार है इसलिए वह न तो गांव सभाओं को अपनी जगह पर पनपने देना चाहती है न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अपनी जगह पर पनपने देना चाहती है और न इस तरह की संस्थाओं को ही पनपने देना चाहती है। वह तो हर अधिकार प्रदेश की सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रख लेना चाहती है और इस सम्बन्ध में हमने यह विवेचना करते हुए बतलाया था कि चूंकि इस कांग्रेसी सरकार का पूंजीपतियों

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

के साथ गठबन्धन है इसीलिये वह इस स्टेट्स को (यथास्थिति) कायम रखना चाहती है और उस समय अधिष्ठाता महोदय संक्षेप में मैंने बताया था कि जितनी भी रिऐक्शनरी पार्टीज हमारे देश में हैं उन सब का तथा कांग्रेस पार्टी का सब का संचालन पूंजीपति करते हैं और इसी कारण जो हमारा चौखंम्भा राज्य का सिद्धान्त है उसको सरकार सुव्यवस्थित रूप से चलने नहीं देती है। हम यह चाहते है कि गांव पंचायतों को कुछ मौलिक और स्वतन्त्र अधिकार दिये जायं और इसकी व्यवस्था हो जाय कि उन गांव पंचायतों से वे अधिकार फिर वापस न लिये जायं। मैं आशा करता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे। राजस्व मंत्री जी को इस बात का डर होगा कि हमारी गांव सभा के लोग नाकाबिल हैं अयोग्य हैं, और शायद ठीक से प्रबन्ध नहीं कर सकेंगे इसलिए उनको यह डर हुआ और पहले तो जंगलों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी कि १०० एकड़ से ज्यादा के जंगलों को राज्य सरकार में निहित कर लिया गया और उसके बाद भी यह मौजूदा प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश हो रही है तो इसके पीछे जो चौखंम्भा राज्य की व्यवस्था की हमारी योजना है कि हर हिस्से को, हर खम्भे को एक समान मजबूत होना चाहिए और हर एक के पास इतनी शक्ति और ताकत होनी चाहिए कि हर तरफ से संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सके। हमारे देश की जो रेवेन्यू है और जो इनकम है, आमदनी है उसका इन चार खम्भों में बराबर-बराबर बटवारा होना चाहिए। मैंने यह भी निवेदन किया था कि आज ६५ करोड़ के बजट में से १६ करोड़ इन पंचायतों के लिए खर्च किया जाय और यदि यह सरकार ऐसा करती है तो यह सही मानों में राज्य सरकार तथा सेंटर की सरकार के लिए एक क्रान्तिकारी कदम होगा। राजस्व मंत्री जी यह जो दलील देंगे कि इस वजह से ....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—प्वाइंट आफ आर्डर सर, आपकी इजाजत से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो उस तरफ से बोल रहे हैं वह रिपीटीशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे जरा संक्षेप में कहें तो अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह चाहता था कि मैं यह बतलाऊं कि इसके पीछे यह जो सिद्धान्त है कि किसी को कुछ अधिकार दिये जायं और फिर ले लिये जायं यह उचित नहीं है। यह बार बार का लेना-देना इसलिये जारी रहता है कि यह आपत्ति हो सकती है कि किसी विशेष अवस्था में जंगलों के मैनेजमेन्ट में, परती के मैनेजमेन्ट में, कुवों के संबंध में, जलाशयों के संबंध में पोखरा के संबंध में मछली मारने के संबंध में ऐसी अव्यवस्था और धांधली और नालायकी ग्राम पंचायतों के जरिये से हो सकती है कि सरकार के लिये ऐसी आवश्यकता पड़े कि वह उनको अधिकार ले ले। मैं चाहता हूं कि आज किसी गांव में एक ग्राम सभापति की वही इज्जत होनी चाहिये जो आज हमारे देश में माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद जी की है और हर गांव के सभापति की वही इज्जत होनी चाहिये जोकि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल जी की है, लेकिन सरकार की मनोवृत्तियों को देख कर सरकार जिस नौकरशाही के द्वारा चलायी जा रही है उसकी हिम्मत यहां तक बढ़ी है कि गांव सभा के सभापतियों और पंचों को सरकारी नौकर थप्पड़ तक मार देते हैं। यह सरकार का रवैया है ऐसी सूरत में मैं मानता हूं कि गांव सभायें धांधली कर सकती हैं और उनमें अव्यवस्था हो सकती है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह दावा है और चार्ज है कि इस लखनऊ में बैठी हुई प्रादेशिक सरकार उनसे कम धांधली नहीं करती है और उनसे कम अव्यवस्था नहीं करती है और दिल्ली की जो सरकार है वह भी गांव सभाओं से कम धांधली अव्यवस्था और गड़बडी नहीं करती है। तो यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या इन सरकारों के अधिकार ले लेना चाहिये। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर गांवसभायें

गड़बड़ी करती है तो उनमें जो निहित अधिकार हैं वे ले लेना चाहिये । दूसरा यह प्रश्न उठ सकता है कि अगर प्रादेशिक सरकार गड़बड़ी करे ..... ।

एक सदस्य—अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्य से मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर दे रहे हैं या शुरू से स्पीच दे रहे हैं ।

अधिष्ठाता—मैं त्रिपाठी जी से यह जरूर कहूंगा कि उन्होंने एक अपना प्रारंभिक भाषण दिया । उनको जो दूसरे भाषण का अधिकार मिला वह केवल जवाब देने के लिए मिला । जब उधर से कोई जवाब नहीं दिया गया तो अब उसी स्पीच को सप्लीमेन्ट करने का उनको अधिकार नहीं है । उन्हें तो केवल जवाब देने का अधिकार है । मैंने उन्हें कुछ समय इसलिए दे दिया कि अगर थोड़े समय में वे कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं वैसे तो जवाब ही वे दे सकते हैं । मैं चाहूंगा कि अगर ५ मिनट में त्रिपाठी जी अपना भाषण समाप्त करदें तो अच्छा है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुमकिन है कि मैं पहले ही खत्म कर देता, लेकिन आप घड़ी उठाकर देख लें कि प्वाइंट आफ आर्डर रेज करने में कितना समय नष्ट होता है और कितना समय मेरे भाषण पर लग रहा है । मैं यह चाहता हूं कि सरकारी दल के सदस्यों को सख्त वार्निंग दी जाय कि वे व्यर्थ का प्वाइंट आफ आर्डर उठाकर सदन का समय नष्ट न करें । इसके साथ साथ प्वाइंट आफ आर्डर उठाने के पहले यह सोच लेना चाहिये कि इससे सदन का समय तो नष्ट नहीं होता है । मैं अपकी आज्ञा के अनुसार पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

अधिष्ठाता—क्या मैं यह समझूं कि आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं ।

अधिष्ठाता—तो फिर शुरू कीजिये ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जो मैं कह रहा हूं वह रिपीटीशन नहीं है । यह बात मैंने अपने पहले भाषण में नहीं कही । यह बात अच्छी तरह से कांग्रेसी सदस्यों के दिमाग में जम जाय, इसलिये जरूरी है कि तसवीर का दूसरा रुख भी उपस्थित किया जाय ।

तो अधिष्ठाता महोदय, प्रश्न यह है कि क्या प्रादेशिक सरकार जो गांव पंचायतों से कम धांधली, गड़बड़ी और अव्यवस्था नहीं करती और केन्द्रीय सरकार जो गांव पंचायतों से कम धांधली गड़बड़ी और अव्यवस्था नहीं करती उसमें जो अधिकार निहित हैं वे ले लिये जायं । मेरी यह निश्चित राय है कि न लिये जायं । जनता ने अगर वोट देकर कांग्रेसी सरकार को आज शासनारूढ़ कर दिया है तो जनता को उसका खमियाजा भुगतना चाहिये और तभी जनता को सबक मिलेगा । इसके साथ साथ जनता को चुने हुये प्रतिनिधियों को अधिकार है कि वे गलती करें, बार बार गिरें और उठ करके संभलें सही मानों में यही प्रजातन्त्र है । अगरचे हमारे विधान में इसकी व्यवस्था है कि प्रेसीडेन्ट चाहें तो किसी मिनिस्ट्री को डिजाल्व कर सकते हैं किसी मिनिस्टर को निकाल सकते हैं, लेकिन वह भी सत्ता के केन्द्रीयकरण का द्योतक है । हमारी पार्टी का यह निश्चित मत है कि एक व्यक्ति अगर जनता के जरिये चुना जाता है तो उसके निकालने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को न होकर वोटरों को होना चाहिये । वह व्यवस्था तो की नहीं गयी बल्कि यह व्यवस्था गैरप्रजातांत्रिक तरीके से रख दी गयी जिसमें शक्ति का सेन्ट्रलाइजेशन होता है । यहां आज अगर कांग्रेस मिनिस्ट्री है तो उसको भी हक है सीखने का, गल्तियां करने का और उसको भी डिजाल्व नहीं करना चाहिये । इसी तरह से गांव पंचायतों को भी पूरा हक होना चाहिये । तो यह कोई दलील नहीं हो सकती जोकि माननीय राजस्व मंत्री उपस्थित कर सकते हैं कि चूंकि गांव पंचायतों के लोग गड़बड़ करते हैं, अव्यवस्था करते हैं और धांधली करते हैं इसलिए उनको यह अधिकार दिया जाय और फिर छीन लिया जाय । अधिष्ठाता महोदय,

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अगर इसी तरह से अधिकार देने और लेने का तरीका अपनाया गया तो उससे एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी । हमारी तरफ से इस संबंध में जो थोड़ा बहुत प्रकाश आज डाला जा रहा है उससे अगर कांग्रेसी दल कुछ सबक लेता तो मैं समझता कि वे सचमुच कुछ सीखना चाहते हैं । अधिष्ठाता महोदय, मैं आखिरी वार्निंग आपके जरिये से कांग्रेस पार्टी को देना चाहता हूं कि कुछ दिनों से जो कांग्रेस पार्टी हमारे देश में और प्रदेश में कर रही है, उसी तरह से चीन में चांगकाईशेक की तमाम धांधलेबाजियां चल रही थीं, लेकिन उनको सूझता नहीं था कि वे किस तरफ जा रहे हैं । नतीजा यह हुआ कि आज वे फारमूसा में शरण ले रहे हैं । विरोधी दल की हैसियत से हमारा अधिकार है और हम चाहते हैं कि चूंकि कांग्रेस के लोग गांधी जी का नाम लेते हैं, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, डिमोक्रेसी की बात करते हैं इसलिये सही रास्ते पर हम उनको ले जायं जिससे देश प्रदेश और जनता का कल्याण हो ।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--माननीय सभापति जी, सात बज कर पच्चीस मिनट पर इस संशोधन पर तकरीर शुरू हुई थी। माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी की ओर से दो घंटे इस मामूली से संशोधन पर लग गये हैं । मैं इस सिलसिले में कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि उनको अधिकार है कि चाहे जितना समय लें, लेकिन केवल इतना ही संकेत करना चाहता हूं कि दूसरे लोग भी दिल व दिमाग रखते हैं और उनके ऊपर इस तरह से जो समय लेने की बात है और जो ढंग अख्तियार किया गया है उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है । बस इस सिलेसिले में केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जहां तक संशोधन की मेरिट्स का संबंध है .....

श्री रामनारायण त्रिपाठी--प्रतिक्रिया का मतलब समझ में नहीं आया । क्या हम लोगों को निकाल देने की धमकी दे रहे हैं, जरा इसको समझा दिया जाय ।

श्री चरण सिंह--बिगड़ने से काम नहीं चलता है, नाराज होने से काम नहीं चलेगा जितनी २ घंटे में बातें कही गयी उन सब पर अगर मैं नाराज होना शुरू करूं तो शायद अभी भाग जांयगे ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जी नहीं ।

श्री चरण सिंह--मैंने यही कहा है कि प्रतिक्रिया मुझ पर हो सकती है और उसी के ऊपर घबराहट पैदा हो गई ।

खैर मैं केवल मेरिट्स के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि यह जो बात कही गयी है कि साहब पंचायतों को जो अधिकार दिया गया है वह यह गवर्नमेन्ट छीन रही है और यह न ईस्टर्न डेमोक्रेसी के मुताबिक है न वेस्टर्न डेमोक्रेसी के मुताबिक है । मैंने तो किताबों में यह पढ़ा था कि एक डाइरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडाइरेक्ट डेमोक्रेसी होती है एक पार्लियामेंटरी फार्म आफ डेमोक्रेसी होती है और एक नानपार्लियामेंटरी फार्म आफ डेमोक्रेसी होती है । अब ईस्टर्न और वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात भी मैंने समझ ली । मुझे डर यह था कि कहीं एशियाटिक नानएशियाटिक फिर इंडियन नानइंडियन और फिर उत्तरप्रदेश और नानउत्तर प्रदेश सरकार की बात न होने लगे । खैर वह तो अगर मैं एक एक बात को लूं तो न जाने कितना समय लग जायगा । केवल कहना यह है कि जहां तक यह बात कही जाती है कि डेमोक्रेसी के विरूद्ध यह अमेंडिंग बिल की धारा पड़ती है वह समझ में नहीं आती । जो अधि-नियम है उसकी जो धारा ११७ है उसकी मंशा यह है कि अमुक प्रकार की संपत्ति गांव पंचायत में निहित कर दी जायगी, प्रादेशिक सरकार इसे कर देगी । यह उससे स्पष्ट नहीं था कि एक ही बार की विज्ञप्ति के जरिये सारी कर दे या दो विज्ञप्ति कर के निहित कर दे। यह मामला जरा संदिग्ध था । तो उसको

साफ करने के लिये यह संशोधन लाया गया कि गवर्नमेन्ट जितने प्रकार की संपत्ति उसमें गिनायी गयी है चाहे उसको एक एक कर के दे, चाहे सारे को एक बार कर दे। जो पहली धारा है उससे दोनों प्रकार का इंटरप्रेटेशन था। अब उस बात को साफ कर दिया। तो सारा मतलब यह है। यह जो बात कही जाती है कि निहित हो गयी थी, संपत्ति वह ली जा रही है यह कैसे ? निहित हुई ही नहीं। निहित किस प्रकार से की जाय यह तो संशोधन का मंशा है चाहे एक बार कर दे, चाहे दो बार कर दी जाय और चाहे कई बार में कर दी जाय। मैं वे शब्द पढ़ कर सुनाता हूं—

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि खंड १ से ७ तक में वर्णित सभी विषयों के या उनमें से किसी के संबंध में वह पूर्वोक्त प्रख्यापन करे और एसा करने में वह ऐसे अपवाद अथवा प्रतिबन्ध रखे, जिन्हें कि वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे।"

यह नहीं है कि जायदाद कोई कर दी गयी है, गांव पंचायत में और उसे वापस लेना चाहती है, बल्कि अधिनियम में जिस प्रकार की बातें गिनायी गयी हैं, उनको किस प्रकार निहित किया जाय एक बार में या कई बार में केवल यह मंशा है। गवर्नमेन्ट को यह अधिकार दिया जा रहा है कि एक बार में कर दे, चाहे कई बार में कर दे। अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि कठिनाई क्या थी जिसके लिये यह करने की आवश्यकता पड़ी। उसमें लिखा है :

"समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ कर अन्य सभी भूमि चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं, गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल" तो यह दोनों प्रकार की संपत्ति तो गवर्नमेन्ट वेस्ट कर चुकी। इसकी बाबत तो यह कहा गया कि पहली नवम्बर को हुई, चार महीने बाद। उसका कारण यह है कि गांव समाजों का कांस्टीट्यूशन करना था। बहुत से ऐसे गांव हैं जो गैरआबाद कहलाते हैं या लाचिराग कहलाते हैं या ऐसे गांव हैं जिनमें मुश्किल से २० आदमी हैं, चार ही परिवार हैं। तो उनका गांव समाज नहीं बन सकता था। तो इस लिये ३० जून को नहीं बल्कि कई महीने पहले जिलाधीशों को आदेश दिये गये थे कि उन गांवों की लिस्ट भेजें। कि जहां के निवासियों की तादाद दस खान्दान से कम हो या २० एडल्ट से कम हो और फिर यह बतलायें कि यह छोटे-छोटे गांव कौन से पडोसी गांवों से मिलाये जाय ताकि उन सबको मिलाकर एक गांव समाज बनाई जा सके तो ६७,००० गांव इनवाल्ड हैं। उनमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है कि १३,००० गांव ऐसे हैं जो पडोसी गांवों में मिलाये जाय तो ८५,००० के करीब गांव समाज की रिपोर्ट आई। फिर यह देखना कि इतनी जमीन गांव वालों के पास रहे और इतनी जमीन फारेस्ट डिपार्टमेंट को दी जाय क्योंकि इसी दफा में यह लिखा हुआ है कि जहां अनकल्टीवेटेड एरिया कल्टीवेटेड एरिया से निस्फ से कम हो तो वह गांव सभा को दिया जायगा और निस्फ कल्टीवेटेड एरिया से जिस हद तक ज्यादा हो वह फारेस्ट डिपार्टमेन्ट में वेस्ट की जायंगी। इसलिये इतनी देर लगी। इन दो के मुताल्लिक विज्ञप्ति जारी कर दी गई।

अब रहा तीन नम्बर वह है "खाते बाग या आबादी में अथवा खेतों की मेड़ों पर स्थित पेड़ों को छोड़कर अन्य सभी पेड़" यह भी गांव सभा में वेस्ट हों। यह अभी गांव सभा को नहीं दिये गये हैं क्योंकि इसमें भी यह सोचना है क्योंकि हमने काश्तकारों के पेड़ लिये नहीं हैं जमींदारों के लिये हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा हो सकता है जो काश्तकार भी हो और जमींदार भी हो तो उसके पेड़ एक तरह से ले लिये गये हैं तो इस सिलसिले में विचार हो रहा है कि गांव समाज में जब हम पेड़ वेस्ट करें तो क्या कुछ डाइरेक्शन

[श्री चरण सिंह]

के देने की जरूरत है या नहीं । जमीन जब वेस्ट कर दी है तो पेड़ क्यों नहीं वेस्ट किये जायंगे ।

चौथा है कुवों का तथा पांचवा मीनाशय, तो इसके संबंध में एनीमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगी गई है कि कौन सी ऐसी फिशरीज हैं जो गांव समाज में रहें और कौन सी ऐसी हैं जिनको एनीमल हस्बेंडरी लेना चाहता है ।

इसका छठा है कि "ऐसी भूमि पर जिसे धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक लागू होते हों, लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेले" इसमें भी यह देखना है कि कौन से गांव सभा को दिये जांय और कौन से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में वेस्ट किये जायं और फिर इस सिलसिले में एल ०एस० जी० डिपार्टमेंट से भी बातचीत करनी होती है । फिलहाल इंतजाम के तौर पर हमने उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दे दिया है मालिक अभी गवर्नमेन्ट ही है । वह भी आसान नहीं था कि पहली जुलाई को कह दिया जाय कि फलां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दिये जायं और फलां गांव समाज को दिये जांय ।

फिर सातवां है कि "तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालियां, रास्ते और आबादी के स्थल ।" इस सिलसिले में भी विचार हो रहा है कि पहली और दूसरी सम्पति के बारे में गवर्नमेन्ट नोटीफिकेशन निकालना चाहती है लेकिन प्रश्न यह था कि गवर्नमेन्ट को सातों के बाबत नोटीफिकेशन निकालने का अधिकार है या एक एक या दो के बाबत निकाल सकती है । इसको किलियर करने के लिये यह एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है जिसकी बाबत कहा गया है कि निहित सम्पति ली जा रही है गवर्नमेन्ट की नीयत में फर्क है गवर्नमेन्ट चांगकाईशेक है । इसी प्रतिनिधि मंडल ने अधिकार दिये थे अब उसी के पास गवर्नमेन्ट की बागडोर है तो क्या माननीय सभापति जी मेरे दोस्तों का यह ख्याल है कि आप लोगों के खौफ की वजह से हम यह अधिकार वापस ले रहे हैं। हमने वह अधिकार दिये थे ।

हम लोगों ने वह अधिकार दिये ही नहीं थे जो वापस लेने का सवाल हो । उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है । वेस्टिंग हुई नहीं जो यह कहा जा रहा है कि डाइवेस्ट किया जा रहा है । सवाल यह है कि वेस्टिंग ७ प्रकार की चीजों पर एक साथ एक बार में किया जा सकता है या एक एक करके भी किया जा सकता है । पता नहीं, क्या-क्या स्पीचेज इस पर दे दी गई । मैंने कहा कि इतना समय जो जानबूझ कर खर्च किया जा रहा है तो इसकी भी प्रतिक्रिया हो सकती है तो होने लगे लाल-पीले । लेकिन वह अपने हृदय से पूंछें कि जो च्यांगकाई शक, काश्मीर आदि पर जो स्पीचेज हो गई वह कहां तक उचित थीं। इतनी ही बात कहना मेरे लिये काफी है और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २० में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ११७ के अन्त में प्रस्तावित नया प्रतिबन्ध हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में --१३

विपक्ष में—९४ ।)

अधिष्ठाता --प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नयी धारा ११७–क का रखा जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा ११७ के बाद निम्नलिखित, नयी धारा ११७–क के रूप में जोड़ दी जाय :–

"११७–क—(१) धारा ११७ में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी भी गांव में स्थित किसी भी क्षेत्र के विषय में उक्त धारा के खंड (१) से (७) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई विषय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित थे, उक्त गावों के लिये स्थापित किसी भी स्थानिक आधिकारिकी ( Local Authority ) में निहित होंगे।

(२) जब कोई भूमि किसी अन्य स्थानिक आधिकारिकी में इस प्रकार निहित हो तो ऐसी स्थानीय आधिकारिकी ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन जिसे राज्य सरकार इस संबंध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, ऐसे कार्यों को करेगी, अधिकारों को प्रयोग में लायेगी और कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा किसी गांव सभा, गांव पंचायत अथवा धारा १२१ के अन्तर्गत स्थापित किसी समिति को अभ्यर्पित किये जायं, दिये जायं अथवा उस पर लगाये जायं।"

(३) उक्त स्थानिक आधिकारिकी इस धारा के अन्तर्गत अपने कार्यों, अधिकारों और कर्त्तव्यों के सम्पादन, प्रयोग तथा पालन में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।

(४) धारा १२६ तथा १२७ के उपबंध, उपधारा (१) में अभिदिष्ट स्थानिक आधिकारिकी पर, ऐसे प्रतिबन्ध और परिष्कारों के अधीन जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

अध्यक्ष महोदय—मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी को सूचना देना चाहता हूं कि आप का जो संशोधन है वह चूंकि पूरी क्लाज को डिलीट करता है इसलिये आप उसको पेश कर सकते हैं और उस पर बोल सकते हैं, लेकिन ११४ नियम के अनुसार आपको उसके जवाब देने का अधिकार न होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ११७ के बाद प्रस्तावित नयी धारा ११७–क निकाल दी जाय।

यह धारा ११७–क इस प्रकार है—

"११७–क (१) धारा ११७ में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी भी गांव में स्थित किसी भी क्षेत्र के विषय में उक्त धारा के खंड (१) से (७) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई विषय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित थे, उक्त गावों के लिये स्थापित किसी भी स्थानिक आधिकारिकी (लोकल अथोरिटी) में निहित होंगे।

(२) जब कोई भूमि किसी अन्य स्थानिक आधिकारिकी में इस प्रकार निहित हो तो ऐसी स्थानीय आधिकारिकी ऐसे क्षेत्र के संबंध में एसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध म सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, ऐसे कार्यों को करेगी, अधिकारों को प्रयोग में लायेगी और कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा किसी गांव सभा, गांव पंचायत अथवा धारा १२१ के अन्तर्गत स्थापित किसी समिति को अभ्यर्पित किये जायं, दिये जायं अथवा उस पर लगाये जायं।"

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

(३) उक्त स्थानिक आधिकारिकी इस धारा के अन्तर्गत अपने कार्यों, अधिकारों और कर्त्तव्यों के सम्पादन, प्रयोग तथा पालन में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।

(४) धारा १२६ तथा १२७ के उपबंध, उपधारा (१) में अभिदिष्ट स्थानिक आधिकारिकी पर, ऐसे प्रतिबन्ध और परिष्कारों के अधीन जिसे राज्य सरकार, निर्दिष्ट करे, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।,,

इस नई धारा १७७–क पर हमारी आपत्ति यह है कि जैसे इसकी उपधारा में यह कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा १२१ में जो समिति स्थापित होगी, मैं मूल अधिनियम की धारा भी पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार है "यूनाइटड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ में किसी बात के रहते हुये भी, उक्त (१२१) अधिनियम की धारा २९ के निदेशों के अधीन प्रत्येक गांव पंचायत आगे चल कर, की गई व्यवस्था के अनुसार अपने अधिक्षेत्र के प्रत्येक मंडल के लिये एक समिति भूमि के प्रबन्ध और बंदोबस्त से सम्बन्ध रखने वाले कर्त्तव्यों का पालन करने तथा ऐसे अन्य कार्यों के लिये, जो नियत किए जायं, स्थापित करेगी।" अबतक इस नई धारा के पहले किसी लोकल अथारिटी को कोई रिफ्रेन्स हो सकता है तो मूल अधिनियम की धारा १२१ से ही हो सकता है और उसके द्वारा गांवसमाज भी अथारिटी हो सकती थी और हमें गांवसमाज में अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन नई धारा में गांवसमाज के अलावा किसी नये प्रकार की स्थानिक आधिकारिकी नियुक्त करन का सरकार का इरादा है।

अधिष्ठाता महोदय, यह बात हमारी समझ में नहीं आई। हमें इस बात की आशंका है कि यह सरकार गांव समाज के अधिकार जो उन्हें पहले दिये गये थे, इस तरह से एक नई अथारिटी बनाकर गांव समाज की स्थापना के उद्देश्यों को विफल करना चाहती है। अभी तो गांव समाज की स्थापना भी नहीं हो पाई थी। कहावत मशहूर है कि 'सर मुड़ाते ही ओले पड़ गये।" हमारी राज्य सरकार के दिमाग में एक बात उठ खड़ी हुई कि गांव समाज पर्याप्त नहीं है और कोई लोकल आधिकारिकी होनी चाहिये। यह इतना भ्रांतिपूर्ण शब्द है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें एक आदमी भी हो सकता है और राज्य सरकार चाहे तो ४, ५ का समूह भी हो सकता है। अभी गांव समाजों की स्थापना भी नहीं हुई थी लेकिन माननीय राजस्व मंत्री ने विशेष जी० ओ० निकाल कर उनके अधिकारों को लेना चाहा। तो हमारी आशंका कि सरकार सचमुच गांव समाज को कोई सत्ता नहीं देना चाहती क्या यह निर्मूल होगी। मैं समझता हूं कि यह गांव समाज के अधिकार पर दूसरा आघात है, आघात ही नहीं, कुठाराघात ही नहीं बल्कि प्राण घातक क़दम उठाया जा रहा है। यह गांव समाज की स्थापना के लिये अहितकर सिद्ध होगा। राजस्व मंत्री जी को यह जो भ्रम सा हो गया है कि हम उनसे नाराज हैं, तो नाराजगी की हमारी कोई बात नहीं है बल्कि वे स्वय ही हमसे नाराज हैं। हम उनको यह बताना चाहते हैं कि विधान सभा के सदस्य होने पर यदि हम अपने सिद्धांत का प्रतिपादन भी नहीं कर सकते और हमारे सामने जो देश और प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेशन के संचालन की जो योजना है उसका सही रूप सदन के सामने न रखें तो हमारे यहां आने से फायदा ही क्या है? हमतो यह चाहते हैं कि एसी लिखित पुस्तकें तैयार हो जावे जिनसे कांग्रसी सरकार सही लाभ उठा सके। इसी भावना से हमें संशोधन उपस्थित करने पड़ते हैं। हमारी सरकारी दल के किसी व्यक्ति विशेष से न नाराजी है और न नाचाकी। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी या उनके सरकारी दल की इच्छा के मुताबिक हम चलें तो वह तो यही चाहेंगे कि वह हमारे लिये साइक्लोस्टाइल करके वे स्पीच भेज दें और हम उसे यहां पढ़ दें और उसके बाद उन्हें प्वाइंट आफ़ आर्डर उपस्थित करन का मौक़ा न मिले। इस सदन में हमारे भी विशेष अधिकार है और माननीय राजस्व मंत्री को मालूम है कि न तो हम उनकी इच्छा से यहां आये हैं और न उनकी इच्छा से यहां से जा सकते हैं। अगर हम अपने कर्त्तव्य का पालन न करें तो हम कर्त्तव्यच्युत होंगे।

समय बढ़ाने की बात कहीं गई। यह हम जानते हैं कि १० रुपये का भत्ता जो माननीय सदस्यों को मिलता है वह ५ बजे खत्म हो चुका है। उसके बाद का किसी सदस्य को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिये समय बरबाद करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने का भी चार्ज हमारे ऊपर नहीं है। दूसरे माननीय राजस्व मंत्री को ख्याल करना चाहिये कि हम उनके हैदराबाद सेशन का विचार पूरा रख रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सिद्धांतों का समावेश हो जाय। हम इस सदन का समय बरबाद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सिद्धान्त हमारी तरफ से उपस्थित किये गये हैं उनका समाधान हो जाना चाहिये। क्या जरूरत है कि अनेक प्रकार की लोकल अथारिटीज गांव समाज के होते हुए मुक़र्रर की जा रही हैं? मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी हमारी बातों पर विचार करेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मुझे खेद है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं ऐसे समय निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिस समय कि इस भवन के आधे से ज्यादा माननीय सदस्य और कम से कम दो मंत्री गणों को मैंने जम्हाइयां लेते हुए देखा है। ऐसा होना ही था इसलिये कि आखिरकार दो ही तीन दिन के बाद हैदराबाद में कांग्रस सेशन होने वाला है। श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय इच्छा न होते हुए भी कारणवश मुझे इस संशोधन के समर्थन में खड़ा होना पड़ा है। इच्छा क्यों नहीं थी यह मैं पहले निवेदन करना चाहता था।

श्रीमान्, मैं अपढ़ आदमी हूं, कार्ल मार्क्स, रूस, विलायत, और अमेरिका की चीजों को मैं नहीं जानता, परन्तु देहात का होने के कारण कुछ दहात की बातें अवश्य मालूम हैं, उनका अवश्य कुछ अनुभव है और मुझे सरकार द्वारा बनाई हुई ग्राम पन्चायतों का अनुभव है। श्रीमान् जी, मेरा दिल तो यह चाहता था कि मैं इस संशोधन का समर्थन न करूं, इसलिये कि हम लोगों को जो कि दहाती क्षेत्र से आये हैं, उनको ग्राम पन्चायतों और मूल अधिनियम के गांव समाज का जो अनुभव है, उसको मैं समझता हूं, इस माननीय सदन का हर एक माननीय सदस्य समर्थन करेगा। जो चीज इसके द्वारा हम दखना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम विलेज पब्लिक को सैट-अप करना चाहते थे, उसका शायद समय के पहले टोटल फेल्योर हुआ। मैं डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूं लेकिन श्रीमन् मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि डेमोक्रेसी कोई पूर्ण चीज है, परन्तु डेमोक्रेसी हरएक चीज की तरह "इट इज ओनली एन्ड मीन्स टू एन्ड" मैं यह अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने देखा कि गांव पंचायतों का इन्तजाम उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना कि चलना चाहिए, जब उन्होंने देखा कि गलती से यह जैसे भी हो मूल अधिनियम में बहुत से हकूक, बहुत से अख्तियारात गांव पन्चायतों या गांव समाज को दे रखे हैं, जिनका दुर्व्यवहार हो रहा है और तब वे ऐसे संशोधन उस विधेयक में लायें और जहां तक मेरी इच्छा का ताल्लुक है, मुझे इस सवाल के समर्थन में खड़ा नहीं होना चाहिए था, परन्तु यह देखते हुए भी कि हम लोगों ने जो कार्य शुरू किया था उसमें सफलता नहीं हो रही है, यह देखत हुए भी कि हमारा देहाती समाज उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, जिस स्तर पर कि उसे गांव पन्चायतों के लिये पहुंचना चाहिए था, और यह जानते हुए कि जब सरकार का जी चाहता है वह गांव पन्चायतों या गांव समाज के हाथ से अख्तियारात ले लेती है और जब जी चाहता है, तब उनको अख्तियारात दे देती है। चुनाव के पहले ऐसी चीजें रख देती है कि गांव में पता चले कि, गांव पन्चायतें यह समझें कि दुनिया भर के अख्तियारात हमारे हाथ में दिये जा रहे हैं लेकिन चुनाव के बाद उन अख्तियारात को धीरे धीरे छीना जा रहा है। मैं तो यह पसंद करता हूं कि जब यह समझा जाय कि एक्सपेरीमेंट फेल हो रहा है, उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो हम उन अख्तियारात को खत्म कर दें। जब हम यह देखें कि उन अख्तियारात का दुरुपयोग हो रहा है, या ज्यादा अख्तियार दे दिये गये हैं, जिनका उपयोग ठीक नहीं हो रहा है तो हमें उन अख्तियारात को छीन लेना चाहिए। परन्तु मैं इस संशोधन का समथन सरकार की इस पालिसी की वजह से करना चाहता हूं, जिसके द्वारा जब सरकार चाहे तब यह एलान कर देती है कि गांव में रिपब्लिक कायम करना चाहते हैं और जब चाहे तब सारे अधिकारों को

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

अपने हाथ में ले लेती है। और चुनाव क थोड़े दिनों के बाद सरकार को अक्ल आती है कि यह बात गलत हो गयी इसलिये अब धीरे धीर वह अधिकार ले लिया जाय। श्रीमान् अधिकार छीनने की बात हो और कोई गलती हो गयी हो तो उसे छीनना चाहिए, लेकिन अगर गांव पन्चायतों के साथ सरकार की यही पालिसी रही तो चार साल के बाद या साढ़े तीन साल के बाद फिर यही उलट पुलट हो जायगा। जब चुनाव नजदीक आयेगा तो फिर आज के अनुभव से सरकार और हम लोग उसके विपरीत चल कर अधिकार देना शुरू कर देंगे। उसके बाद चुनाव के बाद फिर ऐसा विधेयक आयगा और अधिकार छीन लिये जाया करेंगे। और विरोधी दल से जब कुछ कहा जायगा तो यह कहेंगे कि बेकार देर की जा रही है, कि १० बज गया या १२ बज गया या ३ या ४ बज गया। इसलिये श्रीमान्, मैं नम्रता पूर्वक आपके द्वारा सरकार से यह कहूंगा कि अपनी पालिसी को निर्धारित करना जरूरी है, आधातीतर और आधा बटेर नहीं होना चाहिए। चुनाव जब नजदीक हुआ तो आपने गांव सभा से कह दिया देहातियों से कह दिया कि जरूरत की तुम्हारी सारी चीजें हमने तुम्हें दे दी, अब तुम यहां के राजा हो, और चुनाव के बाद श्रीमान्, धीरे धीर अधिकार लेने लगे तो इस तरह से हर ५ साल के बाद चुनाव होगा तो फिर हम कैसे समझें और देहातियों को समझावें कि कब तुम्हारे हाथ में अधिकार आवेगा और कब छीन जावेगा। हम कैस समझें कि हमारे देहात के आदमी इस काबिल हैं कि उनके हाथों में अख्तियार दिय जायें और इस काबिल नहीं हैं तो उनके हाथ में अधिकार नहीं दिये जायं। श्रीमान केवल यही एक कारण है कि इस समय मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि उसके प्रतिकूल खड़ा हो कर इस संशोधन का समर्थन कर रहा हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय सभापति जी, फिर मैं यही कहूंगा कि यह संशोधन गलत-फहमी पर मबनी है। कुछ ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी टाउन एरिया के अन्दर है या नोटीफाइड एरिया के अन्दर हैं या म्यूनिसिपल एरिया के अन्दर हैं और उनके खेत और ऐसी जमीन जो कि जेरेकाश्त नहीं है यानी उनका सारा रकबा जेरेकाश्त या जरे काश्त न हो, काबिल काश्त, हर तरह का रकबा उसकी सीमा के बाहर पड़ता है, लोकल अथारिटीज में। तो गांव समाज का जो अनकल्टीवेटेड एरिया था, वह गांव समाज में निहित हो गया था। लेकिन जो लोकल अथा-रिटीज क अन्दर के गांव हैं उनके भी अनकल्टीवेटेड एरिया जो थे, वे स्टेट में ही वैस्ट हैं। तो किस तरह से क्या करें यह सारा सवाल था। मैं फिर दोहराना चाहता हूं और मैं माननीय सुरेश प्रकाश जी को अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर व उस पर अच्छी तरह से विचार कर पाये तो शायद उनको यह ख्याल हो कि यह संशोधन जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है वह वाकई ठीक है। एक गांव है, गांव समाज सब गांवों के बन गये हैं जिसको रूरल एरिया कहते हैं। उनके अनकल्टीवेटेड एरियाज सब गांव समाज के अन्दर निहित कर दिये गये लेकिन ऐसे विलेजेज ह जो कि किसी लोकल अथारिटीज के अन्दर शामिल हैं। मसलन लखनऊ शहर है और लखनऊ एक गांव भी है और लखनऊ के अन्दर रहने वाले जो किसान हैं, उसकी सीमा के अन्दर उनके जो रकबे हैं वे उसकी सीमा से बाहर होते हैं। मान लीजिए कि इसकी लिमिट ८ मील है और इस शहर लखनऊ का एक एक मील का रकबा है जो इसकी सीमा के बाहर है। तो जो लखनऊ के पास जो अनकल्टीवेटेड जमीन है वह गांव सभा या गांव समाज में वैस्ट करेगा लेकिन जो एरिया लखनऊ का है जो लखनऊ की म्यूनिसिपल सीमा के बाहर पड़ता है वह एरिया कहां वेस्ट होगा। वह एरिया ११७-ए की रू से जरूरी संशोधनों के साथ लोकल अथारिटीज में वैस्ट कर दी जाय। बस इसका यह मन्शा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां इसमें गांव समाज या गांव पन्चायतों के अधिकार कम हो रहे हैं। जो जमीन गांव पन्चायतों को नहीं दी जा सकतीं थी क्योंकि गांव पन्चायतें वहां नहीं थीं इसलिये वहां लोकल अथारिटीज को दी जा रही है चाहे वह टाउन एरियाज हों या नोटीफाइड एरियाज हों या चाहे म्यूनिसिपल

एरिया हों । यह इतनी मोटी सी बात है क्योंकि हम ऐसा क्लाज न लावें तो वे किनमें बेस्ट हों क्योंकि वहां गांव समाज है नहीं और फिर यह प्रतिक्रियावादी भी नहीं है क्योंकि हम लोकल अथारिटीज को यह चीज देना चाहते हैं और इसलिये यह संशोधन जो आपने पेश किया है वह बिल्कुल बेमानी है और गलतफहमी पर आश्रित है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि ....

श्री राजनारायण---मैं कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ था। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि किस नियम के आधार पर यह है कि केवल एक ही सदस्य भाषण कर सकता है ? यह सही है कि माननीय राम नारायण जी को आपने जवाब देने का अधिकार नहीं दिया और उसके लिये नियम पढ़ कर यह व्यवस्था दी, मगर सदन के किसी सम्मानित सदस्य का अधिकार नहीं छीना गया है कि वह माननीय राम नारायण जी के समर्थन में न बोल पायें। इस पर श्रीमान् मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

अधिष्ठाता---मैं आपको यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि ११४ नियम के अन्तर्गत केवल इस प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं और उसका विरोध माननीय राम नारायण जी ने और माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने किया। माननीय राजस्व मन्त्री ने उसका जवाब दिया और तब फिर उनके बोलने के बाद किसी और सदस्य के बोलने का प्रश्न नहीं उठता।

( एक क्षण के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि खंड २१ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा ११७ के बाद प्रस्तावित नयी धारा ११७-क निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। )

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अधिष्ठाता महोदय, मुनासिब होगा कि जिस तरह से आपने व्यवस्था इस समय दी है अगर उसकी धारा को बतला दें और उसको स्पष्ट कर दें कि इस धारा के अनुसार एक ही आदमी बोल सकता है। यदि कोई ऐसा नियम है तो हमें संतोष होगा।

अधिष्ठाता---मैं तो समझता हूं कि व्यवस्था हो जाने के बाद आपको आपत्ति करने का अधिकार नहीं है।

श्री राज नारायण ---भविष्य के लिये गाइडेन्स चाहते हैं कि कौन सा नियम है जिसके अन्दर यह आता है जिससे हम लोग उसी के अनुसार कार्य करें ?

अधिष्ठाता---नियम १८५ और नियम ११४ दोनों को आप देखें ।

खंड २२

२२---मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२१, धारा १२१ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जाय और उसके बाद निम्नलिखित, नयी उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय :---

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १२१ का संशोधन ।

"(२) जब उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार समिति को किसी वर्ग के वादों अथवा व्यवहारों को आरम्भ करने या उनका प्रतिवाद करने का अधिकार गांव-सभा की ओर से और गांव-सभा के लिये दे दिया जया, तो उक्त समिति का सभापति अथवा अन्य कोई कार्य का अधिकारी या सदस्य, जैसा भी नियत किया जाय, यू० पी० पन्चायत राज ऐक्ट, १९४७ में अथवा उसके अन्तर्गत किसी बात क होते हुए भी किसी भी लेख्य पर हस्ताक्षर करने का अथवा अन्य दूसरे ऐसे कामों के करने का अधिकारी होगा, जो वाद अथवा व्यवहार के प्रचालन के हेतु आवश्यक हो।"

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—श्रीमान्, मैं आपकी इजाजत से १८५ और ११४ नियमों को आपकी सेवा में पढ़ देना चाहता हूं। १८५ में यह कहते हैं—

"After the member who moves has spoken, other members may speak on the motion in such order as the Speaker may determine."

[प्रस्तावक सदस्य के भाषण के उपरान्त अन्य सदस्य प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा निश्चित क्रमानुसार भाषण कर सकते हैं।]

श्रीमान्, यह सही है कि आर्डर डिटरमिन करने का अधिकार स्पीकर महोदय को है, अधिष्ठाता महोदय का है। लेकिन किसी रूल में यह नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति बोल नहीं सकता अगर माननीय मन्त्री जवाब दे चुके हैं। न ११४ में ही यह बात है। ११४ भी आपकी सेवा में पढ़ देना चाहता हूं।

अधिष्ठाता—मैं तो समझता हूं कि व्यवस्था दे देने के बाद कोई प्रश्न इस पर नहीं उठता, लेकिन फिर भी १८५(३) आप विशेषरूप से पढ़ें। उसके बाद बात करें, तब तक सदन की कार्यवाही होती रहे।

खंड २३

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १२२ का संशोधन।

२३—मूल अधिनियम की धारा १२२ में प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"प्रथमतः प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी प्रसंग (केस) में ऐसे सदस्यों की संख्या ५ से कम हो, तो कलेक्टर गांव समाज के ऐसे सदस्यों में से उतने सदस्य नामांकित करेगा जिससे कि सदस्यों की कुल संख्या ५ हो जाये।"

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड २४

२४—मूल अधिनियम की धारा १३३ में :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १३३ में संशोधन।

(१) वर्तमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-

"(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो आस्थानों के हस्तगतीकरण के परिणामस्वरूप धारा ११,१३ अथवा २१ के अन्तर्गत असामी हो जाय।"

(२) वर्तमान खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य प्रकार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अथवा अन्तर्गत असामी क अधिकार प्राप्त कर ल।"

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १३४ का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा १३४ में :—

(१) उपधारा (१) में—

(क) शब्द "परगना के अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायं।

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ दिया जाय :--

"स्पष्टीकरण--इस उपधारा में भूमि के अन्तर्गत भूमि का अंश भी है।"

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित उपधारा (३) के रूप में जोड़ दिया जाय :--

"(३) उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि नकदी में या यदि राज्य सरकार नियत करे तो बन्धों (bonds) में अथवा अन्य प्रकार से भी अदा की जा सकती है।"

श्री गेंदा सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १३४ निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा १३४ के रूप में रख दी जाय--

"१३४--इस विधेयक के अन्तर्गत उल्लिखित सीरदार उस भूमि के लिय जिसका वह सीरदार है, निहित होने के दिनांक पर देय या देय समझे जाने वाले लगान का दो गुना देने पर इस अधिनियम या अन्यत्र किसी विधि के विपरीत होते हुए भी वह भूमिधर हो जायगा और भूमिधरी के सार अधिकार प्रयोग करते हुए अपनी भूमि की रेहन दखली कर सकता है ; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि पर लगने वाले हाट, बाजार या मेले नहीं लगा सकता।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि राजस्व मन्त्री इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

## उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर भाषणों के लिये समय निर्धारण

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माननीय सभापति महोदय, मैं श्रीमन् से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियम २२३ की तरफ श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विधेयक के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव इस भवन ने यह स्वीकार किया कि आज शनिश्चर के दिन जब तक यह विधेयक पारित न हो जाय, तब तक यह भवन बठे तो इसलिये, जब इसको समाप्त करने का रेजोल्यूशन इस भवन ने स्वीकार किया है तो उसको समाप्त करने के सम्बन्ध में श्रीमन ऐसी व्यवस्था दें समय के लिये, जिसस इसकी वर्किंग ठीक चल सके। २२३ इस प्रकार है--

"223. All questions not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall he regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct."

[२२३--ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेषरूप से व्यवस्था नहीं की गई है और इन नियमों के सविस्तर कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निदेश करें।]

अतः श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित करन के लिये कुछ ऐसा समय का प्रतिबन्ध अपने अधिकार से कर दें, ताकि यह विधेयक जैसा कि रेजोल्यूशन में स्वीकार किया है, पारित हो सके और अधिक समय इसमें न लग जाय।

अधिष्ठाता--क्या आप कोई प्रस्ताव इस विषय में करते हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो संशोधन उपस्थित करें,

[श्री राज नारायण]

उन उपस्थितकर्त्ता को सात मिनट, दूसरे सदस्यों को पांच मिनट और जवाब में केवल दो मिनट बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--श्रीमान्, पहले तो माननीय मौर्य्य जी ने इतना ही कहा था कि आप ही रेगुलेट करें, मगर अब उन्होंने एक प्रस्ताव के रूप में मोशन रखा। तो मोशन रखने के तो नियम हैं कि मोशन कब और कैसे रखा जाता है। उस नियम के मुताबिक अगर देखा जाय तो एक हफ्ता पहले नोटिस आनी चाहिए। तो नोटिस यहां पर कतई है नहीं। तो इस मोशन की तो कोई बात ही यहां पर नहीं उठती और जैसा कि मैं समझता हूं कि आप इसकी इजाजत भी नहीं देंगे।

(इस समय रात्रि के १० बज कर १० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब श्रीमान्, रही बात आपके ऊपर छोड़ने की, तो उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि अक्सर यहां पर राजस्व मन्त्री जी या दूसरे सदस्यों के द्वारा सरकारी पार्टी के ब्रिटिश पार्लियामेंट की चर्चा की जाती है और यह अब एक तरीके से मुंह बन्द करो प्रस्ताव है, उसी का यह स्वरूप है। तो इसके बार में भी मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुंह बन्द करो प्रस्ताव भी कब उपस्थित हो सकता है, उसके भी कुछ नियम हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमन्, मेरा "सुझाव" मान लिया जाय। "प्रस्ताव" जो मैंने कहा था वह गलती से कहा। यह मेरा सुझाव है।

श्री राज नारायण--तो श्रीमन्, उसी प्रस्ताव के ऊपर मेरी आपत्ति है कि उस प्रस्ताव के लिये कम से कम एक हफ्ते की नोटिस आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सदन के सामने यह सुझाव है कि ७ मिनट, ५ मिनट और २ मिनट समय रखा जाय। आप चाहते हैं कि टाइम लिमिट किया जाय। मैं तो समझता हूं कि यह तो सदन के सभी माननीय सदस्य मानेंगे कि जो बिलम्ब हो रहा है, उसमें समय के प्रतिबन्ध करने की आवश्यकता है। मैं तो यही कहूंगा कि २२३ धारा के अनुसार, रेजिडुअरी पावर के अनुसार, मैं समझता हूं कि १० मिनट, ७ मिनट और ३ मिनट का समय रखा जाय।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, यह रेजोल्यूशन में संशोधन दूसरा आया है। माननीय द्वारका प्रसाद जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें संशोधन आया है।

श्री उपाध्यक्ष--मैंने फैसला किया है कि उस प्रस्ताव पर ही ज्यादा ध्यान देने के बजाय मैंने जो व्यवस्था दी है वह ज्यादा अच्छा होगा और मुझे अधिकार भी है २२३ के अन्तर्गत और उसी के अनुसार मैं यह फैसला करता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--प्वाइन्ट आफ आर्डर श्रीमन्, पहले सभा सचिव ने एक प्रस्ताव रखा, उसके बाद उसको वापस लिया गया। और वापसी का जो तरीका है वह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रस्ताव पर हम लोगों के संशोधन आने चाहिए और संशोधन के आने के बाद वह वापस लिया जाना चाहिए और उसके बाद भी सदन को यह अधिकार है कि वह प्रस्ताव वापस ले या न ले। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। हम लोगों को मौका दिया जाना चाहिए संशोधन करने का और फिर संशोधित प्रस्ताव हाउस के समक्ष आना चाहिए। मैं समझता हूं कि व्यवस्था के लिये इस सम्बन्ध में आप आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--मैं तो यह समझता था कि सहूलियत इस बात से होगी कि अगर जैसा कि मैंने यह सुझाव दिया, जिसका कि मैं समझता हूं कि मुझे अधिकार है कि यदि भवन चाहता है कि ७,५ और ३ मिनट रख दिया जाय तो . . . .

श्री राम नारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मौर्य जी के प्रस्ताव पर मेरा संशोधन है इसलिये कि जब प्रस्ताव है तो उसमें मेरा संशोधन होना चाहिए। उसमें मेरा यह संशोधन है कि पहले सदस्य को १ घंटा, दूसरे को आधा घंटा और आखिरी को २५ मिनट और उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि कोई समय की पाबन्दी संशोधन नं० ४४-क, ४४-ख, ४७-क, ४७-ख ख, ४७ ग ग, ५० और ६०-ख के लिये लागू नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री जी के सभा सचिव के इस आशय से सहमत अवश्य हूं कि उनकी समझ से यह विधेयक आज १२ बजे रात से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन यह प्रस्ताव जिसके अनुसार कि विधेयक इस तरह चल रहा था, वह भी अनियमित था। उस प्रस्ताव में जिसका कि जिक्र अभी माननीय सभा सचिव ने किया था, यही था कि उसमें लिखा है कि शनिवार को तब तक बैठा जाय, जब तक कि यह विधेयक खत्म न हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव पहले था वह बिल्कुल बेमानी था, क्योंकि उसमें कोई प्राविजन ऐसा नहीं किया गया था कि अगर १२ बजे से पहले न खत्म हो तो क्या किया जाय। तो यह दूसरा प्रस्ताव वह लाये हैं, टाइम का जिसके अनुसार कि हम बोल न सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आज फ्रीडम आफ स्पीच सब जगह है और जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है, इस सदन के बाहर तो वह भी कहीं इस पर रोक नहीं लगाना चाहती, लेकिन इस समय सभा सचिव जी को जो यह प्रस्ताव लाये हैं, उसके द्वारा वह हमारी फ्रीडम आफ स्पीच पर रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रस्तावों के लिये तो विधेयक के बारे में भाषणों के लिये समय की व्यवस्था होती है। प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को २५ मिनट और उसके बाद बोलने वाले को १५ मिनट। बाद में प्रस्ताव द्वारा कम समय रखने की व्यवस्था होती है लेकिन यह विधेयकों के बारे में ऐसा नहीं होता है तो वह कितना महत्वपूर्ण विधेयक है और इसमें जो हमारे संशोधन हैं ४४क, ४४ख, ४७क, ४७ खख, ४७ गग, ५० और ६०ख वह कितने महत्वपूर्ण हैं। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक हो जाता है कि मैं उन संशोधनों को आपके सामने पढ़ दूं, जिससे आप यह देखेंगे कि ये कितने महत्वपूर्ण संशोधन हैं। यह ६० ख संशोधन के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन सम्बन्धित है, जमीन्दारी विनाशक कानून के मूल अधिनियम की धारा २१२ से....

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य की बात सुन चका हूं। समय नियत करना जरूरी है और मुनासिब है, ताकि इस सदन की कार्यवाही रेगुलेट हो सके। इसलिये मैं यह फैसला देता हूं कि प्रस्तावक को १० मिनट, उसके बाद बोलने वाले को ७ मिनट और जवाब देने के लिये ३ मिनट रखा जाय।

श्री राज नारायण--श्रीमन्, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आपने यह व्यवस्था रखी और उसका आपको हक है, लेकिन यह जो हमारा मुंह बन्द करने की कोशिश की गई कि जो हम कहना चाहते हैं, वह कह ही न सकें, कुछ बोल ही न सकें, तो फिर हमारा यहां बैठना ही बेकार होगा, और देशों की मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का हवाला देते हुए मैंने आपकी आज्ञा से यह पढ़ने की कोशिश की थी कि और देशों में ऐसे मौकों पर क्या हुआ है मैं आपके जरिये इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि केवल एक बार १८८१ में यह प्रश्न आया था....

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।

श्री राजनारायण--तो आपकी इस व्यवस्था पर हमें इस सदन से बाहर जाना ही चाहिए।

(इस समय १० बजकर १७ मिनट पर विरोधी पक्ष के सदस्य उठकर सदन के बाहर चले गये)

## उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२
## (क्रमागत)

### खण्ड † २५, २६ तथा २७

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १३५ में संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा १३५ में शब्द "खजाने (treasury) का एक ऐसा चालान भी" के स्थान पर शब्द "यदि धनराशि नकद दी जाय तो खजाने (treasury) का ऐसा चालान या किसी अन्य स्थिति में, कोई ऐसा लेख्य या प्रमाण" रख दिया जाय और शब्द "स थ" के पूर्व कामा रखा जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १३७ में संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा १३७ में :—

(१) उपधारा (२) में शब्द "के ठीक बाद के कृषि वर्ष के प्रारम्भ" निकाल दिये जायं ; और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (२-क) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(२-क) यदि कृषि वर्ष के प्रथम दिनांक से भिन्न अन्य किसी दिनांक को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाय तो भूमिधर द्वारा उपधारा (२) के खंड (ख) के अन्तर्गत उस कृषि वर्ष के अवशिष्ट भाग के लिये, जिसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाय, देय मालगुजारी उस रीति से अवधारित की जायगी, जो नियत की जाय।"

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १३४ निकाल दी जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा १३४ के रूप में रख दी जाय —

१३४—इस विधेयक के अन्तर्गत उल्लिखित सीरदार उस भूमि के लिये जिसका वह सीरदार है, निहित होने के दिनांक पर देय या देय समझे जाने वाले लगान का दो गुना देने पर इस अधिनियम या अन्यत्र किसी विधि के विपरीत होते हुए भी वह भूमिधर हो जायगा और भूमिधरी के सारे अधिकार प्रयोग करते हुए अपनी भूमि को रेहन दखली कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि पर लगने वाले हाट, बाजार या मेले नहीं लगा सकता।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। )

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २५, २६ और २७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

### खण्ड २८

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १३७ क का रखा जाना।

२८—मूल अधिनियम की धारा १३७ के बाद निम्नलिखित धारा, १३७-क के रूप में रख दिया जाय :—

"प्रमाणपत्र का निरसन

१३७-क—धारा १३७ के अनुसार दिया गया प्रमाण पत्र राज्य सरकार अथवा हित रखने वाले (interested) किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर निम्नलिखित कारणों में से किसी के आधार पर निरस्त अथवा परिष्कृत (cancelled or modified) किया जा सकता है :—

---

†पीछे पृष्ठ ५६२ पर छपा है।

(क) कि प्रमाण–पत्र, असिस्टेन्ट कलेक्टर के समक्ष छलपूर्वक झूठा सुझाव प्रस्तुत करके अथवा असिस्टेन्ट कलेक्टर के सामने से सम्बद्ध कोई महत्वपूर्ण बात छिपा कर प्राप्त किया गया था,

(ख) कि प्रमाण–पत्र किसी ऐसे तथ्य के असत्य कथन द्वारा प्राप्त किया गया था जो विधि की दृष्टि से उसके प्रदान के समर्थन के लिये आवश्यक था, चाहे ऐसा कथन अज्ञानवश अथवा असावधानी के कारण किया गया हो,

(ग) कि उस खाते के विषय में जिसके सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र दिया गया था, किसी वाद अथवा व्यवहार में किसी समर्थन न्यायालय द्वारा पारित डिग्री अथवा आज्ञा से वह प्रदर्शित होता हो कि प्रार्थी प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी नहीं था ।"

(२) जब उपधारा (१) के अधीन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाय तो वह व्यक्ति जिसने धारा १३४ में अभिदिष्ट धनराशि जमा कर दी हो, उसके लौटाये जाने का अधिकारी हो जायगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १३७ की उपधारा (२) के खंड (ख) के अन्तर्गत देय मालगुजारी की कम की हुई मात्रा के बराबर धनराशि से काट ली जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड २९

२९--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १३७, धारा १३८ की उपधारा (२) के रूप में पुनः परिगणित की जायगी और निम्नलिखित नयी उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जायगा :-- उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३८ का संशोधन

"(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी वाद में कोई भी दूसरा भूमिधर जो खाते में ऐसे अंश का भूमिधर होने के नाते अधिकारी हो, न्यायालय के समक्ष अपने अंश के बटवारे के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है और उसे न्यायशुल्क देने पर अपने अंश को अलग करवाने का अधिकार होगा ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विचारणीय विषयों (Issues) के निश्चित तथा निहित होने के बाद एसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिया जायगा ।"

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २९ में प्रस्तावित धारा १३८ की नयी उपधारा (२) के प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में शब्द "बाद" के स्थान पर शब्द "पश्चात्" रख दिया जाय । यह एक शाब्दिक संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २९ में प्रस्तावित धारा १३८ की नयी उपधारा (२) क प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में शब्द "बाद" के स्थान पर शब्द "पश्चात्" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २९ इस विधयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३० और ३१

उ०प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४३ का संशोधन ।

३०--मूल अधिनियम की धारा १४३ की उपधारा (१) में जहां कहीं भी शब्द "कलेक्टर" आया हो वहां वहां उसके स्थान पर शब्द "परगने के अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायं।

उ०प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४४ का संशोधन ।

३१--मूल अधिनियम की धारा १४४ की उपधारा (१) में जहां कहीं भी शब्द "कलेक्टर" आया हो वहां वहां उसके स्थान पर शब्द "परगना का अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३० और ३१ इस विधेयक का अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३२

उ०प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४६ का संशोधन।

३२--मूल अधिनियम की धारा १४६ में शब्द "और उसमे जिस प्रकार की चाहे उस प्रकार की उन्नति करे" निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३२ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३

उ०प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४७ से १५१ तक का निकाल दिया जाना।

३३--मूल अधिनियम की धारा १४७ से १५१ तक निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३-क

उत्तर प्रदेश अधिनियम १ की धारा १५७ का संशोधन

३३-क--मूल अधिनियम की धारा १५७ की उपधारा (१) में शब्द और संख्या "धारा १३३ की उपधारा (क) के उपखंड (५)" के स्थान पर शब्द और संख्या "धारा ११" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३३-क इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३४

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १६१ का संशोधन।

३४--मूल अधिनियम की धारा १६१ की उपधारा (१) के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर की पहले से अनुज्ञा (Permission) लिये बिना कोई भी विनिमय नहीं किया जायगा और यदि विनिमय में दी हुई भूमि का मौरूसी दर से लगाया हुआ लगानी मूल्य (rental value) बदलने में प्राप्त भूमि के उक्त दर से लगाये हुए मूल्य से १० प्रतिशत से अधिक हो तो असिस्टेन्ट कलेक्टर विनिमय की अनुज्ञा नहीं देगा।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३४ में प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर की पहले से अनुज्ञा (Permission) लिये बिना कोई भी विनिमय नहीं किया जायगा और यदि विनिमय में दी हुई भूमि के मौरूसी दर से लगाये हुए लगानी मूल्य (rental value) और बदले में प्राप्त भूमि के उक्त दर से लगाये हुए मूल्य में १० प्रतिशत से अधिक का अन्तर हो तो असिस्टेन्ट कलेक्टर विनिमय की अनुज्ञा नहीं देगा।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ३४ में प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि असिस्टेन्ट कलेक्टर की पहले से अनुज्ञा (Permission) लिये बिना कोई भी विनिमय नहीं किया जायगा और यदि विनिमय में दी हुई भूमि के मौरूसी दर से लगाये हुये लगानी मूल्य (rental value) और बदले में प्राप्त भूमि के उक्त दर से लगाये हुए मूल्य में १० प्रतिशत से अधिक का अन्तर हो तो असिस्टेन्ट कलेक्टर विनिमय की अनुज्ञा नहीं देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३५

३५--मूल अधिनियम की धारा में १७१ में खंड (ड) के बाद निम्नलिखित खंड (डड) क रूप में रख दिया जाय :--

(डड) "बहिन का पुत्र".

उत्तरप्रदे अधिनियम १, १९५१ की धारा १७१ का संशोधन

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १७१ की उपधारा (ञ) और (ट) को परस्पर स्थानान्तरित कर दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३५ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा १७१ की उपधारा (ञ) और (ट) को परस्पर स्थानातरित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३५ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३६

३६--(१) मूल अधिनियम की धारा १९८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ङ) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायं :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १९८ का संशोधन।

(क) उस मंडल में रहने वाला खेती से सम्बन्धित भूमिहीन मजदूर (landless agricultural labourer) या आसामी जिनके पास कोई भूमि भूमिधर, सीरदार, या अधिवासी के रूप में न हो,

(ख) ऐसा भूमिधर, सीरदार या अधिवासी जिसके पास मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो;

(ग) इस अधिनियम के अधीन स्थापित ऐसा सहकारी फार्म जिसके पास उस गांव सभा के अधिक्षेत्र में स्थित कोई भूमि हो, जिससे कि उसके कब्जे में पर्याप्त भूमि आ सके, और

(घ) कोई अन्य व्यक्ति।

(२) मूल अधिनियम की धारा १९८ की उपधारा (१) के पहले प्रतिबंधात्मक खंड में कोष्ठकों और वर्ण "(क)" के स्थान पर कोष्ठक और वर्ण '(ग)' रख दिया जाय।

(३) धारा १९८ की उपधारा (१) के दूसरे प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "होते हों" के स्थान पर शब्द "होता हो" रख दिये जायं और शब्द, "कोष्ठक और वर्ण और खंड (ग)" निकाल दिये जायं।

(४) धारा १९८ की उपधारा (१) में निम्नलिखित तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि खंड (क) में उल्लिखित किसी व्यक्ति के लिये यदि भूमि मिल सकती हो तो ३ १/८ एकड़ से कम भूमि नहीं उठायी जायगी। किन्तु किसी भी दशा में ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि किसी व्यक्ति को नहीं उठायी जायगी।"

श्री श्रीचन्द (ज़िला मुजफ्फरनगर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३६ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा १९८ की उपधारा (१) के खंड (क) की पहली पंक्ति में शब्द "भूमिहीन" तथा "मजदूर" के बीच में शब्द "खेतिहर" रख दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३६ के उपखंड (१) में प्रस्तावित धारा १९८ की उपधारा (१) के खंड (क) की पहली पंक्ति में शब्द "भूमिहीन" तथा "मजदूर" के बीच में शब्द "खेतिहर" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३७

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २०२ का संशोधन।

३७—मूल अधिनियम की धारा २०२ में—

(१) खंड (ख) में शब्द, संख्या और कोष्ठक 'खंड (क) के उपखंड (१), (२), (३), (६), और (७) या" निकाल दिये जायं और शब्द खंड "(ग)" और "में उल्लिखित" के बीच में शब्द "या धारा २१ की उपधारा (१) खंड (क), (ख), (ग), (ङ) और (छ)" रख दिय जायं"

(२) खंड (ग) में शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (४) के स्थान पर शब्द "धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (घ)" रख दिये जायं,

(३) खंड (घ) में शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (५) में उल्लिखित वर्ग का है" के स्थान पर शब्द "धारा ११ के अन्तर्गत असामी है" रख दिये जायं;

(४) खंड (ङ) में शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (८)" के स्थान पर शब्द "धारा २१ की उपधारा (१) के खंड (च)" रख दिये जायं, और

(४-क) खंड (च) में शब्द "वह" और शब्द "धारा" के बीच में शब्द "धारा २१ के खंड (ज) या" रख दिये जायं;

(५) खंड (६) में :–

(१) शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (६) में उल्लिखित वर्ग का है" के स्थान पर शब्द "धारा १३ के अन्तर्गत असामी ह" रख दिय जायं ; और

(२) शब्द और संख्या "धारा १३" के स्थान पर शब्द "उक्त धारा "रख दिये जायं ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय व्रजविहारी मिश्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन को पेश करना चाहता हूं ।

खंड ३७ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २०२ के खंड (ग) के अन्त में अर्ध विराम से पहले निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

"या देय धनराशि न्यायालय में जमा कर दी गयी है ।"

यह सीधा सा संशोधन है और मुझे विश्वास है कि यह स्वीकार किया जायगा ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३७ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २०२ के खंड (ग) के अन्त में अर्ध विराम से पहले निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय––

"या देय धनराशि न्यायालय में जमा कर दी गयी है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३७ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३८

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २०४ में संशोधन ।

३८–क––मूल अधिनियम की धारा २०४ में शब्द और संख्या "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (१) से (५) तक में से "कोई या" के स्थान पर शब्द और संख्या "धारा २१ के खंड (क), (ख), (ग) या (घ) या धारा ११ या धारा १३३ का" रख दिये जायं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ की पहली पंक्ति के रेखांकित शब्द "जहां भी आये हों" को दूसरी पंक्ति में शब्द "बाद" और "निकाल दिये जायं" के बीच में रख दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३८ की पहली पंक्ति के रेखांकित शब्द "जहां भी आये हों" को दूसरी पंक्ति में शब्द "बाद" और "निकाल दिये जायं" के बीच रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३८ इस विधेयक का अंश माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३८–क

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २०४ में संशोधन ।

३८–क––मूल अधिनियम धारा की २०४ में शब्द और संख्या "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (१) से (५) तक में से "कोई या" के स्थान पर शब्द और संख्या "धारा २१ के खंड (क) (ख) (ग) या (घ) या धारा ११ या धारा १३३ का" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३८–क इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खन्ड ३९

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २०९ का संशोधन।

३९—मूल अधिनियम की धारा २०९ में शब्द "या गांव सभा" के स्थान पर शब्द "गांव सभा या कलेक्टर" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ इस विधेयक का अंश माना जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड ४०

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २१२ का संशोधन।

४०—मूल अधिनियम की धारा २१२ में शब्द "रहते हुये भी" और शब्द "गांव सभा" के बीच में शब्द "कलेक्टर या" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड ४१

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३२ का संशोधन।

४१—मूल अधिनियम की धारा २३२ की उपधारा (१) में संख्या और शब्द "६ मास" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४१ का निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जाय—

खंड ४१ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २३२ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "खंड ग" के स्थान पर शब्द "खंड ख" रख दिया जाय, और

(२) संख्या और शब्द "६ मास" के स्थान पर संख्या और शब्द "१८ मास" रख दिये जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१ का निम्नलिखित रूप से संशोधन किया जाय—

खंड ४१ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २३२ की उपधारा (१) में—

(१) शब्द "खंड ग" के स्थान "खंड ख" रख दिया जाय, और

(२) संख्या और शब्द "६ मास" के स्थान पर संख्या और शब्द "१८ मास" रख दिय जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड ४२

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में एक नई धारा २३३ क का रखा जाना।

४२—मूल अधिनियम की धारा २३३ के बाद निम्नलिखित नई धारा २३३-क के रूप में रख द जाय :—

"२३३-क—यदि अधिवासी का लगान जिन्सी हो या खड़ी हुई फसल के अनुमान याकूत के अनुसार या बोई हुई फसलों के अनुसार बदलतीरहने व

ाली

दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो असिस्टेन्ट कलेक्टर स्वतः और गांव सभा अथवा उस अधिवासी के जिसके द्वारा लगान देय हो, अथवा क्षेत्रपति के, जिसको लगान देय हो, आदेश पर तो लगान का परिवर्तन अवश्य, ऐसी निश्चित धनराशि के रूप में लगान का नकदी में परिवर्तन करेगा जो हिसाब लगाने पर मौरूसी दरों के १३३-१/३ प्रतिशत से अधिक न हो"

श्री श्री चन्द--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४२ की पहली पंक्ति में शब्द "बाद" के स्थान पर शब्द "पश्चात्" रख दिया जाय ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४२ की पहली पंक्ति में शब्द "बाद" के स्थान पर शब्द "पश्चात्" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया। और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४३, ४४, ४५ और ४५-क

४३--मूल अधिनियम की धारा २३४ में :- उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३४ का संशोधन।

(१) शब्द "कोई अधिवासी निम्नलिखित आधारों को छोड़ किसी दूसरे आधार पर अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा" के स्थान पर शब्द "कोई भी अधिवासी अपनी भूमि से निम्नलिखित आधारों पर बेदखल किये जाने के योग्य होगा" रख दिये जायं।

(२) शब्द "वादों से संबंध रखने वाले" के स्थान पर शब्द "वादों तथा प्रार्थना-पत्रों से सम्बन्ध प्रक्रिया तथा प्रस्तुत करने के स्थान (फोरम) से संबंध रखने वाले" रख दिये जायं ।

४४--मूल अधिनियम की धारा २३५ की उपधारा (१) में से शब्द "परगना के अधिकारी" निकाल दिय जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३५ का संशोधन

४५--मूल अधिनियम की धारा २३८ निकाल दी जाय। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३८ का संशोधन।

४५--क--मूल अधिनियम की धारा २३९ निकाल दी जाय। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २३९ का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४३, ४४, ४५ और ४५-क इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४६

उत्तरप्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २४५ का संशोधन।

४६--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २४५,धारा २४५ की उपधारा (१) के रूप में पुनःपरिगणित की जाय और इस पुनःपरिगणित उपधारा (१) में :--

(क) धारा २४५ खंड (क) के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपखंड (१--) में की गई है, मध्यवर्ती था,तो धारा ४४ के खंड (घ) के उपखंड (२) में अवधारित धनराशि,

(१-क) ऐसा मध्यवर्ती था जिसके पास मालगुजारी से मुक्त या लगान से मुक्त ऐसा आस्थान या जिसमें वह भूमि स्थित हो, तो ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से जो नियत की जाये, अवधारित धनराशि।

(ख) खंड (ख) में शब्द खंड (घ) के स्थान पर शब्द "खंड (घ) और (ङ) रख दिये जायं।

(ग) वर्तमान खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा :--

(ग) यदि वह धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर हुआ हो, तो ऐसी धनराशि जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान के आधे के अथवा १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान की धारा ४ के अन्तर्गत देय समझे गये लगान के बराबर हो।"

(२) मूल अधिनियम की उपधारा २४५ की उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (२) के रूप में रख दी जाय:

"(२) यदि उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट भूमिधर द्वारा देय लगान निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर जिन्सी था, या खड़ी फसल के अनुमान या कूत के अनुसार या बोई हुई फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसी ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर था, तो असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा उस रीति से तथा उन सिद्धांतों के आधार पर जो नियत किये जायं, अवधारित की जाने वाली धनराशि पूर्वोक्त खंड के प्रयोजनों के लिये, उसके द्वारा देय लगान समझी जायगी।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४६ (क) की पहली पंक्ति में से शब्द "धारा २४५ के" निकाल दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४६(क) की पहली पंक्ति में से शब्द "धारा २४५ के" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४६ (क) में प्रस्तावित धारा २४५ के खंड (क) के नये उपखंड (१) की पहली पंक्ति में कोष्ठक और संख्या "(१)" के स्थान पर कोष्ठक, संख्या और अक्षर "(१-क)" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४६ (क) में प्रस्तावित धारा २४५ के खंड (क) के नये उपखंड (१) की पहली पंक्ति में कोष्ठक और संख्या "(१)" के स्थान पर कोष्ठक, संख्या और अक्षर "(१-क)" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्रीचन्द--श्रीमन्, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४६ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "बाद" के स्थान पर शब्द "पश्चात्" रख दिया जाय ।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४६ के उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "बाद" के स्थान पर शब्द "पश्चात्" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि धारा ४६ के उपखंड (१-क) की दूसरी सतर में जहां शब्द "या" है उसको 'हो" कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि धारा ४६ के उपखंड (१-क) की दूसरी सतर में जहां शब्द "या" है उसको "हो" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४७

| | |
|---|---|
| ४७--मूल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में खंड (क) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय :--<br>"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पूर्वोक्त देय लगान बोये हुये क्षेत्र के अनुसार अथवा बालू पंचट के आचारानुसार बदलता हो, तो मालगुजारी ऐसी धनराशि होगी जो उक्त दिनांक से ठीक पहले के दस वर्षों में देय वार्षिक लगान के औसत के बराबर हो"। | उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४६ का संशोधन। |

श्री रामनरेश शुक्ल--मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४७ इस विधेयक म से एक दम निकाल दिया जाय ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४८

| | | |
|---|---|---|
| ४८--मूल अधिनियम की धारा २४७ के बाद निम्नलिखित नयी धारा २४७-क के रूप में जोड़ दी जाय:- | | उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५२ में नयी धारा २४७-क का जोड़ा जाना। |
| धारा २४५, २४६ और २४७ में लगान का अर्थ। | "२४७-क--धारा २४५, २४६ और २४७ में आये हुये पदों "देय लगान" या देय लगान के आधे का तात्पर्य यथास्थिति ऐसे लगान या लगान के आधे से है जो एसी धनराशि के सहित लगान के संबंध में देय हो, जो यू० पी० लोकल रेटस् ऐक्ट, १९१४ की धारा ७ या ८ के अधीन या यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ की धारा १११ के अधीन सम्बद्ध भूमिधर या सीरदार से भू-स्वामी (Lond lord) द्वारा वसूल की जा सकती हो। | |

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४९

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २४९ का संशोधन।

४९--मूल अधिनियम की धारा २४९ की उपधारा (१) में शब्द "मालगुजारी के अन्तर्गत" और शब्द "उतना ही अबवाब" के बीच में शब्द "उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा २४७ में की गई है," रख दिये जायं, और शब्द "अन्तर्गत" के बाद कामा रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५० और ५१

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २५९ का संशोधन।

५०--मूल अधिनियम की धारा २५९ में शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में एक नई धारा २६७-क का रखा जाना।

५१--मूल अधिनियम की धारा २६७ के बाद निम्नलिखित नई धारा २६७-क के रूप में रख दी जाय:--

"२६७--क यदि बन्दोबस्त के प्रचलित रहते हुए कोई भूमिधर, अपने खाते के भागों का मालगुजारी अवधारित करने का अधिकार।

खाते का कोई भाग हस्तान्तरित कर देता है, तो खाते के प्रत्येक भाग के सम्बन्ध में देय मालगुजारी को कलेक्टर नियत रीति से अवधारित करेगा।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५० और ५१ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५२ और ५३

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २६८ का संशोधन।

५२--मूल अधिनियम की धारा २६८ की उपधारा (२) में शब्द "असामी" के स्थान पर शब्द "असामी या अधिवासी, जैसी भी दशा हो" रख दिए जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २७३ का संशोधन।

५३--मूल अधिनियम की धारा २७३ में शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर" रख दिए जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५२ और ५३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५४

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २८१ का संशोधन।

५४--मूल अधिनियम की धारा २८१ में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी भी बकाया के लिए (उस खाते के सम्बन्ध में बकाया को छोड़ कर जिसका कि वह भूमिधर अथवा सीरदार हो), गिरफ्तारी या निरोधन का भागी न होगा।"

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड ५५

५५--मूल अधिनियम की धारा २९१ में शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द 'लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर' रख दिए जायं। — उ० प्र० अधिनियम १ १९५१ की धारा २९१ क संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। )

खण्ड ५६--६१

५६--मूल अधिनियम की धारा ३३२ में :- — उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३२ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द 'किसी ऐसे फरीक को जिसे वह ऐसा आदेश देना उचित समझे, आदेश देगा कि वह ऐसी आज्ञा से तीन मास की अवधि के भीतर अधिक्षेत्र युक्त न्यायालय में ऐसे प्रश्न के, अवधारण (determiasntion ) के लिये वाद प्रस्तुत करे और तदुपरान्त जब तक पूर्वोक्त अवधि समाप्त न हो जाय तब तक के और यदि कोई वाद प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो जब तक उक्त वाद का निर्णय न हो जाय तब तक के लिये अपने सामने चल रहे वाद या व्यवहार को स्थगित कर देगा" के स्थान पर शब्द "आगम सम्बन्धी प्रश्न का विचारणीय विषय ( issua ) निश्चित तथा लिख करके अभिलेख को केवल उस विचारणीय विषय के निर्णय के हेतु किसी समर्थ दीवनी न्यायालय के पास भेज देगा" रख दिए जायं।

(२) उपधारा (१) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में रख दिया जाय :-

"स्पष्टीकरण --भूमि के आगम के सम्बन्ध में तर्क (plea) स्पष्टतः अमान्य (untenable) हो और जो केवल माल न्यायालय के अधिक्षेत्र को निष्कासित करने के लिए उठाया गया हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त भूमि के सम्बन्ध में आगम सम्बन्धी प्रश्न नहीं समझा जायगा।

(३) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(२) दीवानी न्यायालय विचारणीय विषय (issue) को, यदि आवश्यक हो, पुनः निश्चित करके केवल इस विचारणीय विषय को निर्णीत करेगा और उस सम्बन्ध में अपनी उपपत्ति (finding) सहित अभिलेख को प्रस्तुत करने वाले माल न्यायालय के पास भेज देगा।

(४) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-

"(३) तब माल न्यायालय, अभिदिष्ट विचारणीय विषय (issue) पर दीवानी न्यायालय की उपपत्ति को स्वीकार करके, वाद का निर्णय करना आरम्भ करेगा।"

५७--मूल अधिनियम की धारा ३३९ में :-

(१) शब्द "धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के" के स्थान पर शब्द 'निहित होने के' रख दिए जायं। — उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३९ का संशोधन।

(२) खंड (ख) में शब्द "असंगत होंगे" और शब्द "निवर्तित" के बीच में शब्द "और जहां तक उनका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लागू होने का है" रख दिए जायं।

(३) खंड (ग) में शब्द "संशोधित" के पहले शब्द "जहां तक उसका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लागू होने का है" जोड़ दिये जायं

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३४२ का संशोधन।

५८—मूल अधिनियम की धारा ३४२ की उपधारा (२) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची २ का संशोधन।

५९—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में :—

(१) क्रम संख्या ८ के सामने स्तम्भ २ के इंदराज में संख्या "२०९" के स्थान पर संख्या "२०६" रख दी जाय, और

(१-क) इन्दराज (entry) संख्या ६ के बाद निम्नलिखित इन्दराज संख्या ६-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
|---|---|---|---|---|---|
| ६-क | १३७-क | प्रमाणपत्र के निरसन के लिये प्रार्थना पत्र | असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी | कमिश्नर | बोर्ड |

(१-ख) क्रम संख्या ८ के सामने इन्दराज के स्तम्भ २ में से कोष्ठक और वर्ण "(ग)" निकाल दिया जाय।

(२) क्रम संख्या २२ के सामने स्तम्भ २ में संख्या "३१२" के स्थान पर संख्या "३१४" रख दी जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची ३ में संशोधन।

६०—मूल अधिनियम की अनुसूची ३ की :—

(१) सूची (१) में :

(क) क्रम संख्या ७ के इन्दराज के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिए जायं—

"७-क—दि बुन्देलखंड इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९०३ (यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०३)।"

७-ख—दि बुन्देलखंड एलीनियेशन आफ लैन्ड ऐक्ट, १९०३ (यू० पी० ऐक्ट २, १९०३)।"

(कक) क्रम संख्या १३ के इन्दराज के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"१३ का यू० पी० एग्रीकल्चरिस्टल रिलीफ ऐक्ट, १९३४ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २७, १९३४)।"

(ख) क्रम संख्या १६ के इन्दराज के बाद निम्नलिखित नया इन्दराज बढ़ा दिया जाय :—

"१७—दि यू०पी० लैन्ड यूटीलाइजेशन ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९४८)।"

(२) सूची २ में क्रम संख्या २८ के सामने के स्तम्भ २ के इन्दराज में शब्द और संख्या "(चेप्टर्स ५ से ७ तक)" के स्थान पर शब्द "(चेप्टर्स ५ से ८ तक)" रख दिए जायं।

६१—किसी क्षेत्र के विषय में निहित होने के दिनांक से यू० पी० लन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जहां तक उसका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लागू होने से है अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित आयति पर्यन्त (to the extent of) संशोधित समझा जायगा और एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

यू० पी० ऐक्ट, ३, १९०१ का संशोधन।

श्री रामनरेश शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ५६ में नया उपखंड (५) निम्नलिखित रूप से बढ़ा दिया जाय—

(५) उपधारा (३) के बाद नई उपधारा (४) इस प्रकार बढ़ा दी जाय—

"(४) किसी ऐसे वाद या व्यवहार में जिसमें किसी आगम सम्बन्धी विचारणीय विषय (issue) का दीवानी न्यायालय ने उपधारा (२) के अधीन निर्णय किया हो, माल न्यायालय की डिक्री से अपील ऐसे दीवानी न्यायालय को हो सकेगी जिसे वाद के मूल्यांकन (valuation) को ध्यान में रखते हुये उस न्यायालय के निर्णय से अपील सुनने का क्षेत्राधिकार (jurisdiction) हो जिसको वह विचारणीय विषय भेजा गया था।"

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५६ में नया उपखंड (५) निम्नलिखित रूप से बढ़ा दिया जाय —

(५) उपधारा (३) के बाद नई उपधारा (४) इस प्रकार बढ़ा दी जाय—

(४) किसी ऐसे वाद या व्यवहार में जिसमें किसी आगम सम्बन्धी विचारणीय विषय (Issue) का दीवानी न्यायालय में उपधारा (२) के अधीन निर्णय किया हो, माल न्यायालय की डिक्री से अपील ऐसे दीवानी न्यायालय को हो सकेगी जिसे वाद के मूल्यांकन (Valuation) को ध्यान में रखते हुये उस न्यायालय के निर्णय से अपील सुनने का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) हो जिसको वह विचारणीय विषय भेजा गया था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५६ और खंड ५७ से ६१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*खन्ड ११

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमान् जी, खंड ११ पर एक संशोधन प्रस्तुत हो चुका है जो स्थगित हो गया था उस पर राय ले ली जाय। वह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

खंड ११ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"२०—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर —

(क) इस अधिनियम के निदेशों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो, अर्थात्—

*क्रम के लिए पीछ पृष्ठ पर ३९३ देखिए।

(१) उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उप-धारा (ख) के खंड (१) में की गयी है, सीर का काश्तकार जो धारा १९ के खंड (९) में उल्लिखित काश्तकार से भिन्न हो या जिसके पक्ष में धारा १० के निदेशों के अनुसार मौरूसी अधिकार (hereditary rights) उत्पन्न होते हों, या,

(२) उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उप-धारा (ख) के खंड (१) में की गयी है, बाग भूमि से भिन किसी भूमि का एसा शिकमी काश्तकार (sub-tenant) जो यूनाइटेड प्रांविसेज टेनेंसी (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्ध में अथवा यूनाइटेड प्रांविसेज टेनेंसी एक्ट, १३३९ की धारा ४७ की उपधारा (४) में अभिदिष्ट शिकमी काश्तकार से भिन्न हो,

(ख) अध्यासी (occupant) के रूप में |—

(१) किसी ऐसी भूमि के (जो बाग भूमि से या ऐसी भूमि से भिन्न हो जिस पर धारा १६ लागू होती है) सम्बन्ध में यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की क्रमशः धारा २८ और ३२ के अधीन तैयार किये गये १३५६ फसली के खसरे या खतौनी में अभिलिखित रहा हो या जिस पर उसे निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर यूनाइटेड प्रांविसेज टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (१) के खंड (सी) के अनुसार कब्जा वापस पाने का अधिकार रहा हो, अथवा,

(२) किसी ऐसे भूमि के सम्बन्ध में जिस पर धारा १६ लागू होती है, यूनाइटेड प्रांविसेज लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, १९०१ की धारा ३२ के खंड (ई) के अधीन १३५६ फसली के लिए तैयार किये गये अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो किन्तु जो १३५९ फसली में उक्त भूमि पर काबिज न रहा हो,

जब तक कि वह धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन उस भमि का भूमिधर या धारा २१ के खंड (ज) के अधीन असामी न बन गया हो, उस भमि का अधिवासी कहलायेगा और इस अधिनियम के निदेशों को बाधित न करते हुए उसे उस भूमि पर कब्जा लेने या रखने का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण १—यदि खण्ड (ख) में अभिदिष्ट कोई व्यक्ति ३० जून, १९४८ के बाद भूमि से निकाल दिया गया हो तो किसी आज्ञा या डिगरी में किसी बात के रहते हुए भी उस के विषय मे यह समझा

जायगा कि वह उक्त भूमि पर कब्जा वापस लेने का अधिकारी है।

स्पष्टीकरण २—यदि खंड (ख) में अभिदिष्ट खसरा या खतौनी का कोई इंदराज निहित होन के दिनांक के पूर्व युनाइटेड प्रांविसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के निदशों के अधीन या अनुसार संशोधित किया गया हो, तो इस प्रकार संशोधित इंदराज उक्त खंड के प्रयोजनों के लिय मान्य होगा।"

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ विधेयक का अंग माना जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना, खण्ड १ तथा अनुसूची

कुछ प्रयोजनों के लिये, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का, — उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

विधेयक

यह आवश्यक है कि कुछ प्रयोजनों के लिय, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में संशोधन किया जाय ; — उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५२ ई० कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षक नाम और प्रारम्भ।

(२) इसे, इसकी धारा ३५ और ५६ को छोड़कर जो तत्काल प्रचलित हो जायगी, दिनांक १ जुलाई १९५२ ई० से प्रचलित समझा जायगा।

अनुसूची

यू० पी लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१

(धारा ६१)

| क्रम संख्या | धारा | परिष्कार या संशोधन |
|---|---|---|
| १ | ५ | शब्द "under this Act" निकाल दिए जायं। |
| २ | २१ | शब्द "halka" के स्थान पर शब्द "halkas" रख दिया जाय। |
| ३ | २३ | शब्द "appoint" और "halka" के बीच शब्द "patwari to each" रख दिये जायं। |
| ४ | ३० | शब्द "tenure holder or Gaon Sabha" के स्थान पर शब्द "tenure holders or Gaon Sabas" रख दिय जायं। |
| ५ | ३४ | उपधारा (३) में शब्द "mortgagee or" निकाल दिए जायं। |

| क्रम संख्या | धारा | परिष्कार या संशोधन |
|---|---|---|
| ६ | ४० | (क) उपधारा (२) में शब्द "the" और "Tahsildar" के बीच म शब्द (Collector or the) रख दिए जायं ।<br>(ख) स्पष्टीकरण में शब्द "or on such transfer and changes as are dealt with in sections 39" निकाल दिए जायं । |
| ७ | ५० | शब्द "Gaon Sabha" के स्थान पर शब्द "Gaon Sabhas" रख दिए जायं । |
| ८ | २१५ | संख्या "1887" के स्थान पर संख्या "1908" रख दी जाय। |
| ९ | २२७ | (क) खंड (२) में शब्द (owners) के स्थान पर शब्द "tenure holders or Gaon Sabhs) रख दिए जायं।<br>(ख) खंड (५) में शब्द और सख्या "sections 35 and 39" के स्थान पर शब्द और संख्या "section 35" रख दिए जायं ।<br>(ग) खंड (६) निकाल दिया जाय ।<br>(घ) खंड (८) में शब्द और खंख्या "sectoin 40 to 43" के स्थान पर शब्द और संख्या "section 40, 41 and 43" रख दिये जायं । |
| १० | २३३ | (क) खंड (a) में शब्द "Circles" के स्थान पर शब्द "halkas" रख दिया जाय;<br>(ख) खंड ( b ) में शब्द और संख्या "sections 23, 25 or 45" के स्थान पर शब्द और संख्या "sections 23 and 25" रख दिए जांय । |
| ११ | २३४ | खंड ( f ) से (u) तक निकाल दिए जायं। |

श्री श्रीचन्द—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) की पंक्ति १ म संख्या "५६" के स्थान पर संख्या "३६" रख दी जाय और पंक्ति २ में शब्द "हो जायगी" के स्थान पर शब्द "होंगी" रख दिया जाय ।

श्रीमान् जी, इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि यहां पर बहुवचन होना आवश्यक है ।

श्री द्वारका प्रसाद माथुर—इस संशोधन में मैं जरा सा संशोधन करना चाहता हूं और वह यह है कि इसमें "स्थान पर" की जगह "पहले" रख दिया जाय इस प्रकार मुझे स्वीकार होगा। मुझे आशा है कि श्री श्रीचन्द जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री श्रीचन्द—मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री श्रीचन्द के संशोधन में शब्द "स्थान पर" की जगह शब्द "पहले" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में संख्या "५६" के पहले संख्या "३६" रख दी जाय और पंक्ति २ में शब्द "हो जायगी" के स्थान पर शब्द "होंगी" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची, संशोधित खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्रीचन्द—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक में जहां कहीं भी निम्नलिखित शब्द आये हैं उनको इस प्रकार बदल दिया जाय—

(१) "अधिकारिकी" के स्थान पर "प्राधिकारी (औथारिटी)";
(२) "बाद" के स्थान पर "पश्चात्";
(३) "कमिश्नर" के स्थान पर "आयुक्त";
(४) "डिक्री" के स्थान पर "आज्ञप्ति (डिक्री)";
(५) "असिस्टेन्ट कलेक्टर" के स्थान पर "सहायक जिलाधीश";
(६) "खजाना" के स्थान पर "कोष";
(७) "कलेक्टर" के स्थान पर "जिलाधीश" ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं इसका विरोध करता हूं। अगर यह संशोधन मान लिया गया तो मूल अधिनियम में बहुत सी जगह ये शब्द आये हैं और उनमें विरोध हो जायगा ।

श्री श्रीचन्द--ये शब्द संविधान में आये हुये शब्दों के आधार पर रख गये हैं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--यह तो सही है कि संविधान में यह इस प्रकार आये हैं, परन्तु यदि हम इसमें बदलते हैं तो मूल अधिनियम से विरोध हो जायगा, इसलिये मैं आशा करता हूं कि वह इसे वापस ले लेंगे ।

श्री श्रीचन्द--मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ जैसा कि वह संशोधित हुआ है; पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है तथा इस सदन द्वारा पुनः संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

## विधान सभा का सत्रावसान

श्री उपाध्यक्ष--अभी एक आदेश राज्यपाल महोदय की ओर से प्राप्त हुआ है, वह मैं सदन की जानकारी के लिये पढ़ देना उचित समझता हूं।

"भारत के संविधान के आर्टिकिल १७४ के खंड (२) के उपखंड (ए) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके गवर्नर महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान, सदन की १० जनवरी, १९५३ ई० की बैठक की समाप्ति से करते हैं।"

(इसके बाद रात्रि के १० बजकर ५५ मिनट पर श्री राज्यपाल के आदेशानुसार विधान सभा का सत्रावसान हो गया। )

लखनऊ,
१० जनवरी, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—८५ एल० ५०—१९५३—८२०